

राज्य सतरीय पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण (एसईआईएए), छत्तीसगढ़ की 134वीं बैठक का कार्यवाही विवरण

राज्य सतरीय पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण (एसईआईएए), छत्तीसगढ़ की 134वीं बैठक दिनांक 06/12/2022 को अपराह्ण 12:00 बजे भी शिवाली द्वारा, अध्यक्ष, राज्य सतरीय पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण, छत्तीसगढ़ की अध्यक्षता में संपन्न हुई। बैठक में निम्न सदस्य उपस्थित हों—

1. डॉ. दीपक शिंहा, सदस्य, राज्य सतरीय पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण,
2. श्री आरपी. शिवाली, सदस्य अधिक, राज्य सतरीय पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण।

बैठक के पासमें मी नामीकी जायिनारी, राजिकालय, राज्य सतरीय पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण द्वारा अध्यक्ष एवं सदस्यों का स्वागत विद्या दिया गया। शुद्धप्रकार एवं प्राप्ति निम्नानुसार निर्णय लिया गया।

प्राप्ति आवेदन क्रमांक—1

राज्य सतरीय पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण, छत्तीसगढ़ की 133वीं बैठक दिनांक 21/11/2022 को कार्यवाही विवरण का अनुच्छेदन।

राज्य सतरीय पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण, छत्तीसगढ़ की 133वीं बैठक दिनांक 21/11/2022 को आवोजित की गई थी। प्राधिकरण द्वारा वार्षिकता से कार्यवाही विवरण का अनुच्छेदन किया गया।

प्राप्ति आवेदन क्रमांक—2

राज्य सतरीय प्रिवेट गूल्हाकंन समिति, छत्तीसगढ़ की 428वीं एवं 429वीं बैठक द्वारा दिनांक 17/10/2022 एवं 18/10/2022 की अनुशासन के आधार पर गोप/कुल्य खानिजों एवं औद्योगिक वरिकोजनाओं संबंधी प्रकरणों में निर्णय लिया जाना।

1. मेसान बरबसपुर पर्यावरण कर्तीव वयारी (श्री.— श्री रामानुज बन्दाकर), चाम—बरबसपुर, तहसील व जिला—महाराजुद (राजिवालय का नम्रता नम्बर 2075)

ऑफिसाईन आवेदन — प्रपोजिशन नम्बर— एसआईए/ लॉटी/ एमआईएन/ ०३००८/ २०२१, दिनांक 10/08/2022 द्वारा श्री.ओ.आर. हेतु आवेदन किया गया है।

प्रस्ताव का विवरण — यह पूर्व से संघरित पत्री प्रधार (गोप खानिज) खादान है। खदान चाम—बरबसपुर, तहसील व जिला—महाराजुद लिंग लकड़ा क्रमांक 193 एवं 187/2, कुल लंबाई—०.८५ हेक्टेयर में है। खदान की आवेदित उत्तरानन लम्बाई—३,३५६.२५ टन (1,३४२.५ घनमीटर) द्वारा है।

तदानुसार वरिकोजना प्रस्तावक को एसईएसी, छत्तीसगढ़ के द्वारा दिनांक 11/10/2022 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सुवित किया गया।

बैठक का विवरण –

(अ) समिति की 438वीं बैठक दिनांक 17 / 10 / 2022:

प्रस्तुतीकरण हेतु भी ऐतिहासिक अधिकृत प्रतिशिष्ठि जरूरीता थी। समिति द्वारा यससी प्रस्तुत जानकारी का अन्तर्गत एवं परिणाम उनमें पर निम्न विधि पाई गई—

१. यूर्ज में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण—

- i. यूर्ज में कार्यी पत्तार खातान खसता दिनांक 187 / 2 एवं 193. युर्ज संत्रपन - 0.66 हेक्टेयर, क्षमता - 1,342.5 एनसीटर प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति जिला स्तरीय पर्यावरण समाचार निवारण प्रशिक्षण, जिला-महासभुंद द्वारा दिनांक 16 / 01 / 2017 को जारी की गई। यह स्वीकृति दिनांक 15 / 01 / 2022 तक की अवधि हेतु जारी की गई थी।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नहीं दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 16 / 01 / 2021 अनुसार—

"**A. Notwithstanding anything contained in this notification, the period from the 1st April, 2020 to the 31st March, 2021 shall not be considered for the purpose of calculation of the period of validity of Prior Environmental Clearances granted under the provisions of this notification in view of outbreak of Corona Virus(COVID-19) and subsequent lockdowns (total or partial) declared for its control, however, all activities undertaken during this period in respect of the Environmental Clearance granted shall be treated as valid.**"

एपरीका अधिसूचना के अनुसार पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता जारी दिनांक से दिनांक 15 / 01 / 2023 तक वैध होगी।

- ii. परियोजना प्रस्तावक द्वारा यूर्ज में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के रूपी के पालन में की नई कार्रवाही की जानकारी प्रस्तुत की गई है। समिति का यह है कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा इसीकृत हेतु कार्रवाही पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, रायपुर से यूर्ज में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति का पालन प्रतीक्षेपन प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
- iii. निर्धारित सातीनुसार तुलारोपण नहीं किया गया है।
- iv. कार्यालय कलेक्टर (खाने खाना), जिला-महासभुंद के ज्ञायन इनांक 1156 / क / खानी / न.का. / 2021 महासभुंद दिनांक 19 / 09 / 2022 द्वारा जारी प्रकाश पत्र अनुसार दिनांक वर्षी में किये गये सत्त्वानन की जानकारी निम्नानुसार है—

वर्षी	संख्यावान (घनमीटर)
2017	284
2018	443
2019	382
2020	290
दिनांक 01 / 01 / 2021 से दिनांक 30 / 09 / 2021	436
दिनांक 01 / 10 / 2021 से दिनांक 31 / 03 / 2022	345

2. ग्राम पंचायत का अनाधित प्रमाण पत्र – उत्तरानन के संबंध में ग्राम पंचायत बलवस्तुर का दिनांक 14/04/2022 का अनाधित प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
3. सरकारी जोखना – कार्यालय एलीग किंवदि कार्यालयों पर एक इन्हेलपटेंट ऐनेक्सेट पत्र प्रस्तुत किया गया है, जो एकी अधिकारी पिला—महासमुद्र के झापन अन्तर्गत 864/क./खालि./न.प्रा./2016 महासमुद्र, दिनांक 28/05/2016 हारा अनुमोदित है।
4. 500 मीटर की परिधि में स्थित खदान – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), पिला—महासमुद्र के झापन अन्तर्गत 224/क./खालि./न.प्रा./2021 महासमुद्र, दिनांक 10/02/2022 अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर की परिधि अवस्थित 60 खदानों कोअपन 39.95 हेक्टेक्टर है।
5. 200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक होड़/सांरचनाएँ – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), दिला—महासमुद्र के झापन अन्तर्गत 1309/क./खालि./न.प्रा./2021 महासमुद्र, दिनांक 31/08/2021 हारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान से 200 मीटर की परिधि में कोई सार्वजनिक होड़ और भौद्वार, बरिकट, गरपट, चूल, नदी, रेत लाईन, अस्पताल, रक्षण, इनीशिय एवं यात्रा आदि अवृद्धि प्रतिक्रिया होड़ निर्दित नहीं है।
6. घू—खामित्व – घूमि लगाता अन्तर्गत 193 वीं बरीज कुमार एवं लगाता अन्तर्गत 187/2 आवेदक के नाम पर है। उत्तरानन हेतु घूमि खामी का सहनिय पत्र प्रस्तुत किया गया है।
7. लीज या विवरण – लीज वीं रामानूज चंद्राकन के नाम पर है। लीज छोड़ 10 वर्षी अधित दिनांक 04/01/2014 से 03/01/2024 तक की अवधि हेतु दिया है। उत्तरानन लीज छोड़ 20 वर्षी अधित दिनांक 03/01/2024 से 02/01/2044 तक की अवधि हेतु विस्तारित की गई है।
8. डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट – वर्ष 2019 की डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।
9. बन विभाग का अनाधित प्रमाण पत्र – कार्यालय बनमण्डलाधिकारी, रामान्य बनमण्डल, पिला—महासमुद्र के झापन अन्तर्गत/मार्गि./खनिज/1449 महासमुद्र, दिनांक 25/04/2012 से जाली अनाधित प्रमाण पत्र अनुसार आवेदित होड़ बन होड़ की लीमा से 11 किमी की दूरी पर है।
10. महात्मपूर्ण सांरचनाओं की दूरी – निकटतम आवादी ग्राम—बलवस्तुर 1.15 कि.मी., रक्षण ग्राम—बलवस्तुर 1.4 कि.मी. एवं अस्पताल महासमुद्र 8.55 कि.मी. की दूरी पर है। राष्ट्रीय राजमार्ग 1.7 कि.मी. एवं राष्ट्रीय ग्राम 14.9 कि.मी. दूर है। ग्रामदी 340 मीटर, नहर 620 मीटर एवं बरसाती नाला 800 मीटर की दूरी पर है।
11. पारिसिवरणीकीय/जैवविविधता संवेदनशील होड़ – परिवेजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.वै. की परिधि में अलंकृतीय हीगा, राष्ट्रीय उद्यान, अव्याशक्य, केन्द्रीय प्रदूषण विषयक बोर्ड द्वारा घोषित विटिकली पीन्युटेक एवं या पारिसिवरणीकीय संवेदनशील होड़ या घोषित जैवविविधता होड़ विलासी होड़ प्रतिवेदित किया गया है।

12. खाद्यान संघर्ष का विवरण – अनुमोदित बवारी प्राप्ति अनुसार जियोलीजिकल रिपोर्ट 1,36,597 टन, माईट्रेल रिपोर्ट 42,453 टन एवं शिक्कहरेल रिपोर्ट 31,840 टन है। वर्तमान में जियोलीजिकल रिपोर्ट 1,31,150 टन एवं माईट्रेल रिपोर्ट 37,006 टन होते हैं। लौज की 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी (उत्तराखण्ड के लिए प्रतिवर्षित लोड) का सेक्षकल 3,165 वर्गमीटर है। ओपन कॉस्ट कैनूअल विहि दो उत्तराखण्ड किए जाते हैं। उत्तराखण्ड की प्रस्तावित अधिकारी नहराई 10 मीटर है। लौज क्षेत्र में लगाती मिट्टी की नोटाई 1 मीटर है तथा बल मात्रा 2,480 एनमीटर है। बैंध की कंधाई 1.5 मीटर एवं चौड़ाई 1.5 मीटर है। खाद्यान की संभावित राशि 13 वर्ष है। लौज क्षेत्र में काम करायित नहीं है एवं इसकी स्थापना या प्रसारण नहीं किया गया है। खाद्यान में यानु प्रयोग नियंत्रण हेतु जल का शिक्कहार किया जाता है। वर्तमार प्रस्तावित उत्तराखण्ड का विवरण निम्नानुसार है:-

बर्ष	प्रस्तावित उत्तराखण्ड (टन)
प्रथम	उत्तीर्णगढ़ यानु सनिय नियम 2015 के लागू होने से पहले उत्तराखण्ड किया जा सकता है।
द्वितीय	
तृतीय	2,681.25
चौथी	2,973.75
पंचम	3,030.00
षष्ठी	3,131.25
सप्तम	3,256.25
अष्टम	3,525.00
नवम	3,735.00
दशम	3,891.25

13. जल आपूर्ति – परियोजना हेतु आवश्यक जल की मात्रा 3,59 घनमीटर प्रतिदिन होती है। जल की अपूर्ति बोर्डेल की मात्राम से की जाती है। इस बाबत गोदूल यात्रक गोटर अधीरिटी से अनुबंध प्राप्त कर प्रस्तुत किया गया है।

14. बूझारोपण कार्य – लौज क्षेत्र की सीमा में बासी और 7.5 मीटर की पट्टी में 210 नग बूझारोपण किया जाएगा। वर्तमान में 130 नग बूझारोपण किया गया है, जो 80 नग बूझारोपण किया जाना प्रस्तावित है।

15. गैर माईनिंग क्षेत्र – लौज क्षेत्र में 235 कर्गमीटर क्षेत्र की चौड़ाई कम होने के कारण गैर माईनिंग क्षेत्र रखा गया है। साथ ही लौज क्षेत्र में 398 कर्गमीटर क्षेत्र में 3 मीटर की वहराई के बरचल उत्तराखण्ड नहीं किया जाएगा। उचितका का उत्तरांश अनुमोदित माईनिंग भवान में किया गया है।

16. खाद्यान की 7.5 मीटर की चौड़ी सीमा पट्टी में उत्तराखण्ड – लौज क्षेत्र के बासी और 7.5 मीटर की सीमा पट्टी का बुल क्षेत्रफल 3,165 वर्गमीटर क्षेत्र है, जिसमें से 668 वर्गमीटर क्षेत्र 4 मीटर की वहराई तक उत्तरांश है। जिसका उत्तरांश अनुमोदित बवारी भवान में किया गया है। प्रतिवर्षित 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी में उत्तराखण्ड किया जाना पर्यावरणीय स्वीकृति की शर्ती का उत्तरांश है। अतः परियोजना प्रस्तावक के विषय नियमानुसार आवश्यक दण्डानक बल्यवाही किया जाना आवश्यक है।

17. उल्लेखनीय है कि भारत सरकार, पर्यावरण, बन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा नीन कोल चट्टानिंग प्रोजेक्टसे हेतु मानक पर्यावरणीय जारी जारी की गई है। इस व्यापक VIII(6) के अनुसार—

"The Project Proponent shall develop greenbelt in 7.5m wide safety zone all along the mine lease boundary as per the guidelines of CPCB in order to arrest pollution emanating from mining operations within the lease. The whole green belt shall be developed within first 5 years starting from windward side of the active mining area. The development of greenbelt shall be governed as per the EC granted by the Ministry irrespective of the stipulation made in approved mine plan."

उक्त नानक जारी के अनुसार याहून लौज क्षेत्र के अंदर 7.5 मीटर चौड़े शैली जोन में युक्तान्वयन किया जाना आवश्यक है।

18. प्रस्तुतीकरण के दीर्घन परियोजना प्रस्तावक द्वारा कहाया गया कि याम-धोड़ारी, बरबरसपुर एवं मुहैना, गहरील व चिला-महारामगुंद क्षेत्र में 95 पर्यावरण खादाने, कुल क्षेत्रफल 58.43 हेक्टेयर अवस्थित है। याम-धोड़ारी के नजदी की राष्ट्रीय राजमार्ग द्वारा दहलता है, जिससे चट्टान राजमार्ग के उत्तर दिशा में याम-बरबरसपुर एवं धोड़ारी क्षेत्र में 70 खादाने, क्षेत्रफल 40.80 हेक्टेयर द्वारा चट्टान राजमार्ग के दक्षिण दिशा में याम-धोड़ारी एवं मुहैना क्षेत्र में 25 खादाने, क्षेत्रफल 17.83 हेक्टेयर अवस्थित है। दोनों क्षेत्रों के नजदी की दूरी 660 मीटर है। नुक्ति ईआईए कट्टी के दीर्घन दोनों क्षेत्रों का बफर जोन एक-दूसरे में छोड़कर सीधे हो रहा है। अतः परियोजना प्रस्तावक द्वारा कुल 95 पर्यावरण खादानों को एक कल्पना मानते हुए फार्मल ईआईए रिपोर्ट हैगार करने हेतु अनुसूचि किया गया। यामिति द्वारा निर्देशित किया गया कि दोनों क्षेत्रों से 10-10 किमी. के क्षेत्र को ईआईए नीनिटरिंग के लिए उपयोग किया जाना आवश्यक है।

19. प्रस्तुतीकरण के दीर्घन परियोजना प्रस्तावक द्वारा कहाया गया कि कल्पना में आने वाली अन्य खदानों के लिए पैसालाईन जारी करनेवाले का जारी दिनांक 01/10/2021 से प्रारंभ किया गया। उक्त के संबंध में दिनांक 28/09/2021 को सुनिता ही गई थी।

20. माननीय एन.जी.टी., प्रिंसिपल बैच, नई दिल्ली द्वारा नालीद पाल्फ्रेय विस्तृद भारत सरकार, पर्यावरण, बन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली एवं अन्य (ओरिजिनल एप्लिकेशन नं. 188 ओफ 2018 एवं अन्य) में दिनांक 13/09/2018 को परित आदेत में नुक्ता रूप से निम्नानुसार निर्देशित किया गया है—

a) Providing for EIA, EMP and therefore, Public consultation for all areas from 5 to 25 ha. falling under category B-2 as per with category B-1 by SEAC / SEAA as well as for cluster situation where ever it is not provided.

b) If a cluster or an individual lease size exceed 5 ha. EIA / EMP be made applicable in the process of grant of prior environment clearance.

यामिति द्वारा विधाय विभाग उपरान्त सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्जन किया गया—

1. कानूनी नलेवटर (खनिज जात्या) बहारामगुर, चिला-महारामगुंद के क्षेत्र में क्षेत्रफल 224/क/खलि/प.क./2021 नालामगुंद, दिनांक 10/02/2022 अनुसार आवेदित खदान से 600 मीटर के भीतर अवस्थित 69 खदाने, क्षेत्रफल 38.96 हेक्टेयर हैं। आवेदित खदान (याम-बरबरसपुर) का रक्षा 0.95 हेक्टेयर है। इस

प्रकार खादित सदान (शाम-बरकातुर) की गिलतर कुल रकम 40.6 हेक्टेयर है। जहान की सीमा से 600 मीटर की परिधि में खींका/वांचालित जहानी का कुल क्षेत्रफल 8 हेक्टेयर से अधिक वा जलस्तर निश्चित होने के कारण यह जहान "बी1" की भी मापी गयी।

2. नाईन लीज क्षेत्र के बासी और 7.5 मीटर ऊँचे संपत्ति जीव के बुछ माग में किये गये उत्तरानन के कारण हुए दोष के उपलब्धी उपायी (Remedial Measures) के संकेत में तथा लीज क्षेत्र के आंदर नाईनिंग डिवाइलेटों के कारण प्रत्यन्न प्रदूषण नियंत्रण हेतु आवश्यक उपायी तथा सुधारेवण लादि के किये नामुदित उपायी को कियान्वित करने के लिए संघर्ष, संचालनालय, भौमिकी तथा खानिकार्य, इंद्राजली नदी, नदा रावपुर अटल नदी, जिला - रायगुर (अलीसगढ़) की सेवा किया जाए।
3. प्रतिवर्धित 7.5 मीटर ऊँची सीमा पट्टी में अकेह उत्तरानन किया जाना पाये जाने पर परियोजना प्रस्तावक के लिए नियमानुसार अवश्यक दस्तावेज़ कार्यवाही किये जाने हेतु संघर्ष, संचालनालय, भौमिकी तथा खानिकार्य को एवं चारोंवरण को बढ़ावद्दाने हेतु इलीसगढ़ पर्यावरण संबंध मंडल, नदा रावपुर अटल नदी को आवश्यक कार्यवाही किये जाने हेतु सेवा किया जाए।
4. पूर्व में यासी चारोंवरणीय खींकूति का पालन दर्शायेदान के संकेत में एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय पर्यावरण, इन एवं जलवायु परिवर्तन मंडल, भारत राष्ट्रकर, रायपुर को पत्र सेवा किया जाए।
5. भारिति द्वारा विभार दिनर्ही चारोंवरणीय सर्वेसमाहि से प्रकारण "बी1" कोटेशरी का होने के कारण भारत राष्ट्रकर, पर्यावरण, इन और जलवायु परिवर्तन मंडल द्वारा अप्रैल, 2015 में प्रारंभित स्टैण्डर्ड टर्म्स ऑफ रिफरेंस (टीआईओ) पर ई-आईए /ई-एन-पी रिपोर्ट फॉर ड्रोगेक्टस/एक्टीविटीज रिफरावरिंग इन्वायरमेंट वर्लीरेंस अप्लिकेशन, नोटिफिकेशन, 2006 में वर्णित थेगी 1(ए) का इंटर्व्हूड टीआइआर (लोक सुनवाई सहित) भीन कोल नाईनिंग ड्रोगेक्टस हेतु निम्न असिरिता टीआइआर के साथ जारी किये जाने की अनुमति की गई—
 - i. Project proponent shall submit the Individual Environment Management Plan and Common Environment Management Plan.
 - ii. Project proponent shall submit compliance report of previous environmental clearance from Integrated Regional Office, MoEF&CC Raipur.
 - iii. Project proponent shall submit the top soil management plan & incorporate the details in the EIA report.
 - iv. Project proponent shall submit an affidavit for commitment to the public (Objections/suggestions raised by public) during Public Hearing.
 - v. Project proponent shall ensure that mining lease area to be demarcated by erection of boundary pillars at all corner and area to be fenced.
 - vi. Project proponent shall submit an affidavit stating that no harm, no damage and no contamination shall be committed to nearby water bodies.
 - vii. EIA study shall be done at minimum 12 no. of stations for data collection considering the pre-dominant wind direction.

- viii. Project proponent shall submit the copy of panchama and photographs of every monitoring station.
- ix. Project proponent shall submit a Cumulative Environment Impact Assessment Study (Air, Water, Noise, Soil, Traffic etc) of the mines located in the nearby area and Ecology of the buffer zone of study area and shall incorporate the same in the EIA report.
- x. The project proponent shall submit an undertaking that there is no court case pending relating to this project before any Court of Law in India.
- xi. The project proponent shall submit an undertaking in the form of an affidavit stating that there is no violation of Notification S.O. 604(E) dated 14/03/2017 issued by Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Government of India and the direction given by Hon'ble Supreme Court of India in the matter of Common Cause vs Union of India order dated 02.08.2017.
- xii. Project proponent shall submit layout map earmarking 7.5 meter of mine lease periphery & previously mined out area in safety zone, calculation of mined out area and remedial measures for development of greenbelt in 7.5 meter wide all along the mine lease boundary as per the guidelines of CPCB in order to arrest pollution emanating from mining operations within the lease. Project proponent shall submit the remedial measures for mining activity carried out in the past in safety zone.
- xiii. Project proponent shall complete the restoration of 7.5 meter width of mine lease periphery & do plantation during the current year incorporating the plant cost, fertilizer cost, irrigation cost, maintenance cost for atleast 5 years and the details alongwith photographs in the EIA report.
- xiv. Project proponent shall undertake plantation (as far as possible fruit bearing species) within the mining lease area as per guidelines issued from time to time and particularly in the 7.5 meter safety zone area of minimum 05 feet height and shall maintain 90% survival rate. The plantation shall be maintained by project proponent for atleast 5 years. Project proponent shall report to Authority regarding yearwise plantation. The details to be submitted alongwith geotag photographs in the EIA report.
- xv. Project proponent shall submit CER proposals with details of works alongwith their estimates including land cost and incorporating the plant cost, fertilizer cost, irrigation cost and maintenance cost for atleast 5 years.

प्राविकरण द्वारा बैठक में विचार — उपरीका प्रकरण पर प्राविकरण की दिनीक 05 / 12 / 2022 को रायगढ़ 135वीं बैठक में विचार वित्त गया। प्राविकरण द्वारा गवर्नर का अवलोकन दिया गया। प्राविकरण द्वारा विचार विभार समर्पित सर्वसम्मति शी निर्णय लिया गया कि गवर्नर द्वारा अनुशासित अधिकारिता टीओआर के लाल में निम्न संशोधन दिया गया है—

- * 5 (i) "Project proponent shall submit compliance report of previous environment clearance from Integrated Regional Office, MoEF&CC Raipur." के रखाने पर 5 (ii) "Project proponent shall submit a certified compliance report of the status of compliance of the conditions stipulated

In the EC for the ongoing / existing operation of the project by the Integrated Regional Office, MoEF&CC Raipur in accordance with the circular No. J-11011/018/2010-I(III) dated 30/05/2012." पढ़ा जाए।

- 5 (xv) "Project proponent shall submit CER proposals with details of works alongwith their estimates including land cost and incorporating the plant cost, fertilizer cost, irrigation cost and maintenance cost for atleast 5 years." के स्थान पर 5 (xv) "Project proponent shall submit CER proposals with details of works alongwith their estimates including land cost and incorporating the plant cost, fertilizer cost, irrigation cost and maintenance cost for atleast 5 years & incorporate in the EIA report." पढ़ा जाए।

साथ ही यह भी निम्नलिखित गया कि—

- (i) माईन लीज लैन के बारी और 7.5 मीटर ऊंचे सेपटी जौन के कुछ भाग में किये गये उत्तरानन की कारण इस लैन के संपादी उपचारी (Remedial Measures) के संबंध में तथा लीज लैन के अंदर माईनिंग कियाकरायी के कारण उत्पन्न प्रदूषण निवेशन हेतु आवश्यक उपचारी का संकारनेवा आदि के लिये समुचित उपचारी बाबत संचालक, संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म, इंद्रावाही भवन, नवा राष्ट्रपुर अटल नगर, जिला – रायपुर (छत्तीसगढ़) को पत्र लिया किया जाए।
- (ii) प्रतिशेषित 7.5 मीटर ऊंची सीमा पट्टी में उपीय उत्तरानन किया जाना पाये जाने पर परियोजना प्रस्तावक की विस्तृत नियमानुसार आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की लिये जाने हेतु संचालक, संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म को पत्र लेखा किया जाए।
- (iii) माईन लीज लैन के बारी और 7.5 मीटर ऊंचे सेपटी जौन के कुछ भाग में किये गये उत्तरानन की परीकरण को कर्ति होने के कारण उत्तरीकागड़ पर्यावरण बोर्ड, नवा राष्ट्रपुर अटल नगर की आवश्यक कार्रवाई की लिये जाने हेतु पत्र लेखा किया जाए।
- (iv) पूर्व में जारी पर्यावरणीय लीकूटि का पालन प्रतिवेदन एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, बन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नवा राष्ट्रपुर अटल नगर से भंगाये जाने हेतु पत्र लेखा किया जाए।

परियोजना प्रस्तावक को सभी टम्स ऑफ ऐकेप्ला (टीओआर) (लोक सुनवाई सहित) जारी किया जाए। साथ ही संचालक, संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म, इंद्रावाही भवन, नवा राष्ट्रपुर अटल नगर एवं उत्तरीकागड़ पर्यावरण संस्कार नंदल, नवा राष्ट्रपुर अटल नगर तथा एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, बन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नवा राष्ट्रपुर अटल नगर को पत्र लेखा किया जाए।

2. येलसी मुद्रीपार लाईन स्टोन कंपनी (जी.— श्री राजेश चंद्राकर), प्राम—मुद्रीपार, तहसील व जिला—रायपुरांदगाव (संधिवालय का नमांक 2011)
ऑनलाईन आवेदन — प्रोत्तल नम्बर— एसएफए/ सीपी/ एमएईएन/ 200458/ 2022, दिनांक 02/08/2022 द्वारा पर्यावरणीय लीकूटि हेतु, आवेदन किया गया है।

खदान का विवरण – यह प्रस्तुतित खदान पहचान (गोपनीय समिति) खदान है। खदान प्राप्त-मुद्रीकार, तहसील व जिला-राजनांदगांव विधान पार्टी और लासरा डमांक – 311 एवं 312, कुल हेक्टेक्स-1.064 हेक्टेक्स में प्रस्तुतित है। खदान की आधिकारित उत्थनन क्षमता- 20,000 टन (0.000 घनकिलो) प्रतिवर्ष है।

लदानुसार परियोजना प्रस्तावक की एसडीएसी, उत्थननगढ़ के ज्ञापन दिनांक 22/08/2022 द्वारा प्रस्तुतिकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठकों का विवरण –

(अ) समिति की 420वीं बैठक दिनांक 22/08/2022:

प्रस्तुतिकरण हेतु श्री सौरभ चन्द्राकर, अधिकृत प्रतिनिधि उपसिंघटा हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अपलोडन एवं परीक्षण करने पर निम्न सिद्धियाँ पाई गईं–

- पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण— इस खदान को पूर्व में पर्यावरणीय स्वीकृति जारी नहीं की गई है।
- इसमें पंचायत का अनापरित प्रमाण पत्र — उत्थनन के संबंध में ग्राम पंचायत मुद्रीकार का दिनांक 18/01/2019 का अनापरित प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
- उत्थनन योजना — योजना पत्र (एलीग्रामिक मैनेजमेंट एवं एलीग्रामिक कलोनी कलोनी पत्र) प्रस्तुत किया गया है, जो संग्रहालय-संचालक (ए.ए.), संचालनालय, भौमिकी योजना समिक्षा, योजना सम्पुर्ण उद्देश नगर के ज्ञापन नं. 1810 / जारी 02 / जापन.ज्ञानमोदन / न.ज्ञ.05 / 2019(1) योजना सम्पुर्ण, दिनांक 13/04/2022 द्वारा अनुसंधानित है।
- 500 मीटर की परिधि में विधान खदान— कार्यालय कलोनी (जारी योजना), जिला-राजनांदगांव के ज्ञापन क्रमांक/816/स.सि. 02/2022 राजनांदगांव, दिनांक 27/04/2022 अनुसार आधिकारित खदान से 500 मीटर की परिधि अनुसंधानी की योजना निर्णय है।
- 200 मीटर की परिधि में विधान जारीजायिक होज़/संरचनाएँ — कार्यालय कलोनी (जारी योजना), जिला-राजनांदगांव के ज्ञापन क्रमांक/816/स.सि. 02/2022 राजनांदगांव, दिनांक 27/04/2022 द्वारा योजना पत्र अनुसार उक्त खदान से 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक होज़ या संरचनायां नहीं दरिखायी, नरपट्ट, लक्ष्मी, एनीकट एवं बांध आदि प्रतिबंधित होज़ निर्मित नहीं हैं।
- भू-स्वामित्व — भूमि योगांश क्रमांक 311 श्री सौरभ चन्द्राकर एवं योगांश क्रमांक 312 ज्ञापेक्ष के नाम पर है। उत्थनन हेतु भूमि योगांश का सहनिति पत्र प्रस्तुत किया गया है।
- एलओआई, संबंधी विवरण— एलओआई श्री सौरभ चन्द्राकर के नाम पर है, जो कार्यालय कलोनी (जारी योजना), जिला-राजनांदगांव के ज्ञापन क्रमांक 549/स.सि. 02/2022 राजनांदगांव, दिनांक 21/01/2022 द्वारा योगांश की गई, जिसकी विधान योगांश दिनांक से 1 वर्ष की अवधि तक है।
- डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट — वर्ष 2019 की डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।

9. बन विभाग का अनापत्रित प्रमाण पत्र – कार्यालय बनमनकाल अधिकारी, राजनांदगांव बनमनपूर्णल, जिला-राजनांदगांव के ज्ञापन नं./मापि./नक. 10-1/2021/7362 राजनांदगांव, दिनांक 10/09/2021 से जारी अनापत्रित प्रमाण पत्र अनुसार उल्लेखित शोष वन हेतु यी सीमा की 300 मीटर की दूरी पर है।

10. महनवपूर्ण संरबनामों की दूरी – निकटतम आसदी साम— मुँहीपार 100 मीटर, इकूल मुँहीपार 700 मीटर एवं अस्पताल राजनांदगांव 15 किमी की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 7 किमी, एवं राजमार्ग 11.5 किमी दूर है। ताताब 1.2 किमी की दूर है।

11. पारिसिध्यतिकीय/जीवविविधता संवेदनशील हेतु – परियोजना प्रभावक द्वारा 10 किमी की परिधि में अतर्क्षेत्रीय सीमा, राष्ट्रीय राजमार्ग, अम्यारन्द, कोन्टीय प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड द्वारा घोषित किटिकली पीन्स्ट्रोटेक लॉरिया, पारिसिध्यतिकीय संवेदनशील हेतु या घोषित जीवविविधता हेतु स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।

12. खानग बांधदा एवं खानग का विवरण – नियोजित जिले रिजर्व 7,98,000 टन (3,18,200 घनमीटर), नाईनेश्वर रिजर्व 2,96,346 टन (1,19,298 घनमीटर) एवं रिक्कहरेश्वर रिजर्व 2,83,335 टन है। लीज की 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी (उत्तरानन के लिए प्रतिवर्षित हेतु) का शोषकल 2,891 कॉर्बीटर है। औपन कास्ट हीमी गेकोनाईज्ड लिंग से उत्तरानन किया जाएगा। उत्तरानन की प्रस्तावित अविवाह गहराई 30 मीटर है। लीज हेतु में कपरी निटटी की मोटाई 1 मीटर है एवं गात्रा 7,000 घनमीटर है। इस निटटी को सीमा पट्टी (7.5 मीटर) से छीताओर दूसासीपण के लिए उपयोग किया जाएगा। बैच की ऊँचाई 3 मीटर एवं लैंडाई 3 मीटर है। खानग की संभावित आयु 16 वर्ष है। लीज हेतु में छावर नभावित किया जाना प्रस्तावित नहीं है। हिलिंग एवं स्लासिटिंग किया जाएगा। खानग में वायु प्रदूषण नियन्त्रण हेतु जल का विश्वकाश किया जाएगा। वर्षाचार प्रस्तावित उत्तरानन का विवरण निम्नानुसार है:-

वर्ष	प्रस्तावित उत्तरानन (टन)
पूर्वम	20,000
हिलीय	20,000
तृतीय	20,000
चतुर्थ	20,000
पश्चम	20,000

13. जल आपूर्ति – परियोजना हेतु आवायक जल की नाता 8 घनमीटर प्रतिदिन होती है। जल की जलहृसि बोरोल के नामन से की जाएगी। इस बाबत सेन्ट्रल दाकूफ्ट मीटर अधीक्षिटी की अगुवाई प्राप्त कर प्रस्तुत किया गया है।

14. दूसासीपण कार्य – लीज हेतु की सीमा में बासी और 7.5 मीटर की पट्टी में 700 नम दूसासीपण किया जाएगा। लीज हेतु के बासी और 7.5 मीटर की सीमा पट्टी में एवं सीईमार के लड्डे दूसासीपण हेतु पीछों का शोषण, फैसिन, खाद एवं सिंचाई लया रखा-रखा के लिए 5 वर्षी का घटकावार व्यय का विवरण विस्तृत प्रस्ताव सहित प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

15. खानग की 7.5 मीटर की चौड़ी सीमा पट्टी में उत्तरानन – लीज हेतु की बासी और 7.5 मीटर की सीमा पट्टी में उत्तरानन नहीं किया गया है।

16. कॉर्पोरेट एंवाइरनमेंट रिपोर्ट (C.E.R.) – परियोजना प्रस्तावक द्वारा नीद आर (Corporate Environment Responsibility) हेतु समिति के समक्ष विस्तार से वर्णीय प्रस्तुत निम्नानुसार विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है:-

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount Required for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
40	2%	0.80	Following activities at Nearby Private Land Village- Murhipar	
			Plantation with fencing	1.06
			Total	1.06

सीईआर के अंतर्गत कृषकोदय किये जाने हेतु आयोजित ग्राम-मुद्रीपाल में जासकीय भूमि उपलब्ध नहीं होने के कारण रखवे की भूमि (वाराण क्रमांक पाठौ और 311 एवं 312, ब्लॉकफल 0.2 हेक्टेयर) में कृषकोदय हेतु (आव एवं भीम के पीछे) प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार 600 लग फौर्हों के लिए राशि 37,500 रुपये, कौशिंग के लिए राशि 25,000 रुपये, सिंचाई खाद के लिए राशि 20,000 रुपये तथा रख-रखाव आदि के लिए राशि 24,000 रुपये, इस प्रकार कुल राशि 1,06,500 रुपये हेतु घटकान्वार चाप का विवरण प्रस्तुत किया गया है। इस बाबत परियोजना प्रस्तावक द्वारा चाप वड (Amdavat) प्रस्तुत किया गया है।

17. ग्राम मुद्रीपाल जासकीय भूमि उपलब्ध नहीं होने का चाप वड प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

18. सीईआर के अंतर्गत किये गये कृषकोदय के वरदात भूमि विक्रय नहीं किये जाने वाला चाप वड पर प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

19. माझेनिव प्लान अनुसार लीज क्षेत्र में ऊपरी मिट्टी की मात्रा 7,000 घनमीटर है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुतीकरण के दौरान बताया गया कि ऊपरी ऊपरी मिट्टी की 7.5 मीटर (2.291 वर्गमीटर) की सीमा पट्टी में खंडालित कर कृषकोदय किया जाएगा। समिति का गल है कि यूक्ता की कारणी हो ऊपरी मिट्टी की 7.5 मीटर की सीमा पट्टी में 1 मीटर की ऊपर्युक्त से अधिक रक्खा जाना संभव नहीं है। अतः ऊपरी मिट्टी के रख-रखाव हेतु ऊपरी मिट्टी घटकान्वयोजना प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

20. प्रस्तावित लीज क्षेत्र में जीवित पूछी की संख्या उनकी प्रजाति ताहिर जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निम्नानुसार मिनीव किया गया था:-

- प्रस्तावित लीज क्षेत्र में जीवित पूछी की संख्या उनकी प्रजाति ताहिर जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किया जाए।
- कंट्रूल एक्सिट का एवं विस्लोटक लाईसेंस वारक (Explosive License Holder) द्वारा बनाये जाने वाला चाप वड (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।

3. परियोजना की जिन-जिन स्थलों से चुनौतियां कहाँ उत्पन्न होगी, उन स्थलों पर नियमित जल विद्युत की व्यवस्था किये जाने वाला शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।
4. चुनौतियां लीज कोर के अंदर एवं बाहर सभी वृक्षानेपाल किये जाने एवं रोपित होनी का सरकारी रेट (Survival rate) 90 प्रतिशत सुनिश्चित किये जाने वाला शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।
5. परियोजना प्रस्तावक द्वारा मिनरल्स कन्सेशन रियल (Minerals Concession Rules) के तहत बाबतधी पिल्लसे द्वारा सीमांचल का कार्ड सुनिश्चित किये जाने वाला शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।
6. प्राच गुड़ीबार आवाकीय भूमि उपलब्ध नहीं होने का शपथ पत्र प्रस्तुत किया जाए।
7. सीईआर के अंतर्गत किये गये वृक्षानेपाल के पश्चात भूमि विक्रम्य नहीं किये जाने वाला शपथ पत्र प्रस्तुत किया जाए।
8. लीज कोर की ओर 7.5 फीटर की सीमा फटाई में एवं सीईआर के अंदर वृक्षानेपाल हेतु लीजी का रोपण नुस्खा हेतु एक्सिंग, रोड एवं बिंचाई तथा रक्ष-संरक्षक के लिए 5 कमी का आवाकार व्याय का विवरण सहित विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए।
9. उपरी छिट्ठी के रक्ष-संरक्षक हेतु कपरी मिट्टी इक्कान योजना प्रस्तुत किया जाए। साथ ही कपरी मिट्टी को लीज कोर के बाहर भागारित कर संरक्षित रखे जाने हेतु छिट्ठी का दुरुपयोग न करने, विक्रम्य न बढ़ने एवं अन्य कार्यों में उपयोग नहीं किये जाने एवं इस छिट्ठी का उपयोग पुनर्वाप्त हेतु किये जाने वाला शपथ पत्र प्रस्तुत किया जाए।
10. परियोजना प्रस्तावक द्वारा इस आवाय का व्यक्त पत्र प्रस्तुत किया जाए कि उनके विचार इस परियोजना/दस्तावेज से संबंधित कोई न्यावालयीन घोषणा देश के अंतर्गत किसी भी न्यावालय में लिखित नहीं है।
11. परियोजना प्रस्तावक द्वारा इस आवाय का नोटरी से शलापित शपथ पत्र प्रस्तुत किया जाए कि उसके विचार बारत आरकार, व्यावरण, वन और जलवाया विविधिम बंजलय की अधिसूचना वा.आ. 804(अ), दिनांक 14/03/2017 के अंतर्गत कोई उल्लंघन का व्यक्तन लिखित नहीं है।

उपरोक्त जानकारी/दस्तावेज प्राप्त होने उपरांत आगामी कार्यवाही की जाएगी।

सदाग्राम एस.ई.ए.सी., उत्तीर्णगढ़ के ज्ञापन दिनांक 27/09/2022 के परिणाम में परियोजना प्रस्तावक द्वारा जानकारी/दस्तावेज दिनांक 13/10/2022 को प्रस्तुत किया गया है।

(ब) लक्षित की 428वीं बैठक दिनांक 17/10/2022:

लक्षित द्वारा नर्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं वरीफ्य करने पर मिम निधि पाई गई—

1. प्रवलकित लीज कोर में 2 नग छीन, 2 नग चरंज, 2 नग नीम, 1 नग बबूल, 1 नग आम, 1 नग बेन, एवं 1 नग खाल, इस प्रकार कुल 10 नग बुक्त हैं।

2. कंट्रोल बलासिटिंग का कार्य विस्तौरक लाइसेन्स हाल्डर (Explosive License Holder) द्वारा कराये जाने वाला समय पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
3. परियोजना से जिन-जिन रूपों से फूलजिटिव कॉट उत्पादन होगा, उन रूपों पर नियमित जल छिक्कात की आवश्यकता किये जाने वाला समय पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
4. मार्किनिंग लीज क्षेत्र के अंदर एवं बाहर सहन युक्तात्मक किये जाने एवं सेपिल पौधों का सरकारी रेट (Survival rate) 90 वर्षोंकाल सुनिश्चित किये जाने वाला समय पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
5. परियोजना प्रस्तावक द्वारा मिनरल्स कन्सेशन रूट (Minerals Concession Route) के लालू चाराम्भी पिल्ससे द्वारा लीमांडन का कार्य सुनिश्चित किये जाने वाला समय पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
6. इस नुकीपार जामकीय भूमि उपलब्ध नहीं होने का समय पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
7. सीईआर के अंतर्गत किये गये युक्तारोपण के पहचान भूमि किये जाने वाला समय पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
8. लीज क्षेत्र की सीमा में नारी और 7.5 मीटर की घट्टी में 700 नग युक्तारोपण किया जाएगा। प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार चौथों के लिए राशि 40,000 रुपये, पांचिंग के लिए राशि 25,000 रुपये, शिखाई एवं खाद के लिए राशि 20,000 रुपये, रक्षा-रखाव जाटि के लिए राशि 24,000 रुपये, इस प्रकार युल राशि 1,04,000 रुपये इकम वर्ष के द्वारा एवं सिवर्क, खाद, रक्षा-रखाव हेतु कुल राशि 1,76,000 रुपये आवासी चार वर्षों हेतु घटकात्मक व्यव का विवरण प्रस्तुत किया गया है।
9. उद्दी मिट्टी के रक्ष-रखाव हेतु उद्दी मिट्टी इक्केहन लोअना प्रस्तुत किया गया है। साथ ही उमरी मिट्टी को लीज क्षेत्र के बाहर बंदालित कर जरूरित रखे जाने हेतु मिट्टी का दुरुपयोग न करने, विकास न करने एवं अन्य कार्यों में उपयोग नहीं किये जाने एवं इस मिट्टी का उपयोग पुनर्जनाव हेतु किये जाने वाला समय पत्र प्रस्तुत किया गया है।
10. परियोजना प्रस्तावक द्वारा इस आवाय का समय पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है कि उनके विकास इस परियोजना/खदान से संबंधित कोई न्यायालीन प्रकरण देख के अंतर्गत किसी भी न्यायालय में संवित नहीं है।
11. परियोजना प्रस्तावक द्वारा इस आवाय का नीटी भी न्यायाली समय पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है कि उसके विकास भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलधारा परिवर्तन न्यायालय की अधिकृतता का अ.आ. 804(अ), दिनांक 14/03/2017 के अंतर्गत कोई उल्लंघन का प्रकरण लखित नहीं है।
12. उमिति का मत है कि सीईआर एवं युक्तारोपण कार्य की गोपनीयता एवं पर्यावरण हेतु वि-सदाचारी समिति (प्रोपराइटर/इंजीनियर) द्वारा पंखायत के पदाधिकारी/इंजीनियर एवं विला प्रशासन का उल्लीभाव व्यावरण न्यायालय भवितव्य है। उमिति किया जाना अवश्यक है। साथ ही सीईआर एवं युक्तारोपण का कार्य दूरी किये जाने के उचित वि-सदाचारी समिति से सत्यापित कराया जाना आवश्यक है।



13. माननीय एन.जी.टी., विधिपति द्वारा सर्वोच्च प्राष्ठेय विकल्प भावते सरकार, परमित्रम्, बन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली एवं अन्य (ओरिजिनल एप्लिकेशन नं. 188 ओफ 2018 एवं अन्य) में दिनांक 13/09/2018 को पारित आगेरा में मुख्य रूप से निम्नानुसार निर्देशित किया गया है:-

- Providing for EIA, EMP and therefore, Public consultation for all areas from 5 to 25 ha, falling under category B-2 as per with category B-1 by SEAC / SEIAA as well as for cluster situation where ever it is not provided.
- If a cluster or an individual lease size exceed 5 ha, EIA / EMP be made applicable in the process of grant of prior environment clearance.

समिति द्वारा विचार किया जायेगा उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार विवेच लिया जाया:-

- कल्पीलय कर्तृतय (लगि राखा), जिला-सजनादिगाँव के आपन क्रमांक /818/ख.लि. 02/2022 दायनादायांव, दिनांक 27/04/2022 अनुसार आवेदित खदान के 500 मीटर के गीतर अवस्थित खदानों की संख्या निर्णक है। आवेदित खदान (ग्राम-मुड़ीपाल) का क्षेत्रफल 1.064 हेक्टेयर है। खदान की सीधा से 500 मीटर की परिधि में स्थीरकृत संसाधित खदानों का कुल क्षेत्रफल 5 हेक्टेयर या उससे कम होने के कारण वह खदान दो-३ खंडों की रूपी रूपी है।
- समिति द्वारा विचार किया जायेगा उपरांत सर्वसम्मति से आवेदक – मेसर्स मुड़ीपार लाईस स्टोर क्षेत्री (प्री- श्री राजेश चंद्रकर) को ग्राम-मुड़ीपार, तहसील य जिला-सजनादिगाँव के ऊसना क्रमांक 311 एवं 312 में स्थित घूमा पाथर (गोप रामिय) खदान, काल होक्कल-1.064 हेक्टेयर, इमाला - 20,000 टन (3,000 टन/हेक्टेयर) प्रतिवर्ष इन्हु पर्यावरणीय स्थीरकृति दिए जाने की अनुशंसा की गई।

प्रायिकरण द्वारा बैठक में विचार – उपरोक्त प्रकार्य पर प्रायिकरण वर्ती दिनांक 05/12/2022 को संपन्न 134वीं बैठक में विचार किया गया। प्रायिकरण द्वारा नहीं का अवलोकन किया गया। प्रायिकरण द्वारा विचार किया जायेगा सर्वसम्मति से विवेच लिया जाया-

- समिति की अनुशंसा को स्थीरकर करते हुये आवेदक – मेसर्स मुड़ीपार लाईस स्टोर क्षेत्री (प्री- श्री राजेश चंद्रकर) को निम्न अंतिरिक्त रूपों के अवीन पर्यावरणीय स्थीरकृति जारी करने का विवेच लिया गया-

“लैंग लोड की सीधा में जाने और 7.5 मीटर की पट्टी तथा सी.ई.आर के तहत किये जाने वाले घूमा-पाथर की जानकारी जियोटेग (Geotag) कोटोप्राप्त सहित अंतिरिक्त लिंकेट में समाहित करते हुये प्रस्तुत किया जाए।”

इस ही समिति द्वारा निर्दित किये गये शर्तों का पालन मुनिशिका लिया जाए। पालन नहीं किये जाने की स्थिति में विधिवत् विधानिक कार्रवाही की जाएगी।

परियोजना प्रकल्पक को सार्वत्र पर्यावरणीय स्थीरकृति जारी किया जाए।

- मेसर्स स्लेपाल सोम्पु रस्टोर क्षेत्री (प्री- श्री कांजय मण्डावी), ग्राम-सालेपाल, तहसील-सोकाथाल, जिला-बस्तर (समिक्षालय का नक्की क्रमांक 1931) अंतिरिक्त आवेदन – प्रयोगल नम्बर – एसएलएस /सीजी/एमआईएन / ३५५७०८/२०२२, दिनांक 11/02/2022 द्वारा पर्यावरणीय स्थीरकृति इन्हु आवेदन किया गया है।

प्रस्ताव का विवरण – यह बहालीवित सेंगल स्टोर (खाने खानियाँ) खदान है। खदान शाम–सालेचाल, राहस्तीन–तोकापाल, जिला–बसहर जिला खासरा क्रमांक 187/2 (पार्ट), कुल क्षेत्रफल—4.95 हेक्टेयर में प्रस्तावित है। खदान की आवेदित उत्तराधिकारी कमता— 1,77,305 टन प्रतिवर्ष है।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एसडॉएसी, उत्तीर्णगढ़ के ज्ञापन दिनांक 05/05/2022 हाता प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

वैठकों का विवरण –

(अ) समिति की 407वीं बैठक दिनांक 10/05/2022:

प्रस्तुतीकरण हेतु घोर्ख भी प्रतिनिधि उपस्थित नहीं हुए। परियोजना प्रस्तावक को प्रथम दिनांक 10/06/2022 हाता सूचना दी गयी है कि अपशिष्य कारणी से उत्तराधिकारी में प्रस्तुतीकरण दिया जाना संभव नहीं है। अतः आगामी आवेदित बैठक में भवय प्रदान करने हेतु अनुरोध किया गया है।

समिति हाता उत्तराधिकारी सम्बन्धित से विर्य सिया गया था कि परियोजना प्रस्तावक को घूर्ख में जारी गई ताकि जानकारी एवं समकल सुसंकल जानकारी / दस्तावेज सहित प्रस्तुतीकरण किये जाने हेतु निर्दिष्ट किया जाए।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एसडॉएसी, उत्तीर्णगढ़ के ज्ञापन दिनांक 21/07/2022 हाता प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(ब) समिति की 414वीं बैठक दिनांक 28/07/2022:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री लाहिंद जारी, अधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित हुए। समिति हाता नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अल्लोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न सिद्धि पाइ गई—

1. घूर्ख में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण— इस खदान को घूर्ख में पर्यावरणीय स्वीकृति जारी नहीं की गई है।
2. याम बंधानत का खनावटित प्रमाण पत्र— उत्तराधिकारी के बांध में याम बंधानत सालेचाल का दिनांक 16/03/2020 का अनावृत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है। समिति का मत है कि काशर हेतु याम बंधानत का अनावृत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है याम ही पेसा (PESA) एवं के तहत याम समा का अनावृत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
3. उत्तराधिकारी को याम दूसांग विध इन्वाक्सोमेट मैनेजमेंट स्टान विध प्रोटोकोल बदली बदली बदली पत्रान प्रस्तुत किया गया है, जो अनि अधिकारी, जिला-दक्षिण बसहर दलीयाहा के ज्ञापन क्रमांक 383/खानिय/उत्तराधि./2021-22 दलीयाहा, दिनांक 30/07/2021 हाता अनुमोदित है।
4. 500 मीटर की परियि में स्थित खदान— काशलिय बलेक्टर (खानिय जारा) जगदलपुर, जिला-बसहर के ज्ञापन क्रमांक 2899/खानिय/ख.लि. 4/12/2020-21/ए.प./2021 जगदलपुर, दिनांक 28/12/2021 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के बीतर अपशिष्यत अन्य खदानों की सांख्य निरंक है।
5. 200 मीटर की परियि में स्थित सार्वजनिक लोक/सांख्यनाए— काशलिय बलेक्टर (खानिय जारा) जगदलपुर, जिला-बसहर के ज्ञापन क्रमांक 2901/खानिय/ख.लि.4/12/2020-21/ए.प./2021 जगदलपुर, दिनांक 28/12/2021 हाता जारी प्रमाण पत्र उत्तराधिकार उपर खदान से 200 मीटर की

पाली में कोई भी सार्वजनिक बैंक यैसे नहिं, नरपट, नवल, अमलाल, पुल, बांग एवं दीर्घाट आदि प्रतिवर्षीय क्षेत्र निर्मित नहीं हैं।

6. भूमि एवं इलओआई- संबंधी विवरण - भूमि आवेदक के नाम पर है। इलओआई- कार्यालय कलेक्टर (खानिज शास्त्र) जगदलपुर, विसा-बस्तर की ज्ञापन इनांक 1161 / खानिज / वालिए / 12 / 2020-21 / खानिज / वालिए / 2021 जगदलपुर, दिनांक 27 / 05 / 2021 द्वारा जारी की गई है, जिसकी विवरण जारी दिनांक से 1 वर्ष की अवधि तक थी। उत्तरश्याम इलओआई की विवरण यदि संवालक, संवालनालय, गोकिंची लकड़ा खनिकर्म, नदा राधापुर अठस नगर के ज्ञापन इनांक 2923 / खानिज 02 / वालिए-अनुमित्या / नं. 2550 / 2017(1) नदा राधापुर दिनांक 03 / 06 / 2022 द्वारा जारी की गई है, जो 1 वर्ष (अवधि दिनांक 25 / 05 / 2023) तक की अवधि हेतु यैष है।
7. डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट - वर्ष 2019 की डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत यैष है।
8. बन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र - कार्यालय कनमण्डलविहारी, कनमण्डल बस्तर, जगदलपुर के ज्ञापन इनांक / कता.अ. / 4552 जगदलपुर, दिनांक 16 / 12 / 2021 से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र अनुसार आवेदित क्षेत्र बन की सीमा ही 1 किमी. की दूरी पर है। आवेदित क्षेत्र में नीलगिरी के 8,430 मग जूल विद्युमान है। प्रभुगुलीकरण की दौड़ान परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि नीलगिरी के ऊंचित तृष्णी के कटाई के लिये अनुमति की आवश्यकता नहीं होती है। रहनिति का मत है कि बजाम इतिहासी के अनुमति उपरान्त आवश्यकता पहले पर ही सीमित संघर्ष में उक्त योजित पृष्ठी की कटाई की जाएगी। इस आशय का बापूर्य पत्र (Affidavit) प्रस्तुत विभाग द्वारा आवश्यक है।
9. महल्याधूर्ण संरक्षनाकां की दूरी - निष्ठानम आधारी यान-सालेपाल 400 गीटर दूर रक्कुल यान-सालेपाल 2 किमी. की दूरी पर स्थित है। चार्ट्रीय राजमार्ग 6 किमी. दूर है।
10. पारिविष्टिकीय/ वीविष्टिकीय संवेदनशील क्षेत्र - परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 किमी. की परिसर में आर्द्धाध्वीय सीमा, राष्ट्रीय राधान, अमरुलाल, कोन्हीप प्रदूषण विषयक द्वारा योजित क्लिटिकली योन्युट्रिट एरिया, पारिविष्टिकीय संवेदनशील क्षेत्र या योजित वीविष्टिकीय क्षेत्र नहीं होना प्रतिक्रियित किया है।
11. छनन वापिदा एवं छनन का विवरण - अनुमोदित क्षारी व्याय अनुसार विधोलीविकास रिजर्व 12,37,500 टन, नाईनेश्वर रिजर्व 8,62,325 टन एवं किंकिरेश्वर रिजर्व 8,38,208 टन है। सीज की 7.5 गीटर चौड़ी सीमा पट्टी (उल्कान के लिए प्रतिवर्षीय क्षेत्र) का क्षेत्रफल 9,000 वर्गमीटर है। औपन बास्ट सेवी मेकेनाइज्ड विधि से छनन किया जाएगा। उल्कान की प्रस्तावित अधिकालम गहराई 10 गीटर है। छप्सी गिट्टी की मोटाई 0.3 मीटर है तथा छूल व्याय 11,707.2 घनमीटर है। देव की लंबाई 3 गीटर एवं चौड़ाई 3 मीटर है। छदान की संभावित आयु 5 वर्ष है। देव की सीमा पर 1,500 वर्गमीटर होगा। जैक हैमर से विलिंग एवं कान्ट्रोल स्लासिटिंग किया जाएगा। छदान में बायु प्रदूषण विषेशण हेतु जल का त्रिकूकाय किया जाएगा। वर्षतार प्रस्तावित उल्कान का विवरण निम्नानुसार है:-

वर्ष	प्रस्तावित बजेखनन (टन)
प्रथम	1,76,250
द्वितीय	1,76,250
तृतीय	1,76,250
चतुर्थ	1,76,250
पंचम	1,77,305

12. जल आपूर्ति – परियोजना हेतु आवश्यक जल की नम्रता 3 मीटर प्रतिदिन होगी। यह जल की आपूर्ति बोर्डेल के नवायन से ही जाएगी। इस बाबत मूँ-जल की उपयोगिता हेतु सेन्ट्रल शाहजहां बैंक अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।

13. कृषारोपण कार्य – लोअल कोड की सीमा में बासी और 7.5 मीटर की पट्टी में 1,200 नये कृषारोपण लिया जाएगा। प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार चौथी की लिए राशि 60,000 रुपये, पांचिंग की लिए राशि 2,76,000 रुपये, खाद की लिए राशि 12,000 रुपये, रसा-रखाव आदि के लिए राशि 36,000 रुपये, इस प्रकार कुल राशि 3,84,000 रुपये प्रधान बांध हेतु एवं रसा-रखाव हेतु कुल राशि 1,44,000 रुपये आगामी चार वर्षों हेतु पटकथार यथा का लियरन प्रस्तुत लिया गया है।

14. स्कूलान की 7.5 मीटर की चौड़ी सीमा पट्टी में उत्खनन – लोअल कोड की सीमा और 7.5 मीटर की सीमा पट्टी में उत्खनन कार्य नहीं किया गया है।

15. कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.) – परियोजना प्रस्तावक द्वारा की हुई आर. (Corporate Environmental Responsibility) हेतु शमिल के सम्बन्ध में वर्चाई उत्पात निम्नानुसार प्रस्तुत लिया गया है –

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount Required for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
43.86	2%	0.87	Following activities at Nearby Govt. Middle School, Village- Salepal	
			Potable Drinking water facility with 5 year AMC	0.40
			Running water arrangement in Toilet & Kitchen	0.50
			Total	0.90

16. सीईआर के तहत प्रस्तावित स्कूल के प्राचार्य (Principal) का नामांकित पत्र प्रस्तुत किया गया है। शमिल का नाम है जिस प्रस्तुत सीईआर कार्य के अंतिमिति प्रस्तावित स्कूल में आलमिरा एवं पर्यावरण संबंधी पुस्तकों का भी इस्तेव जामिल करते हुये सीईआर कार्य का लियरन प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

शमिल द्वारा उत्पात सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था –

1. इसका हेतु दाम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाए।

2. सहाय प्राधिकारी के अनुमति उत्तरांत आवायकता पढ़ने पर ही एका दृष्टि की कटाई की जाएगी। इस आवाय का शपथ पत्र (Affidavit) प्रस्तुत किया जाए।
3. उपरी मिट्टी प्रबंधन योजना प्रस्तुत किया जाए।
4. प्रस्तुत शीर्ष आर प्रस्ताव के अतिरिक्त प्रस्तावित स्वतृत में आलमिसा पर्यावरण संबंधी नुस्खाओं का भी प्रस्ताव आगे बढ़ाये हुए शीर्ष आर वार्ष का गिरफ्तार प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए।
5. कंट्रोल ब्लास्टिंग का कार्य विकालक लाईसेंस धारक (Explosive License Holder) द्वारा कराये जाने वाले शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।
6. परियोजना से जिन-जिन रूपों से पश्चिमित्र उत्तर उत्तरांत होना, उन रूपों पर विश्वित जल डिक्काव की व्यवस्था किये जाने वाले उत्तर उत्तर शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।
7. नाईनीन लौज छोड़ के अंदर एवं बाहर साधन द्वारा रोखन विद्युत जल का उत्तरांत रेट (Survival rate) 90 प्रतिशत सुनिश्चित किये जाने वाला शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।
8. परियोजना प्रस्तावक द्वारा विनियत करतीरन विधन (Minerals Concession Rules) के बाहर याठांडी विनियत द्वारा सीमावर्तन का वार्ष सुनिश्चित किये जाने वाले शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।
9. परियोजना प्रस्तावक द्वारा इस आवाय का कठन पत्र प्रस्तुत किया जाए कि उनके विनाश इस परियोजना/व्यावाय की संबंधित शीर्ष न्यायालीन प्रकरण देश के अंतर्गत शीर्ष उत्तरांत का प्रकरण लघित नहीं है।
10. परियोजना प्रस्तावक द्वारा इस आवाय का शीर्ष से संबंधित शपथ पत्र प्रस्तुत किया जाए कि उसके विनाश भारत सरकार, पर्यावरण वन और जलवाय विभाग ने अधिसूचना करता 804(म), दिनांक 14/03/2017 के अंतर्गत शीर्ष उत्तरांत का प्रकरण लघित नहीं है।

उपनोका विभिन्न जानकारी/दस्तावेज द्वारा हीने उत्तरांत जगानी कार्यकारी की जाएगी।

लदानक्षार एसडीएसी, छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 08/09/2022 के परियोजना में परियोजना प्रस्तावक द्वारा जानकारी/दस्तावेज दिनांक 27/09/2022 को प्रस्तुत किया गया है।

(स) समिति की 428वीं बैठक दिनांक 17/10/2022:

समिति द्वारा नली, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न निष्ठा पाई गई:-

1. उत्तरांत की स्थापना एवं सत्त्वानन के संबंध में यात्र व्यवस्था संलग्नपाल का दिनांक 28/08/2022 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
2. उत्तरांत प्राधिकारी की अनुमति उपर्युक्त आवायकता पढ़ने पर ही उत्तरांत दृष्टि की कटाई किये जाने वाले शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
3. उपरी मिट्टी की गुण मात्रा 11.700 परमीटर है जिसमें से 8.352 परमीटर उपरी मिट्टी का वायोग लौज की 7.0 बीटर तीरी सीमा पट्टी (उत्तरांत के

पर्यावरण, बन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिकारियोंना कहा आ। अध्ययन, दिनांक 14/03/2017 के अंतर्गत कोई जलवायु पर्यावरण का प्रकरण संकेत नहीं है।

11. लिखित का गढ़ है कि शीर्ष अमर एवं दृश्यासीपण कार्य के लिएटरिंग एवं पर्यावरण हेतु शि-सदस्यीय समिति (ओफिसिलर/प्रतिनिधि, ग्राम पंचायत के पराधिकारी/प्रतिनिधि एवं जिला प्रशासन या छत्तीसगढ़ पर्यावरण लॉकल नेटवर्क के पराधिकारी/प्रतिनिधि) गठित किया जाना आवश्यक है। जबकि ही शीर्ष अमर एवं दृश्यासीपण का कार्य सूखे किये जाने के उपर्युक्त गठित शि-सदस्यीय समिति से सत्यापित कराया जाना आवश्यक है।
12. नानगीव एनजीटी, डिल्ली द्वारा सत्याइ वापर्को विस्तृत भारत भवान, पर्यावरण, बन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली एवं अम्य (ओरिजिनल एडिशन क्र. 186 ओफ 2016 एवं अन्य) में दिनांक 13/09/2018 को पारित आदेश में मुख्य काय से निम्नलिखित निर्दिष्ट किया गया है—
 - a) Providing for EIA, EMP and therefore, Public consultation for all areas from 5 to 26 ha, falling under category B-2 as per with category B-1 by SEAC / SEVA as well as for cluster situation where ever it is not provided.
 - b) If a cluster or an individual lease size exceed 5 ha, EIA / EMP be made applicable in the process of grant of prior environment clearance.

समिति द्वारा पिचार विभागी उपराजि सर्वेसम्मिति से निम्नलिखित विवरण दिया गया—

1. कायीलय कलेक्टर (खणिज राज्य) जगदलपुर, जिला-बसार के द्वायन दिनांक 28/09/2019/समिति/ख.लि.4/12/2020-21/दाय./2021 जगदलपुर, दिनांक 28/12/2021 के अनुसार आवैदित खदान की 600 मीटर के भीतर अविभाय अव्य खदानी की संख्या निरंक है। आवैदित खदान (बाम-सालेपाल) का क्षेत्रफल 4.95 हेक्टेयर है। खदान की तीव्रता से 300 मीटर की परिमि में स्थीरता/संचालित खदानी का कुल क्षेत्रफल 5 हेक्टेयर या उससे कम होने के कारण यह खदान की-2 खेती की मानी गयी।
2. समिति द्वारा पिचार विभागी उपराजि सर्वेसम्मिति से आवैदक — गोपाली सालेपाल स्थीर रटीन क्षारी (प्रो.— श्री संजय मण्डारी) को उम-सालेपाल, ताहसील-तोकपाल, जिला-बसार के घाट ओफ खदान क्रमांक 187/2 के विश्व लीब रटीन (गोपाल खणिज) खदान, कुल क्षेत्रफल—4.95 हेक्टेयर, क्षमता—1,77,305 टन प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय स्थीरता दिए जाने की अनुमति की गई।

प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार — उपरीका इकान्तम पर प्राधिकरण की दिनांक 05/12/2022 को सम्पन्न 134वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा नहीं का अवलोकन किया गया। प्राधिकरण द्वारा पिचार विभागी उपराजि सर्वेसम्मिति से विवरण दिया गया—

1. लिखित की अनुमति को स्थीरकर करते हुये आवैदक — मेहरी सालेपाल स्थीर रटीन क्षारी (प्रो.— श्री संजय मण्डारी) को निम्न असिरिया गांव के अवीन गवाहीरनीय स्थीरता जारी करने का विवरण दिया गया—

“लीब शीब की तीव्रता में घाटी और 7.5 मीटर की पट्टी में फिरे जाने वाले दृश्यासीपण की जगहकारी जियोटेंग (Geotag) कोटीपापल सहित अद्यतार्थित रिपोर्ट में समाहित करते हुये प्रस्तुत किया जाए।”

लिए प्रतिशंकित कोष) में दुश्मानीपन हेतु उपयोग किया जाएगा तथा रुपा 3,345 पनमीटर लघुसंभिटी को लौज कोज के भीतर कलार हेतु प्रस्तावित गैर सहीनेग कोज में छाप किये जाने लगते कलार स्थानित किया जाएगा। साथ ही इस अवाय का सापथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

4. सीईआर प्रस्ताव को अंतर्गत प्रस्तावित गवाल में आलमिरा परावरण काली दुश्मानी का भी प्रस्ताव में सामिल करते हुए सीईआर का संकोचित विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है:-

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount Required for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
Following activities at Nearby Govt. Middle School, Village- Salepal				
44.36	2%	0.88	Potable Drinking water facility with 5 year AMC	0.40
			Running water arrangement in Toilet & Kitchen	0.50
			Environment related Books	0.10
			Cupboard (Almirah)	0.10
			Total	1.10

5. कंट्रोल ब्रानिंग का कार्य विस्तृतक लाईसेंस धारक (Explosive License Holder) द्वारा करती जाने वाला सापथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
6. परियोजना से जिन स्थलों से चम्पिटिय ढक्कर उत्पन्न होगा, उन स्थलों पर नियमित जल डिफल्ट की व्यवस्था किये जाने वाला सापथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
7. गहीनेग लौज को अंदर एवं बाहर सापन दुश्मानीपन किये जाने एवं संप्रिती का सरवाईपल रेट (Survival rate) 90 प्रतिशत सुनिश्चित किये जाने वाला सापथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
8. परियोजना प्रस्तावक द्वारा जिनका कमरोजन नियम (Minerals Concession Rule) के तहत बाहुन्दी विसर्जन द्वारा सीधारन का कार्य सुनिश्चित किये जाने वाला सापथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
9. परियोजना प्रस्तावक द्वारा इस आवाय का सापथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है कि उनके विकल्प द्वारा परियोजना/खदान से संबंधित कोई व्यायामीन प्रयत्न देश के अंतर्गत किसी भी न्यायालय में लघित नहीं है।
10. परियोजना प्रस्तावक द्वारा इस आवाय का नोटरी से सत्यापित सापथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है कि उसके विकल्प भारत सरकार,

साथ ही समिति द्वारा निहित किये गये गती का पालन सुनिश्चित किया जाए। पालन नहीं किये जाने की सिफारिश में विधिवालय की वार्षिकी की जाएगी।
परियोजना प्रस्तावक को बाहरी व्यापरीय स्वीकृति जारी किया जाए।

4. बैठकों की आशीष खालीबाल (पौरामाला लाईम स्टोर बवारी), शाम-धौरामाला, तहसील-पाटन, जिला-दुर्ग (संविवालय का नस्ती क्रमांक 1551)
ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एसएलए / शीजी / एमएलए / 197220 / 2021, दिनांक 08/02/2021। परियोजना प्रस्तावक हाता प्रस्तुत ऑनलाईन आवेदन में कमियों होने से ज्ञापन दिनांक 18/02/2021 हाता जानकारी प्रस्तुत करने के लिए निर्दिष्ट किया गया। परियोजना प्रस्तावक हाता वाइज़ जानकारी दिनांक 26/02/2021 को ऑनलाईन प्रस्तुत की गई।

प्रस्तावक का विवरण – यह एक प्रस्तावित गूता पत्रक (गौण स्थान) खादान है। खादान शाम-धौरामाला, तहसील-पाटन, जिला-दुर्ग क्रमांक 1215(पार्ट), 1216(पार्ट), 1217(पार्ट), 1218/1, 1218/2, 1219/1, 1219/2, 1228/1 एवं 1229(पार्ट), गूत संख्या-159 हेक्टेयर में प्रस्तावित है। खादान की आवेदित उत्पादन क्षमता – 20,317.5 टन प्रतिवर्ष है।

लादानुसार परियोजना प्रस्तावक को एसईएसी, छत्तीसगढ़ के ज्ञापन एवं ई-मेल दिनांक 11/06/2021 हाता प्रस्तुतीकरण के लिए किया गया।

बैठकों का विवरण –

(अ) समिति की 37वीं बैठक दिनांक 16/06/2021:

प्रस्तुतीकरण के लिए बैठक की आशीष पालीबाल, प्रौपराईटर विडियो कन्फ्रैंसिंग के माध्यम से उपलब्ध है। समिति द्वारा नहीं प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न सिफारिश पाई गई—

- पूर्व में जारी पक्षीवरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण—इस खादान को पूर्व में पक्षीवरणीय स्वीकृति जारी नहीं की गई है।
- शाम पंचायत का अनापस्त प्रमाण पत्र — उत्पादन के संबंध में शाम पंचायत धौरामाला का दिनांक 27/11/2020 का अनापस्त प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
- उत्पादन योजना — क्यांति पत्र का ज्ञापन एवं उत्पादन के संबंध में शाम पंचायत धौरामाला स्टेट ऐनेजमेंट द्वारा प्रस्तुत किया गया है, जो संपुष्ट संबोधक (खप), संवादनालय, भौमिकी द्वारा संचालित, नवा रायपुर ज़िला नगर के ज्ञापन क्रमांक 796 / खानी/2 / नवा रायपुर/खप.06 / 2020(2) नवा रायपुर, दिनांक 06/02/2021 हाता अनुचित है।
- 500 मीटर की परिधि में स्थित खादान — कायदानव ज़िलेकर (खनिज जारा), जिला-दुर्ग के ज्ञापन क्रमांक /3872/खनिज/02/खनिज/2021 द्वारा, दिनांक 30/01/2021 के अनुसार उत्पादित खादान से 500 मीटर की ओर अवस्थित 2 खादाने, क्षेत्रफल 1974 हेक्टेयर होना चाहिया गया है। जिसमें क्षेत्र सिंचानीय उत्पादन की सीमा से 500 मीटर की परिधि में अवस्थित खादानों का विवरण दिया गया है। उत्पादन का स्थान यह स्पष्ट नहीं हो रहा है कि उक्त खदानों की 500 मीटर की ओर अन्य खादान है अथवा नहीं? ईआईए, नोटिफिकेशन,

2006 (पर्याय संहीनित) में परिभाषित करते हुए अनुसार “कोई बलस्टर तक समय क्लाया जाएगा, जब एक लौज के परिमाणों को बीच दूसी पक्का लदून खानिल क्लैव से अच्छा बढ़ते हों परिसर से 300 मीटर से कम है।” अधीर करते हुए होमोप्रिनियन मिशन क्लैव में विचारशील खदान के लौज सीना से 300 मीटर हो गैरिक आने वाले सभी खदानों को खानिल क्लैव कुर तक इस ब्रक्कर खानिल खदानों के लौज सीना के 300 मीटर के भीतर आने वाले उन्हीं खदानों को (बलस्टर में खदानों को वही तक खानिल किया जाए, जहाँ तक 300 मीटर की दूसी में कोई खदान अवश्यक न हो) खानिल किया जाना चाहिए।

5. 200 मीटर की परिधि में विभिन्न सार्वजनिक क्लैव/संचयनाएं – कालीला कर्सेक्टर (खानिल खदान), जिला-दुर्ग के ज्ञापन क्रमांक/3873/खणिलि.02/खानिल/2021 दुर्ग, दिनांक 30/01/2021 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान से 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्लैव यीनो खानिल खदान, मंदिर, मनिज, बलाट, अस्यातात, स्कूल, पुस्तकालय, दूनीकट एवं जल आवृत्ति आदि प्रतिबंधित क्लैव खिंचित नहीं हैं।
6. एलओआई, सांबंधी विवरण – एलओआई, आशीष यासीनपाल के नाम पर है। एलओआई, कालीला कर्सेक्टर (खानिल खदान), जिला-दुर्ग के ज्ञापन क्रमांक/3632/खानिल/ख.प./2021 दुर्ग, दिनांक 23/01/2021 द्वारा जारी गई, जिसकी वैधता जारी दिनांक से 1 वर्ष की अवधि तक है।
7. भू-खानिल – भूमि खासगां क्रमांक 1215(पाठी), 1219/1, 1219/2, 1218/1, 1218/2, 1228/1 भी दुकांस चन्द्राकर, खासगां क्रमांक 1216(पाठी), 1217(पाठी) वीमती विभाग चन्द्राकर एवं खासगां क्रमांक 1229(पाठी) भी बेसाल सिंह के नाम पर है। उक्तगां के दुर्ग भूमि खानिली का वाहनति पत्र प्रस्तुत किया गया है।
8. डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट – वर्ष 2019 की डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।
9. जन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र – कालीला वनमण्डलसिंहकारी, दुर्ग वनमण्डल, जिला-दुर्ग के ज्ञापन क्रमांक/एक.अधि./2020/4422 दुर्ग, दिनांक 11/11/2020 से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
10. वाहनपूर्ण सारकनाथों की दूसी – निकटसम आवादी ग्राम-धीरमाला 1.6 किमी एवं लक्ष्मी ग्राम-धीरमाला 1.6 किमी दूसी पर खिल है। चार्ट्रीय राजमार्ग 18 किमी एवं राज्यमार्ग 6 किमी दूर है। बरसाती नाला 60 मीटर दूर है।
11. पारिस्थितिकीय/जीवविविदता सांवेदनशील क्लैव – परियोजना प्रस्तावना द्वारा 10 किमी ली वर्षित परियोजना में अंतर्राष्ट्रीय लीगा, राष्ट्रीय उद्यान, अन्यपारम्पर्य, कैन्ट्रीय औद्योग विविदता क्लैव दुन्त योग्यता विटिकली चौल्युटेक एरिया, पारिस्थितिकीय सांवेदनशील क्लैव या चौकित औद्योगिकला क्लैव खिल नहीं होना प्रतियोगित किया है।
12. खानन संपदा एवं खनन का विवरण – जियोलॉजिकल रिजर्व 7,55,250 टन, गाईमेक्स रिजर्व 5,22,879 टन एवं रिक्वरेबल रिजर्व 4,98,735 टन है। लौज की 7.5 मीटर लीकी लीगा बद्दी (उल्कनन के लिए प्रतिबंधित क्लैव) का क्लैवफल 6,110 पर्फीटर है। ओपन कार्ब सीनी में नाइजर लिये से उल्कनन किया जाएगा। उल्कनन की प्रस्तावित अदिकलम गहराई 20 मीटर है। लौज क्लैव में उपरी मिट्टी की मोटाई 1 मीटर है तथा गुल भाजा 2,440 पर्फीटर है। इस मिट्टी की लीगा बद्दी (7.5 मीटर) में फैलावत झूलारेत्य के लिए उपयोग किया

जाएगा। ये दोनों लंबाई 15 मीटर एवं चौड़ाई 1.5 मीटर है। खदान की समाप्ति आयु 8 वर्ष है। लौज क्षेत्र में कारब रस्तापिट किया जाना प्रस्तावित नहीं है। फँक हैमर से ब्रिलिंग एवं स्लारिंग किया जाएगा। खदान में आयु प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल का प्रिलेक्ट किया जाएगा। वर्षावाह प्रस्तावित उत्तरानन का विवरण निम्नानुसार है—

वर्ष	प्रस्तावित उत्तरानन (टन)	वर्ष	प्रस्तावित उत्तरानन (टन)
प्रथम	26,317	एक्टम	20,197
द्वितीय	25,046	तीसरा	19,991
तृतीय	25,271	चौथम	10,054
चौथ	24,216	पावन	10,136
पंचम	25,054	दशम	7,516

नोट: लालिका में दसमलव के बाद की अंकों को राहगढ़सीक किया गया है।

13. जल आपूर्ति – परियोजना हेतु आवश्यक जल की जाता 10 घनमीटर प्रतिदिन होनी। जल की आपूर्ति टैकर द्वारा प्राप्त चंदायत के भाव्यम से किया जाएगा। इस बाबत प्राप्त चंदायत का अनापत्ति प्रमाण बत इस्तुत किया जाएगा।
14. युक्तारीपण कार्य – लौज क्षेत्र की सीमा में जारी और 7.5 मीटर की पट्टी में 400 गम युक्तारीपण किया जाएगा।
15. खदान की 7.5 मीटर की चौड़ी सीमा पट्टी में उत्तरानन – लौज क्षेत्र के जारी और 7.5 मीटर की सीमा पट्टी में उत्तरानन कर्य नहीं किया गया है।
16. गैर माईनिंग क्षेत्र – खदान से दरसाती नाला 50 मीटर दूर है। नाला का पानी खदान में जाने की संभावना है। इसके संक्षयम के लिए माईनिंग खदान अनुसार 250 घनमीटर क्षेत्र की गैर माईनिंग क्षेत्र रखा जाएगा।
17. कॉर्पोरेट एवं व्यावहारिक दायित्व (C.E.R.) – परियोजना प्रस्तावक द्वारा की है। जरूर (Corporate Environment Responsibility) हेतु लालिका के समक्ष विस्तार से जारी उपलब्ध निम्नानुसार विस्तृत प्रस्तुत किया गया है—

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
40	2%	0.80	Following activities at Government Higher Secondary School, Village - Dhaurabhatta	
			Rain Water Harvesting System	0.50
			Potable Drinking Water Facility	0.10
			Running Water Facility for Toilet	0.10
			Plantation in School/ Community Health	0.10

			Center Premises	
			Total	0.00

समिति द्वारा तत्त्वाग्रह समीक्षामणि से निर्णय लिया गया था कि प्रस्तुत 500 मीटर के प्रमाण पर से यह कम ही रहा है कि उक्त खदानों के 500 मीटर के भीतर अन्य खदान हैं अतः यह नहीं ईआईए गोटिकेशन 2006 (खदा संशोधित) में परिसमित कलस्टर अनुसार “कोई कलस्टर उक्त समय बनाया जाएगा जब उक्त लीज के परिसरों के बीच दूसी उक्त संदूषा खण्डित होते में अन्य पट्टों के परिसर से 500 मीटर से कम है।” अर्थात् कलस्टर उक्त हाईजिनियर मिनरल संस्था में विद्युतप्रयोग खदान के लीज सीधा से 500 मीटर के भीतर आने वाले सभी खदानों को समिति करते हुए उक्त इस प्रकार सामिल खदानों के लीज सीधा के 500 मीटर के भीतर आने वाले अन्य सभी खदानों को (कलस्टर में खदानों को वही उक्त समिति किया जाए, जहाँ तक 500 मीटर की दूरी में कोई खदान अवस्थित न हो) सामिल किया जाना चाहिए। अतः उपरोक्तानुसार प्रमाण पर प्रस्तुत किया जाए।

तथानुसार एसईएसी, छत्तीसगढ़ के झापन दिनांक 28/09/2021 के परिधेय में परियोजना प्रस्तावक द्वारा जानकारी/दस्तावेज दिनांक 11/10/2021 को प्रस्तुत किया गया है।

नवीन गठित राज्य सत्रीय विभाग भूव्याकान समिति, छत्तीसगढ़ के आदेशानुसार, परियोजना प्रस्तावक को एसईएसी, छत्तीसगढ़ के झापन दिनांक 08/01/2022 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(४) समिति की 382वीं बैठक दिनांक 10/01/2022:

प्रस्तुतीकरण हेतु की हेतुका रहमतकर, अधिकृत द्वितीयित उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी को अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न विवरित पट्टी गढ़—

1. कार्यालय कलेक्टर (खण्डित शाखा), जिला—दुर्ग के झापन दिनांक/090/खगि. ति�.02/स्थानिय/2021 दुर्ग, दिनांक 28/09/2021 के अनुसार आईडिट खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित 2 खदानों कोडकल 1.97 ट्रिकेटर है।
2. अनुगोदित नाईनिंग प्लान में खदान की संभागित आयु 3 वर्ष तत्त्वाधिक है। यद्यपि पर्यावर प्रस्तावित तत्त्वानन के विवरण में 10 वर्षी की लोजन का तत्त्वाधिक है। उक्त के संबंध में नाईनिंग प्लान में शासीयन कराकर संशोधित नाईनिंग प्लान प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
3. शीर्षकार के विस्तृत प्रस्ताव के तहत प्रस्तावित खदान के जागरी (Principal) से सहमति पर प्रस्तुत किया गया है।

समिति द्वारा तत्त्वाग्रह समीक्षामणि से निर्णय लिया गया था कि परियोजना प्रस्तावक से उपरोक्तानुसार सारोधित अनुगोदित नाईनिंग प्लान प्रस्तुत किये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

तथानुसार एसईएसी, छत्तीसगढ़ की 382वीं बैठक दिनांक 10/01/2022 के परिधेय में परियोजना प्रस्तावक द्वारा जानकारी/दस्तावेज दिनांक 12/01/2022 को प्रस्तुत किया गया है।

(५) समिति की 394वीं बैठक दिनांक 12/01/2022:

समिति द्वारा नस्ती प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न विवरित पट्टी गढ़—

- संभिति नवार्थी प्रदान एलाइन लिये गयाएँ बलोजर प्राप्त विषय हृष्टायपरोमेंट ब्लैनेक्टरीट प्राप्त प्रस्तुत किया गया है, जो संदर्भत संचालक (एड), संचालनालय, नीमिती गत्या खानिमिती नवा रायपुर अटल नवर के छात्रन क्रमांक 183/खनी02/पा.प्लअनुसारीदल/नक.06/2020(2) नवा रायपुर दिनांक 12/01/2022 द्वारा अनुमोदित है, जिसके अनुसार खादान की संभापित आयु 10 वर्ष है।
- संभिति के संझान में यह तथ्य आया कि परियोजना प्रस्तावक की लीज लेते का विनाशकान एवं सीमांकन कराकर खनिज विभाग से द्रगाम पत्र प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
- संभिति द्वारा यह भी निर्देशित किया गया कि रिक्लारेवल रिजर्व के अनुसार ही उत्तरान्न कर्त्य करने हेतु नोटरी से सम्बाधित कराकर जाप्य पत्र प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
- संभिति के संझान में यह तथ्य आया कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत गूगल मैप में आवेदित खादान के 500 मीटर के भीतर 2 खादानों के अलिरिका अन्य खादानों भी प्रतिपादित होना पाया गया। अतः उक्त की संकेत अन्य खादाने डि-नोटिफिक्ड (De-notified) हैं अथवा नहीं? के संबंध में खनिज विभाग से प्रगामिक जानकारी प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

संभिति द्वारा उत्तरान्न सर्वेशास्त्रि से विषयानुसार निर्णय किया गया था—

- लीज लेते का विनाशकान एवं सीमांकन कराकर खनिज विभाग से द्रगाम पत्र प्रस्तुत किया जाए।
- रिक्लारेवल रिजर्व के अनुसार ही उत्तरान्न कर्त्य करने हेतु नोटरी से सम्बाधित कराकर जाप्य पत्र प्रस्तुत किया जाए।
- गूगल मैप में आवेदित खादान के 500 मीटर के भीतर 2 खादानों के अलिरिका अन्य खादानों भी प्रतिपादित होना पाया गया। अतः उक्त की संकेत अन्य खादाने डि-नोटिफिक्ड (De-notified) हैं अथवा नहीं? के संबंध में उप संचालक (खनिज विभाग), जिला-दुर्ग राया क्षेत्रीय अधिकारी परिषद्वर्ग संविधान नंबर से हवा आवाय का प्रकाश पत्र द्वारा कर प्रस्तुत करे कि 500 मीटर की परिमि में कोई अन्य खादान संचालित नहीं है।
- उपर्युक्त साहित जानकारी/दस्तावेज प्राप्त होने तकरात आगामी कार्यवाही की जाएगी।

तथानुसार पल्हैर वी. परियोजना के काव्य दिनांक 09/02/2022 को परियोजना में परियोजना प्रस्तावक द्वारा जानकारी/दस्तावेज दिनांक 23/02/2022 को प्रस्तुत किया गया है।

(d) संभिति की 402वीं बैठक दिनांक 15/03/2022:

संभिति द्वारा गर्वी, प्रस्तुत जनकारी का उत्तरांकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई—

- परियोजना प्रस्तावक द्वारा चताया गया कि एस.ओ.आई के उत्तरांकन गलों में आवेदित लीज के चिन्हांकन का प्राप्त चत्र वज्राम सत्र से हस्ताक्षित है। नस्लों के अनुसार लीज लेते वर्ग विनाशकान पत्र प्रस्तुत किया है। उत्तरांकिपटल लीज्जुल आदेश जारी होने तकरात ही आवेदित लीज लेते वर्ग हीना एवं गर्वोंपरात ही उत्तीर्णायाह गीज खनिज नियम, 2015 के नियम 46 के प्राप्तानों अनुसार सीमांकन किया जाकर लीज खिल रखापित हो सकेंगे।

2. निकाहोंवल रिजर्व के अनुसार ही उत्तमन कर्म करने हेतु नोटरी से सत्यापित कराकर हाल्य पत्र प्रस्तुत किया गया है।
3. यूनिट केब में आवेदित खदान के 500 मीटर के भीतर 2 खदानों के अतिरिक्त अन्य खदानों परी प्रतिष्ठादित होना काया गया। अतः उक्त के संबंध में कार्यालय कलेक्टर (खनिज शास्त्र), जिला-दुर्ग के द्वापन ग्रामांक/3602/खनि.सि. 02/खनिज/2021 दुर्ग, दिनांक 29/09/2021 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अतिरिक्त 3 खदानों में से 1 खदान को पट्टेवार हारा दिनांक 08/02/2021 की खदान संशोधन में अत्यन्धित अक्ता करने हेतु खदान बंद करने हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया जाना कहाया गया है एवं अन्य यूनिट खदान में कार्यालयाति दिनांक 24/01/2018 से आज दिनांक तक खनिज का देखिंग नहीं किया जाना कहाया गया है। उपरोक्त के शब्दों में कार्यालयीन कार्यवाही प्रचलित होने का उल्लेख है।
4. एल.ओ.आई. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शास्त्र), जिला-दुर्ग के द्वापन ग्रामांक/3602/खनिज/ल.प. 2021 दुर्ग, दिनांक 23/01/2021 हारा जारी की गई, जिसकी फैलता जारी दिनांक से 1 वर्ष की अवधि तक थी। अतः एल.ओ.आई. की फैलता वृद्धि संबंधी दस्तावेज प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

सामिति हारा सत्ताधार सर्वसम्मति के निम्नानुसार विवेच लिया गया था कि परियोजना प्रस्तावक हारा एल.ओ.आई. की फैलता वृद्धि संबंधी दस्तावेज प्रस्तुत किये जाने उपरांत आगामी कार्यवाही की जाएगी।

सदानन्दार एस.ई.ए.सी., छलीमगड के द्वापन दिनांक 22/04/2022 के परिणेत्र में परियोजना प्रस्तावक हारा जानकारी/दस्तावेज दिनांक 13/10/2022 एवं 14/10/2022 की प्रस्तुत किया गया है।

(इ) समिति की 428वीं बैठक दिनांक 17/10/2022:

समिति हारा नवीनी प्रस्तुत ज्ञानकारी का अवलोकन एवं चरीकण करने पर निम्न किसी पाई गई—

1. एल.ओ.आई. की फैलता वृद्धि हेतु कार्यालय कलेक्टर (खनिज शास्त्र), जिला-दुर्ग के द्वापन ग्रामांक/3602/खनिज/2022 दुर्ग, दिनांक 10/10/2022 हारा जारी कर अनुसार “भांचालक गोदिकी उथा सानिकर्म, छ.ग. के पत्र ग्रामांक 5177/खनि-2/न.क्र.57/2021, जवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक 06/10/2022 में यूनिटेशन प्रकरण ग्रामांक 57/2022 में वारित आदेश दिनांक 30/09/2022 में छ.ग. गोदि खनिज निकाम, 2015 के नियम 42(5) परन्तु के तहत उक्त प्रकरण में पर्यावरण कीकूति पापा होने उपरांत उत्तमन पट्टा कीकूति की कार्यवाही पूर्ण करने हेतु अधिकारी कामयावाही प्रदान करते हुए प्रकरण कलेक्टर, जिला दुर्ग की प्रत्यावर्तित किया गया है।” होना कहाया गया है।
2. परियोजना प्रस्तावक हारा इस आशय का सम्बन्ध पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है कि उनके विस्तृत इस परियोजना/खदान से संबंधित कोई न्यायालयीन प्रबन्धन देश के अंतर्गत किसी भी न्यायालय में संघित नहीं है।
3. परियोजना प्रस्तावक हारा इस आशय का नोटरी से संघातित शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है कि उसके विस्तृत भारत सरकार, परावरित, या और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की लिपिशूलगा जा.आ. 804(अ), दिनांक 14/03/2017 के अंतर्गत कोई उत्तमन का प्रकरण लंबित नहीं है।

4. समिति का नहा है कि सीईआर एवं दृष्टारोपन कार्य के मौनिटरिंग एवं चर्चेशन हेतु फि-सदस्यीय समिति (प्रौपराइटर/प्रीतिमिति) द्वारा उचावाहन के पदाधिकारी/प्रतिमिति एवं जिला प्रशासन का छातीसगढ़ पर्यावरण संस्थान बनकल के पदाधिकारी/प्रतिमिति) निति जिवा याना आवश्यक है। साथ ही सीईआर एवं दृष्टारोपन का कार्य यूनि फिल्म जाने के उपरांत निति फि-सदस्यीय समिति से सत्यापित याना जाना आवश्यक है।
5. ग्रामीय एनजीओ, जिसीपल देव, नई दिल्ली द्वारा स्लेट पाठेय विस्तृत भारत सरकार, पर्यावरण, डन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली एवं अन्य (अंतरिक्षन एपिस्लैक्सन नं. 186 ऑफ 2016 एवं अन्य) में दिनांक 13/09/2018 की परित आदेश में गुरुत्व रूप से निम्नानुसार निर्दित जिवा नवा है—
- Providing for EIA, EMP and therefore, Public consultation for all areas from 5 to 25 ha, falling under category B-2 as per with category B-1 by SEAC / SEIAA as well as for cluster situation where ever it is not provided.
 - If a cluster or an individual lease size exceed 5 ha, EIA / EMP be made applicable in the process of grant of prior environment clearance.

समिति द्वारा जिवार जिमर्झी उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया—

- कार्यालय कलेक्टर (खणिय राखा), जिला-दुर्ग के ज्ञापन अनांक /930/खनि. सि.02/खनिय/2021 दुर्ग, दिनांक 29/08/2021 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर की भीतर अवस्थित 2 खदानें, क्षेत्रफल 1.97 हेक्टेयर हैं। आवेदित खदान (ग्राम-धीरामाडा) का क्षेत्रफल 1.59 हेक्टेयर है। इस प्रवान आवेदित खदान (ग्राम-धीरामाडा) को जिलाकर बुल रहवा 3.58 हेक्टेयर है। खदान की जीमा से 500 मीटर की परिधि में स्थीरकृत/संयोजित खदानों का बुल क्षेत्रफल 6 हेक्टेयर या उससे कम होने के करम्य तक खदान बी-2 की बनी रही।
- समिति द्वारा जिवार जिमर्झी उपरांत सर्वसम्मति से आवेदक — मैसारी श्री आसीम चालीवाल (धीरामाडा लाईम कटोन यारी) को ग्राम-धीरामाडा, लहरील-पाटा, जिला-दुर्ग के सासरा अनांक 1215(यारी), 1216(पाटा), 1217(यारी), 1218/1, 1218/2, 1219/1, 1219/2, 1228/1 एवं 1229(पाटा) में नियत बूना पत्रर (गोपनीय सानिज) खदान, बुल क्षेत्रफल—1.59 हेक्टेयर, क्षमता — 26,317 टन प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय स्थीरकृति दिए जाने की अनुशंसा की गई।

प्राधिकरण द्वारा बैठक में जिवार — उचिता प्रकारण वर प्राधिकरण ने दिनांक 05/12/2022 को संझन 134वीं बैठक में जिवार लिया गया। प्राधिकरण द्वारा नहीं का अवलोकन किया गया। प्राधिकरण द्वारा जिवार जिमर्झी उपरांत सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया—

- समिति की अनुशंसा को स्वीकार करते हुये आवेदक — मैसारी श्री आसीम चालीवाल (धीरामाडा लाईम कटोन यारी) को जिम असिरित राई के अलीन पर्यावरणीय स्थीरकृति जारी करने का निर्णय लिया गया—

“सीए लैंड की सीन में यारी और 7.5 मीटर की बट्टी तथा सीईआर के तहत जिम्ये जाने वाले दृष्टारोपन की जानकारी जियोटेग (Geotag) कोटीयापन सहित अवैधतिक रिपोर्ट में समीकृत करते हुये प्रस्तुत किया जाए।”

एवं ही समिति द्वारा निश्चित किये गये जली का पालन सुनिश्चित किया जाए। जलन नहीं किये जाने की स्थिति में विधिवत् विधानिक कार्यकारी की जरूरी।
कलियोजना प्रस्तावक को सशर्त पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किया जाए।

6. बेसामी तारामुर बीच माईन (प्रौ.- श्रीमती सदीज अग्रवाल), पाम-तारामुर, ताहसील-बकायाप्प, जिला-बसतार (लघिकालय का नम्बर क्रमांक 1935)
ऑफलाईन आवेदन - इमोजल नम्बर - एसआईए /सीजी /एमआईए / 296888 / 2022, दिनांक 18 / 02 / 2022 द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन किया गया है।

प्रस्ताव का विवरण - यह प्रस्तावित रेत खदान (खनिज खनिज) है। यह खदान पाम-तारामुर ताहसील-बकायाप्प, जिला-बसतार लिखा पाट ऑफ खदान क्रमांक 1242, कुल क्षेत्रफल - ३ हेक्टेयर में प्रस्तावित है। उत्तमतम वसाकली नदी से किया जाना प्रस्तावित है। खदान की आवेदित उत्तमतम कमाता - 40,000 मीट्रीटर घंटीवर्षी है।

तारामुरार परियोजना प्रस्तावक को एसआईएसी फलीभाग के आधार दिनांक 19 / 05 / 2022 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सुनिश्चित किया गया।

वैष्णवी का विवरण -

(अ) समिति की 408वीं बैठक दिनांक 24 / 06 / 2022-

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री रघिका अग्रवाल, खणिकूल प्रतिनिधि उपसिंचित हुए। समिति द्वारा नसी, प्रस्तुत जानकारी का अड्डीकून एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:-

- पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण:- इस खदान को पूर्व में पर्यावरणीय स्वीकृति जारी नहीं की गई है।
- ग्राम चंचाला का अनामित प्रमाण पत्र - रेत उत्तमतम के संबंध में ग्राम पंचायत तारामुर यह खदान चिन्हांकित/सीमांकित कर दीया गया है।
- चिन्हांकित/सीमांकित - कार्यालय कलेक्टर खनिज शास्त्री से जल प्राप्त जल अनुसार यह खदान चिन्हांकित/सीमांकित कर दीया गया है।
- उत्तमतम योजना - चिन्हांकित पान प्रस्तुत किया गया है, जो खनि अधिकारी, जिला-इकाइ बसतार दोताला के आधार क्रमांक ९१६/खनिज/स.यो./2021-22 दोताला, दिनांक 27 / 01 / 2022 द्वारा अनुमोदित है।
- 500 मीटर की परिधि में लिखा खदान - कार्यालय कलेक्टर (खनिज शास्त्री) जगदलपुर, जिला-बसतार के आधार क्रमांक 201-शी/खनिज/ख.लि.३/रेत खदान/2022 जगदलपुर, दिनांक 09 / 02 / 2022 के अनुसार उत्तमतम खदान से 500 मीटर की ओर अपरिधित अन्य रेत खदानों की संख्या निर्दित है।
- 200 मीटर की परिधि में लिखा सार्वजनिक होज/संरक्षणाए - कार्यालय कलेक्टर (खनिज शास्त्री) जगदलपुर, जिला-बसतार के आधार दिनांक 201-शी/खनिज/ख.लि.३/रेत खदान/2022 जगदलपुर, दिनांक 09 / 02 / 2022 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार यह खदान के 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक होज और साइर्टीय राजनार्थ, राजनार्थ, पुल, बांध, स्वामुल, अस्तवाल, मदिर, खनिजद, पुरुद्वारा, गरघट एवं एनीकट आदि प्रतिवर्षित होज निर्मित नहीं हैं।

7. एलओआई का विवरण – एलओआई भीनती सर्वोंज लकड़पाल के नाम पर है, जो कार्यालय कर्तव्यपूर्ति (स्थानिक जागरूक), जिला-बलाच के ज्ञापन अनुसार 3051 / स्थानिक / खालील / विवरी और बासान (खाली) / 2022 जगदलपुर, दिनांक 14/01/2022 द्वारा जारी की गई, जिसकी अवधि 6 माह हेतु कैष है।
8. बन विभाग का अनापत्रित प्रमाण पत्र – कार्यालय द्वारा बनामध्यलक्षणिकारी, जगदलपुर द्वारा बनामध्यल, जगदलपुर के ज्ञापन अनुसार 1516 जगदलपुर, दिनांक 23/06/2022 वी जारी अनापत्रित प्रमाण पत्र अनुसार आवेदित क्षेत्र बन क्षेत्र की सीमा से 3.4 किमी दूर है।
9. हिस्ट्रीकट सर्वे रिपोर्ट – कई 2019 की हिस्ट्रीकट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की इसी प्रस्तुति की गई है।
10. महावर्षीय संरक्षनात्मकों की दूरी – निष्ठाताम आवादी जाम-तालपुर 1.5 किमी, स्वदूल जाम-तालपुर 1.7 किमी, एवं उत्तमाल छालायम्ब 19 किमी, जी दूरी पर स्थित है। उत्तमीय राष्ट्रमार्ग 10 किमी, एवं राष्ट्रमार्ग 40 दूर है। स्वीकृत रेत खदान के 1 किमी, जी दूरी तक एनीकट/पुल स्थित नहीं है।
11. पारिस्थितिकीय/पौधविधिवता संवेदनशील क्षेत्र – परिस्थितिका प्रस्तावक सुना 10 किमी, जी परिस्थिति में अंतर्भूतीय गीव, राष्ट्रीय उद्यान, अनुपारम्प, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण क्षेत्र द्वारा प्रोत्तिकली पील्युटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या प्रोत्तिकली पौधविधिवता क्षेत्र स्थित नहीं होना आवेदित किया है।
12. स्वनन रखल पर नदी के पाट की चौकाई एवं खदान की नदी तट से दूरी – आवेदन अनुसार स्वनन रखल पर नदी के पाट की चौकाई – अधिकतम 185 मीटर, न्यूनतम 130 मीटर तथा स्वनन रखल की ओसत लंबाई 475 मीटर एवं स्वनन रखल की चौकाई – अधिकतम 62 मीटर, न्यूनतम 28 मीटर दर्शाई गई है। खदान जी नदी तट के फिल्टर से दूरी अधिकतम 30 मीटर, न्यूनतम 21 मीटर है।
13. खदान रखल पर रेत की गोटाई – आवेदन अनुसार रखल पर रेत जी गहराई-३ मीटर तथा रेत स्वनन वी प्रस्तावित गहराई-२ मीटर दर्शाई गई है। अनुमोदित माईनिंग प्लान अनुसार खदान में माईनेशन तेज जी गात्रा – 40,000 घण्टीमीटर है। रेत उत्खनन हेतु प्रक्रियित स्वल एवं यहांमान में उपलब्ध रेत सातह की गोटाई जानने के लिए, प्रस्तावित रखल पर २ पिल्ट (Pits) खोदकर उसकी वास्तविक गहराई का मापन कर, स्थानिक विभाग से प्रस्तावित जानकारी प्रस्तुत की गई है। इसके अनुसार रेत जी दृष्टिकोण औसत गहराई 25 मीटर है। रेत जी वास्तविक गहराई हेतु पंचनामा प्रस्तुत किया गया है।
14. खदान क्षेत्र में रेत सातह को लेवल्स – रेत उत्खनन हेतु 25 मीटर तुला 25 मीटर के लिए विन्दुओं पर दिनांक 09/02/2022 को रेत सातह को वर्तमान लेवल्स (Levels) लेकर, उन्हें स्थानिक विभाग से प्रमाणीकरण उपरोक्त कौटीदासन स्थित जागकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किये गये हैं।
15. परियोजना प्रस्तावका द्वारा सीईआर (Corporate Environment Responsibility) हेतु समिति के सम्मा विवरार से जी उपरोक्त विभागभुलार हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है—

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
Following activities at nearby Village-Tarapur				
17.29	2%	0.35	Pavitra Van	5.98
			Total	5.98

16. सीईआर के अंतर्गत "पौधित यन" के तहत (आवासा, बढ़ पीपल, नीम, आम, अनून, बेल आदि) कृषाणीपाल हेतु प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार 870 नग फैसी के लिए राशि 17,400 रुपये, फैसिंग के लिए राशि 70,000 रुपये, खाद के लिए राशि 6,540 रुपये, शिथाई तथा रक्ष-रक्षाय आदि के लिए राशि 2,23,920 रुपये, इस प्रकार प्रबन्ध वर्ष में कुल राशि 3,17,860 रुपये तक हितीच वर्ष में खाद, शिथाई एवं रक्ष-रक्षाय हेतु कुल राशि 1,55,792 रुपये तक हितीच वर्ष में खाद, शिथाई एवं रक्ष-रक्षाय हेतु कुल राशि 1,24,800 रुपये हेतु घटकवाह व्यव का जिवरण प्रस्तुत किया गया है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा पाल पंचानगा की सहमति प्राप्तता रक्षायाच्य स्थान (आवासा क्रमांक 1348, क्षेत्रफल 0.54 एकड़ेर) के संकेत में जानकारी प्रस्तुत की गई है।
17. कृषाणीपाल कार्ब - कृषाणीपाल (नदी टट एवं घटुत भाग पर कुल 80 नग फैसी) हेतु प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार योद्धों के लिए राशि 3,060 रुपये, फैसिंग के लिए राशि 1,50,000 रुपये, खाद के लिए राशि 660 रुपये, शिथाई तथा रक्ष-रक्षाय के लिए राशि 1,72,000 रुपये, इस प्रकार कुल राशि 3,25,720 रुपये प्रबन्ध वर्ष में एवं उत्तर राशि 3,04,780 रुपये आवासी 2 वर्ष हेतु घटकवाह व्यव का जिवरण प्रस्तुत किया गया है। साथ ही समिति का मत है कि नदी के पाठ में कृषाणीपाल किये जाने की दृष्टा में बाढ़ की सीमा (Flood level) की छान में स्थानी हुये नदी के किनारे कृषाणीपाल (River Bank) किया जाए।
18. समिति का मत है कि सीईआर एवं कृषाणीपाल कार्ब के मौजिटरिंग एवं पर्यावरण हेतु डि-कार्डवीय समिति (डोपताईटर/प्रतिभिति, पाल पंचानगा के पदाधिकारी/इतिमिति एवं जिला उत्तरानन पा उत्तीर्णगढ़ पर्यावरण संस्कार पुनर्जनन के पदाधिकारी/इतिमिति) गठित किया जाना आवश्यक है। साथ ही सीईआर एवं कृषाणीपाल कार्ब की कुर्सी किये जाने के उपरांत गठित डि-कार्डवीय समिति से संलग्नित कराया जाना आवश्यक है।
19. ऐसे सत्त्वानन मैनुअल विहि जो एवं भरती का कार्ब लोडर द्वारा उत्तराय जाना प्रस्तावित है।
20. परियोजना प्रस्तावक द्वारा 2 नीटर की गहराई तक उत्तरानन की अनुमति नहीं है। अनुमोदित उत्तरानन योजना में उत्तरानन विहि जाने वाले होते ही वार्षिक रेत पुनर्जनन पांचवीं अध्ययन कार्ब एवं तत्त्वांकनी आंकड़ों का समावेश नहीं किया गया है। अतः उत्तरानन के संकेत में जानकारी प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

समिति द्वारा तत्त्वांकनी अध्ययन सर्वसम्मति से निम्नानुसार विर्णव लिया गया था कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा उत्तरानन योजना में उत्तरानन विहि जाने वाले होते ही वार्षिक रेत पुनर्जनन पांचवीं अध्ययन कार्ब एवं तत्त्वांकनी आंकड़ों का समावेश नहीं किया गया था कि

विभाग से प्राप्त कार जानकारी/दस्तावेज दर्शायत किये जाने उपरांत आगामी बहावोंमध्ये की जाएगी।

दस्तावेज एस.ई.ए.सी., अतीवाक के छापन दिनांक 11/07/2022 के परिवेज में परियोजना द्रवतावक द्वारा जानकारी/दस्तावेज दिनांक 13/10/2022 को दर्शायत किया गया है।

(ब) समिति की 428वीं बैठक दिनांक 17/10/2022:

समिति द्वारा नसी, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं कठीकार्य करने पर निम्न लिखित बहाव नहीं:-

- एन.ओ.आई. शीखी नामेज अपावाल के नाम पर है, जो कार्यालय कलेक्टर (खनिज राशि), जिला-बस्तर के छापन दिनांक 3051/खनिज/समिति/रिपोर्ट औरवानगिरा)/2022 जगदलपुर, दिनांक 14/01/2022 द्वारा पारी की गई, लिखनकी अवधि 0 घण्टे तक है थी। अतः एन.ओ.आई. की फैसला कृपि संभवी दस्तावेज दर्शायत किया जाना आवश्यक है।
- प्रस्तुत जानकारी अनुसार परियोजना प्रस्तावक का कथन है कि खनिज विभाग द्वारा उत्तराखण योजना में उत्तराखण विए जाने वाले क्षेत्र की वार्षिक ऐत पुनर्जनन संसंक्षी अवधायन कार्य एवं तत्संबंधी आंकड़ी का समावेश की जानकारी खनिज विभाग द्वारा नहीं लिया गया है। अतः जब भी वार्षिक ऐत पुनर्जनन संसंक्षी अवधायन कार्य एवं तत्संबंधी आंकड़ी का समावेश खनिज विभाग द्वारा लिये जाने उपरांत उसकी प्रति दर्शायत की जाएगी।
- कठीकार्य बन मण्डलाधिकारी, बनगढ़ल बस्तर, जगदलपुर के छापन द्वामांक/क.त.अ./इल3 जगदलपुर, दिनांक 10/10/2022 से जारी प्रभाल पर अनुसार आवेदित क्षेत्र बन हेतु की सीमा से 3.4 किमी दूर है।
- समिति का मत है कि सीईआर एवं बूकारीय कार्य के गोमिटरिंग एवं पर्केटेल इंट्रु वि-सदस्यीय समिति (प्रोपर्टीटर/प्रतिनिधि, राम पंचाल के पदाधिकारी/प्रतिनिधि एवं जिला प्रशासन या उत्तराखण वर्गीकरण गणकाल के कदाधिकारी/प्रतिनिधि) गठित किया जाना आवश्यक है। साथ ही सीईआर एवं बूकारीय का कार्य पूरी किये जाने के उपरांत गठित वि-सदस्यीय समिति से सत्संप्रित गतान्त्र जाना आवश्यक है।
- ऐत पुनर्जनन मैन्युफ्ल विहि से एवं भर्ड का कार्य लौहर द्वारा कराया जाना आवश्यित है। समिति का मत है कि लौहर जौसे यंत्र भारी वाहन की बेंची के हैं। अतः भर्ड का कार्य मैन्युफ्ल विहि से कराई जाये।
- परियोजना प्रस्तावक द्वारा 2 बीटर की बहाराई तक उत्तराखण की अनुमति नामी है। अनुमोदित उत्तराखण योजना में उत्तराखण विए जाने वाले क्षेत्र की वार्षिक ऐत पुनर्जनन संसंक्षी अवधायन कार्य एवं तत्संबंधी आंकड़ी का समावेश नहीं किया जाया है। बसकारी नदी चोटी नहीं है तथा इसमें पर्यावरण में सामान्यतः 1 बीटर गहराई से अधिक ऐत का पुनर्जनन होने की समावेश है।

समिति द्वारा विभाग विभासी उपरांत शावित्रम्भति से विभानुसार निर्णय लिया जाया—

- आवेदित खदान (यज्ञ-लारापुर) का कार्यवा 2 हेक्टेयर है। खदान की सीमा से 500 बीटर की परिसीमे स्वीकृत/संवालित खदानों का जूल क्षेत्रफल 5 हेक्टेयर या उससे कम होने के कारण यह खदान की-2 बेंची की बेंची होती है।

- 2. युक्तारोपण कार्य** – युक्तारोपण (नदी तट एवं पहुंच नदी पर कुल ५० नद और) हेतु प्रस्तुत प्रस्ताव अनुशासन पौधों के लिए राशि ३,०६० रुपये, खेड़ियों के लिए राशि १,५०,००० रुपये, खाद के लिए राशि ८८० रुपये, निर्माण तथा रक्षा-रक्षाय के लिए राशि १,७२,००० रुपये, इस प्रकार कुल राशि ३,२६,७२० रुपये प्रधान वर्ष में एवं कुल राशि ३,०४,७८० रुपये आगामी ३ वर्ष हेतु घटकावार व्यय का विवरण प्रस्तुत किया जाया है।
- 3. परियोजना प्रस्तावका ऐत खादान क्षेत्र में आगामी १५ वर्ष में विस्तृत गाँव अव्यापन (Expansion Study) बनवायेगा, ताकि ऐत की युक्तभरण (Replenishment) बाबत सही जांचें हेतु ऐत उत्कर्षनन वज्र नदी, नदीतल, स्थानीय वनवर्षति, जीव एवं सूक्ष्म जीवों पर प्रभाव तथा नदी के यानी की गुणवत्ता पर ऐत उत्कर्षनन के प्रभाव की सही जानकारी प्राप्त हो सके।**
- 4. लीज क्षेत्र की सतह का वेसलाईन छाटा –**
 १. ऐत उत्कर्षनन प्रारंभ करने के पूर्व उत्तरीलानुसार निर्धारित दिन विन्दुओं पर नदी में ऐत की सतह के सतरों (Levels) का राखे कर, उसके आकड़े तालिका एसईआईए.ए. उत्तरीलानुसार को प्रस्तुत किये जायें।
 २. पीसट—मानसून (अवस्था/वर्षा/साह) में ऐत उत्कर्षनन प्रारंभ करने के पूर्व हन्ती दिन विन्दुओं में माइनिंग लीज क्षेत्र तथा लीज क्षेत्र के अपरद्वीप एवं ढारनमट्टीमें १०० मीटर तक तथा स्वनन लीज के बाहर / नदी तट (दोनों ओर) से १०० मीटर तक की क्षेत्र में नदी सतह के सतरों (Levels) का राखे पूर्व निर्धारित दिन विन्दुओं पर किया जायेगा।
 ३. इसी प्रकार ऐत खादन उपरोक्त मानसून की पूर्व (गहरी नदी के अंतिम सतहाह/जून के प्रथम शताह) हन्ती दिन विन्दुओं पर ऐत सतह की लेवल्स (Levels) का गापन किया जाएगा।
 ४. ऐत सतह की पूर्व निर्धारित दिन विन्दुओं पर ऐत सतह के लेवल्स (Levels) का गापन कर बताये आगामी ३ वर्ष तक नियंत्रण किया जाएगा। पीसट—मानसून के आकड़े दिवान्वय २०२२, २०२३, २०२४ एवं श्री—मानसून के आकड़े अगस्त २०२२, २०२३, २०२४ तक अनियंत्रित रूप से एसईआईए.ए. उत्तरीलानुसार को प्रस्तुत किए जायेंगे।
- 5. वामिली द्वारा दिनार विन्दी उपरोक्त स्वर्णसम्पद से वेसाई तालानुर संगठ नाईन (प्रौ. — श्रीमती गणेश अद्याचल), पाट ऑफ खसरा ड्रमांक १२४२, ग्राम—तालानुर, तालानील—बखलान्धा, जिला—बस्तर, कुल लीया क्षेत्रफल २ हेक्टेयर के कुल ६० प्रतिकाल संकेतकल में ही ऐत उत्कर्षनन अधिकातम ०.५ मीटर की गहराई तक सीमित रखते हुए कुल १०,००० घनमीटर प्रतिवर्ष ऐत उत्कर्षनन हेतु वर्तावलीय स्त्रीकृति, जारी दिनांक से ०२ वर्ष तक की अवधि हेतु दिये जाने की अनुशासा की गई। ऐत नी लुहाई अग्निली द्वारा (Manually) की जाएगी। दिवार बेत (River Bed) में भारी वाहनों का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा। लीज क्षेत्र में लियत ऐत लुहाई बद्ध (Excavation pits) से लोकिय प्याईट तक ऐत का परिवहन ट्रैक्टर ट्रॉली द्वारा किया जाएगा।**
- 6. एल.आई.आई. की फैलत कुहि संबंधी दस्तावेज प्राप्त कर एसईआईए.ए. उत्तरीलानुसार में प्रस्तुत किया जाए।**
- 7. नास्टेनेशन संगठ माइनिंग मैनेजमेंट गाईडलाइन्स २०१६ (Sustainable Sand Mining Management Guidelines 2016) एवं ईन्फोर्मेंट, एवं मौनिटरिंग**

गाइडलाईन्स कीर सेप्ट माइनिंग, 2020 (Enforcement & Monitoring Guidelines for Sand Mining) को अनुसार पातन सुनिश्चित किया जाए।

8. ईमोर्सेमेंट एण्ड मॉनिटरिंग गाइडलाईन्स कीर सेप्ट माइनिंग, 2020 (Enforcement & Monitoring Guidelines for Sand Mining) को तहत 80 प्रतिशत संत्र ने ही उत्थनन कर्त्ता किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

प्राधिकरण द्वारा बैठक में किया — उपरोक्त प्रबन्ध पर प्राधिकरण की दिनांक 05/12/2022 को संयोग 134वीं बैठक में किया गया। प्राधिकरण द्वारा नस्ती का अवलोकन किया गया। प्राधिकरण द्वारा नोट किया गया कि एलओआई की विषया वृद्धि संचालनालय, भौमिकी तथा सनिकर्म, नवा राष्ट्रपुर अटल नगर के ज्ञापन इमांक 3823/खानि 02/रेट्रीफूल 7) /नक्ष. 38/1996 नवा राष्ट्रपुर अटल नगर, दिनांक 31/10/2022 द्वारा यारी की गई, जिसकी फैला 1 वर्ष (अधिक दिनांक 12/01/2023) की अवधि हैंगू रैम है।

प्राधिकरण द्वारा किया गया संचालन सर्वसम्मति से लिखित की अनुसन्धान को लिखार करते हुये योगी राष्ट्रपुर सेप्ट माइन (प्रो.— श्रीमती राणजी अवलोकन), पार्ट ऑफ खसरा इमांक 1242, छाम—राष्ट्रपुर, तहसील—काकाबद्द, जिला—बस्तर, बूल लीज क्लोफल 2 हेक्टेयर के बूल 80 लिंगोट्टा क्लोफल में ही रेत उत्थनन अधिकारम 0.6 ग्रॅटर की गहराई तक सीमित रखते हुए, कुल 10,000 घनमीटर प्रतिलंबि रेत उत्थनन हैंगू पर्वतरानीय स्थीरता, जानी दिनांक से 02 वर्ष तक की अवधि हैंगू अलिशित करते “नदी तट पर किये जाने वाले दूषणोंका एवं शीड़आर के तहत किये जाने वाले गुआरोपण वा जानवरी लिंगोट्टा (Geotag) कोटीयाओं सहित डर्टिलिंग लिंगोट्ट में समाहित करते हुये प्रस्तुत किया जाए।” के अधीन किये जाने का निर्णय किया गया। साथ ही लिखित द्वारा निहित किये गये इसी का पातन सुनिश्चित किया जाए। पातन नहीं किये जाने की लिखित में प्रतिवत ईयानिक कार्यकारी की जाएगी। परियोजना प्रस्तावक को सकली पर्वतरानीय स्थीरता जारी किया जाए।

9. मैत्रसं टलनार सेप्ट माइन (प्रो.— श्री मुरैश परतानिरी), छाम—टलनार, तहसील—काकाबद्द, जिला—बस्तर (संचिकात्य का नस्ती क्लोफल 1936)

ओनलाईन आवेदन — प्रधानमंत्र नम्बर — एसआईए /सीवी /एमआईएन / 256890 /2022, दिनांक 18/02/2022 द्वारा पर्वतरानीय स्थीरता हैंगू आवेदन किया गया है।

प्रस्ताव का कियरण — यह प्रस्तावित रेत खदान (गोपन स्थिति) है। यह खदान छाम—टलनार, तहसील—काकाबद्द, जिला—बस्तर लिंगोट्ट पार्ट ऑफ खसरा इमांक 1079, बूल क्लोफल—1.6 हेक्टेयर में प्रस्तावित है। उत्थनन भवाकली नदी से किया जाना प्रस्तावित है। खदान वा आवेदित उत्थनन क्षमता — 32,000 घनमीटर प्रतिलंबि है।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एसईएसी, उत्तीर्णपान के ज्ञापन दिनांक 19/05/2022 द्वारा प्रस्तुतीकरण हैंगू सूचित किया गया।

बैठकों का कियरण —

(अ) सभिति की 408वीं बैठक दिनांक 24/05/2022:

प्रस्तुतीकरण हैंगू श्री सूरज यास्यन, अधिकृत प्रतिभिति लक्षित हुए। सभिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी वा अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न लिखित पांच गढ़—

- पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्टीक्सिटि संबंधी विवरण— इस खदान को पूर्व में पर्यावरणीय स्टीक्सिटि जारी नहीं की गई है।
- शाम पांचवाँत का अनापदित प्रमाण पत्र — ऐसे उल्लंगन की संख्या में शाम पांचवाँत दलनार का दिनांक 12 / 12 / 2019 का अनापदित प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
- विन्हाकित / सीमांकित — कार्यालय कलेक्टर, खनिज शाखा से इस प्रमाण पत्र अनुसार यह खदान विन्हाकित / सीमांकित कर दी गयी है।
- उल्लंगन खोजना — पार्श्वमें इसमें प्रस्तुत किया गया है, जो खनि अधिकारी, जिला—दलिल बलार दर्तेवाहा के इापन दस्तावेज़ ११६ / खनिज / द.वा. / २०२१-२२ दर्तेवाहा, दिनांक २७ / ०१ / २०२२ द्वारा अनुसूचित है।
- ५०० मीटर की परिधि में रिक्त खदान — कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जगदलपुर, जिला—बलार के इापन दस्तावेज़ १००—वी / खनिज / ख.लि.३ / रेत खदान / २०२२ जगदलपुर, दिनांक ०९ / ०२ / २०२२ द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान से ५०० मीटर की परिधि में कोई भी सरकंजनिक होते जैसे चट्टीय राजमार्ग, रस्त्यमार्ग, पुल, बांध, स्पूल, अवफलाल, गढ़िर, गरिजाद, गुरुद्वारा, मकान एवं एनीकट आदि प्रतिष्ठित होते निमित नहीं हैं।
- २०० मीटर की परिधि में रिक्त सार्वजनिक होते / सारंचनाएँ — कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जगदलपुर, जिला—बलार के इापन दस्तावेज़ १००—वी / खनिज / ख.लि.३ / रेत खदान / २०२२ जगदलपुर, दिनांक ०९ / ०२ / २०२२ द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान के २०० मीटर की परिधि में कोई भी सरकंजनिक होते जैसे चट्टीय राजमार्ग, रस्त्यमार्ग, पुल, बांध, स्पूल, अवफलाल, गढ़िर, गरिजाद, गुरुद्वारा, मकान एवं एनीकट आदि प्रतिष्ठित होते निमित नहीं हैं।
- एल.ओ.आई. का विवरण — एल.ओ.आई. भी सुरक्षा परामिती के नाम पर है, जो कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जगदलपुर, जिला—बलार के इापन दस्तावेज़ ३०३७ / खनिज / ख.लि.३ / रिक्ती अंकितान्वित / २०२२ जगदलपुर, दिनांक १४ / ०१ / २०२२ द्वारा जारी की गई, जिसकी अवधि ८ माह होतु रही है।
- बन विनाय का अनापदित प्रमाण पत्र — कार्यालय उप बनमण्डलाधिकारी, जगदलपुर उप बनमण्डल, जगदलपुर के इापन दस्तावेज़ / १५१४ जगदलपुर, दिनांक २३ / ०६ / २०२२ से जारी अनापदित प्रमाण पत्र अनुसार अनापदित छेत्र बन होते ही सीमा से २.८ कि.मी. दूर है। समिति का नाम है कि कार्यालय बनमण्डलाधिकारी द्वारा तीज होते से गिरफ्तारन बन होते ही कालायिक दूरी का उल्लेख करते हुये अनापदित प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
- डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट — वर्ष २०१९ की डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रती प्रस्तुत की गई है।
- चहल्बपूर्ण सारंचनाओं की दूरी — निकटाम आवादी दाम—दलनार १ कि.मी., चहल्बपूर्ण दाम—दलनार १ कि.मी. एवं अस्पताल दाम—सजाकम्ह ५ कि.मी. की दूरी पर स्थित है। चट्टीय राजमार्ग ६ कि.मी. एवं राजमार्ग ४२ कि.मी. दूर है। स्टीक्स रेत खदान के १ कि.मी. की दूरी तक एनीकट / पुल निघल नहीं है।
- पारिस्थितिकीय / पौधविविधता संवेदनशील होते — परियोजना प्रस्तावक द्वारा १० कि.मी. की परिधि में अलरीज्यीय सीमा, चट्टीय उद्धान, अभयास्थ, कोन्फ्रीय प्रदूषण निवारण कोड द्वारा प्रोत्तिष्ठित लिटिकली पील्युटेक एंजिन, पारिस्थितिकीय

संवेदनस्तीति लोक का सौमित्र जीवनिकिया होता सिवाय नहीं होना प्रतिक्रिया किया है।

12. खनन स्थल पर नदी के घाट की चौड़ाई एवं खदान की नदी तट से दूरी – आवेदन अनुसार खनन स्थल पर नदी के घाट की चौड़ाई – अधिकातम 128 मीटर, न्यूनातम 110 मीटर तथा खनन स्थल की औसत लंबाई 385 मीटर एवं खनन स्थल की चौड़ाई – अधिकातम 62 मीटर, न्यूनातम 20 मीटर दर्शाई गई है। खदान की नदी तट की छिनारे से दूरी न्यूनातम 20 मीटर है।
13. खदान स्थल पर रेत की चौड़ाई – आवेदन अनुसार स्थल पर रेत की वाहराई – 3 मीटर तथा ऐत खगन की प्रस्तावित गहराई – 2 मीटर दर्शाई गई है। अनुमोदित माईनिंग इकान अनुसार खदान में बहुमैवल ऐत की गति – 32,000 घनमीटर है। ऐत उत्थनन हेतु प्रस्तावित स्थल पर वाहनान में उपलब्ध रेत सतह की चौड़ाई जानने के लिए, प्रस्तावित स्थल पर 3 गहराई (Pore) खोदकर उपरकी वास्तविक गहराई का ज्ञान कर, खनिंग कियाग तो प्रस्तावित वाहनकारी इसका प्रस्तुत की गई है। इसके अनुसार ऐत की उपलब्ध औसत गहराई 2.5 मीटर है। रेत की वास्तविक गहराई हेतु पंचनामा प्रस्तुत किया गया है।
14. खदान लोक में रेत सतह के लेवल्स – रेत उत्थनन हेतु 25 मीटर तुमा 25 मीटर के लिए बिन्दुओं पर दिनांक 09/02/2022 को ऐत सतह के ऊंचान लेवल्स (Levels) लेकर उन्हें जानिय कियाग से प्रभावीकरण उपरांत फोटोग्राफ़ा शहित जानकारी/दस्तावेज़ प्रस्तुत किये गये हैं।
15. परियोजना प्रस्तावक द्वारा सीईआर (Corporate Environment Responsibility) हेतु समिति के सम्बन्ध में खारी उपरांत कियानुसार विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है—

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
11.83	2%	0.23	Following activities at nearby Village-Talnar	
			Pavitra Van	5.98
			Total	5.98

16. सीईआर के अंतर्गत "परिवर्त वर्क" की तहत (अंडिला, बह लीफल, लीम, आग, अर्जुन, रेल आदि) वृक्षारोपण हेतु प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार 1,500 नग पीठों के लिए राशि 30,000 रुपये, फैसिंग के लिए राशि 1,50,000 रुपये, खाद के लिए राशि 11,250 रुपये, सिवाई तथा सख-सखाव आदि के लिए राशि 2,34,000 रुपये, इस प्रकार प्रथम वर्ष में कुल राशि 4,25,450 रुपये तथा द्वितीय वर्ष में खाद, सिवाई एवं सख-सखाव हेतु कुल राशि 1,58,540 रुपये हेतु पटकवार व्यव तथा विवरण प्रस्तुत किया गया है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा यात्रा पैदाकल के सहमति उपरांत व्यवायीक्य तथा ज्ञानांक 630, शोधकल 1.57 डॉक्टरर के संबंध में जानकारी प्रस्तुत की गई है।
17. वृक्षारोपण कार्य – वृक्षारोपण (नदी तट एवं घटुथ मार्ग पर कुल 70 नग पीठों) हेतु प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार पीठों के लिए राशि 2,520 रुपये, फैसिंग के लिए

राशि 1,50,000 रुपये, बाद के लिए राशि 540 रुपये, सिवाई तथा रक्ष-रक्षाय के लिए राशि 1,72,000 रुपये, इस प्रकार कुल राशि 3,25,060 रुपये प्रत्यम बार में एवं कुल राशि 3,04,840 रुपये आगामी 2 बार होते घटकानन द्वारा का लिखित प्रस्तुत किया गया है। याक ही समिति यह मत है कि नदी के पाट में तुड़ारीपन जिसे जाने की दशा में बाहु भी सीमा (Flood Level) को द्वारा मैं रखते हुये नदी के किनारे तुड़ारीपन (River Bank) किया जाए।

18. समिति यह मत है कि सीईआर एवं तुड़ारीपन कार्य के नीनिटिंग एवं पर्यावरण हेतु डि-लदवारीय समिति (डोकराईटर/प्रतिभिति), यात्रा व्यापार के वदाधिकारी/प्रतिभिति एवं जिला चालासन या उत्तीर्णगढ़ पर्यावरण संबंधी के वदाधिकारी/प्रतिभिति नहिं किया जाना आवश्यक है। साथ ही सीईआर एवं तुड़ारीपन यह कार्य मूले किये जाने को उपरांत गठित डि-लदवारीय समिति से सत्याग्रह यात्रा जाना आवश्यक है।
19. ऐसे सत्याग्रह मेंनुजल विधि से एवं भर्ती का बर्बाद होतर हारा कराया जाना प्रत्यावृत्त है।
20. परियोजना प्रस्तावक हारा 2 ग्रीटर की गहराई तक उत्थान की अनुमति मार्गी है। अनुमोदित उत्थान में यात्रा यात्रे की वार्षिक रेत उन्मत्तरण संबंधी अव्ययन कार्य एवं तत्संबंधी आकड़ों का समावेश नहीं किया गया है। अतः यहां की लोकों में जानकारी प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

समिति हारा तत्थान्य सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था—

1. यन्मयकलाधिकारी हारा खदान से बन होते ही वार्षिक दूरी का उत्थान करनी हुये अन्यायित प्रयान पत्र प्रस्तुत किया जाए।
2. उत्थान योजना में उत्थान किए जाने वाले होते ही वार्षिक रेत पुनःभरण संबंधी उव्ययन कार्य एवं तत्संबंधी आकड़ों का समावेश नहीं किया गया है। अतः यहां की लोकों में जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किया जाए।

उपरोक्त विधियां यानकारी/दस्तावेज प्राप्त होने उपरांत आगामी कार्यवाही की जाएंगी।

एन्नुकार एसईएसी, उत्तीर्णगढ़ से ज्ञापन दिनांक 11/07/2022 को परिषेक में परियोजना प्रस्तावक हारा यानकारी/दस्तावेज दिनांक 13/10/2022 से प्रस्तुत किया गया है।

(ब) समिति की 428वीं बैठक दिनांक 17/10/2022:

समिति हारा नक्ती प्रस्तुत यानकारी का अवलोकन एवं विश्लेषण करने पर निम्न विधि पाई गई—

1. कार्यालय बन मन्दसाधिकारी, बनमान्डल बसार, जायदलनुर के ज्ञापन फॉर्म/कॉर्ट एवं लाइसेंस लाइसेंस दिनांक 10/10/2022 से यारी प्रसाप पत्र अनुसार जारीदित होते बन होते ही सीमा से 2.8 किमी की दूरी पर है।
2. प्रस्तुत यानकारी अनुसार परियोजना प्रस्तावक का बहुत है कि उत्थान लियाग हारा उत्थान योजना में उत्थान किए जाने वाले होते ही वार्षिक रेत पुनःभरण संबंधी उव्ययन कार्य एवं तत्संबंधी आकड़ों का समावेश कि यानकारी उत्थान लियाग हारा नहीं किया गया है। अतः यह भी वार्षिक रेत पुनःभरण संबंधी उव्ययन कार्य एवं तत्संबंधी आकड़ों का समावेश उत्थान लियाग हारा किये जाने उपरांत उत्थानी प्रति प्रश्नात की जाएंगी।

- एलओआई. भी सुरक्षा प्रस्ताविती के नाम पर है, जो कार्यालय कलेक्टर (वनियोगी) जगदलपुर जिला-बस्तर के इमान इन्हें 3037 / वनियोगी / वनियोगी / विवरण (वनियोगी) / 2022 जगदलपुर, दिनांक 14/01/2022 द्वारा जारी की गई, जिसकी अवधि 6 माह हेतु थी थी। अल एलओआई. की कैफला सुनिश्चित संकीर्ण दस्तावेज प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
- समिति का नाम है कि सीईआर. एवं सूक्षारोपण कार्य की विभिन्नित एवं पर्याप्तता हेतु विद्युत-साधनीय समिति (प्रोप्रोटाइप/इतिनिधि), जाम पंचायत के विद्युतिकारी/प्रतिनिधि एवं जिला प्रशासन का उत्तीर्णकाड़ विद्युतिकारी/प्रतिनिधि) विभिन्न जाना जानवरक है। साथ ही सीईआर. एवं सूक्षारोपण का कार्य पूर्ण रूप से जाने के उपरांत गठित विद्युत-साधनीय समिति से विद्युतिकारी करनावा जाना आवश्यक है।
- ऐसा उत्तराखण मैन्युअल विधि से एवं भरती का कार्य लोडर द्वारा कराका जाना प्रस्तावित है। समिति का नाम है कि लोडर जैसे यंत्र भारी वज्र की कंपी के हैं। अल भरती का कार्य मैन्युअल विधि से करार्य जाते।
- परियोजना प्रस्तावक द्वारा 2 मीटर की गहराई तक उत्तराखण की अनुमति मारी है। अनुमतित उत्तराखण जौजाना में उत्तराखण लिए जाने याते क्षेत्र की विविध रेत पूर्वभरण संख्यी अवधारण कार्य एवं उत्तराखणी आंकड़ों का जानकारी नहीं किया गया है। भवकर्ती जैसी छोटी नदी है तथा इसमें वर्षकाल में सामान्यता। मीटर गहराई से अधिक रेत का पुनर्भवान होने की चिन्हाओंना है।

समिति द्वारा विचार विभार्ता संपर्कात् सर्वसम्मति से विभान्ननुवार विनीय किया गया—

- आवेदित खदान (याम-टस्टर) का लम्बाई 1.6 हेक्टेयर है। खदान की ऊंचा 500 मीटर की परिधि में विद्युत-साधनीय खदानों का कुल क्षेत्रफल 5 हेक्टेयर या उत्तराखण कम होने के कारण यह खदान दो-2 क्षेत्रों की भाँती नहीं।
- सूक्षारोपण कार्य — सूक्षारोपण (नदी तट एवं घटुंड भाग पर कुल 70 नद फैली) हेतु प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार पौरी के लिए राशि 2,520 लक्षरुपयोगी क्षेत्रिक के लिए राशि 1,50,000 लक्षरुपयोगी, जाव के लिए राशि 640 लक्षरुपयोगी, सीधाई तथा रख-रखाय के लिए राशि 1,72,000 लक्षरुपयोगी, इस इकान कुल राशि 3,25,060 लक्षरुपयोगी प्रधान वर्ष में इस कुल राशि 3,04,640 लक्षरुपयोगी आगामी 2 वर्ष हेतु यत्कल्पार व्यव का विवरण प्रस्तुत किया गया है।
- परियोजना प्रस्तावक रेत खदान क्षेत्र में आगामी 1.5 वर्ष में विस्तृत गार अध्ययन (Siltation Study) करायेगा, ताकि ऐसा के पुनर्भव (Replenishment) वाचत् जाही आंकड़े, ऐसा उत्तराखण का नदी, नदीताल, ज्यानीय वर्गसम्मति, जहां एवं सूख जीवों पर इमार तथा नदी के पानी की गुणवत्ता पर ऐसा उत्तराखण के प्रभाव की जाही ज्ञानकारी ज्ञान ही सके।

4. लीज क्षेत्र की सतह का बेसलाईन ढाटा —

- ऐसा उत्तराखण प्रारंभ जाने के दूरी उपरोक्तानुवार विनीयित विक विन्दुओं पर नदी में ऐसा की सतह के लाई (Levels) का सर्व घर, जोके आंकड़े उत्तराखण एसडीआई.ए.ए., उत्तीर्णकाड़ की प्रस्तुत किये जाते।
- पोर्ट-मानसून (अक्टूबर/नवम्बर माह में ऐसा उत्तराखण प्रारंभ जाने की पूर्वी) इनी विक विन्दुओं में माहीनेन लीज क्षेत्र तथा लीज शैव के अपलूप्तीन एवं

काठनस्ट्रीम में 100 मीटर तक तथा खनन लैंज के बाहर / नदी टट (दोनों ओर) से 100 मीटर तक के होश में नदी चालह के लारी (Levee) पर सर्व पूर्व नियांसित डिक बिन्दुओं पर किया जायेगा।

- iii. इनी प्रयत्न ऐत चालन उपर्युक्त मानसून के पूर्व (जहाँ गहर के अधिम सप्ताह/जून के प्रथम सप्ताह) इन्हीं डिक बिन्दुओं पर ऐत चालह के लेवल्स (Levee) का मापन किया जाएगा।
- iv. ऐत चालह के पूर्व नियांसित डिक बिन्दुओं पर ऐत चालह के लेवल्स (Levee) का मापन का कार्य आगामी 3 बर्ष तक नियांत्र किया जाएगा। पोर्ट-चनसून के अंतर्गत दिसम्बर 2022, 2023, 2024 एवं प्री-मानसून के अंतर्गत अगस्त 2022, 2023, 2024 तक अग्रिमार्थ रुप से एसडीआईएस उत्तीसगढ़ की इस्तुत विन्द जायेगी।
5. समिति द्वारा विचार कियी उपर्युक्त सर्वसम्मिति से मेसामी टलनार सौण्ड नदीन (प्रौ. - श्री लुरेज परतार्गिरी), पार्ट ऑफ खारा रुमांक 1079, चाम-टलनार, ताहसील-बड़ावण्ड, जिला-बस्तर, कुल लैंज सेवकल 1.6 हेक्टेयर के कुल 60 सेवकल लैंजकल में ही ऐत चालन अधिकातम 0.5 मीटर की गहराई तक सीमित रखते हुए, कुल 8,000 पनमीटर प्रतिवर्ष ऐत चालन हेतु पर्यावरणीय स्थीरता, जारी दिनांक से 02 वर्ष तक की अवधि हेतु दिये जाने की अनुमति दी गई। रेत की लुदाई अभियां द्वारा (Manually) की जाएगी। रिवर बेड (River Bed) में भारी गाहनी का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा। लैंज क्षेत्र में लिया ऐत लुदाई नहर (Excavation pits) से सोकिन प्यार्ट तक ऐत का परिवहन ट्रैक्टर ट्रैक्सी द्वारा किया जाएगा।
6. एसडीआई की फैलत वृद्धि अवधि दसतावेज प्राप्त रुप से एसडीआईएस उत्तीसगढ़ में प्रस्तुत किया जाए।
7. सहायीयत सौण्ड गाइडलाइन्स, 2016 (Sustainable Sand Mining Management Guidelines 2016) एवं इन्होंसंगेट एण्ड मॉनिटरिंग गाइडलाइन्स एंड सौण्ड गाइडलिंग, 2020 (Enforcement & Monitoring Guidelines for Sand Mining) के अनुसार पालन गुणित्वत किया जाए।
8. इन्होंसंगेट एण्ड मॉनिटरिंग गाइडलाइन्स एंड सौण्ड गाइडलिंग, 2020 (Enforcement & Monitoring Guidelines for Sand Mining) के तले 60 प्रतिशत क्षेत्र में ही उत्तेजना कार्य किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

प्राविकरण द्वारा बैठक में विचार – उपर्युक्त प्रयत्न पर प्राविकरण द्वारा दिनांक 06/12/2022 को संघर्ष 134मी बैठक में विचार किया गया। प्राविकरण द्वारा नसी या अवलोकन किया गया। प्राविकरण द्वारा नोट किया गया कि एसडीआई, की फैलत वृद्धि संचालनालय, भीमियां तथा खणिकां, या रायपुर अठल नगर के ज्ञापन रुमांक 5927/सभि 02/ऐत(Rule 7)/नक्क. 38/1998 नवा चायपुर अठल नगर दिनांक 31/10/2022 द्वारा जारी की गई, विसकी फैलत 1 कर्म (अधिक दिनांक 12/01/2023) की अवधि हेतु दिय है।

प्राविकरण द्वारा विचार किया उपर्युक्त सर्वसम्मिति से समिति की अनुमति को अनुहाल करनीकार करते हुए नेतरी टलनार सौण्ड नदीन (प्रौ. - श्री लुरेज परतार्गिरी), पार्ट ऑफ खारा रुमांक 1079, चाम-टलनार, ताहसील-बड़ावण्ड, जिला-बस्तर, कुल लैंज सेवकल 1.6 हेक्टेयर के क्षेत्र 60 प्रतिशत सेवकल में ही ऐत चालन अधिकातम 0.5 मीटर की गहराई तक सीमित रखते हुए, कुल 8,000 पनमीटर प्रतिवर्ष ऐत चालन

हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति, जारी दिनांक नी 02 वर्ष तक की अवधि हेतु जलीगिका शर्त “जबीं तट पर किये जाने वाले वृक्षारोपण एवं सीईआर के तहत किये जाने वाले वृक्षारोपण की जानकारी जियोटेग (Geo-tag) फोटोडाक्टल सहित अविभागिक रिपोर्ट में समाहित करते हुये प्रस्तुत किया जाए।” के अधीन किये जाने वाले विषय किया गया। साथ ही समिलि द्वारा निहित किये गये उल्लीकरण का पालन सुनिश्चित किया जाए। पालन वही किये जाने वाली विधि में विशेषज्ञ वैज्ञानिक कार्यकारी की जाएगी। परियोजना प्रस्तावक को सामान्य पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किया जाए।

7. नेपाली भाटपाल सोष्ठ माईन (प्रो.- श्री शुभ कुमार निषाद), पात्र-भाटपाल, तहसील व ज़िला-नारायणपुर (साखिनालय का नमी छमांक 1899)

अनिसाईन आयेदन - प्रयोगल नम्बर - एसआईए/ श्रीजी/ एमआईए/ 248414/ 2021, दिनांक 31/ 12/ 2021 द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आयेदन किया गया है।

उत्तराय का विवरण - यह प्रस्तावित रेत खदान (खाने खाना) है। यह खदान प्राप्त-भाटपाल, तहसील व ज़िला-नारायणपुर नियत लक्ष्य क्रमांक 681, कुल क्षेत्रफल - 4.9 हेक्टेयर में प्रस्तावित है। उत्तराय उत्तरीदेश नदी से किया जाना प्रत्याशित है। खदान की अवधिकारी उत्तरायन नामा - 38,000 मीट्रिक्टन प्रतिवर्ष है।

उन्नुसार परियोजना प्रस्तावक को एसईएसी, उत्तरीसागर के झापन दिनांक 12/ 04/ 2022 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

वैश्यों का विवरण -

(अ) समिति की 40वीं बैठक दिनांक 20/ 04/ 2022:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री शुभ कुमार निषाद, प्रीपराईटर एवं श्री सीमेश्वर सिन्हा, खानी नियोजक उपसिद्धि हुए। समिति द्वारा नली, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न निष्ठियाँ पाई गईं-

- पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण - इस खदान को पूर्व में पर्यावरणीय स्वीकृति जारी नहीं की गई है।
- पात्र वंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र - रेत उत्तरायन के संबंध में जाम पंचायत भाटपाल का दिनांक 21/ 02/ 2021 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
- विनाकित/सीमांकित - कार्यालय कलेक्टर, खनिज शास्त्री व प्राची प्रमाण पत्र उन्नुसार यह खदान विनाकित/सीमांकित कर दी गयी है।
- उत्तरायन वोजना - जारी पत्रान प्रस्तुत किया गया है, जो खानी अधिकारी, ज़िला-उत्तर बलार कांकेर के झापन क्रमांक 900/खनिज/उत्तर वोजन/रेत/2021-22 कांकेर, दिनांक 07/ 12/ 2021 द्वारा अनुमोदित है।
- 500 मीटर की परिधि में विष्वत खदान - कार्यालय कलेक्टर (खनिज शास्त्री), ज़िला-नारायणपुर के झापन क्रमांक 452/खनिज/रेत खदान/ख.लि./2021-22 नारायणपुर दिनांक 25/ 11/ 2021 के अनुसार अवैदित खदान से 500 मीटर की परिधि विष्वत खदानों की संख्या निर्दित है।
- 200 मीटर की परिधि में विष्वत सार्वजनिक शौच/सरिचनाथ - कार्यालय कलेक्टर (खनिज शास्त्री), ज़िला-नारायणपुर के झापन क्रमांक 453/खनिज/रेत

खाद्यान / ख.लि./ 2021-22 नातायनपुर, दिनांक 23/11/2021 हारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खाद्यान के 200 मीटर और परिषिय में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र यौसे राष्ट्रीय राजमार्ग, राजमार्ग, चुल, बांध, रस्ता, अस्पताल, मंदिर, बैंगिय, गुलबारा, परवाट आदि प्रतिवर्षित क्षेत्र निश्चित नहीं हैं।

7. एन.ओ.आई. का विवरण – एन.ओ.आई. भी चुक अनुसार निश्चाद के नाम पर है जो कार्यालय कलेक्टर (खनिज जाया), जिला-नातायनपुर के आपन क्रमांक 392/खनिज/ख.लि./रेत नीतानी/2021-22 नातायनपुर, दिनांक 30/10/2021 हारा जारी की गई, जिसकी अवधि 6 माह है तथा ऐप है।
8. बन खिमान का अनापत्ति प्रमाण पत्र – कार्यालय बनमप्पल्लियारी, नातायनपुर बनमप्पल्ल, जिला-नातायनपुर के आपन क्रमांक/ख.लि./2449 नातायनपुर, दिनांक 23/05/2021 से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र अनुसार आवेदित क्षेत्र बन खिमान की सीमा से 2 किमी. की दूरी पर है।
9. डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट – वर्ष 2019 की डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।
10. भहत्यवृणी सारचनाओं की दूरी – निकटतम आडाई प्राम-खाइगाँव 1.52 किमी., रकुल प्राम-आटपाल 2 किमी. एवं असपताल नातायनपुर 25 किमी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 124 मीटर एवं राजमार्ग 1339 किमी. दूर है।
11. पारिसिधानिकीय/सौविविकाला संवेदनशील क्षेत्र – परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 किमी. की परिणीति में अतर्हत्यक्षीय सीमा, राष्ट्रीय रादान, अभ्यासण्य, फैन्टीय प्रदूषण निवारण बोर्ड हारा योगित डिटिकली बैल्युएश एरिया, पारिसिधानिकीय संवेदनशील क्षेत्र या योगित सौविविकाला क्षेत्र निश्चित नहीं होना प्रतीयादित किया गया है।
12. खनन स्थल पर नदी के पाट की छोड़ाई एवं खाद्यान की नदी तट से दूरी – आवेदन अनुसार खनन स्थल पर नदी के पाट की छोड़ाई – अधिकतम 30 मीटर, अनुसार 60 मीटर तथा खनन स्थल की छोड़ाई लंबाई – 1,150 मीटर एवं खनन स्थल की छोड़ाई – अधिकतम 34 मीटर, अनुसार 30 मीटर चाहाई गई है। खाद्यान नदी तट के बिनारे से अनुसार 10 मीटर है।
13. खाद्यान बन्धल पर रेत की भौटाई – आवेदन अनुसार बन्धल पर रेत की गहराई – 2 मीटर तथा रेत खनन की प्रस्तावित चाहाई – 2 मीटर चाहाई गई है। अनुगोदित भार्टिनिय प्लान अनुसार खाद्यान में भार्टिनेशल रेत की मात्रा – 98,000 घनमीटर है। ऐसे उत्तरानन हैं तथा प्रस्तावित बन्धल पर बर्ताव में उपलब्ध रेत तात्कालीन नोटाई जानने के लिए प्रस्तावित बन्धल पर 6 गडडे (Pits) सौदकर उपस्थित वास्तविक चाहाई का जापन कर, खनिज डिभाग से इमारित जानकारी प्रस्तुत की गई है। इसके अनुसार रेत की उपलब्ध भौताई चाहाई 3 मीटर है। रेत की वास्तविक चाहाई है उपलब्ध जानकारी प्रस्तुत किया गया है।
14. खाद्यान क्षेत्र में रेत साठह के लेवल्स – रेत उत्तरानन हैं प्रस्तावित बन्धल एवं उपलब्धिक बन्धल के अपर्स्टीम तथा जातनस्ट्रीम में 100 मीटर की दूरी तक, 25 मीटर दूना 25 मीटर का यिन बनाकर, बर्ताव में रेत साठह के लेवल्स (Leveles) लेकर इन मैप में प्रदर्शित कर प्रस्तुत किये जाये। इसके अतिरिक्त खनन दीज की बाहर / नदी तट (दोनों ओर) से 100 मीटर तक के क्षेत्र में नदी साठह के रसायी (Levees) का भी सर्व विना जाये। उक्त लेवल्स (Levees) हैं तथा कम से कम 2

टैम्पररी बेच मार्क (Concreted TBM structure) नियंत्रित किये जाते हैं। टैम्पररी बेच मार्क (TBM) में आरएल. को-ऑर्डिनेट्स (Co-ordinates) अविना किये जाते हैं। शिफ्ट मैप में टैम्पररी बेच मार्क (TBM) को भी दर्शाकर, उन्हें खानिज विभाग से प्रमाणीकरण उपलब्ध प्रोटोकॉल सहित जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

15. कॉर्पोरेट एरियल राष्ट्रिय दायित्व (C.E.R.) — परियोजना प्रस्तावक द्वारा भी ही आर (Corporate Environmental Responsibility) के लालू पाम—भाटपाल के खसरा इन्हें 301, लॉकफल 4.3 हेक्टेयर जी वन भूमि (वन कड़ा क्रमांक—३२३१६) के अंतर्गत है। भीहार कार्ब के लिए गैर वन भूमि में दृष्टांतीय एवं रख—रखाव जल प्रस्तुत प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है। याथ ही समिति का मत है कि नदी के पाट में युक्तांतीय किये जाने वाले दस्ता में बाढ़ की सीमा (Flood level) को व्यान में रखते हुये नदी के विनाम युक्तांतीय (River Bank) किया जाना आवश्यक है।

समिति द्वारा तात्समय सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था:-

१. ऐसा उत्तरानन हेतु प्रस्तावित स्थल एवं प्रस्तावित स्थल के अपमद्वीप तथा जातनामद्वीप में 100 मीटर की दूरी तक, 25 मीटर गुणा 25 मीटर का शिफ्ट बनाकर, बर्तावान में ऐसा सतह के लेवल्स (Leveles) लेवल शिफ्ट मैप में प्रदर्शित कर प्रस्तुत किये जायें। इसके अतिरिक्त छन्न लीज के बाहर / नदी तट (ठोनो ओर) से 100 मीटर तक के द्वारा नदी सतह के सतर्क (Levelets) का भी सारी किया जायें। उक्त लेवल्स (Leveles) हेतु जल से कम 2 टैम्पररी बेच मार्क (Concreted TBM structure) नियंत्रित किये जायें। टैम्पररी बेच मार्क (TBM) में आरएल. को-ऑर्डिनेट्स (Co-ordinates) अविना किये जायें। शिफ्ट मैप में टैम्पररी बेच मार्क (TBM) को भी दर्शाकर, उन्हें खानिज विभाग से प्रमाणीकरण उपलब्ध प्रोटोकॉल सहित जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किये जायें।
२. भीहार (Corporate Environmental Responsibility) के लालू गैर वन भूमि के युक्तांतीय एवं रख—रखाव का विनाम प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए। याथ ही नदी के पाट में युक्तांतीय किये जाने की दस्ता में बाढ़ की सीमा (Flood level) को व्यान में रखते हुये नदी के विनाम युक्तांतीय (River Bank) हेतु प्रस्तुत प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए।

उपरोक्त समस्त पूर्ण जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किये जाने उपरांत आगामी कार्यवाही की जाएगी।

तदानुसार एसईटीसी—छलीगढ़ के ज्ञापन दिनांक ०३/०६/२०२२ के परियोग में परियोजना प्रस्तावक द्वारा जानकारी/दस्तावेज दिनांक १२/०७/२०२२ को प्रस्तुत किया जाया है।

(ब) समिति की ४१७वीं बैठक दिनांक २५/०७/२०२२:

समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अध्यलेखन एवं परीक्षण करने पर मिन विभाग नस्ती नहीं-

१. ऐसा उत्तरानन हेतु प्रस्तावित स्थल एवं प्रस्तावित स्थल के चारों तरफ में 100 मीटर की दूरी तक, 25 मीटर गुणा 25 मीटर का शिफ्ट विनामी पर दिनांक २८/१२/२०२१ को ऐसा सतह के बर्तावान लेवल्स (Leveles) लेवल, उन्हें खानिज विभाग से प्रमाणीकरण उपलब्ध कोटोकाप्ति सहित जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किये गये हैं।

2. परियोजना प्रस्तावक द्वारा सीईआर (Corporate Environment Responsibility) हेतु समिति के सम्मानित तथा नवीन प्रस्ताव निम्नानुसार प्रस्तुत किया गया है:-

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
Following activities at, Village-Bhatpal				
20	2%	0.40	Pavitra Van Nirman	9.57
			Total	9.57

सीईआर की अलगी बीमांत्रिक बन निर्माण के लक्ष्य (अधिकारी, बड़ा पीपल, नीम, धान, अर्जुन, घेंड आदि) शूलकरोक्ति हेतु प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार 800 नए पीपलों के लिए राशि 28,800 रुपये, चेसिंग के लिए राशि 60,500 रुपये, खाद के लिए राशि 6,000 रुपये, लिंगार्थ लक्ष्य रक्षा-रक्षाव के लिए राशि 2,08,000 रुपये, इस प्रवाह प्रधान दर्ता में बुल राशि 3,03,300 रुपये तथा आवासी 4 वर्ष में बुल राशि 6,53,920 रुपये हेतु घटकराह व्यवहार का विवरण प्रस्तुत किया गया है। सीईआर के लक्ष्य बीमांत्रिक बन हेतु धान पेचावत भाटपाल के बाहरी उपरान्त व्यायामी रखान (बरात इनाम 237, क्षेत्रफल 2.61 हेक्टेक्टर में से 0.4 हेक्टेक्टर) के संबंध में जानकारी प्रस्तुत की गई है।

3. ऐसा उत्तराधिकारी नियम से एवं असाई का कार्य लोकोक्त द्वारा जाना प्रस्तुतित है।
4. परियोजना प्रस्तावक द्वारा 2 गीटर की गहराई तक उत्तराधिकारी अनुगति दर्ता है। अनुगोषित उत्तराधिकारी नियम से उत्तराधिकारी नियम जाने वाले होने की पार्थिक ऐसा व्यवस्थापन साक्षी अध्यक्ष कार्य एवं उत्तराधिकारी अंकड़ों का समावेश नहीं किया जाता है। उत्तराधिकारी नहीं छोटी नहीं है तथा इसमें उत्तराधिकारी में सामान्यतः 1 गीटर नहराई से अधिक ऐसे का पुनर्व्यवहार होने की संभावना है।
5. व्यायामीलय उत्तराधिकारी (उत्तराधिकारी शाखा), जिला—नारायणपुर दिनांक 30 / 10 / 2021 द्वारा जारी की गई, जिसकी उत्तराधिकारी नियमि 6 गाह हेतु फैसला दिया गया है। आइ परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत एलओआई की जिला नामामा हो गई है। समिति का मत है कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा एलओआई जैलता वृद्धि साक्षी जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

समिति द्वारा उत्तराधिकारी सार्वसम्मति से निम्नानुसार गिर्वाय किया गया था:-

1. एलओआई जैलता वृद्धि साक्षी जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत जाए।
2. परियोजना प्रस्तावक द्वारा इस आकार का वचन यज्ञ प्रस्तुत किया जाए कि उसके विलक्ष्य इस परियोजना/शाखान से सावधित कोई न्यायालीग प्रकरण देश के उत्तराधिकारी नियमी भी न्यायालय में लाइन नहीं है।
3. परियोजना प्रस्तावक द्वारा इस आकार का नोटरी से सत्यापित शाखा यज्ञ प्रस्तुत किया जाए कि उसके विलक्ष्य भारत सरकार, पर्यावरण, उन और जलशाय

परियोजना नियालय की अधिसूचना कानू. 804(अ), दिनांक 14/03/2017 के अंतर्गत कोई उल्लंघन का प्रकरण लिखित नहीं है।

उपरोक्त वाईफ़िल जानकारी/दस्तावेज़ प्राप्त होने सम्बन्ध में आवामी कार्यपाली की जाह्हीरी।

एदम्बुजार एम्बु.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 08/09/2022 के परियोजना प्रस्तावक द्वारा जानकारी/दस्तावेज़ दिनांक 13/10/2022 को प्रस्तुत किया गया है।

(ब) लिखित की 42वीं बैठक दिनांक 17/10/2022:

समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न लिखित पाई गई:-

1. एस.ओ.आई. की खिला फुटे राष्ट्रीय नियालय नीतिकी तथा उनिकर्म, नवा राष्ट्रीय अटल नगर के पु. ज्ञापन नम्बर 2731/खानि 02/रेत(कलर), न.क. 38/1926 नवा राष्ट्रीय अटल नगर, दिनांक 20/06/2022 द्वारा जारी की गई, जिसकी खिला दिनांक 28/10/2022 तक है।
2. परियोजना प्रस्तावक द्वारा इस आशय का संघर्ष पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है कि उनके विरुद्ध इस परियोजना/कानून से संबंधित कोई न्यायालयीन प्रकरण देश के अंतर्गत किसी भी न्यायालय में लिखित नहीं है।
3. परियोजना प्रस्तावक द्वारा इस आशय का नोटरी से संतुष्टित संघर्ष पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है कि उसके विरुद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, या और जलवायु परिवर्तन भेदभाव नीति अधिसूचना कानू. 804(अ), दिनांक 14/03/2017 के अंतर्गत कोई उल्लंघन का इकाया लिखित नहीं है।
4. समिति का मत है कि सीईआर एवं गुजारीपन कार्य की गोपनीयता एवं पर्यावरण ऐनु. डि-सदरकीय समिति (प्रोपरटीटर/इतिनिधि, जाम पंचायत के पदाधिकारी/प्रतिनिधि एवं खिला प्रशासन का छत्तीसगढ़ पर्यावरण संवाद समूह) की पदाधिकारी/प्रतिनिधि) नहिं किया जाना आवश्यक है। साथ ही सीईआर एवं गुजारीपन का कार्य पूरी तरिके जाने के उपरांत गठित डि-सदरकीय समिति से संतुष्टित कराया जाना आवश्यक है।
5. ऐसा उल्लंघन मैन्याल लिखि से एवं गहराई का कार्य लोडर द्वारा कराया जाना प्रस्तुतित है। समिति का मत है कि लोडर द्वारा या भारी याहून की लेणी के हैं। अतः भद्राई का कार्य मैन्याल लिखि से कर्तव्य जाती है।
6. परियोजना प्रस्तावक द्वारा 2 मीटर की गहराई तक उल्लंघन की अनुमति नहीं है। अनुमतिदित उल्लंघन बोरिया में उल्लंघन किए जाने वाले होते ही एक रेत पुनर्भवन संबंधी अवधारण कार्य एवं उल्लंघनी आवाही का सन्दर्भ नहीं किया गया है। होरीबेहा नदी छोटी नदी है तथा इसी वर्षाकाल में सामान्यतः 1 मीटर गहराई से अधिक रेत का पुनर्भव देखने की संभावना है।

समिति द्वारा विवार विमर्श सम्बन्ध समिति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:-

1. आवेदित जानकारी (एन-गोटपाल) का उक्ता 4.0 हेक्टेयर है। जानकारी की सीमा से 500 मीटर की विरिति में स्वीकृत/संचालित जानकारी का कुल शेषांक 5 हेक्टेयर या उससे जाम होने के कारण वह जानकारी 2 क्षेत्री की मानी गयी।

2. बुखारीपान कार्य – उत्तरीयमेहसा के अधार पर नदी तट पर कुल 500 ग्रम लौंग (अर्जुन, जामुन, बरंज, बांस, आम आदि) हेतु प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार लौंग की लिए रक्षि 18,000 लम्बाई, लैसिंग के लिए रक्षि 1,50,000 लम्बाई, खाद की लिए रक्षि 3,750 लम्बाई, मिशाई तथा रक्षा रक्षा के लिए रक्षि 1,72,000 लम्बाई, इस प्रकार इष्टम तर्थ में कुल रक्षि 3,43,750 लम्बाई एवं आनामी 2 तर्थ में कुल रक्षि 3,08,380 लम्बाई हेतु घटकमार खाद का विवरण प्रस्तुत किया जाये।
3. परियोजना प्रस्तावक रेत उत्तरान लौंग में आगामी 1.5 वर्ष में विस्तृत गाढ़ उत्पयन (Expansion Study) करायेगा, ताकि रेत के पुनर्भवण (Replenishment) वाचत् रही आवश्यक रेत उत्तरान का नदी, गटीलाल, लालनीय बनसपाति, लौंग एवं लूहन लौंग जन प्रभाव तथा नदी के बानी वही गुणवत्ता पर रेत उत्तरान के प्रस्ताव की सही जानकारी प्राप्त हो सके।
4. लौंग लौंग की सतह का बेशालाईन छाटा –
- रेत उत्तरान प्राप्त करने के पूर्व उत्तरीजलानुसार निर्धारित गिर विन्दुओं पर नदी में रेत की सतह की ऊंचाई (Levels) का सर्व कार एसवो ओवर्हेड सत्तालाल एसईआईएए, छलीसागढ़ को प्रस्तुत किये जायें।
 - पीस्ट-मानसून (अवस्था/नवन्वर नाह में रेत उत्तरान प्राप्त करने के पूर्व) हन्दी गिर विन्दुओं में माईमिन लौंग लौंग लौंग की अवलूप्ति एवं लालनस्ट्रीम में 100 मीटर तक तथा सानग लौंग के बाहर / नदी तट (दोनों ओर) से 100 मीटर तक की लौंग में नदी सतह की ऊंचाई (Levels) का सर्व पूर्व निर्धारित गिर विन्दुओं पर किया जायेगा।
 - इसी प्रकार रेत उत्तरान उपरांत नानसून के दूरी (ईं गाढ़ के अंतिम सपाह / जून के प्रथम वासाह) हन्दी गिर विन्दुओं पर रेत सतह के लेवल्स (Levels) का नापन किया जाएगा।
 - रेत सतह को एवं निर्धारित गिर विन्दुओं कर रेत सतह के लेवल्स (Levels) को नापन का कार्य आगामी 3 वर्ष तक निरस्तर किया जाएगा। पीस्ट-मानसून के अंतिम दिसम्बर 2022, 2023, 2024 तक और मानसून की आवश्यक अवधि 2022, 2023, 2024 तक अनिवार्य कार से एसईआईएए, छलीसागढ़ को प्रस्तुत किए जायेंगे।
5. नानियि द्वारा विवार विन्दु उपरांत लाईसान्मति से मेसार्स भाटपाल लौंग नाईन (प्रौ.- वी शुक कुमार निषाद), उत्तरा इमांक 581, प्राम-भाटपाल, लाहसील व जिला-नालपणपुर, कुल लौंग लौंगल 4.9 हेक्टेयर के कुल 60 प्रमिला लौंगल में ही रेत उत्तरान अधिकाराम 1 मीटर की लूदाई तक सीमित रक्षी हुए, कुल 49,000 घनमीटर इष्टिवर्षे रेत उत्तरान केतु चर्गावरस्थीय स्थीरिति, जारी दिनांक से 12 वर्ष तक वही अवधि हेतु दिये जाने वही अगुहाता की गई। रेत की लूदाई लौंगियों द्वारा (Manually) की जाएगी। रिवर बेड (River Bed) में भारी वाहनों का उपयोग प्रतिवर्षित रहेंगा। लौंग लौंग में लिखा गेत लूदाई गड्डे (Excavation pits) से लौंगिया पाईट तक रेत का परिवहन ट्रैक्टर ट्रॉली द्वारा किया जाएगा।
6. सस्टेनेबल सेंड नाईमिंग मैनेजमेंट गाईडलाईन्स, 2018 (Sustainable Sand Mining Management Guidelines 2018) एवं इन्फोर्मेंट एंफ नॉनिटरिंग गाईडलाईन्स पौर सेण्ड माईमिंग, 2020 (Enforcement & Monitoring Guidelines for Sand Mining) के अनुसार पालन लूगित्रित किया जाए।

7. ईन्फॉर्मेंट एवं मॉनिटरिंग नाईवलाइन की सेवा पाइपल 2020 (Enforcement & Monitoring Guidelines for Sand Mining) के तहत 60 प्रतिशत केरा में ही उत्खनन कार्य किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार – उपरोक्त प्रकार पर प्राधिकरण की दिनांक 05/12/2022 को संख्या 134वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा नस्ती का अवलोकन किया गया। प्राधिकरण द्वारा विचार किसी उपरांत सार्वसम्मति से विभागनुसार निर्णय किया गया।-

- समिति की अनुसंधान की स्थीरतर करने हुए मेसर्स भाटपाल सेन्टर नाईन (प्रौ.- की गुण कुमार निवाद) खाना क्रमांक 681, गाम-भाटपाल, लहसील व जिला-नारायणपुर, कुल लंबाई क्षेत्रफल 4.9 हेक्टेयर के कुल 60 प्रतिशत क्षेत्रफल में ही ऐत उत्खनन अधिकरण 1 बैठक की गहराई तक सीमित रखते हुए कुल 49,000 पनीटर प्रतिवर्ष ऐत उत्खनन हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति, जारी दिनांक से 02 वर्ष तक की अवधि हेतु अधिकृत तत्त्व नवी लट पर लिये जाने वाले उत्पादक एवं लीहुआट के तहत लिये जाने वाले उत्पादक जी जानकारी लियोटेक (Geotag) औटोपाप्स सेलिन अवधिक रिपोर्ट में सम्मिलित करते हुए प्रस्तुत किया जाए।” के अंदीन दिवं जाने का निर्णय लिया गया।

साथ ही समिति द्वारा निहित किये गये उत्ती का पालन सुनिश्चित किया जाए। चालन नहीं किये जाने की विधि में विधिवान वैज्ञानिक कार्यकारी की जाएगी।

- दलजलोआइ की ऐप्ली गृहि भारती दस्तावेज प्रस्तुत किये जाने के उपरांत ही परियोजना प्रस्तावक को सहार्य पर्यावरणीय स्वीकृति प्रद जारी किया जाए।

परियोजना प्रस्तावक को लदानुसार सूचित किया जाए।

- गेसही गोलाबेकुर आँडिनरी रटीन कारी (प्रौ.- मोहम्मद अब्दुल्ला खान, देव्यहरी परमिट), गाम-गोलाबेकुर, लहसील व जिला-सुकन्धा (साधिकालय का नस्ती क्रमांक 1984)

आँडिनरा आवेदन – दलजल नमार – एसआईए /सीटी /एमआईए /281543/ 2022, दिनांक 13/03/2022 द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन किया गया है।

प्रस्ताव का विवरण – यह प्रस्तावित सामान्य यत्थर (गोप लैनिज) खान है। खान गाम-गोलाबेकुर, लहसील व जिला-सुकन्धा किलत खासा क्रमांक 1136, कुल क्षेत्रफल-1 हेक्टेयर में प्रस्तावित है। खान की आवेदित उत्खनन क्षमता-71,371 टन प्रतिवर्ष है।

लदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एसईएसी, उत्तीकागढ़ के जालन दिनांक 23/06/2022 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठकों का विवरण –

- समिति की 412वीं बैठक दिनांक 28/06/2022:

प्रस्तुतीकरण हेतु की अवीक कुमार निवा, अधिकृत प्रतिविधि उपलिखित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी वा अवलोकन एवं परीक्षण करने पर विष विधि वाई है।

- पूर्व में जारी कर्यावाहकीय स्थीरता की संबंधी विवरणः— इस खदान को पूर्व में पर्यावरणीय स्थीरता की जारी नहीं की गई है।
- खाम पर्यायत का अनापरित प्रमाण पत्र — उत्कर्षन के संबंध में खाम पर्यायत गोलाबंडेशुर का दिनांक 13/05/2020 का अनापरित प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
- उत्कर्षन योजना — जारी प्लान एलीग विवरणसंगेट फैसलेट प्लान विवरणसंगेट कर्तव्य वाले प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो आनि अधिकारी, जिला-हाजिर बलार दोतोवाहा के छापन छमांक 320/खनिज/उत्कर्ष /2021-22 दोतोवाहा, दिनांक 29/01/2022 द्वारा अनुमोदित है।
- 500 बीटर की परिधि में विभिन्न खदान — कार्यालय कलेक्टर (खनिज तात्त्व), विलो-सुकमा के छापन छमांक 431/कलो./खनिज/2022 सुकमा, दिनांक 07/03/2022 के अनुसार आवेदित खदान से 500 बीटर के बीतर अवैधत 1 खदान, बोरकल 1 हेवट्टर है।
- 200 बीटर की परिधि में विभिन्न सार्वजनिक लोअर/संरक्षणाप — कार्यालय कलेक्टर (खनिज तात्त्व), जिला-सुकमा के छापन छमांक 434/कलो./खनिज/2022 सुकमा, दिनांक 07/03/2022 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान से 200 बीटर की परिधि में उक्त भी सार्वजनिक लोअर जीसे नक्साद, भरचट, बोर, रक्कुल, झन्घाल, दौड़ीकर एवं पुल आदि प्रशिवित लोअर निर्मित नहीं हैं।
- मूर्ख एवं एस.ओ.आई. संबंधी विवरण — यह जारीकीय नहीं है। एस.ओ.आई. कार्यालय कलेक्टर (खनिज तात्त्व), जिला-सुकमा के छापन छमांक 384/कलो./खनिज/2021 सुकमा, दिनांक 08/12/2021 द्वारा एस.ओ.आई. जारी की गई, जिसकी अवधि 2 वर्ष होना चाहिए।
- डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट — वर्ष 2019 की डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।
- बन विभाग का अनापरित प्रमाण पत्र — कार्यालय बन मण्डलाधिकारी, सुकमा बनमांडल, जिला-सुकमा के छापन छमांक/वल.अ./3280 सुकमा, दिनांक 15/09/2021 से जारी अनापरित प्रमाण पत्र अनुसार आवेदित हीन बन लोअर के सार्वजीत बन सुकमा परिक्षेत्र के अलगील सुप परिक्षेत्र करेलापाल परिसर बनेतापाल के छमांक पी.एफ. 273 से 7 फि.मी. एवं कार्यर पाठी राष्ट्रीय उदान 95 फि.मी. की दूरी पर विभाग है तथा आवेदित लोअर लोअर में लैटु 4 नम, आल 3 नम, पीलक 3 नम एवं अन्य अनुपयोगी झाकिया है।
- महरवापूर्ण बांधवनालो की दूरी — निकटतम आवादी खाम-गोलाबंडेशुर 1 किमी एवं व्यापुल खाम-गोलाबंडेशुर 1 किमी, जो दूरी पर विभाग है। राष्ट्रीय सड़कार्म 2.8 किमी दूर है। गर्विनर नदी 830 बीटर दूर है।
- पारिस्थितिकीय/जीवविविधता संवेदनशील लोअर — परिक्षेत्रना प्रक्षालक द्वारा 10 फि.मी. की परिधि में राष्ट्रीय उदान, अभयानपूर, केन्द्रीय छहपाँच निवाजप लोअर गोविंद डिटिकली पील्युटेक एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील लोअर या गोविंद जीवविविधता लोअर विभाग नहीं होना प्रतिवेदित किया है।
- खनन संपदा एवं खनन का विवरण — खनिजानिकता विषय 2,41,680 टर, गोविंदपूर रिजर्व 1,41,967 टर एवं निकटवर्ती रिजर्व 1,34,667 टर है। लोअर की

7.5 मीटर चौड़ी तीव्र पट्टी (उत्कर्षन के लिए प्रतिवर्षित लोड) का क्षेत्रफल 2,780 वर्गमीटर है। ओपन कास्ट सेमी ऐक्सनार्टिज्ल लिंगि से उत्कर्षन किया जाएगा। उत्कर्षन की प्रस्तावित अधिकतम गहराई 12 मीटर है। लिंगि से 6 मीटर चाहड़ी लोड है। बेच की दूंघाई 1.5 मीटर एवं चौड़ाई 1.5 मीटर है। छद्मन की प्रस्तावित आयु 2 वर्ष है। तीव्र लोड में क्रांत्र स्थापित किया जाना प्रस्तावित नहीं है। यैक हिन्द से ड्रिसिंग एवं कंट्रोल ब्लॉक्स किया जाएगा। छद्मन में पायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल का विश्वास किया जाएगा। वर्षावार प्रस्तावित उत्कर्षन का विवरण निम्नानुसार है—

बर्ष	प्रस्तावित उत्कर्षन (लन)
प्रत्याम	71,371
द्वितीय	70,616

नोट: लिंगिया में दशनलद के बाद को अलो को रातुखड़ीप किया गया है।

12. जल आपूर्ति – परियोजना हेतु आवश्यक जल की मात्रा 4 लानमीटर प्रतिदिन होगी। जल की आपूर्ति प्राप्त पंचायत द्वारा टैकर के गांवम से किया जाएगा। हरा बालू प्राप्त वंचायत का अनापत्ति प्रमाण बत्र प्रस्तुत किया गया है।
13. पुकारीपण कार्य – तीव्र लोड की तीव्रा में चारों ओर 7.5 मीटर की पट्टी में 695 नम दृक्कारीपण किया जाएगा। प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार पीली के लिए राशि 34,750 रुपये, फैशिल के लिए राशि 82,000 रुपये, खाद के लिए राशि 6,950 रुपये, लिंगाई एवं रख-रखाव आदि के लिए राशि 34,000 रुपये, इस प्रकार कुल राशि 1,57,700 रुपये प्रधान वर्ष हेतु एवं कुल राशि 96,000 रुपये आगामी वार वर्षी हेतु पट्टकार व्यय का विवरण प्रस्तुत किया गया है।
14. छद्मन की 7.5 मीटर की चौड़ी तीव्रा पट्टी में उत्कर्षन – तीव्र लोड के चारों ओर 7.5 मीटर की तीव्रा पट्टी में उत्कर्षन बर्बाद नहीं किया गया है।
15. कॉर्चरिट प्रबोकरणीय दायित्व (C.E.R.) – परियोजना प्रस्तावक द्वारा समिति के लम्बा विलाप से चारों उपरोक्त निम्नानुसार विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है—

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount Required for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
16.82	2%	0.33	Following activities at Nearby Government Middle School, Village-Pujaripara (Golabekur)	
			Potable Drinking Water Facility with 5 year AMC	0.35
			Running Water Facility for Toilets & Kitchen	0.35
			Total	0.70

16. सी.ई.आर. के तहत प्रस्तावित स्थूल के प्राचार्य (Principals) वर्ष सहमति प्रस्तुत किया गया है।

17. कलोनित लौज़ क्षेत्र में हीरू 4 नग, आल 3 नग, पौलक 3 नग कुल एवं अन्य अनुपस्थिति जाकिया है। समिति का मत है कि आपवायकलानुसार उक्त सूची की कटाई सभाम प्राधिकारी से अनुमति लेवांत ही की जाएगी। इस बाबत शाखा पञ्च प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है। यदि सूची को काटना आवश्यक न हो तो इन्हें ग काटा जाये।
18. प्रस्तुतीक्षण के द्वारा वरियोजना प्रस्तावक द्वारा जारी गया यि प्रस्तावित लादान ही उत्तराधित साधारण चलार (गोपनीयता) को प्राप्तन्त्री भास रखक लौज़ का अध्या मुख्यमंत्री द्वारा सहक एवं विकास योजना के तहत प्रस्तावित निर्णय कार्यी में उपयोग किया जाएगा। इस संबंध में समिति का मत है कि वरियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तावित लादान ही उत्तराधित साधारण चलार (गोपनीयता) को उक्त कार्यी में ही उपयोग किये जाने हेतु कार्य आदेश की प्रति प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
19. वरियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत लैटेराईट निट्रो/ओवलराईट की मौटाई 1 मीटर है तथा कुल मात्रा 6,645 पनमीटर है, जिसमें से 4,170 घनमीटर लैटेराईट निट्रो की सैना पट्टी (7.5 मीटर) में फैलाकर कृष्णनगर के लिए उपयोग द्वंद्व सेव लैटेराईट निट्रो का उपयोग शासकीय सहक निर्माण कार्य में किया जाएगा। समिति का मत है कि यक्त लैटेराईट निट्रो का दुरुपयोग न करने, विकाय न करने एवं अन्य कार्यों में उपयोग नहीं किये जाने एवं इस निट्रो का उपयोग पुनर्मताव में किये जाने बाबत शाखा पञ्च पञ्च प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
20. वरियोजना प्रस्तावक द्वारा लादान के पुनर्मताव पत्तान की संबंध में जानकारी प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
- समिति द्वारा उत्तमाय सर्वीसम्पत्ति से निर्भानुसार निर्णय लिया गया यह—
1. लौज़ क्षेत्र में हीरू 4 नग, आल 3 नग, पौलक 3 नग सूचा एवं अन्य अनुपस्थिति जाकिया है। आपवायकलानुसार उक्त सूची की कटाई सभाम प्राधिकारी से अनुमति लेवांत ही किये जाने हेतु शाखा पञ्च प्रस्तुत किये जाने उचित आवश्यक नहीं कही जाएगी।
 2. प्रस्तावित लादान ही उत्तराधित साधारण चलार (गोपनीयता) को प्राप्तन्त्री भास सहक लौज़ का अध्या मुख्यमंत्री द्वारा सहक एवं विकास योजना के तहत प्रस्तावित निर्माण कार्यी में ही उपयोग किये जाने हेतु कार्य आदेश की प्रति प्रस्तुत किया जाए।
 3. लैटेराईट निट्रो का दुरुपयोग न करने, विकाय न करने एवं अन्य कार्यों में उपयोग नहीं किये जाने एवं इस निट्रो का उपयोग पुनर्मताव में किये जाने बाबत शाखा पञ्च प्रस्तुत किया जाए।
 4. लादान के पुनर्मताव पत्तान की संबंध में जानकारी प्रस्तुत किया जाए। उपरोक्त समस्त पूर्ण जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किये जाने उपरोक्त आगामी लाईकारी की ज़ाहिरी।
- उदानुसार एसडीएसी, इलेक्ट्रोग्राफ के ज्ञापन दिनांक 16/08/2022 के परिवेष्य में वरियोजना प्रस्तावक द्वारा जानकारी/दस्तावेज दिनांक 23/08/2022 को प्रस्तुत किया गया है।

(ब) समिलि की 421वीं बैठक दिनांक 24/08/2022-

समिलि द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अध्यलेखन एवं परीक्षण करने पर निम्नानुसार निश्चित घाँट यहु किः—

1. लीज लेब में टौरु 4 नग, आल 3 नग, पीलक 3 नग तक एवं उन्हें अनुपरोक्षी जाहिया है। आवश्यकतानुसार उक्त गृहों की कटाई राजग प्राधिकारी से अनुमति उपरोक्ष ही किये जाने हेतु राष्ट्र प्रस्तुत किया गया है।

2. प्रस्तावित खदान से उत्खनित सामान्य पत्थर (वीच खनिज) को इसानींकी दाम सहक बोजना तथा मुद्रानींकी दाम सहक एवं विकास बोजन की तहत प्रस्तावित निर्माण कर्त्त्वी में ही उपयोग किये जाने हेतु निम्नानुसार वर्त्य आदेश की प्रति प्रस्तुत की गई है—

(1) कार्यालय कलेक्टर/अध्यक्ष जिला निर्माण समिति सुकमा, जिला-सुकमा के ज्ञापन दिनांक 18/03/2021 द्वारा कृदि विकास केन्द्र परिवर सुकमा मुद्राना गुरुतोष्णा का आहता निर्माण भार—2 हेतु।

(2) कार्यालय कलेक्टर/अध्यक्ष जिला निर्माण समिति सुकमा, जिला-सुकमा के ज्ञापन दिनांक 18/03/2021 द्वारा बोजानोक्ति से इत्यापास भारी में 6x8 मीटर स्थान पुलिया निर्माण कर्त्त्व हेतु।

(3) कार्यालय कलेक्टर/अध्यक्ष जिला निर्माण समिति सुकमा, जिला-सुकमा के ज्ञापन दिनांक 18/03/2021 द्वारा कृदि विकास केन्द्र परिवर सुकमा मुद्राना गुरुतोष्णा में बी.टी. सहक निर्माण 500 मीटर हेतु।

(4) कार्यालय कलेक्टर/अध्यक्ष जिला निर्माण समिति सुकमा, जिला-सुकमा के ज्ञापन दिनांक 18/04/2020 द्वारा जिला सुकमा अंतर्गत चिन्हगढ़ में गुहड जल आवाहन कारी हेतु।

(5) कार्यालय कलेक्टर जिला निर्माण समिति सुकमा, जिला-सुकमा के ज्ञापन दिनांक 27/12/2019 अनुसूचित क्षेत्र में जिला अस्पताल परिवर सुकमा में ट्रॉलिस्ट हॉस्टल निर्माण कारी हेतु।

(6) एन्डीक्यूटिव इंजीनियर रम मेन्हर सोकेटरी प्रॉजेक्ट इंग्लीवेंटेशन यूनिट नं.02 जिला-सुकमा के ज्ञापन दिनांक 14/11/2019 द्वारा प्रधानमंत्री दाम सहक बोजन के तहत ऐलेक्स एक ऑफ पेकेज नम्बर ली.वी.19-42 (4) सहक निर्माण एवं रख-रखाव हेतु।

(7) कार्यालय कलेक्टर जिला निर्माण समिति सुकमा, जिला-सुकमा के ज्ञापन दिनांक 03/10/2018 द्वारा 100 सीटर बोटायोडिंग कालक उआयास भवन निर्माण (विद्युतीकरण एवं पेयजल सुपिया सहित) कर्त्त्व गारीहम हेतु।

(8) कार्यालय कलेक्टर जिला निर्माण समिति सुकमा, जिला-सुकमा के ज्ञापन दिनांक 03/10/2018 द्वारा 100 सीटर बोटायोडिंग कालक उआयास भवन निर्माण (विद्युतीकरण एवं पेयजल सुपिया सहित) कर्त्त्व गोलजायाल हेतु।

उपरोक्ष तत्त्वों के परिणेत्री में प्रस्तावित खदान से उत्खनित सामान्य पत्थर (वीच खनिज) को इसानींकी दाम सहक बोजन तत्त्व मुद्रानींकी दाम सहक एवं विकास योजना के तहत प्रस्तावित विकास कारी एवं साम्पादीय विकास कर्त्त्वी में ही उपयोग किया जाएगा तक कियी भी निजी खातावर में उक्तका उपयोग नहीं किया जाएगा। इस बाबत परियोजना प्रस्तावक द्वारा राष्ट्र पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

3. लैटराइट मिट्टी का उपयोग प्रकल्पदाता में किये जाने वाले शब्द शापथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है। लैटराइट मिट्टी का दुरुपयोग न करने, विकास न करने एवं अन्य कार्यों में उपयोग नहीं किये जाने वाले शब्द शापथ पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है।
4. लकड़ान के पुनर्जन्म प्लान के संबंध में परियोजना प्रस्तावक की कथनानुसार, लकड़ान के उपलंब्ध लकड़ान को जलाकर में परिवर्तित किया जाएगा, जो कि स्थानीय समुदाय की गिरावटी हेतु उपयोग किया जाएगा एवं यह एक लकड़ान भू-जल विवाही पिट का भी कार्य करेगा जबकि 7.5 बीलर ली सीमा पट्टी का उपयोग बृक्षारोपण हेतु ही किया जाएगा।

सारिति द्वारा लकड़ान सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था:-

1. लैटराइट मिट्टी का दुरुपयोग न करने, विकास न करने एवं अन्य कार्यों में उपयोग नहीं किये जाने वाले शब्द शापथ पत्र प्रस्तुत किया जाए।
2. परियोजना ने जिन-जिन स्थलों से पशुओंटिव लकड़ लकड़ार्जन होगा, उन स्थलों पर नियमित जल डिफेंस की व्यवस्था किये जाने वाले शब्द शापथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।
3. गाहुनिय लौज को अंदर एवं बाहर साथ बृक्षारोपण किये जाने एवं संभित गौषों का सरवाइवल रेट (Survival rate) 90 प्रतिशत सुनिश्चित किये जाने वाले शब्द शापथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।
4. परियोजना प्रस्तावक द्वारा इस आकाय का बचन पत्र प्रस्तुत किया जाए कि उनके विकल्प इस परियोजना/लकड़ान से संबंधित कोई न्यायालयीन प्रकल्प देश के लकड़ान सिवाय भी न्यायालय में लघित नहीं है।
5. परियोजना प्रस्तावक द्वारा इस आकाय का नोटरी से सत्यापित शब्द शापथ पत्र प्रस्तुत किया जाए कि उसके विकल्प बाहर सरकार, परावर्त्तन, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना कानून 804(अ), दिनांक 14/03/2017 के अंतर्गत उल्लंघन का कोई प्रकल्प लघित नहीं है।

लकड़ानसार एसईएसी, उत्तीर्णगढ़ के द्वापन दिनांक 27/09/2022 के परिवेष में परियोजना प्रस्तावक द्वारा जानकारी/दस्तावेज़ प्राप्त होने उपर्यात आगामी कार्यवाही की जाएगी।

लकड़ानसार एसईएसी, उत्तीर्णगढ़ के द्वापन दिनांक 27/09/2022 के परिवेष में परियोजना प्रस्तावक द्वारा जानकारी/दस्तावेज़ दिनांक 13/10/2022 को प्रस्तुत किया गया है।

(ब) समिति द्वी 428वीं बैठक दिनांक 17/10/2022:

सारिति द्वारा नहीं प्रस्तुत जानकारी का उपलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न लिखित पाइ गई:-

1. लैटराइट मिट्टी का दुरुपयोग न करने, विकास न करने एवं अन्य कार्यों में उपयोग नहीं किये जाने वाले शब्द शापथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
2. परियोजना से जिन-जिन स्थलों से पशुओंटिव लकड़ लकड़ार्जन होगा, उन स्थलों पर नियमित जल डिफेंस की व्यवस्था किये जाने वाले शब्द शापथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

3. नोटरिझेड लौज सेव के अंदर एवं बाहर साथ ही मृत्युनियत किये जाने एवं संभित पीली का सरकारी बहुमत रेट (Survival rate) 90 ब्रिटिश मूर्खियता किये जाने वायत संभव पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
 4. परियोजना प्रस्तावक द्वारा इस आशय का सम्पर्क पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है कि उनके लिए इस परियोजना/खदान से संबंधित कोई न्यायालीन प्रकरण देश के अंतर्गत किसी भी न्यायालय में लंबित नहीं है।
 5. परियोजना प्रस्तावक द्वारा इस आशय का नोटरी के सत्यापित सम्पर्क पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है कि उसके लिए वारा सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को अधिसूचना करआ 804(अ) दिनांक 14/03/2017 के अंतर्गत उल्लंघन का कोई प्रकरण लंबित नहीं है।
 6. संभिति का मत है कि सीईआर एवं मृत्युनियत कार्य के लैनिटिंग एवं पर्यावरण हेतु विज-सदस्यीय संभिति (विजेटिटर/प्रलिमिटि, ग्राम पंचायत के पदाधिकारी/प्रलिमिटि एवं जिला प्रशासन या छत्तीसगढ़ पर्यावरण संबंधी गणहठल के पदाधिकारी/प्रलिमिटि) गठित किया जाना आवश्यक है। साथ ही सीईआर एवं मृत्युनियत का कार्य पूर्ण किये जाने के उपर्योग गठित विज-सदस्यीय संभिति से संभवित कराया जाना आवश्यक है।
 7. गामकीय एनजीटी, प्रिसिगल बैंग, नई दिल्ली द्वारा सत्येष्ट प्राप्तिये लिए वारा सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली एवं अन्य (ओरिजिनल एपिलेजन नं. 186 ऑफ 2016 एवं अन्य) में दिनांक 13/09/2018 की घारित आदेश में मुख्य काय से निम्नानुसार निर्दिष्ट किया गया है—
 - a) Providing for EIA, EMP and therefore, Public consultation for all areas from 5 to 25 ha. falling under category B-2 as per with category B-1 by SEAC / SEAA as well as for cluster situation where ever it is not provided.
 - b) If a cluster or an individual lease size exceed 5 ha. EIA / EMP be made applicable in the process of grant of prior environment clearance.
- संभिति द्वारा विवार कियारी उपरात सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय किया गया—**
1. कावलिय कलेक्टर (खनिज खाचा), जिला-सुकमा के ज्ञापन नम्बर 431/वासे./सानिज/2022 सुकमा, दिनांक 07/03/2022 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित 1 खदान, क्षेत्रफल 1 हेक्टेयर है। आवेदित खदान (खाम-गोलाबेकुर) का लकड़ा 1 हेक्टेयर है। इस प्रकार आवेदित खदान (खाम-गोलाबेकुर) को जिलाकर कुल लकड़ा 2 हेक्टेयर है। खदान की गोमा से 500 मीटर की परिधि में लौकूल/संसाधित खदानों का कुल क्षेत्रफल 5 हेक्टेयर का उत्तरी कान होने के कारण यह खदान बी-2 श्रेणी की नामी नहीं।
 2. संभिति द्वारा विवार कियारी उपरात सर्वसम्मति से आवेदक – मेसास गोलाबेकुर अंडिङली कटोग वयारी (प्री- नोहम्मद अब्दुल्ला खान, एन्सरी परमिट) की खाम-गोलाबेकुर, लहरील व जिला-सुकमा के खसना नम्बर 1138 में निधा खाचालय पक्षावाय (गोम सानिज) खदान, कुल क्षेत्रफल-1 हेक्टेयर, 2 लाई में कुल लकड़ा 1,41,987 टन से अधिक न हो। इस पर्यावरणीय स्थीरता दिए जाने की अनुमति की गई।

प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार – उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 05 / 12 / 2022 की संघर्षन 134वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा नस्ती का अवलोकन किया गया। प्राधिकरण द्वारा विचार विभार्ता उपचान सर्वसम्मति समिति की जनसभा को स्थीरत बनाए हुए आवेदक – मैली लोलावेदूर औरंगाबाद स्टील वर्करी (प्री-गोप्तव्य अनुबूला खान, टेम्परेट परमिट) को निम्न अतिरिक्त शर्त के अंतर्वाचक स्थीरकृति जारी करने का निर्देश किया गया।

“लीज क्षेत्र की तीर्त में जारी ओर 7.5 मीटर की घटटी में किये जाने वाले गुरुत्वात्मक वीज जानवारी गेटेटिंग (Geotag) ओलोग्राफ्स सहित अर्थवाचिक रिपोर्ट में समाहित करते हुए प्रस्तुत किया जाए।”

इसी तरीके से इस वीज की जानवारी का वालन गुरुत्वात्मक विचार किया जाए। जल्द नहीं किये जाने की स्थिति में विचार विभार्ता कार्यवाही की जाएगी।

परियोजना प्रशासक को जनसंघरणीय स्थीरकृति जारी किया जाए।

9. येली पल्ली इटीन कारारी (प्रो:- श्री कुम्हन परमार), पाल-बरवसापुर, राहसील व जिला-महाराष्ट्र (विविधालय का नस्ती जनाक 1826)

ओनलाईन ज्ञावेदन – प्रपोज्झ नम्बर – एसआईए/ श्रीजी/ एमआईएन/ 67934 / 2021, दिनांक 27 / 09 / 2021।

प्रस्ताव का विवरण – यह पूर्व से संचालित कर्त्ता पल्ली पल्ली (गोप्तव्य विभाग) द्वारा है। इदान लाम-बरवसापुर, राहसील व जिला-महाराष्ट्र जिला जनाक 191 एवं 192, कुल शेषफल-0.3 हेक्टेयर में है। इदान की आवेदित पालखनन कामता-2,883.75 टन (1,153.5 घनमीटर) प्रतिकी है।

इदानुसार परियोजना प्रशासक को एसआईएसी, उत्तीर्णगढ़ के ज्ञापन दिनांक 09 / 02 / 2022 द्वारा प्रस्तुतीयन हेतु सूचित किया गया।

बैठकों का विवरण –

(अ) नागिनी की 388वीं बैठक दिनांक 14 / 02 / 2022:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री कुम्हन परमार, प्रोवराईटर उपसिंधत है। नागिनी द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई।

i. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्थीरकृति संबंधी विवरण:-

- i. पूर्व में कर्त्ता पल्ली द्वारा जनाक 191 एवं 192, कुल शेषफल-0.3 हेक्टेयर, कामता-1,153.5 घनमीटर प्रतिकी हेतु पर्यावरणीय स्थीरकृति जिला स्थानीय पर्यावरण उपायाल निवारण प्राधिकरण, जिला-महाराष्ट्र द्वारा दिनांक 16 / 01 / 2017 को जारी की गई। यह स्थीरकृति दिनांक 15 / 01 / 2022 तक की अवधि हेतु जारी की गई।
- ii. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्थीरकृति के तर्ता के पालन में की नहीं कार्यवाही की जानकारी प्रस्तुत की गई है।
- iii. निवारण शालीनुसार गुरुत्वात्मक नहीं किया गया है।
- iv. कार्यवाही क्षेत्र (जनित राखा), जिला-महाराष्ट्र के ज्ञापन दिनांक 25 / 08 / 2021 द्वारा जिला वर्षी में किये गये शालखनन की जानकारी निभानुसार है।

दिनांक	संख्यादाता (प्रतीकों)
01/01/2017 से 30/06/2017	188
01/07/2017 से 31/12/2017	135
01/01/2018 से 30/06/2018	332
01/07/2018 से 31/12/2018	318
01/01/2019 से 30/06/2019	295
01/07/2019 से 31/12/2019	200
01/01/2020 से 30/06/2020	210
01/07/2020 से 31/12/2020	270

३. ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र – उत्तराखण्ड के सांख्य में ग्राम पंचायत कल्पनाएँ का दिनांक 24/02/2006 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है। ग्राम पंचायत के अनापत्ति प्रमाण पत्र की अवधान प्रति कार्यवाही विवरण सहित प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
४. चरक्षणन सौजन्य – क्यारी प्लान एलांग विध क्यारी कलोडर प्लान विध इन्हालपरोक्षेट मैनेजमेंट प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो सभि अधिकारी, जिला-महासभुद के ज्ञापन क्रमांक 1270/क./ख.लि./न.का./2016 महासभुद, दिनांक 14/07/2016 द्वारा अनुमोदित है।
५. 500 मीटर की परिधि में रिक्त स्थान – कार्यालय कलोडर (खण्डित गाँव), जिला-महासभुद के ज्ञापन क्रमांक 224/क./ख.लि./न.का./2021 महासभुद, दिनांक 10/02/2022 के अनुसार आवेदित स्थान से 500 मीटर की भौतिक अवस्थिति 69 खाली, बीजफल 40.3 हेक्टेयर है।
६. 200 मीटर की परिधि में रिक्त सार्वजनिक क्षेत्र/सांरक्षण्य – कार्यालय कलोडर (खण्डित गाँव), जिला-महासभुद के ज्ञापन क्रमांक 1254/क./ख.लि./न.का./2021 महासभुद, दिनांक 24/08/2021 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त स्थान से 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र यीके नहिं, नरघट, स्थूल, अस्फाल, पुल, बांध, एनीकट, राष्ट्रीय राजमार्ग, राजमार्ग एवं उस अनुसृति क्षेत्र आदि जलीबियत क्षेत्र निर्मित नहीं हैं।
७. भूमि एवं लौज का विवरण – भूमि एवं लौज आवेदक के नाम पर है। लौज कीक 10 वर्गी अवधि दिनांक 03/01/2007 से 02/01/2017 तक थी थी। तत्परवान् लौज कीक में 20 वर्गी की, दिनांक 02/01/2017 से 01/01/2037 तक की अवधि गुद्धि की रही है।
८. डिस्ट्रीक्ट सर्व रिपोर्ट – एवं 2019 की डिस्ट्रीक्ट सर्व रिपोर्ट (District Survey Report) की ज्ञानी प्रस्तुत की गई है।
९. बन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र – कार्यालय दनमांडलाखियां, सामान्य उपग्रहण, जिला-महासभुद के ज्ञापन क्रमांक/मा.वि./ख.लि./3349 महासभुद, दिनांक 21/11/2006 से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र अनुसार आवेदित क्षेत्र बन भूमि की लीका से 13 किमी की दूरी पर है।
१०. महासभुद सांरक्षण्यों की दूरी – निष्ठान आवादी चान-बरवसपुर 1.1 किमी, एवं राष्ट्रीय राजमार्ग 1.25 किमी, एवं अस्फाल गहासभुद 10.9 किमी, दूरी पत्र निश्चित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 1.6 किमी, एवं राजमार्ग 14.9 किमी, दूर है। गहानदी 410 मीटर एवं बरसाती नाला 810 मीटर दूर है।

10. पारिविष्कृतीय / जैवविधिवता संवेदनशील ढोब्र – परियोजना प्रस्तावक कुल 10 किमी² की परिस्थि में अंतर्राष्ट्रीय सीमा, राष्ट्रीय उदान, जलवायन्य, कैन्फीय प्रदूषण नियंत्रण और द्वारा प्रोत्सित क्रिटिकली पील्यूट्रैड एरिया, पारिविष्कृतीय संवेदनशील ढोब्र या धोतित जैवविधिवता संबंध स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया गया है।

11. खनन रूपादा एवं खनन का विवरण – अनुच्छेदित बवानी प्लान अनुसार जियोलैजिकल रिजर्व 62,100 टन (24,840 घनमीटर), माइनेबल रिजर्व 23,361 टन (9,340 घनमीटर) एवं रिकवरेबल रिजर्व 17,813 टन (7,005 घनमीटर) है। बीमान में जियोलैजिकल रिजर्व 23,210 घनमीटर एवं माइनेबल रिजर्व 7,710 घनमीटर है। लीज की 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी (उत्खनन के लिए प्रतिवित क्षेत्र) का क्षेत्रफल 1,280 घनमीटर है। ओपन कास्ट मैन्युफ्लू विधि से उत्खनन किया जाता है। उत्खनन की प्रस्तावित अधिकतम गहराई 10 मीटर है। लीज क्षेत्र में ऊपरी गिर्ही वी भौटिक 0.5 मीटर है। बैथ की ऊंचाई 1.5 मीटर एवं गहराई 1.5 मीटर है। खदान की वाँछित आयु 10 वर्ष है। खदान में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल का छिद्रकाव किया जाता है। वर्षावार प्रस्तावित उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है:-

वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (घनमीटर)
2022	1050
2023	1,057.5
2024	812
2025	981.5
2026	937.5

12. जल आपूर्ति – परियोजना हेतु आवश्यक जल की मात्रा 3.14 घनमीटर प्रतिवेदित होती है। जल की आपूर्ति ऐकन द्वारा प्राप्त पंचायत के नामांग से किया जाता है। इस बावजूद प्राप्त पंचायत का क्षमतावाला प्रस्ताव प्रत्युत्त प्रस्ताव किया जाना आवश्यक है।

13. वृक्षारोपण कार्य – परियोजना प्रस्तावक क्षेत्र का लीज क्षेत्र की सीमा में जारी और 7.5 मीटर की पट्टी में 250 गन वृक्षारोपण किया जाएगा।

14. खदान की 7.5 मीटर की चौड़ी सीमा पट्टी में उत्खनन – लीज क्षेत्र की सीमा और 7.5 मीटर की सीमा पट्टी में उत्खनन कार्य नहीं किया जाता है।

15. प्रस्तावीकरण के दीर्घन परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि पूर्ण में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति की जरूरी के अभी वृक्षारोपण का कार्य प्राप्त पंचायत द्वारा दिये जाने विभिन्न क्षेत्र में वृक्षारोपण किया गया है। समिति की संस्थान में यह तथ्य आया कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा लीज क्षेत्र की सीमा में जारी और 7.5 मीटर की पट्टी में वृक्षारोपण का कार्य नहीं किया गया है। अतः समिति ने मत है कि वृक्षारोपण का कार्य पूर्ण कर कोटीशास्त्र सहित जानकारी प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

16. प्रस्तावीकरण के दीर्घन परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि शाम-बरत्तवासुर धोकारी एवं गुहान, लहसील व जिल्हा-महासमुद्र क्षेत्र में 45 प्रत्यक्ष खदाने, कुल क्षेत्रफल 58.43 हेक्टेयर आवश्यक है। शाम-धोकारी के नजदी से राष्ट्रीय राजमार्ग गुजरता है, जिससे राष्ट्रीय राजमार्ग के उत्तर दिशा में शाम-बरत्तवासुर एवं धोकारी क्षेत्र में 70 खदाने, क्षेत्रफल 40.60 हेक्टेयर तथा राष्ट्रीय राजमार्ग के

विशेष दिशा में ग्राम-पालीहारी एवं नुक़ता क्षेत्र में 25 खदान, क्षेत्रफल 17.83 हेक्टेयर आवृत्तिया है। दोनों क्षेत्रों के नक्त की दूरी 660 मीटर है। दूसी है अर्ड्डीए स्टडी के दीरान दोनों क्षेत्रों का बफर जीन एक-दूसरे में ओक्सीजन लीन हो गया है। अतः परियोजना प्रवलाङ्क द्वारा चुन 95 प्रत्यरुप खदानों को एक बलस्टर नामों द्वारा फ़ाइबर्स है अर्ड्डीए, जिसे इवार करने हेतु अनुमति दिया गया। जिसे समिति द्वारा मान्य दिया गया।

17. प्रवलाङ्क के दीरान परियोजना प्रवलाङ्क द्वारा कराया गया कि बलस्टर में आगे बढ़ती अन्य खदानों के लिए बेसलाईन जारी करनेवाले का कार्य दिनांक 01/10/2021 से प्रारंभ दिया गया। उक्त को संबंध में दिनांक 28/09/2021 की सूचना ही नहीं थी।

समिति द्वारा सत्त्वामय जानकारी से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था:-

1. उत्तरानन हेतु ग्राम पंचायत के अनापत्ति प्रमाण पत्र की (प्रत्येक दिनांक समिति के हस्ताक्षर सहित) आवास प्रति जनर्याही विवरण सहित प्रस्तुत किया जाए।
2. जल आवृति हेतु ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाए।
3. लीज क्षेत्र की सीमा में छारी और 7.5 मीटर की पट्टी में युक्तिशील का गतर पूर्ण कर कोटोशापस सहित जानकारी प्रस्तुत की जाए।
4. लीज बाहरी स्तंभ (boundary pillars) पिसामे स्तंभ की संख्या प्रदर्शित हो का कोटोशापस प्रस्तुत की जाए।
5. वित्तीय आश्वासन (Financial assurance) से संबंधित जानकारी पत्र के दिनांक सहित प्रस्तुत की जाए।
6. उपरोक्त समस्त पूर्ण जानकारी / वस्ताविज प्रस्तुत किये जाने उपरान्त आगामी वर्षयाही की जाएगी।

उदानुसार एसईएसी, उत्तीर्णगढ़ के ज्ञापन दिनांक 11/03/2022 के परिवेष्ट में परियोजना प्रवलाङ्क द्वारा जानकारी/वस्ताविज दिनांक 13/10/2022 को प्रस्तुत किया गया है।

(३) समिति की 428वीं बैठक दिनांक 17/10/2022:

समिति द्वारा गर्ती, प्रस्तुत जानकारी का अन्तीम एवं परीक्षण करने पर निम्न निष्कार्ता पाइ गई:-

1. उत्तरानन की संबंध में ग्राम पंचायत बहवसनुर का दिनांक 20/09/2022 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
2. जल की आवृत्ति टैक्स द्वारा ग्राम पंचायत द्वारा बोर्डेल के माध्यम से की जाती है। भू-जल की उपरोक्तियां हेतु ग्राम पंचायत बहवसनुर का अनापत्ति प्रमाण पत्र एवं शीन्ट्रल ग्रामपंचायत असोसिएटी की अनुमति द्वारा कर प्रस्तुत किया गया है।
3. लीज क्षेत्र की सीमा में घातों और 7.5 मीटर की पट्टी में युक्तिशील का गतर पूर्ण कर कोटोशापस सहित जानकारी प्रस्तुत किया गया है।
4. लीज बाहरी स्तंभ (boundary pillars) का कोटोशापस प्रस्तुत किया गया है।
5. वित्तीय आश्वासन (Financial assurance) से संबंधित जानकारी पत्र के दिनांक सहित प्रस्तुत किया गया है।

6. समिलि कर गत है कि पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्थीरकृति के अधार पर दिनांक 01/01/2021 से लिए गए उत्तरानन की वास्तविक स्थान वीं जानकारी असाधारण सिमिलि में खानिज विभाग से प्रमाणित कराकर प्रबलुत किया जाना आवश्यक है।
7. नानगीय एन.जी.टी. डिशियल बैच, नई दिल्ली द्वारा सरकेंट पार्क्से विश्वव्यापक मार्ग सहजार, पर्यावरण, बन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली एवं अन्य (प्रोटोरिजनल एप्लिकेशन नं. 188 और 2018 एवं अन्य) में दिनांक 13/09/2018 को परिचित आदेश में मुख्य रूप से निम्नानुसार निर्देशित किया गया है:—
 - a) Providing for EIA, EMP and therefore, Public consultation for all areas from 5 to 25 ha. falling under category B-2 as per with category B-1 by SEAC / SEWA as well as for cluster situation where ever it is not provided.
 - b) If a cluster or an individual lease size exceed 5 ha. EIA / EMP be made applicable in the process of grant of prior environment clearance.

समिलि द्वारा विभार विमर्शी उपरान्त वार्षिकमति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया—

1. कार्बनक फलेक्टर (खनिया जाता), जिला-भारतमूद के ज्ञापन इमांक 224/क/खालि/न.अ.स./2021 भारतमूद, दिनांक 10/02/2022 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवधिकत ४४ खदानों की संख्या 40.3 हेक्टेयर है। आवेदित खदान (आम-बरबासपुर) का रकमा 0.3 हेक्टेयर है। इस प्रकार आवेदित खदान (आम-बरबासपुर) की जिलाकर कुल रकमा 40.6 हेक्टेयर है। खदान की लीना से 500 मीटर की परिमि में वर्धीकृत/संचालित खदानों का कुल क्षेत्रफल 5 हेक्टेयर से अधिक का कलस्टर निर्मित होने के कारण यह अदान 'बी' की वीं जी भी नाहीं गयी।
2. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्थीरकृति का जालन प्रतिवेदन एकीकृत कीदीय कार्बनक, भारत सहजार, पर्यावरण, बन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय से गंभारी जाने हेतु पत्र सेवा लिया जाए।
3. समिलि द्वारा विभार विमर्शी उपरान्त वार्षिकमति से प्रकरण 'बी' के टेगो का हमें के कारण भारत सहजार, पर्यावरण, बन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा अप्रैल, 2015 में प्रवर्तित गटेवड्ह टम्स ऑफ रिफरेंस (टीओआर) फौर ई.आई.ए. /हृष्ट.पी. रिवोर्ट फौर प्रोजेक्ट्स/एकटीकिटीज रिफार्क्सरिंग इन्डिपरेंट कॉन्सिलिंग अप्लर हुआई.ए. नोटिफिकेशन, 2006 में पर्वता थेपी १(ए) का गटेवड्ह टीओआर (नोक सुनवाई गहिर) नीन चेत्त माईगिंग प्रोजेक्ट्स हेतु निम्न अंतिरिक्ष टीओआर के साथ जारी किये जाने वीं अनुदाना वीं नहीं—
 - i. Project proponent shall submit the Individual Environment Management Plan and Common Environment Management Plan.
 - ii. Project proponent shall submit the top soil management plan & over burden plan & incorporate the details in the EIA report.
 - iii. Project proponent shall submit an affidavit for commitment to the public (Objections/suggestions raised by public) during Public Hearing.
 - iv. Project proponent shall submit compliance report of previous environment clearance from Integrated Regional Office, MoEF&CC Raipur.
 - v. Project proponent shall submit production detail from 01/01/2021 to till date from the mining department.

- vi. Project proponent shall ensure that mining lease area to be demarcated by erection of boundary pillars at all corner and area to be fenced.
- vii. Project proponent shall submit a study report regarding the impact on Riverine Ecology of the study area including Mahanadi River. Project proponent will also submit an action plan for conservation/protection of water bodies.
- viii. Project proponent shall submit an affidavit stating that no harm, no damage and no contamination shall be committed to nearby water bodies.
- ix. Project proponent shall submit a Cumulative Environment Impact Assessment Study (Air, Water, Noise, Soil, Traffic etc) of the Industries located in the nearby area and Ecology of the buffer zone of study area and shall incorporate the same in the EIA report.
- x. The project proponent shall submit an undertaking that there is no court case pending relating to this project before any Court of Law in India.
- xi. The project proponent shall submit an undertaking in the form of an affidavit stating that there is no violation of Notification S.O. 804(E) dated 14/03/2017 issued by Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Government of India and the direction given by Hon'ble Supreme Court of India in the matter of Common Cause vs Union of India order dated 02.09.2017.
- xii. EIA study shall be done at minimum 12 no. of stations for data collection considering the pre-dominant wind direction.
- xiii. Project proponent shall submit the copy of panchama and photographs of every monitoring station.
- xiv. Project proponent shall submit the details of 7.5 meter width of mine lease periphery & do plantation during the current year incorporating the plant cost, fertilizer cost, irrigation cost, maintenance cost for atleast 5 years and the details alongwith photographs in the EIA report.
- xv. Project proponent shall undertake plantation during the monsoon & incorporate in the EIA report.
- xvi. Project proponent shall undertake plantation (as far as possible fruit bearing species) within the mining lease area as per guidelines issued from time to time and particularly in the 7.5 meter safety zone area of minimum 05 feet height and shall maintain 90% survival rate. The plantation shall be maintained by project proponent for atleast 5 years. Project proponent shall report to Authority regarding yearwise plantation. The details to be submitted alongwith geotag photographs in the EIA report.
- xvii. Project proponent shall submit CER proposals with details of works alongwith their estimates including land cost and incorporating the plant cost, fertilizer cost, irrigation cost and maintenance cost for atleast 5 years.

प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार – उपर्युक्त प्रकल्प पर प्राधिकरण की दिनांक 05 / 12 / 2022 को संवाद 134वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा नस्ती यह अपलोडन किया गया। प्राधिकरण द्वारा विचार किया हुमसंत सर्वशम्भवि से विशेष लिया गया कि रामेति द्वारा अनुशासित अंतरिक्ष टीओआर के शर्त में निम्न वास्तविकता किया गया है:-

- * 3 (iv) "Project proponent shall submit compliance report of previous environment clearance from Integrated Regional Office, MoEF&CC

"Raipur." के स्थान पर 3 (iv) "Project proponent shall submit a certified compliance report of the status of compliance of the conditions stipulated in the EC for the ongoing / existing operation of the project by the Integrated Regional Office, MoEF&CC Raipur in accordance with the circular No. J-11011/618/2010-IAll(l) dated 30/05/2012." पढ़ा जाए।

- 3 (iv) "Project proponent shall undertake plantation during the monsoon & incorporate in the EIA report." के स्थान पर (iv) "Project proponent shall undertake plantation & incorporate in the EIA report." पढ़ा जाए।
- 3 (vii) "Project proponent shall submit CER proposals with details of works alongwith their estimates including land cost and incorporating the plant cost, fertilizer cost, irrigation cost and maintenance cost for atleast 5 years." के स्थान पर 3 (xvi) "Project proponent shall submit CER proposals with details of works alongwith their estimates including land cost and incorporating the plant cost, fertilizer cost, irrigation cost and maintenance cost for atleast 5 years & incorporate in the EIA report." पढ़ा जाए।

साथ ही यह भी निर्जन लिया गया कि पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति का पालन प्रतिपादन एकीकृत होती रहा ताकि भारत सरकार, पर्यावरण, बन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नवा राष्ट्रपुर अटल नगर से बोगाने जाने हेतु पत्र लेखा किया जाए। परियोजना प्रस्तावक को साथ ही ऑफ रेकर्ड्स (Off-Record) (ओफ गुवाहाइ महिल) जारी किया जाए। साथ ही एकीकृत होती रहा पर्यावरणीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, बन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नवा राष्ट्रपुर अटल नगर को पत्र लेखा किया जाए।

10. गैरिमा पहाड़ रस्टोर बवाली (प्रो.— श्री इन्द्रसेन माठेकर), गाम—बरवसापुर, तहसील व ज़िला—महाराष्ट्र (संचिवालय का नम्बर क्रमांक 1826) ओनलाइन ज्ञावेदन — ज्ञावेदन नम्बर — एसआईए / जीडी / एमआईएन / 67917 / 2021, दिनांक 27 / 09 / 2021।

प्रस्ताव का विवरण — यह पूर्व से संभालित पर्यावरण (पीए रिपोर्ट) खदान है। खदान गाम—बरवसापुर, तहसील व ज़िला—महाराष्ट्र स्थित खसरा क्रमांक 187 / 1, कुल क्षेत्रफल—0.3 हेक्टेयर में है। खदान की आवधि उत्तरांग क्षमता—1447.5 टन (379 घनमीटर) प्रतिवर्ष है।

तथानुसार परियोजना प्रस्तावक को एसईएसी, अन्तीसगढ़ के द्वापन दिनांक 09 / 02 / 2022 द्वारा प्रत्युतीकरण हेतु सूचित किया गया।

वैतकों का विवरण —

(अ) समिति की 388वीं बैठक दिनांक 14 / 02 / 2022:

प्रत्युतीकरण हेतु श्री इन्द्रसेन माठेकर, प्रीवराईटर उपसिंह तुरे। समिति हाला नहीं प्रस्तुत जानकारी तथा अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न विवरण पाई गई—

i. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण—

1. पूर्व में पहली पट्टी खदान खसरा क्रमांक 187 / 1, कुल क्षेत्रफल—0.30 हेक्टेयर, क्षमता—379 घनमीटर प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति जिला

राष्ट्रीय पर्यावरण समाधान नियंत्रण प्राधिकरण, जिला-महासभुन्द द्वारा दिनांक 16/01/2017 को जारी की गई। यह कर्तीकृति दिनांक 15/01/2022 तक की अवधि हेतु जारी की गई।

- i. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति की राती के पालन में वीर वर्ष कार्यवाही की जानकारी प्रस्तुत की गई है।
- ii. नियंत्रित राजीनुसार उपायोपाय नहीं किया गया है।
- iii. कार्यालय कालेक्टर (खानिज शास्त्र), जिला-महासभुन्द के ज्ञापन दिनांक 23/08/2021 द्वारा लिखत वक्ती में किये गये उल्लंघन की जानकारी निम्ननुसार है—

दिनांक	उत्पादन (फिल्मीटर)
01/01/2017 से 30/06/2017	निरक
01/07/2017 से 31/12/2017	
01/01/2018 से 30/06/2018	162
01/07/2018 से 31/12/2018	135
01/01/2019 से 30/06/2019	160
01/07/2019 से 31/12/2019	270
01/01/2020 से 30/06/2020	355
01/07/2020 से 31/12/2020	165

2. शाम घेवायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र — उल्लंघन के संबंध में शाम घेवायत कहणांक ज्ञ दिनांक 19/11/2011 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
3. उल्लंघन बोर्डना — क्वारी प्लान एलांग किल क्वारी क्लोजर प्लान विध इन्हायलैन्ड ऐक्सेक्यूट फ्लान प्रस्तुत किया गया है, जो सनि अधिकारी, जिला-महासभुन्द के ज्ञापन क्रमांक 1701/क/खालि/न.प्र./2016 महासभुन्द, दिनांक 26/08/2016 द्वारा अनुमोदित है।
4. 500 मीटर की वरिष्ठि में लिला खदान — कार्यालय कालेक्टर (खानिज शास्त्र), जिला-महासभुन्द के ज्ञापन क्रमांक 234/क/खालि/न.प्र./2021 महासभुन्द, दिनांक 10/02/2022 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के गीटर अवरिष्ठि 69 खदानों, शेषकाल 40.3 हेक्टेयर है।
5. 200 मीटर की परिष्ठि में लिला सार्वजनिक होम/संरचनाएँ — कार्यालय कालेक्टर (खानिज शास्त्र), जिला-महासभुन्द के ज्ञापन क्रमांक 1247/क/खालि/न.प्र./2021 महासभुन्द, दिनांक 23/08/2021 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान से 200 मीटर की परिष्ठि में 20 भी सार्वजनिक होम जैसे भविष्य, बहुइ, स्फूर्त, असपलाल, चूल, छोड, एनीकट, राष्ट्रीय राजमार्ग, राज्यमार्ग एवं जल जागूर्ति स्वीकृत अवृद्धि प्रतिवर्षित होने अनिवार्य नहीं है।
6. भूमि एवं लीज का विवरण — भूमि एवं लीज आवेदक के नाम पर है। लीज लीड 10 वर्ग अर्थात् दिनांक 10/01/2012 से 09/01/2022 तक वैष थी। तात्पश्चात् लीज लीड में 20 वर्गी की, दिनांक 10/01/2022 से 09/01/2042 तक की अवधि यूक्ति की गई है।
7. डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट — वर्ष 2019 की डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।

8. यह विस्तार का अन्यायित प्रमाण चतुर्भुज का वर्गलेख उनवरपूर्वकताप्रिकारी, साथान्य उनवरपूर्वक, जिला-महासभुव के द्वारा द्वारा द्वारा / नामि / नामित / 7424 महासभुव, दिनांक 05/11/2011 से जारी अन्यायित प्रमाण पर अनुसार आवेदित होने वाले सूची की सीमा से 12 किमी की दूरी पर है।
9. बहारपूर्वी संरक्षणार्थी की दूरी - निकटान्त आवादी राम-बरबसपुर 1.2 किमी, एवं स्वृत राम-बरबसपुर 1.3 किमी, एवं अगमलल महासभुव 10 किमी, दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 1.35 किमी, एवं राजप्रमार्ग 14.8 किमी, दूर है। अलगदी 450 मीटर एवं बरसाती नदी 840 मीटर दूर है।
10. आरिशिल्लिङ्कीय/जीवविजिवता संवेदनशील होत्र - परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 किमी की परिधि में उत्तरीजीवी सीमा, राष्ट्रीय राजमार्ग, अगमलल प्रदूषण नियंत्रण होत्र द्वारा जीवित विनियोगी पील्युटेड एरिया, पारिशिल्लिङ्कीय संवेदनशील होत्र या घोषित जीवविजिवता होत्र लिखा नहीं होना प्रतीवेदित किया है।
11. उत्तर संपदा एवं स्वनन का विवरण - अनुमोदित क्षारी इलान अनुसार जियोलोजिकल रिजर्व 39,180 एकड़ (11,368 घनमीटर), मार्गोवल रिजर्व 14,110 एकड़ (5,644 घनमीटर) एवं रिक्क्हरेवल रिजर्व 10,582 एकड़ (4,233 घनमीटर) है। उत्तर स्वनन में जियोलोजिकल रिजर्व 9,798 घनमीटर एवं मार्गोवल रिजर्व 3,782 घनमीटर है। सीमा की 7.5 मीटर और सीमा पट्टी (उत्तर स्वनन के लिए प्रतिशिल्पी होत्र) का छोड़फल 1.164 घनमीटर है। प्रस्तावित अधिकलम गहराई 8 मीटर है। ओपन कास्ट मैन्युअल विहि से उत्तर स्वनन किया जाता है। उत्तर स्वनन की लीज होत्र में उत्तरी विहि की गहराई 2 मीटर है। दोनों की कालाई 1.5 मीटर एवं गहराई 1.5 मीटर है। स्वदान की संभावित आयु 50 वर्ष है। स्वदान में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल का विनियोग किया जाता है। पर्यावर प्रस्तावित उत्तर स्वनन का विवरण निम्नानुसार है:-

वर्ष	प्रस्तावित उत्तर स्वनन (घनमीटर)
2022	566
2023	544
2024	579
2025	579
2026	579

12. जल आपूर्ति - परियोजना हेतु आवश्यक जल की कात्र 2.98 घनमीटर प्रतिदिन होती है। जल की आपूर्ति टैक्स द्वारा द्वारा द्वारा प्रदायत के माध्यम से किया जाता है। इस साथ द्वारा द्वारा प्रदायत का अनावृति प्रमाण पर द्रासुत किया जाना आवश्यक है।
13. दृश्यान्तरण कार्य - परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि लीज होत्र की सीमा में जारी और 7.5 मीटर की पट्टी में 194 वर्ग दृश्यान्तरण किया जाएगा।
14. उत्तर स्वनन की 7.5 मीटर की और सीमा पट्टी में उत्तर स्वनन - लीज होत्र के जारी और 7.5 मीटर की सीमा पट्टी में उत्तर स्वनन कार्य किये जाने से संबंध में विद्युत स्टेट किया जाना आवश्यक है। संबंधि का मत है कि यदि लीज होत्र की जारी और 7.5 मीटर की सीमा पट्टी में उत्तर स्वनन कार्य किया गया हो तो पूर्व से उत्तरान्तर होत्र के उत्तरान्तरी लगावी (Remedial Measures)

एवं रेस्टोरेशन (Restoration) प्लान तथा रिजर्वेशन की विस्तृत गणना की समझदारी करते हुए संशोधित अनुग्रहित माईनिंग प्लान प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

15. समिति के संझान में यह तथ्य आया कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत माईनिंग प्लान में लौज की 7.5 मीटर छोड़ी तीव्रा पट्टी (उत्तरानन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र) के उत्तर पर 3 मीटर छोड़ी तीव्रा पट्टी (उत्तरानन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र) छोड़ते हुये रियर्स की गणना की गई है। समिति का मत है कि सूचना के कारणों से लौज क्षेत्र के बारे और 7.5 मीटर प्रतिबंधित क्षेत्र छोड़ते हुये रियर्स की पूर्ण गणना करने संशोधित अनुग्रहित माईनिंग प्लान प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
16. प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि पूर्व में जारी प्रायोगिक रिपोर्ट की तारीं के अद्विन यूआरोपन का कार्य द्वाम पंचायत द्वारा हिसे गये थिनिहा क्षेत्र में यूआरोपन किया गया है। समिति के संझान में यह तथ्य आया कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा लौज क्षेत्र की तीव्रा में बारे और 7.5 मीटर की पट्टी में यूआरोपन का कार्य नहीं किया गया है। इस समिति का मत है कि यूआरोपन का कार्य पूर्ण करने के लिए उत्तरानन का अधिकारी प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
17. प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि दाम-बलबलुर घोड़ारी एवं मुहेना, शहसील व जिला-महासंकुट क्षेत्र में 35 पल्टर खदाने, कुल क्षेत्रफल 58.43 हेक्टेयर अवैधित है। यान-घोड़ारी की मध्य से राष्ट्रीय राजमार्ग गुजरता है। जिलानी राष्ट्रीय राजमार्ग के उत्तर दिशा में दाम-बलबलपुर एवं घोड़ारी क्षेत्र में 70 खदाने, क्षेत्रफल 40.80 हेक्टेयर तथा राष्ट्रीय राजमार्ग के दक्षिण दिशा में दाम-घोड़ारी एवं मुहेना क्षेत्र में 25 खदाने, क्षेत्रफल 17.83 हेक्टेयर अवैधित हैं। दोनों क्षेत्रों के मध्य की दूरी 680 मीटर है। यूके है.आई.ए.स्टडी के दौरान दोनों क्षेत्रों का बकर जीव एक-दूसरे में ओवर लैव हो जाता है। अतः परियोजना प्रस्तावक द्वारा कुल 95 पल्टर खदानों को एक बलबटर बनाते हुये पाईनल ई.आई.ए.रिपोर्ट लैवार करने हेतु अनुरोध किया गया। जिसे समिति द्वारा याच किया गया।
18. प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि बलबटर में आमे यारी अध्य खदानों के लिए बेलताईन ढाटा कलेक्शन का कार्य दिनांक 01 / 10 / 2021 से शालें किया गया। उबर के संबंध में दिनांक 28 / 09 / 2021 की सूचना दी गई थी।

समिति द्वारा उत्तरानन सर्वसाम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया थो:-

1. जल आपूर्ति हेतु दाम पंचायत का अनावृत्ति ड्रमान पर प्रस्तुत की जाए।
2. लौज क्षेत्र के बारे और 7.5 मीटर की तीव्रा पट्टी में उत्तरानन कार्य किये जाने अधिक नहीं किये जाने के संबंध में लियति स्पष्ट किया जाए। यदि लौज क्षेत्र के बारे और 7.5 मीटर की तीव्रा पट्टी में उत्तरानन कार्य किया गया हो तो पूर्ण से उत्तरानन क्षेत्र की उपचारी उपायी (Remedial Measures) एवं रेस्टोरेशन (Restoration) प्लान तथा रिजर्वेशन की विस्तृत गणना की समझदारी करते हुए संशोधित अनुग्रहित माईनिंग प्लान प्रस्तुत किया जाए।
3. उपरोक्तानुसार दियते ही गणना करने संशोधित अनुग्रहित माईनिंग प्लान प्रस्तुत की जाए।

4. लीज क्षेत्र की सीमा में चारों ओर 7.5 मीटर की पट्टी में युक्तारोपण का कार्य पूर्ण कर फोटोबाज़स सहित जानकारी प्रस्तुत की जाए।
5. लीज बाहरकी सीमा (boundary pillars) जिसमें इसके संलग्न प्रदर्शित हो कर फोटोबाज़स प्रस्तुत की जाए।
6. वित्तीय आश्वायान (Financial assurance) से संबंधित जानकारी पत्रक दिनांक सहित प्रस्तुत की जाए।

उपरोक्त समस्त पूर्ण जानकारी / दस्तावेज़ प्रस्तुत किये जाने समर्थन आवामी कर्तव्याधारी की जाएगी।

उदानुसार एसईएसी, छलीमायड के ज्ञानग दिनांक 11/03/2022 के परिपेक्ष में परिवर्तनाक द्वारा जानकारी/दस्तावेज़ दिनांक 13/10/2022 को प्रस्तुत किया गया है।

(३) समिति की 428वीं बैठक दिनांक 17/10/2022:

समिति द्वारा नवीनी प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न सिद्धि पाई गई—

1. यात्रा कार्यालयी हैरु यात्रा भवायत बलवतपुर का अनापत्ति प्रभाग यह प्रस्तुत किया गया है।
2. लीज क्षेत्र में बलादिट्टंग नहीं हिस्से जाने, उत्तरानन हैरु एक दिन में 20 घण्टियां से अधिक कर्मचारी नहीं होने अदिक्षात्म बहराई ८ मीटर तक सीमित रहते जाने, उत्तरानन कार्य क्षेत्र मैन्युफ्ल विधि से हिस्से जाने के कारण निष्ठानुसार बाईंन लीज बाहरकी के चारों ओर ३ मीटर घोड़ाइ की पट्टी छोड़ी गई है। इसके साथ ही यात्रकों द्वारा बताया गया है—

माईनर एक्ट 1952 (खानी में और क्षेत्र भव के विनियन से संबंधित) की धारा ४(१) के अनुसार खदान में उत्तरानन हैरु विशी एक दिन में 20 घण्टियां से अधिक कर्मचारी नहीं होने, ६ मीटर से अधिक बहराई तक (उत्तरानन से न्यूनतम विन्दु तक) उत्तरानन नहीं होने तथा उत्तरानन हैरु विस्फोटक (Explosives) का उपयोग नहीं होने के कारण बहराई एक्ट 1952 लागू नहीं होगा। फलस्वरूप लीज क्षेत्र की सीमा में चारों ओर ७.५ मीटर की सुख्ता पट्टी की बायता नहीं होने के कारण अनुमतिदित माईनिंग प्लान अनुसार माईन लीज क्षेत्र की सीमा में चारों ओर ३ मीटर घोड़ाइ की सुख्ता पट्टी छोड़ा गया है।

अतः सुख्ता कारणी की लीज क्षेत्र के चारों ओर ७.५ मीटर प्रतिवर्षित दोष छोड़ते हुए रिजर्व की पूर्ण यात्रा कर संशोधित अनुमतिदित माईनिंग प्लान प्रस्तुत किया जाना आवश्यक नहीं है।

3. लीज क्षेत्र की सीमा में चारों ओर ७.५ मीटर की पट्टी में युक्तारोपण का कार्य पूर्ण कर फोटोबाज़स सहित जानकारी प्रस्तुत किया गया है।
4. लीज बाहरकी सीमा (boundary pillars) का फोटोबाज़स प्रस्तुत किया गया है।
5. वित्तीय आश्वायान (Financial assurance) से संबंधित जानकारी पत्रक दिनांक सहित प्रस्तुत किया गया है।
6. समिति का गठ है कि पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के आधार पर दिनांक 01/01/2021 से लिए गए सुरक्षन की पारदर्शक चाचा की जानकारी अदातान सिद्धि में खण्डित विभाग से प्रभागित करकर प्रस्तुत किया जावश्यक है।

7. ग्रामीण दून जी.टी., खिसिपल वैथ. नहीं डिल्टी द्वारा सत्येंद्र पाण्डे विकास भारत सरकार, पर्यावरण, बन और जलवायु परिवर्तन बंजालय, नहीं डिल्टी एवं अन्य (अधिकारितन्त एफिकेशन नं. 186 अंक 2016 एवं अन्य) में दिनांक 13/09/2018 को पारित आदेश में गुरुष्य रूप से निम्नानुसार निर्देशित किया गया है:-

- Providing for EIA, EMP and therefore, Public consultation for all areas from 5 to 25 ha. falling under category B-2 at par with category B-1 by SEAC / SEIAA as well as for cluster situation where ever it is not provided.
- If a cluster or an individual lease size exceed 5 ha. EIA / EMP be made applicable in the process of grant of prior environment clearance.

समिति द्वारा विचार विभाग उपराज सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:-

- कर्यालय कलशटर (खनिज शाखा), तिला-नहालसमुद्र के ज्ञापन क्रमांक 224/क/खालि/नक्ष./2021 नहालसमुद्र, दिनांक 10/02/2022 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर की भीतर अवस्थित 69 खदानों के उच्चकल 403 हेक्टेयर है। आवेदित खदान (प्राच-बहवसमुद्र) का रक्का 0.3 हेक्टेयर है। इस प्रकार आवेदित खदान (प्राच-बहवसमुद्र) की निलाकर कुल रक्का 406 हेक्टेयर है। खदान की सीमा से 500 मीटर की विरोधी में स्थीरता/संगतिका खदानों का कुल उच्चकल 5 हेक्टेयर से अधिक का कलशटर निर्मित होने की कारण यह खदान 'भी' बीमी की गई।
- यहाँ में जारी पर्यावरणीय रवीकृति का पालन प्रतिवेदन एवंविकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, बन और जलवायु परिवर्तन बंजालय से मंगाये जाने हेतु बह लेता किया जाए।
- समिति द्वारा विचार विभाग उपराज सर्वसम्मति से प्रकरण 'भी' केरेगानी का होम के कारण भाल सरकार, पर्यावरण, बन और जलवायु परिवर्तन बंजालय द्वारा अडीत, 2015 में द्वाराहित टैक्सडॉ टम्स ऑफ रिफरेंस (टीओआर) पौर हृष्टद्वृ. /ई.एम.वी. रिपोर्ट पौर हृष्टद्वृ. /इकारियिकीय विवाचारिंग इन्वायरमेंट बलीवरेंस अनुसर हृष्टद्वृ. नोटिफिकेशन, 2008 में वर्णित शेषी 1(ए) का हैम्प्लॉइ टीओआर (नोक सुनवाई सहित) नीन कोल नाईरिंग ट्रॉडिकट्स हेतु निम्न अधिकारिक टीओआर के जाव पारी किये जाने की अनुशंसा की गई:-

- Project proponent shall submit the Individual Environment Management Plan and Common Environment Management Plan.
- Project proponent shall submit the top soil management plan & over burden plan & incorporate the details in the EIA report.
- Project proponent shall submit an affidavit for commitment to the public (Objections/suggestions raised by public) during Public Hearing.
- Project proponent shall submit compliance report of previous environment clearance from Integrated Regional Office, MoEF&CC Raipur.
- Project proponent shall submit production detail from 01/01/2021 to till date from the mining department.
- Project proponent shall ensure that mining lease area to be demarcated by erection of boundary pillars at all corner and area to be fenced.
- Project proponent shall submit a study report regarding the impact on Riverine Ecology of the study area including Mahanadi River. Project

- proponent will also submit an action plan for conservation/protection of water bodies.
- vii. Project proponent shall submit an affidavit stating that no harm, no damage and no contamination shall be committed to nearby water bodies.
 - ix. Project proponent shall submit a Cumulative Environment Impact Assessment Study (Air, Water, Noise, Soil, Traffic etc) of the Industries located in the nearby area and Ecology of the buffer zone of study area and shall incorporate the same in the EIA report.
 - x. The project proponent shall submit an undertaking that there is no court case pending relating to this project before any Court of Law in India.
 - xi. The project proponent shall submit an undertaking in the form of an affidavit stating that there is no violation of Notification S.O. 804(E) dated 14/03/2017 issued by Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Government of India and the direction given by Hon'ble Supreme Court of India in the matter of Common Cause vs Union of India order dated 02/08/2017.
 - xii. EIA study shall be done at minimum 12 no. of stations for data collection considering the pre-dominant wind direction.
 - xiii. Project proponent shall submit the copy of panchnama and photographs of every monitoring station.
 - xiv. Project proponent shall submit the details of 7.5 meter width of mine lease periphery & do plantation during the current year incorporating the plant cost, fertilizer cost, irrigation cost, maintenance cost for atleast 5 years and the details alongwith photographs in the EIA report.
 - xv. Project proponent shall undertake plantation during the monsoon & incorporate in the EIA report.
 - xvi. Project proponent shall undertake plantation (as far as possible fruit bearing species) within the mining lease area as per guidelines issued from time to time and particularly in the 7.5 meter safety zone area of minimum 09 feet height and shall maintain 90% survival rate. The plantation shall be maintained by project proponent for atleast 5 years. Project proponent shall report to Authority regarding yearwise plantation. The details to be submitted alongwith geotag photographs in the EIA report.
 - xvii. Project proponent shall submit CER proposals with details of works alongwith their estimates including land cost and incorporating the plant cost, fertilizer cost, irrigation cost and maintenance cost for atleast 5 years.

प्राधिकरण द्वारा बैठक में लिया गया — उपलब्ध प्रवन्नम पर प्राधिकरण की फिल्म 06/12/2022 को संयन्त्र 134वीं बैठक में लिया गया। प्राधिकरण द्वारा नहीं कि अधिकारी किया गया। प्राधिकरण द्वारा लिया गया चाहतोंसे पार्श्वसम्बन्धि से लिखिय लिया गया कि समिति द्वारा अनुसारित अंतिरिक्ष टीवीआर के राजे में निम्न संहोषण किया गया है—

- 3 (iv) "Project proponent shall submit compliance report of previous environment clearance from Integrated Regional Office, MoEF&CC Raipur." को रखाने पर 3 (iv) "Project proponent shall submit a certified compliance report of the status of compliance of the conditions stipulated in the EC for the ongoing / existing operation of the project by the

- 3 (xv) "Project proponent shall undertake plantation during the monsoon & incorporate in the EIA report." के स्थान पर 3 (xv) "Project proponent shall undertake plantation & incorporate in the EIA report." पढ़ा जाए।
- 3 (xvi) "Project proponent shall submit CER proposals with details of works alongwith their estimates including land cost and incorporating the plant cost, fertilizer cost, irrigation cost and maintenance cost for atleast 5 years." के स्थान पर 3 (xvi) "Project proponent shall submit CER proposals with details of works alongwith their estimates including land cost and incorporating the plant cost, fertilizer cost, irrigation cost and maintenance cost for atleast 5 years & incorporate in the EIA report." पढ़ा जाए।

साथ ही यह भी निर्णय लिया गया कि पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति का बालन प्रतिवेदन एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, धन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नवा राष्ट्रपुर अटल नगर से भंगाये जाने हेतु पत्र लेख किया जाए। परियोजना प्रस्तावक को सभी टम्स ऑफ ऐक्सेन्स (टी.ओ.एस) (लोक सुनवाई समिति) जारी किया जाए। साथ ही एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, धन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नवा राष्ट्रपुर अटल नगर को पत्र लेख किया जाए।

11. नेतरस शूष्मन मिनरल्स (प्रौ.- श्री बी.एल. रमनी, मोहम्मद ता शोलोनाईट डिपोजिट), घास-मोहम्मद ता, लहसील-बैरला, जिला-बैमेतरा (संचिकालय का नामांक 16646)

ऑनलाईन आवेदन – पूर्व में प्रायोजन नम्बर – एसआईए / सीजी / एमआईएन / 213404 / 2021, दिनांक 17 / 05 / 2021 द्वारा टी.ओ.आर हेतु आवेदन किया गया था। यहांना में परियोजना प्रस्तावक द्वारा लंगूल लोक सुनवाई हेतु दिनांक 13 / 10 / 2022 के बालन से अनुरूप पत्र प्रस्तुत किया गया है।

प्रस्ताव का विवरण – यह दूर्वा से संचालित शोलोनाईट (नील खनिज) बदान है। बदान प्राय-मोहम्मद ता, लहसील-बैरला, जिला-बैमेतरा निलंत खाता क्रमांक 1299, 1301, 1302, 1303, 1304 तक 1306, कुल क्षेत्रफल-2.26 हेक्टेयर में है। बदान की आवेदित उत्पादन क्षमता-4,698 टन प्रतिवर्ष है।

एसईएसी, उत्तरीसाहड के द्वापर की छापन की छापन अनुक्रमिक नं. 0, दिनांक 28 / 05 / 2021 द्वारा टी.ओ.आर जारी किया गया है।

वैचक का विवरण –

(अ) समिति की 428वीं बैठक दिनांक 17 / 10 / 2022:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री बी.एल.रमनी, प्रोप्रोट्रैटर विडियो कान्फ्रॉन्टिंग के बालन से उपस्थित हुए। समिति द्वारा नसी, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर मिम स्थिति पाई गई।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि जिला बैमेतरा की जाम कोइरा एवं मोहम्मद ता में विभिन्न खदानों का एक स्पष्ट बल्टर कर रहा है, जो कि

Google Earth की Satellite Image से ल्याए होता है। इस बल्टर में ऐसी भी खदान जूम मिनरल्स ड्रॉ— वी बी एल रमानी, रक्षा—२३६ हेक्टेयर, ग्राम—मोहमदठा में स्थित है। जिसकी पर्यावरणीय स्थीरता की प्राप्त करने हेतु मेरे हारा आपके माननीय कार्यालय में आवेदन प्रस्तुत किया गया है। साथ ही साथ चुड़ अन्य परियोजना प्रस्तावको हारा भी पर्यावरणीय नीतीकृति प्राप्त करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किये गये हैं। समस्त परियोजना प्रस्तावको की पर्यावरणीय स्थीरता की हेतु एक साथ लौकन्यपूर्ण करवाये जाने का अनुरोध है।

माननीय एन.जी.टी., प्रियमल बैठ, नई दिल्ली हारा लौकन्यपूर्ण विकास भारत लाइसेन्स, वर्षावरण, वन और जलवायु परिवर्तन गंभीरता, नई दिल्ली एवं अन्य (ओगियानल एप्रिलीजन नं. 186 ऑफ 2018 एवं अन्य) में दिनांक 13/09/2018 की परियोजना आदेश में “There shall be one public consultation for entire cluster after which the final Environment Impact Assessment or Environment Management Plan report for the cluster shall be prepared” का लिखा है। इस समिति हारा विभार विनसि सुपरार्ट सर्वेतरामति से यह अनुशासा की गई कि बल्टर हेतु संयुक्त जन सुनवाई संस्थित वित्त के बल्टर हारा कराई जा सकती है।

प्राधिकरण हारा बैठक में विभार — उपरीका प्राकृत्य पर प्राधिकरण की दिनांक 05/12/2022 को संघन 134वीं बैठक में विभार किया गया। प्राधिकरण हारा नस्ती का अवलोकन किया गया। प्राधिकरण हारा विभार विभर्ता उपरान्त सर्वसम्मति से समिति की अनुसंधान को स्वीकार करते हुये बल्टर हेतु संयुक्त जन सुनवाई संबंधित वित्त के बल्टर हारा कराई जा सकती है, का मिर्य लिया गया। साथ ही प्राधिकरण का यह भी मिर्य है कि आवेदित खदान के बल्टर में आने वाले समस्त खदानों की आवाल खालकारी कार्यालय कलेक्टर (खनिज राखा), विला—बैठकता वी मंगाया जाए।

परियोजना प्रस्तावक को तादानुसार सूचित किया जाए। साथ ही कार्यालय कलेक्टर (खनिज राखा), विला—बैठकता को घर लेखा किया जाए।

12. गैरवानी आमाकोनी लाईम स्टोर व्हारी (प्रौ.— वी रामसंकर वर्मा), ग्राम—आमाकोनी, लहसील—सिमण, विला—बलीदावाबाजार—भाटापाना (समिक्षालय का नस्ती क्रमांक 2072)

ऑनलाईन आवेदन — इकोजल नम्बर — एसआईए/ सीरी/ एनआईए/ 78055 /2022, दिनांक 10/06/2022 हारा टी.ओ.आर. हेतु ऑनलाईन आवेदन किया गया है।

प्रस्ताव जन विभार — यह पूरी ही संचालित यूना पर्लर (गैरिग खनिज) खदान है। खदान ग्राम—आमाकोनी, लहसील—सिमण, विला—बलीदावाबाजार—भाटापाना लिखा पाठ ऑफ खसता क्रमांक 58, कुल हेक्टेयर—1.02 हेक्टेयर में है। खदान की आवेदित तात्पर्यन क्षमता—५,२४० टन प्रतिवर्ष है।

तादानुसार परियोजना प्रस्तावक को एसई.ए.सी., उत्तीर्णगढ़ के जायन दिनांक 11/10/2022 हारा प्रलूटीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठक का विवरण —

(अ) समिति की 429वीं बैठक दिनांक 18/10/2022-

प्रस्तुतीकरण हेतु भी रामबाल कर्मी, प्रोफेशनल लिपिभाषा हुए। समिति द्वारा नहीं, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न नियमीय गई गई—

१. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण—

- I. पूर्व में चूना पत्थर छानन उसका क्रमांक ३८, कुल क्षेत्रफल—१.०२ हेक्टेयर, क्षमता—१०.७१०.२६ टन जलियर्स हेतु जिला जारीय पर्यावरण भारतीय नियमित व्यापार, जिला—बलौदाबाजार—भाटापाता द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति दिनांक १५/०३/२०१७ को जारी की गई। यह स्वीकृति जारी दिनांक से ५ वर्ष तक ही थी।

चरियोजना प्रकलापक द्वारा कहाया गया कि भारत सरकार, पर्यावरण, यन और जलवायु परिवर्तन बंडलिंग, नहीं जिली द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक १८/०१/२०२१ अनुसार—

"**A. Notwithstanding anything contained in this Notification, the period from the 1st April, 2020 to the 31st March, 2021 shall not be considered for the purpose of calculation of the period of validity of Prior Environmental Clearances granted under the provisions of this Notification in view of outbreak of Corona Virus(COVID-19) and subsequent lockdowns (total or partial) declared for its control, however, all activities undertaken during this period in respect of the Environmental Clearance granted shall be treated as valid.**"

उपरोक्त अधिसूचना की अनुसार पर्यावरणीय स्वीकृति वर्ष यैला जारी दिनांक से दिनांक १४/०३/२०२३ तक यैल होगी।

- II. परियोजना प्रकलापक द्वारा पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के रूपी के पालन में यही गई कार्रवाई की जानकारी प्रस्तुत की गई है। समिति का मत है कि चरियोजना प्रकलापक द्वारा एकीकृत क्षेत्रीय कार्रवाई, भारत सरकार, पर्यावरण, यन एवं जलवायु परिवर्तन बंडलिंग, रायपुर वी पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति का कालन उत्तिवेदन प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
- III. नियमित शान्तानुसार दूसारोंपन नहीं किया गया है।
- IV. कार्रवाई कलेक्टर (भौमिक जारी), जिला—बलौदाबाजार—भाटापाता के द्वापन द्वारा ६३८/खालि/२०२२ कलौदाबाजार, दिनांक १०/१०/२०२२ द्वारा जिगत वर्षी में किये गये उत्तरानन की जानकारी निम्नानुसार है—

वर्ष	कलावादन (टन)
२०१७-१८	२,८००
२०१८-१९	१,०००
२०१९-२०	१,०००
२०२०-२१	१,०००
२०२१-२२	७,०००

२. ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रभाव यन — उत्तरानन की संक्षेप में ग्राम पंचायत आमावोनी का दिनांक ०६/०६/२००६ का अनापत्ति इमार एवं प्रस्तुत किया गया है।
३. उत्तरानन योजना — स्थिर और क्षारी एलान जिया क्षारी कलौजर एलान प्रस्तुत किया गया है, जो संग्रहीत—संचालक (खालि), संचालनकालय, भौमिकी लक्ष्य व्यविकरण, जया रायपुर अटल नगर के झाबन द्वा ६७५४/खालि ०२/पात्र।

अनुमोदन/नाम 08/2021(3) नवा रायपुर, दिनांक 29/12/2021 हारा
अनुमोदित है।

4. 500 ग्रीटर की परिधि में सिध्हत खदान – कार्यालय कलेक्टर (खनिज राज्य),
जिला-बलीदाबाजार-भाटापारा के इावन अनांक/215/ख.सि./2022
बलीदाबाजार, दिनांक 02/06/2022 के अनुसार अनुमोदित खदान से 500 ग्रीटर
के ग्रीटर अवरिश्वत 32 खदाने, कुलपक्ष 64,073 हेक्टेयर हैं।
5. 200 ग्रीटर की परिधि में सिध्हत खदान-सार्वजनिक होड़/सारथनाए – कार्यालय
कलेक्टर (खनिज राज्य), जिला-बलीदाबाजार-माटापारा के इावन
अनांक/215/ख.सि./2022 बलीदाबाजार, दिनांक 02/06/2022 हारा जली
प्रगाण वज्र अनुसार उक्त खदान से 200 ग्रीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक
होड़ यौसे नहिं, गविष्ट, बरधट, अस्पताल, स्कूल, पुल, एनीजट, बांध, राष्ट्रीय
राजमार्ग एवं जल आपूर्ति अदि प्रतिबंधित होड़ सिध्हत नहीं है।
6. गृ-स्वामित्व – मूरि भी रामणिलालन सूष्य के नाम पर है। उल्लेनन हेतु मूरि
रक्षणी का राहगाँड़ पञ्च प्रस्तुत नहीं किया गया है।
7. सीज का विवरण – सीज होड़ भी रामणिलालन सूष्य के नाम पर है।
तापालगांव सीज होड़ दिनांक 22/08/2017 को भी रामणिलालन दर्जे के नाम पर¹
हस्तांतरित की गई। सीज होड़ दिनांक 16/07/2007 से दिनांक
15/07/2037 तक वैध है।
8. डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट – तर्वा 2019 की डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey
Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।
9. गन विभाग का अनापरित प्रमाण पञ्च – कार्यालय इनमण्डलविभागी, रायपुर
घणमण्डल, जिला-रायपुर के इापन अनांक/ना.सि./रा./1171 रायपुर, दिनांक
07/05/2007 से जारी अनापरित प्रमाण पञ्च प्रस्तुत किया गया है।
10. महत्वपूर्ण सारथनाओं की दूरी – निकटतम आवादी याम-आवाकोनी 1.5
किमी, एवं रुक्ल याम-आवाकोनी 1.5 किमी की दूरी पर सिध्हत है। राष्ट्रीय
राजमार्ग 38.6 किमी, एवं राजमार्ग 14 किमी दूर है। लिक्काव नदी 38.5 कि-
मी दूर है।
11. पारिशिक्षणिकीय/जीवविधिक संवेदनशील होड़ – परिषेजना प्रस्तावक द्वारा
10 किमी की परिधि में अलंकृतीय सीमा, राष्ट्रीय रायपुर, अव्याहय, गोन्दीय
प्रदूषण नियंत्रण होड़ द्वारा योगित ड्रिटिकली पील्युटेक एरिया, पारिशिक्षणिकीय
संवेदनशील होड़ या योगित जीवविधिका होड़ सिध्हत नहीं होना प्रतिवेदित किया
है।
12. स्थनन संघर्षा एवं खानन का विवरण – जिलोन्सिकाल रिजर्व लगभग
3,37,110 टन, बाईमेडल रिजर्व लगभग 46,200 टन एवं रिक्कारेडल 41,580 टन
है। सीज की 7.5 मीटर लंबी सीमा पट्टी (उल्लेनन के लिए प्रतिशीति होड़) का
होड़पक्ष 4,796 वर्गहेक्टर है। ओपन कास्ट सीमी जिलोन्सिकल विधि से उल्लेनन
किया जायेगा। उल्लेनन की उत्तराधिक अधिकारान नहराई 15 ग्रीटर है। सीज होड़
में समस्त बिट्टी जी नहराई 1 ग्रीटर है तथा कुल जाता 1,189 घनग्रीटर है। बेच
जी ऊर्ध्वाई 1.5 ग्रीटर एवं लंबाई 1.5 ग्रीटर है। खानन की परिमाणित आपु 5 वर्ग
है। सीज होड़ में छक्कर स्थापित नहीं है एवं इसकी स्थापना का प्रस्ताव नहीं
किया गया है। जीक होगा से ड्रिलिंग एवं बन्डोल बलार्टन किया जाता है।

खादान में यामु प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल का विकलाय किया जाता है। अंतर प्रस्तावित उत्थानन का विषयन निम्नानुसार है:-

वर्ष	प्रस्तावित उत्थानन (टन)
अन्यम्	9,240
हिन्दीय	9,240
सूर्योदय	9,240
पश्चिम	9,240
पूर्वम्	9,240

13. जल आपूर्ति - परियोजना हेतु आवश्यक जल की गात्रा ५ पन्नीहर प्रतिदिन होती है। जल की आपूर्ति यानि पंचायत द्वारा ट्रैकर के वाध्यन से की जाती है। इस बाबत याम पंचायत का अनावृत्ति प्रमाण पर प्रस्तुत किया जाता है।
14. शुकारोधन कार्य - लीज बोर की सीमा में याती और 7.5 मीटर की पट्टी में 891 नग शुकारोधन किया जाएगा। यान्त्रान में 200 नग शुकारोधन किया जाया है। शेष 691 नग शुकारोधन किया जाना प्रस्तावित है।
15. खादान की 7.5 मीटर की गोदी सीमा पट्टी में उत्थानन - प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि लीज बोर के याती और 7.5 मीटर की सीमा पट्टी का कुल क्षेत्रफल 4,790 वर्गमीटर लीज है, जिसमें 958 वर्गमीटर लीज 6 मीटर की गहराई तक उत्थानित है। प्रतिवर्षित 7.5 मीटर गोदी सीमा पट्टी में उत्थानन किया जाना पर्यावरणीय स्थिरता की जाती का सालाहण है। अतः परियोजना प्रस्तावक के विषय नियमानुसार आवश्यक उत्थानन कार्यवाही किया जाना आवश्यक है।
16. उत्थाननीय है कि भास्त सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलयामु विभागों ने जलयामु विभागीय नियमों के अनुसार लीज बोर के ऊपर 7.5 मीटर गोदी सीमा पट्टी जीवन में शुकारोधन किया जाना आवश्यक है।

"The Project Proponent shall develop greenbelt in 7.5m wide safety zone all along the mine lease boundary as per the guidelines of CPCB in order to arrest pollution emanating from mining operations within the lease. The whole green belt shall be developed within first 5 years starting from windward side of the active mining area. The development of greenbelt shall be governed as per the EC granted by the Ministry irrespective of the stipulation made in approved mine plan."

परकर गानक फली के अनुसार खड़न लीज बोर के ऊपर 7.5 मीटर गोदी सीमा पट्टी जीवन में शुकारोधन किया जाना आवश्यक है।

17. गाननीय इनजीटी, प्रियेपल बैच, नई दिल्ली द्वारा सत्येत पार्षदत विकल्प भास्त सरकार, पर्यावरण, वन और जलयामु परियोजना पर्यावरण नई दिल्ली एवं अन्य (जोरिकरण से एकीकरण नं. 186 अंक 2016 एवं अन्य) में दिनांक 13/09/2018 को पारित आदेश में मुख्य रूप से नियमानुसार निर्दिष्ट किया गया है-

- a) Providing for EIA, EMP and therefore, Public consultation for all areas from 5 to 25 ha, falling under category B-2 as per with category B-1 by SEAC / SEIAA as well as for cluster situation where ever it is not provided.
- b) If a cluster or an individual lease size exceed 5 ha, EIA / EMP be made applicable in the process of grant of prior environment clearance,

समिति द्वारा विचार विभाग वर्षतांत्र सर्वसम्मति से निम्नानुसार नियंत्रण लिए गए—

1. कार्यालय कलेक्टर (विधीन शासन), जिला-कलीदाराकाल-गाठपाटा के इलायन इन्हॉल / 215 / ख.सि./ 2022 बलीदाराकाल, दिनांक 02/06/2022 के अनुसार आवेदित खदान वी ६०० वीटर की ओर अवैधित ३२ खदानों, क्षेत्रफल ६४.०७३ हेक्टेयर है। आवेदित खदान (प्राम-आवाकोनी) का लकड़ा १.०२ हेक्टेयर है। इस प्रकार आवेदित खदान (प्राम-आवाकोनी) को मिलाकर कुल लकड़ा ६५.०७३ हेक्टेयर है। खदान की सीधा से ६०० वीटर की परिसीम में लीचूत/संचालित खदानों का कुल क्षेत्रफल ५ हेक्टेयर से अधिक का कलहटर निर्मित होने के कारण यह खदान 'बी' की मानी गयी।
2. नाईन लीज लोअर और ७.५ वीटर बीढ़े सेफटी लोअर के कुछ भाग में लिये गये उत्तराखण्ड के कारण इस लोअर के उच्चारी उपचारी (Remedial Measures) के लिए में लेता लीज सेन्ज के अंदर माईनिंग क्रियाकलापों के कारण उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण हेतु आवश्यक उपचारी यथा कृषांशुषण आदि के लिये सञ्चुरित उपायों की क्रियान्वित कराने वाले संस्थानक, संघातनकाल, भौमिकी तथा व्यानिकर्ता, इंद्राजली भवन, यथा रायपुर अठल नगर, जिला - रायपुर (अर्थीसगढ़) को सेवा किया जाए।
3. द्वितीयं प्रति ७.५ वीटर बीढ़ी सीधा पट्टी में अंतिम संतुलन किया जाना पाये जाने पर व्यरियोजना व्यवस्थक के विश्वदृग्य गियमानुसार आवश्यक उपकालक कर्तव्याधी किये जाने हेतु संस्थानक, संघातनकाल, भौमिकी तथा खनिकर्म वो एवं पर्यावरण की क्षमि पहुंचाने हेतु छलीसमझ पर्यावरण संस्थान मंडल, यथा रायपुर अठल नगर की आवश्यक कार्यवाही किये जाने हेतु लेख किया जाए।
4. पूर्व में जारी पर्यावरणीय वीलूचनी का पालन छलीसेवन इकायों को व्यवस्थक व्यवस्थापन, सारकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंडल द्वारा अप्रैल, 2015 में प्रकाशित स्टैच्डर्ड टम्स ऑफ रिफरेन्स (टीओआर) और ई.आई.ए./ई.एम.वी. रिपोर्ट और प्रोजेक्ट/एकटीविटीज रिकार्डरिंग इन्वायर्मेंट रिफरेन्स अप्लाई हुआई.ए. नोटिफिकेशन, 2006 में वर्णित क्षेत्री १(र) का स्टैच्डर्ड टीओआर (सोक सुखाई व्यक्ति) नीन वोल माईनिंग प्रोजेक्टस हेतु निम्न अधिरिक टीओआर के साथ जारी किये जाने की अनुमति की गई—
 - i. Project proponent shall inform SEIAA & S.E.A.C. Chhattisgarh before commencement of Baseline Data Generation and start of monitoring work for preparation of EIA Study Report.
 - ii. Project proponent shall submit the Individual Environment Management Plan and Common Environment Management Plan.
 - iii. Project proponent shall submit compliance report of previous environment clearance from Integrated Regional Office, MoEF&CC Raipur.
 - iv. Project proponent shall submit the top soil management plan & incorporate the details in the EIA report.

- v. Project proponent shall submit the consent agreement copy of actual land owner for mining.
- vi. Project proponent shall submit an affidavit for commitment to the public (Objections/suggestions raised by public) during Public Hearing.
- vii. Project proponent shall ensure that mining lease area to be demarcated by erection of boundary pillars at all corner and area to be fenced.
- viii. EIA study shall be at minimum 8 no. of stations for data collection considering the pre-dominant wind direction.
- ix. Project proponent shall submit the copy of panchnama and photographs of every monitoring station.
- x. Project proponent shall submit a Cumulative Environment Impact Assessment Study (Air, Water, Noise, Soil, Traffic etc) of the mines located in the nearby area and Ecology of the buffer zone of study area and shall incorporate the same in the EIA report.
- xi. The project proponent shall submit an undertaking that there is no court case pending relating to this project before any Court of Law in India.
- xii. The project proponent shall submit an undertaking in the form of an affidavit stating that there is no violation of Notification S.O. 804(E) dated 14/03/2017 issued by Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Government of India and the direction given by Hon'ble Supreme Court of India in the matter of Common Cause vs Union of India order dated 02/08/2017.
- xiii. Project proponent shall submit layout map earmarking 7.5 meter of mine lease periphery & previously mined out area in safety zone, calculation of mined out area and remedial measures for development of greenbelt in 7.5 meter wide all along the mine lease boundary as per the guidelines of CPCB in order to arrest pollution emanating from mining operations within the lease. Project proponent shall incorporate the remedial measures for mining activity carried out in the past in safety zone.
- xiv. Project proponent shall complete the restoration of 7.5 meter width of mine lease periphery & do plantation during the current year incorporating the plant cost, fertilizer cost, irrigation cost, maintenance cost for atleast 5 years and the details alongwith photographs in the EIA report.
- xv. Project proponent shall undertake plantation (as far as possible fruit bearing species) within the mining lease area as per guidelines issued from time to time and particularly in the 7.5 meter safety zone area of minimum 06 feet height and shall maintain 90% survival rate. The plantation shall be maintained by project proponent for atleast 5 years. Project proponent shall report to Authority regarding yearwise plantation. The details to be submitted alongwith geotag photographs in the EIA report.
- xvi. Project proponent shall submit CER proposals with details of works alongwith their estimates including land cost and incorporating the plant cost, fertilizer cost, irrigation cost and maintenance cost for atleast 5 years.

प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार – उपलेख प्रकरण पर प्राधिकरण की विनोद 05/12/2022 को सम्पन्न 134वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा नवीनी का अवलोकन किया गया। प्राधिकरण द्वारा विचार विमर्श उपसंचालन समिति से विशेष लिया गया कि समिति द्वारा अनुशासित अंतरिक्ष टीओआर के तर्फ में गिर संशोधन किया गया कि:-

- 5 (iii) "Project proponent shall submit compliance report of previous environment clearance from Integrated Regional Office, MoEF&CC Raipur." के रखाने पर 5 (ii) "Project proponent shall submit a certified compliance report of the status of compliance of the conditions stipulated in the EC for the ongoing / existing operation of the project by the Integrated Regional Office, MoEF&CC Raipur in accordance with the circular No. J-11011518/2010-HM(I) dated 30/06/2012." पढ़ा जाए।
- 5 (xvi) "Project proponent shall submit CER proposals with details of works alongwith their estimates including land cost and incorporating the plant cost, fertilizer cost, irrigation cost and maintenance cost for atleast 5 years." के रखाने पर 5 (xvi) "Project proponent shall submit CER proposals with details of works alongwith their estimates including land cost and incorporating the plant cost, fertilizer cost, irrigation cost and maintenance cost for atleast 5 years & incorporate in the EIA report." पढ़ा जाए।

सबसे ही यह भी विशेष लिया गया कि:-

- (i) (i) नाईन लीज लैंड के चारों ओर 7.5 मीटर चौड़े बोपटी जौन के कुछ भाग में लिये गये सारांगन के कारण इस लैंड के उपरान्त उपायी (Remedial Measures) के संरक्षण में तथा लीज लैंड के अंदर नाईनिंग फिल्टरलाइपी के कारण उत्पन्न द्रव्यमान विशेषज्ञ उत्तु आवश्यक उपायी तथा दुष्कारीय आदि के लिये सामुद्रित उपायी बालू संचालक, संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकार्म, इंद्राणी भवन, नवा रायपुर अटल नगर, जिला – रायपुर (अन्तीलगढ़) को पत्र लिख किया जाए।
- (ii) इनीशियल 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी में अपैप उत्पन्न किया जाना याए जाने पर परियोजना प्रस्तावक के विकल्प निष्पान्नसार आवश्यक विचारित कार्यवाही लिये जाने उत्तु संचालक, संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकार्म को पत्र सेवा किया जाए।
- (iii) नाईन लीज लैंड के चारों ओर 7.5 मीटर चौड़े सेक्टी जौन के कुछ भाग में लिये गये उत्पन्न से पर्यावरण की काति होने के कारण छल्लीसालड़ पर्यावरण संबंध मंडल, नवा रायपुर अटल नगर की आवश्यक कार्यवाही लिये जाने उत्तु पत्र सेवा किया जाए।
- (iv) पूर्व में जारी पर्यावरणीय नवीकृति का पालन इनीशियल लीजीय कार्यालय, भास्ता सरकार, पर्यावरण, बन और जलवायु परिकार्म मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर दी जानाये जाने उत्तु पत्र सेवा किया जाए।

परियोजना प्रस्तावक को सकारी दम्भी और ऐफरेन्स (टीओआर) (लीक तुनवाई सहित) जारी किया जाए। सबसे ही संचालक, संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकार्म, इंद्राणी भवन, नवा रायपुर अटल नगर एवं छल्लीसालड़ पर्यावरण संबंध मंडल, नवा

तथापुर अटल नगर तथा एकीकृत सेवीय कार्यालय, भाजा शहरकर, पश्चिमदेश, यम और जलवायु परिवर्तन नंजालय, नवा राष्ट्रपुर अटल नगर को चब लेता किया गया।

12. बैसरी लाईन स्टोन कार्पोरेशन (प्रो.- श्री कमलेश पांडे), शाम-नंदनी-खुंदनी, ताहसील-पानवा, जिला-दुर्ग (संचिकालय का नम्रता क्रमांक 2076) औनलाईन आवेदन - प्रपोज्य नम्रता - एकाउंट/ श्रीजी/ एमआईएन/ 70200 / 2022, दिनांक 11 / 06 / 2022 द्वारा दी.ओ.आर. हेतु औनलाईन आवेदन जिम्मा गया है।

प्रस्ताव का विवरण - यह प्रस्तावित धूगा पलघर (खान खनिज) खदान है। खदान शाम-नंदनी-खुंदनी, ताहसील-पानवा, जिला-दुर्ग जिला नम्रता क्रमांक 395, 405 / 1, 405 / 2, 405 / 3, 406, 407, 408 / 1, 408 / 2, 408 / 3, 408 / 4, 409, 424 / 2 एवं 426 / 1, कुल क्षेत्रफल-4.26 हेक्टेयर में प्रस्तावित है। खदान की अनुमित उत्तरानन शम्भा-1,50,150 टन प्रतिवर्षी है।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावका को एसईएसी, उत्तीर्णगढ़ के ज्ञापन दिनांक 11 / 10 / 2022 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सुधित किया गया।

बैठक का विवरण -

(अ) समिति की 429वीं बैठक दिनांक 18 / 10 / 2022:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री हरिशंकर बुम्कर, अधिकृत प्रतिनिधि उपर्युक्त हुए। समिति द्वारा नस्ती प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर जिम्मा पाई गई-

1. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्थीरकृति संबंधी विवरण- इस खदान को पूर्व में पर्यावरणीय स्थीरकृति जारी नहीं की गई है।
2. शाम पंचायत का अनापरित प्रमाण पत्र - उत्तरानन एवं जलवायत को संभव में शाम पंचायत नंदनी-खुंदनी का दिनांक 17 / 01 / 2013 का अनापरित प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
3. उत्तरानन योजना - जारी प्राप्त प्रस्तुत किया गया है, जो उप-पर्यावरण, खनिज प्रशासन, जिला-दुर्ग के ज्ञापन क्रमांक 119 / खनि.अनु-01 / 2022 दुर्ग, दिनांक 05 / 05 / 2022 द्वारा अनुमोदित है।
4. 500 मीटर की परिधि में विषय खदान - जायीलय कलेक्टर (खनिज राज्य), जिला-दुर्ग के ज्ञापन क्रमांक 342 / खनि.सि.02 / खनिज / 2022 दुर्ग, दिनांक 02 / 06 / 2022 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर की भौतिक अवधि 12 लदानी, क्षेत्रफल 74.58 हेक्टेयर है।
5. 200 मीटर की परिधि में विषय सार्वजनिक होम/ शौरचनाएं - जायीलय कलेक्टर (खनिज राज्य), जिला-दुर्ग के ज्ञापन क्रमांक 342 / खनि.सि.02 / खनिज / 2022 दुर्ग, दिनांक 02 / 06 / 2022 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान से 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक होम जैसी नींदें, नरियां, बरसाट, अस्पताल, स्कूल, पुस्तकालय एवं जल आपूर्ति जारी प्रतिवर्धित होता नहीं है।
6. मू-स्वामित्व - भूमि खदान क्रमांक 395, 407, 408 / 2 श्री राजेश पांडे, खदान क्रमांक 405 / 1, 405 / 2, 406 / 3, 408, 408 / 4, 409, 424 / 2, 426 / 1

की नंदगुप्तार एवं सत्यरामांक 408/1, 408/3 वी जागेश्वर व वी राजू के नाम पर है। उत्तराखण्ड हेतु भूमि समानियों का साहमति पत्र प्रस्तुत किया गया है।

7. एलओआई का विवरण – एलओआई की उन्नतें पांडे के नाम पर है जो कार्यालय कलेक्टर (लखिल राज्य), जिला-दुर्ग के छापन कानून/61/खनिज/रप./2021 दुर्ग, दिनांक 13/04/2022 द्वारा जारी की गई, जिसकी फैला जारी दिनांक से 1 वर्ष की अवधि तक है।
8. डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट – वर्ष 2019 की डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की इसी प्रस्तुत की गई है।
9. कन खियान का अनापत्ति प्रमाण पत्र – कार्यालय उन्नतांकलभिकारी, दुर्ग उन्नतांकल, जिला-दुर्ग के छापन कानून/तक.अधि./2021/879 दुर्ग, दिनांक 06/02/2021 से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र अनुसार आधिकारिक ढोक बन केरल की सीमा से 3 किमी की दूरी पर है।
10. महावरपूर्ण संरचनाओं की दूरी – निष्ठाताम आवादी ग्राम-नंदनी-सुदूर्नी 1.7 किमी, एवं स्कूल ग्राम-नंदनी-सुदूर्नी 1.7 किमी, जी दूरी पर स्थित है। राज्यमार्ग 2.1 किमी, दूर है। जिबनाध नदी 1.4 किमी, दूर है।
11. पारिसिवितिकीय/जीवविविधता संवेदनशील ढोक – परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 किमी की परियोजने में अंतरीक्षीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयाशाल, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित डिट्रिक्टी चौल्हाटे रिया, पारिसिवितिकीय संवेदनशील ढोक या घोषित जीवविविधता ढोक स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया गया है।
12. खानन बांधवा एवं खानन का विवरण – जियोर्जिकल रिजर्व 13,23,750 टन माइग्रेशन रिजर्व 7,84,026 टन एवं डिक्क्वेल रिजर्व 7,44,825 टन है। सीज की 7.5 मीटर और ऊँची सीना पट्टी (उत्तराखण्ड के लिए चतुर्भिंश ढोक) वा क्षेत्रपन 7,300 घनमीटर है। औरन कास्ट सीमी मैकेनार्ड्स्वल विलि से उत्तराखण्ड किया जाएगा। उत्तराखण्ड की प्रस्तावित अधिकारी नहराई 56 मीटर है। सीज ढोक में जलपी लिट्री की ऊदाई 1 मीटर है तथा जल मात्रा 22,400 घनमीटर है। बैच जी ऊदाई 1.5 मीटर एवं ऊदाई 1.5 मीटर है। खदान की संभागित आयु 5 वर्ष हो अधिक है। लौज ढोक में जलान स्थापित किया जाना प्रस्तावित नहीं है। जैक हैमर से हिलिंग एवं लंग्टोल लारिटंग किया जाएगा। खदान में बायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल का डिक्कनाम किया जाएगा। पर्यावर प्रस्तावित उत्तराखण्ड का विवरण निम्नानुसार है—

वर्ष	प्रस्तावित उत्तराखण्ड (टन)
घट्यम	1,00,688
द्वितीय	1,12,500
तृतीय	1,12,500
चतुर्थ	1,12,500
पंचम	1,50,150

13. जल आपूर्ति – परियोजना हेतु आवश्यक जल की जाता 7.5 घनमीटर प्रतीदिन होगी। जल की आपूर्ति ग्राम पंचायत द्वारा टैक्स के मालियम से की जाएगी। इस जलसंग्रह का अनावृत्ति ग्राम पंचायत की प्रस्तावित प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।

14. वृक्षारोपण कार्य – लैंज शेत की सीमा में जारी और 7.5 मीटर की पट्टी में 2,600 नये वृक्षारोपण किया जाएगा।

15. खदान की 7.5 मीटर की ओरीनी सीमा पट्टी में उत्थानन – प्रस्तुतीकरण के दीर्घन परियोजना प्रस्तावक द्वारा कहाया गया कि एलओआई जारी होने से पूर्व ही लैंज शेत की जारी और 7.5 मीटर की सीमा पट्टी का कुल क्षेत्रफल 7,300 हेक्टेक्टर के बीच में से कुए भाग 15 मीटर की नहराई तक पूर्व से उत्थानित है, जिसका उल्लेख अनुमोदित मार्फतिंग प्राप्तान में नहीं किया गया है। अतः प्रतिवर्तित 7.5 मीटर ओरीनी सीमा पट्टी में उत्थानन किया जाना पर्यावरणीय स्थीरता की जारी का सुलभयम है। सब ही 7.5 मीटर ओरीनी सीमा पट्टी में किये गए उत्थानन की स्पष्ट जानकारी का उल्लेख करते हुए रिक्वी की गणना कर जानी प्राप्तान में संशोधन किया जाना आवश्यक है।

16. उल्लेखनीय है कि भारत सरकार पर्यावरण बन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय नहीं दिल्ली द्वारा नीन कोल मार्फतिंग ऑडिक्टस हेतु मानक पर्यावरणीय शीर्षक की गई है। इसी क्रमांक VIII (v) के अनुसार—

"The Project Proponent shall develop greenbelt in 7.5m wide safety zone all along the mine lease boundary as per the guidelines of CPCB in order to arrest pollution emanating from mining operations within the lease. The whole green belt shall be developed within first 5 years starting from windward side of the active mining area. The development of greenbelt shall be governed as per the EC granted by the Ministry irrespective of the stipulation made in approved mine plan."

उक्त मानक जारी की अनुसार मार्फतिंग शीर्षक के अंदर 7.5 मीटर ओरीनी सेपटी जीन में वृक्षारोपण किया जाना आवश्यक है।

17. गैर मार्फतिंग शोब्र – खदान से उत्थानी एवं परिवर्ती दिला की तरह संकीर्ण क्षेत्र (Narrow area) होने के कारण 1,150 हेक्टेक्टर शेत को गैर मार्फतिंग शेत रखा गया है, जिसका उल्लेख अनुमोदित मार्फतिंग प्राप्तान में किया गया है। इस संघर्ष में समिलि जा मत है कि उक्त गैर मार्फतिंग शेत पर सुलालेश्वर किये जाने वायत सफल चर (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

18. प्रस्तुतीकरण के दीर्घन परियोजना प्रस्तावक द्वारा अनुरोध किया गया कि उक्त वलस्टर हेतु पूर्व में पर्यावरणीय स्थीरता हेतु जन सूनवाई दिनांक 03/10/2019 को कराई जा सकती है तथा उस आधार पर पूर्व में उसी वलस्टर में समिलित खदान मेंसर्स पर्यावरण लाइस रिटेन नाईन (श्री— श्री मुकेश धोरी) द्वारा लोक सुनवाई में छुट देते हुये टीओआर जारी किया गया था। अतः परियोजना प्रस्तावक द्वारा यह सुदान उक्त वलस्टर का भाग होने के बाबन लोक सुनवाई से छुट प्रदान करते हुये टीओआर जारी किये जाने का अनुरोध किया गया है।

समिलि के संक्षान में यह सब आया कि भारत सरकार, पर्यावरण, बन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नहीं दिल्ली द्वारा जारी ऑफिस कैमोरेट्यम दिनांक 08/08/2022 अनुसार "The baseline data and Public Hearing shall not be more than three years old at the time of submission of application for consideration of EC" है।

पूर्व में कैसलाईन डाटा एकान्त बनने का कार्य अक्टूबर 2018 से दिसम्बर 2018 के मध्य किया गया था तथा वलस्टर की लोक सुनवाई दिनांक 03/10/2019 को अधीक्षित की गई थी। उक्त ऑफिस कैमोरेट्यम के अनुसार

पर्यावरण ने, पूरी एकलिंग बैललाइंग छाटा एवं पूरी लोक सुनवाई की विधत्त राज्यपाल द्वारा चूकी है। यहाँमें खरियोजना प्रस्तावक द्वारा दी ओआर हेतु आवेदन किया गया है, जिसके पश्चात् ही पर्यावरणीय स्थैतिकति हेतु आवेदन किया जाना है। उल्लेख के सदर्ने में समिति का गठ है कि नवीन बैललाइंग छाटा एकलिंग कर ई.आई.ए. लियोटे तैयार किया जाना लोक बलस्टर हेतु पूरा लोक सुनवाई कराया जाना आवश्यक है।

19. मानवीय एन.जी.टी., प्रिशिपल द्वेष, नई डिल्सी द्वारा नार्थेंड नाम्बोग डिक्ट्स भारत राजस्व, पश्चिम, यन और चलाया परिवर्तन मंडलाव, नई डिल्सी एवं अन्य (अन्तरिक्षात् एकलिंग नं. 186 ऑफ 2016 एवं अन्य) में दिनांक 13/09/2016 को पारित झारेश में गुरुग्राम रूप से निम्नानुसार निर्देशित किया गया है—

- Providing for EIA, EMP and therefore, Public consultation for all areas from 5 to 25 ha falling under category B-2 as per with category B-1 by SEAC / SEMAA as well as for cluster situation where ever it is not provided.
- If a cluster or an individual lease size exceed 5 ha. EIA / EMP be made applicable in the process of grant of prior environment clearance.

समिति द्वारा विचार किया गुप्तसंसाधन सार्वजनिक से निम्नानुसार विवरण किया गया—

- उत्तरीस्थ कल्हेक्टर (खनिज शास्त्र), जिला—दुर्ग के जालन इमार 342/खनिज 02/खनिज/2022 दुर्ग, दिनांक 02/08/2022 को अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अलिंगित 12 खदानों की अवधार है। अवेदित खदान (प्राम—नंदनी—चुंदनी) का एकत्र 4.26 हेक्टेयर है। इस प्रकार आवेदित खदान (प्राम—नंदनी—चुंदनी) को खिलावन कुल एकत्र 78.84 हेक्टेयर है। खदान की सीमा से 500 मीटर की परिधि में स्थीति/संचालित खदानों का कुल हेक्टेयर 5 हेक्टेयर से अधिक का बलस्टर निर्भीत होने के कारण वह खदान “बी1” क्षेत्री की माली गयी।
- भाईन लीज लीज के साथी और 7.5 मीटर बीढ़े सेप्टी जोग के पूर्ण भाग में जिवे गये उत्तरानन के कारण इस लीज के उपचारी उपायों (Remedial Measures) के अंतर्गत में तथा लीज लीज के अदर नाईंगिंग कियाकरतापी के कारण उत्तरान इटूषण नियंत्रण हेतु आवश्यक तथा तुलारोपण आदि के लिये समुचित उपचारी की कियानित करने वाला संचालक, संचालनालय, भीमिकी तथा खनिकर्म, इंटाकरी भवन, तथा राजनुसंचालन नगर, जिला—सायपुर (छल्लीसगढ़) को सेवा किया जाए।
- प्रतिशेषित 7.5 मीटर बीढ़ी सीमा बदली में अवैध उत्तरान किया जाना चाहे जाने एवं जीव उत्तरान नियन्त्रण आवश्यक कार्यताही किये जाने हेतु संचालक, संचालनालय, भीमिकी तथा खनिकर्म जो एवं पर्यावरण को सहि पहुंचाने हेतु उत्तीर्णगढ़ पर्यावरण संस्थान मंडल, नवा रायपुर बलस्टर नगर को आवश्यक कार्यताही किये जाने हेतु सेवा किया जाए।
- समिति द्वारा विचार किया गुप्तसंसाधन सार्वजनिक से प्रकल्प “बी1” कोटेजी के होने के कारण भारत सरकार, पर्यावरण, यन और उत्तरानु परिवर्तन गवालय द्वारा अप्रैल, 2015 में प्रकल्पित रटैफ्फर्ड टम्सी ऑफ रिफरेंस (टीओआर) और ई.आई.ए./ई.एम.पी. लियोटे पॉर ड्रोलोवट्स/एकटीलिटीज रिक्यायटिंग इन्वेस्टिगेट फ्लीकरेंस अप्पार हेतु ए. न्यॉटिकलिंग, 2006 में वर्णित खेती 1(ए) का रटैफ्फर्ड टीओआर

(लोक सुनावी राहिल) नीव कौल मार्गिन फैसला हुए तिन अंतिम दीर्घीमात्र के साथ पारी लिये जाने की अनुसंधान की गई।-

- i. Project proponent shall inform SEWA & S.E.A.C. Chhattisgarh before commencement of Baseline Data Generation and start of monitoring work for preparation of EIA Study Report.
- ii. Project proponent shall submit the Individual Environment Management Plan and Common Environment Management Plan.
- iii. Project proponent shall submit the top soil management plan & incorporate the details in the EIA report.
- iv. Project proponent shall submit an affidavit for commitment to the public (Objections/suggestions raised by public) during Public Hearing.
- v. Project proponent shall ensure that mining lease area to be demarcated by erection of boundary pillars at all corner and area to be fenced.
- vi. EIA study shall be at minimum 8 no. of stations for data collection considering the pre-dominant wind direction.
- vii. Project proponent shall submit the copy of panchnams and photographs of every monitoring station.
- viii. Project proponent shall submit a Cumulative Environment Impact Assessment Study (Air, Water, Noise, Soil, Traffic etc) of the mines located in the nearby area and Ecology of the buffer zone of study area and shall incorporate the same in the EIA report.
- ix. The project proponent shall submit an undertaking that there is no court case pending relating to this project before any Court of Law in India.
- x. The project proponent shall submit an undertaking in the form of an affidavit stating that there is no violation of Notification S.O. 804(E) dated 14/03/2017 issued by Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Government of India and the direction given by Hon'ble Supreme Court of India in the matter of Common Cause vs Union of India order dated 02/08/2017.
- xi. Project proponent shall submit layout map earmarking 7.5 meter of mine lease periphery & previously mined out area in safety zone, calculation of mined out area and remedial measures for development of greenbelt in 7.5 meter wide all along the mine lease boundary as per the guidelines of CPCB in order to arrest pollution emanating from mining operations within the lease. Project proponent shall submit revised mining plan and incorporate the mined out area and remedial measures for mining activity carried out in the past in safety zone.
- xii. Project proponent shall complete the restoration of 7.5 meter width of mine lease periphery & do plantation during the current year incorporating the plant cost, fertilizer cost, irrigation cost, maintenance cost for atleast 5 years and the details alongwith photographs in the EIA report.
- xiii. Project proponent shall undertake plantation (as far as possible fruit bearing species) within the mining lease area as per guidelines issued from time to time and particularly in the 7.5 meter safety zone area of minimum 05 feet height and shall maintain 90% survival rate. The plantation shall be maintained by project proponent for atleast 5 years.

Project proponent shall report to Authority regarding yearwise plantation. The details to be submitted alongwith geotag photographs in the EIA report.

- xiv. Project proponent shall submit CER proposals with details of works alongwith their estimates including land cost and incorporating the plant cost, fertilizer cost, irrigation cost and maintenance cost for atleast 5 years.

प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार – उपरीकृत प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 05/12/2022 को संघन 134वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा नस्ती का अवलोकन किया गया। प्राधिकरण द्वारा विचार किमर्श उपराजि शब्दावली से निर्णय लिया गया कि समिति द्वारा अग्रसरित अतिरिक्त टीओआर के तरी में निम्न संशोधन किया गया कि:-

- 4 (xiv) "Project proponent shall submit CER proposals with details of works alongwith their estimates including land cost and incorporating the plant cost, fertilizer cost, irrigation cost and maintenance cost for atleast 5 years." के पश्चात पर 4 (xiv) "Project proponent shall submit CER proposals with details of works alongwith their estimates including land cost and incorporating the plant cost, fertilizer cost, irrigation cost and maintenance cost for atleast 5 years & incorporate in the EIA report." पढ़ा जाए।

साथ ही यह भी निर्णय लिया गया कि:-

(i) (i) नाईन लीज लैंड के तारी और 7.5 मीटर चौड़े सेपटी जोन के कुछ भाग में किसी गंभीर सुलझनन के कारण इस लैंड के उपचारी उपायों (Remedial Measures) के संबंध में उस लीज लैंड के अंदर नाईन फिल्हाल उपायों का युक्तादीय आदि के लिये समुचित उपायों का बहुत संचालक, संचालनालय, भीमिकी उषा खनिकर्म, इंद्राकी भवन, नवा रायपुर अटल नगर, जिला – रायपुर (छत्तीसगढ़) की पत्र लिख किया जाए।

(ii) प्रतिवर्षित 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी में अवैध सुलझनन किया जाना यादे जाने पर परियोजना प्रत्यावरक के विकल्प नियमानुसार आवश्यक विचारित कार्यवाही किये जाने हेतु संचालक, संचालनालय, भीमिकी उषा खनिकर्म के पत्र लेख किया जाए।

(iii) नाईन लीज लैंड के तारी और 7.5 मीटर चौड़े सेपटी जोन के कुछ भाग में किसी गंभीर सुलझनन से पर्यावरण को छापे होने के कारण इसीशागढ़ पर्यावरण संस्कार बहल, नवा रायपुर अटल नगर को आवश्यक कार्यवाही किये जाने हेतु पत्र लेख किया जाए।

परियोजना प्रत्यावरक को साझी टमर्स ऑफ ऐक्सेन्स (टी.ओ.एस.) (लोक सुनार्ह समिति) जारी किया जाए। साथ ही संचालक, संचालनालय, भीमिकी उषा खनिकर्म, इंद्राकी भवन, नवा रायपुर अटल नगर एवं इसीशागढ़ पर्यावरण संस्कार बहल, नवा रायपुर अटल नगर को चतु लेख किया जाए।

14. मेसर्स टिकनपाल लाईन स्टोर क्षमारी (प्रौ.- श्री कंशव छुब), याम-टिकनपाल, तहसील व जिला-बसतर (संधिकालय का नम्रती क्रमांक 2048)

ओनलाईन आवेदन — प्रयोगज सम्बन्ध — एचआईए/ सीजी/ एमआईएन/ 77441/ 2022, दिनांक 28/ 06/ 2022 हारा टी.ओ.आर हेतु ऑनलाईन आवेदन लिया गया है। परियोजना प्रस्तावक हारा प्रस्तुत आवेदन में उल्पीय होने वी ज्ञापन दिनांक 07/ 06/ 2022 हारा जानकारी प्रस्तुत करने हेतु लिखित किया गया। परियोजना प्रस्तावक हारा प्रस्तुत जानकारी दिनांक 14/ 06/ 2022 की ऑनलाईन प्रस्तुत की गई।

प्रस्ताव का विवरण — यह इलायित घूम पत्थर (खनिज खनिज) खदान है। खदान याम-टिकनपाल, तहसील व जिला-बसतर क्रमांक 410 एवं 411, कुल क्षेत्रफल—1.18 हेक्टेयर में प्रस्तावित है। खदान की आवेदित उत्तराधि शम्भा—60,000 टन अन्तिवर्ष है।

तहसील परियोजना प्रस्तावक को एसईएसी, उत्तीर्णनक के ज्ञापन दिनांक 12/ 10/ 2022 हारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठक का विवरण —

(अ) समिति की 42वीं बैठक दिनांक 18/ 10/ 2022

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री कंशव छुब, प्रौपराईटर उपरियत हुए। समिति हारा नम्रती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न निपति चाहूँ गई—

1. पूर्व में जारी वर्तावरणीय क्षीकृति संबंधी विवरण— इस खदान को पूर्व में पर्यावरणीय स्वीकृति जारी नहीं की गई है।
2. याम पर्यायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र — उत्तराधि के संबंध में याम पर्यायत टिकनपाल का दिनांक 24/ 11/ 2020 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
3. उत्तराधि खोजना — क्षारी पत्थर लिये रखीं और माईमिन खोर फस्ट पाइप ईवर एन्ड क्षारी कलोजर पत्थर प्रस्तुत किया गया है, जो खनि अधिकारी, जिला-दक्षिण बसतर दलेकारा के ज्ञापन क्रमांक 486/ खनिज/ पर्यायी/ 2021–22 दलेकारा, दिनांक 31/ 08/ 2021 हारा अनुमोदित है।
4. 500 बीटर की परियि में निष्ठा खदान — कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जगदलपुर, जिला-बसतर के पु. ज्ञापन क्रमांक 1018/ खनिज/ ख.लि. 4/ 14/ 2020–21/ ल.प./ 2022 जगदलपुर, दिनांक 23/ 06/ 2022 के अनुसार आवेदित खदान से 500 बीटर के भीतर अवस्थित 13 सदाने, सेक्षण 15.84 हेक्टेयर है।
5. 200 बीटर की परियि में निष्ठा नार्वेजिक लैंड/ सारथनाए — कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जगदलपुर, जिला-बसतर के पु. ज्ञापन क्रमांक 1020/ खनिज/ ख.लि. 4/ 14/ 2020–21/ ल.प./ 2022 जगदलपुर, दिनांक 23/ 06/ 2022 हारा जारी प्रमाण पत्र उक्त खदान से 200 बीटर की परियि में कोई शार्वेजिक लैंड जैसे गढ़िर, मसिजद, मरघट, अस्पताल, स्कूल, पुस्त, एनीकर, बांध, राष्ट्रीय गाज़गार, राज्यमार्ग एवं जल ज्ञापूर्ति अधिक प्रतिक्रिया लैंड नियत नहीं है।
6. एलओआई का विवरण — एलओआई श्री कंशव छुब के नाम पर है, जो कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जगदलपुर, जिला-बसतर के ज्ञापन क्रमांक

प्रमाणिक / 1373 / खण्डित / खालील 4 / 14 / 2020-21 / दस्ता. / 2021 जगदलपुर
 दिनांक 14 / 06 / 2021 हात जारी की गई। जिमली कैषता जारी दिनांक से 1
 वर्ष की अवधि तक थी। इस समिति का मत है कि परियोजना प्रस्तावक हात
 रह जो आइ. की फैसला गुणि संबंधी दस्तावेज़ प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

7. भू-समाप्ति - भूमि खासना प्रमाणिक 410 की खासना क्रमांक
 शीमली नम्बर 411 के नाम पर है। उल्लेखन ऐसु भूमि खासीयों का सहभागी पर
 प्रस्तुत किया गया है।
8. डिस्ट्रीबट सर्वे रिपोर्ट - वर्ष 2019 की डिस्ट्रीबट सर्वे रिपोर्ट (District Survey
 Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।
9. जन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र - कार्यालय जन विभागिकारी, जन
 विभाग बकार, जगदलपुर के जापन क्र./कला. /780 जगदलपुर, दिनांक
 04 / 02 / 2022 से जारी प्रतिवेदन अनुसार आधेदिल होते गिकटलम जन लोन की
 रीमा से 300 मीटर की दूरी पर है।
10. महत्वपूर्ण सारथनाओं की दूरी - निकटतम अवादी प्राम-टिकनापाल 2.10
 कि.मी., कुल एवं अन्यताल बकार 6 किमी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय
 राजमार्ग 221 कि.मी. दूर है। राजमार्गी नदी 800 मीटर दूर है।
11. पारिस्थितिकीय / जैवविविधता संवेदनशील होता - परियोजना प्रस्तावक हात
 10 कि.मी. की अवधि में अंतरीजीवीय रीमा, राष्ट्रीय जाहान, अभयारण्य, संचालीय
 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड हात घोषित डिस्ट्रीक्सी पील्युटेक एरिया, पारिस्थितिकीय
 संवेदनशील होता या घोषित जैवविविधता के बिना नहीं होना प्रतीतेदिल किया
 है।
12. जनन संघरण एवं जनन का विवरण - जियोस्ट्रेजिकल रिवर्ट 3,24,500 टन
 एवं माइनेशन रिवर्ट 1,23,368 टन है। लीज की 7.5 मीटर चौड़ी रीमा पट्टी
 (उल्लेखन के लिए प्रतिशतित होते) का होतापल 5,480 चौकीटर है। औपन जास्ट
 नेवी वैकेनाइज़र वित्ती से उल्लेखन लिया जाएगा। उल्लेखन की प्रस्तावित
 अधिकतम वाहनाई 12 मीटर है। लीज होता में जमीनी बिट्टी की लोटाई 1 मीटर है
 तथा कुल जाता 7,900 चौकीटर है। देव जी की छापाई 3 मीटर एवं बैकाई 3 मीटर
 है। जाहान की सामायित आयु 6 वर्ष है। लीज होता में जास्ट रक्कायि लिया जाना
 प्रस्तावित नहीं है। जैक हिसर से ड्रिलिंग एवं कंट्रोल एसाइटिंग किया जाएगा।
 जाहान में वायु प्रदूषण नियंत्रण ऐसु जल का डिफ़्रेंस लिया जाएगा। वर्षवार
 प्रस्तावित उल्लेखन का विवरण निम्ननुसार है:-

वर्ष	प्रस्तावित उल्लेखन (टन)
प्रथम	7,500
द्वितीय	12,500
तृतीय	12,500
चतुर्थ	25,000
पंचम	50,000

13. जल आपूर्ति - परियोजना ऐसु आवश्यक जल की मात्रा 5 घनमीटर प्रतिदिन
 होगी। जल की आपूर्ति जाम पंचायत हात टैकर के मात्राम से नहीं जाएगी। इस
 जाम जाम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाना प्रस्तावित है।

14. वृक्षारोपण कार्य – लीज लेज की सीमा में याती और 7.5 नीटर की चट्टी में 624 गन वृक्षारोपण किया जात्या।
15. खदान की 7.5 नीटर की सीढ़ी बीमा चट्टी में उत्कर्षन – लीज लेज के याती और 7.5 नीटर की सीमा चट्टी में उत्कर्षन करवे नहीं किया गया है।
16. मानवीय एन्जीटी, प्रिकिपल देश, नई डिल्ली द्वारा सर्वोदय उपक्रम विकास भारत सरकार, पर्यावरण, बन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई डिल्ली एवं अन्य (प्रीरिजनल एप्पिलिकेशन नं. 188 ऑफ 2016 एवं ऊर्ध्व) में दिनांक 13/09/2016 की घारित आदेश में मुहूर का संस्कार दिया गया है।

- a) Providing for EIA, EMP and therefore, Public consultation for all areas from 5 to 25 ha. falling under category B-2 as per with category B-1 by SEAC / SEAA as well as for cluster situation where ever it is not provided.
- b) If a cluster or an individual lease size exceed 5 ha. EIA / EMP be made applicable in the process of grant of prior environment clearance.

पारिवित द्वारा विचार विनारी उपरांत सर्वसम्मति से विनानुसार निर्णय लिया गया—

1. कार्यालय कालेक्टर (खनिज भारत) जगदलपुर, विला-बस्तर के पु. छापन इमांह 1018/खनिज/ख.लि.4/14/2020-21/ख.प./2022 जगदलपुर, दिनांक 23/05/2022 के अनुसार आवेदित खदान से 500 नीटर के भीतर उत्कर्षन 13 सूचाने, लेवलफल 15.84 हेक्टेयर है। आवेदित खदान (शाम-टिकनपाल) का रुक्का 1.18 हेक्टेयर है। इस प्रकार आवेदित खदान (शाम-टिकनपाल) को विलाकर कुल रुक्का 17.02 हेक्टेयर है। खदान की सीमा से 500 नीटर की परिवि में स्थीरता/संचालित खदानों का कुल लेवलफल 5 हेक्टेयर से अधिक का बलकर निर्मित होने के कारण यह खदान 'बी' श्रेणी की गयी।
2. समिलि द्वारा विचार विनारी उपरांत सर्वसम्मति से प्रकल्प 'बी' के टेंसरी का होने के कारण भारत सरकार, पर्यावरण, बन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा अप्रैल, 2015 में प्रकाशित स्टैचर्ड टर्नर ऑफ रिकार्ड्स (टीओआर) कोर इ.आई.ए. /ई.एम.पी. रिकोर्ड कोर प्रोजेक्ट्स /एकटीपिटीय रिक्वायरमेंट वरीयरेस अप्पर इ.आई.ए. नोटिपिकेशन, 2008 में वर्णित थेरी 1(ए) का स्टैचर्ड टीओआर (लोक सुनवाई लिंग) नीन कोल गाइनिंग प्रोजेक्ट्स हेतु गिर अपरिका टीओआर के साथ यारी किये जाने की अनुसंदा यही गई।
 - i. Project proponent shall inform SEAA & S.E.A.C. Chhattisgarh before commencement of Baseline Data Generation and start of monitoring work for preparation of EIA Study Report.
 - ii. Project proponent shall submit the Individual Environment Management Plan and Common Environment Management Plan.
 - iii. Project proponent shall submit the top soil management plan & incorporate the details in the EIA report.
 - iv. Project proponent shall submit an affidavit for commitment to the public (Objections/suggestions raised by public) during Public Hearing.
 - v. Project proponent shall ensure that mining lease area to be demarcated by erection of boundary pillars at all corner and area to be fenced.
 - vi. Project proponent shall submit the copy of LOI Extension.

- vii. Project proponent shall submit the NOC of Gram Panchayat for usage of water.
- viii. EIA study shall be at minimum 0 no. of stations for data collection considering the pre-dominant wind direction.
- ix. Project proponent shall submit the copy of panchnams and photographs of every monitoring station.
- x. Project proponent shall submit a Cumulative Environment Impact Assessment Study (Air, Water, Noise, Soil, Traffic etc) of the mines located in the nearby area and Ecology of the buffer zone of study area and shall incorporate the same in the EIA report.
- xi. The project proponent shall submit an undertaking that there is no court case pending relating to this project before any Court of Law in India.
- xii. The project proponent shall submit an undertaking in the form of an affidavit stating that there is no violation of Notification S.O. 804(E) dated 14/03/2017 issued by Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Government of India and the direction given by Hon'ble Supreme Court of India in the matter of Common Cause vs Union of India order dated 02.08.2017.
- xiii. Project proponent shall submit the 7.5 meter width of mine lease periphery & do plantation during the current year incorporating the plant cost, fertilizer cost, irrigation cost, maintenance cost for atleast 5 years and the details alongwith photographs in the EIA report.
- xiv. Project proponent shall undertake plantation (as far as possible fruit bearing species) within the mining lease area as per guidelines issued from time to time and particularly in the 7.5 meter safety zone area of minimum 05 feet height and shall maintain 90% survival rate. The plantation shall be maintained by project proponent for atleast 5 years. Project proponent shall report to Authority regarding yearwise plantation. The details to be submitted alongwith geotag photographs in the EIA report.
- xv. Project proponent shall submit CER proposals with details of works alongwith their estimates including land cost and incorporating the plant cost, fertilizer cost, irrigation cost and maintenance cost for atleast 5 years.

प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार – उपरोक्त प्रवर्णन पर प्राधिकरण की दिनांक 05/12/2022 की संपन्न 134वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा नक्ती का अधिकारीकान किया गया। प्राधिकरण द्वारा विचार विभार्ष सम्पर्क सर्वेसम्मति से निर्णय लिया गया कि सभी द्वारा अनुसरित अतिरिक्त दीवाराएँ के रूप में निम्न संहारण किया गया है:-

- 2 (xv) "Project proponent shall submit CER proposals with details of works alongwith their estimates including land cost and incorporating the plant cost, fertilizer cost, irrigation cost and maintenance cost for atleast 5 years." के रूपान्तर पर 2 (xvi) "Project proponent shall submit CER proposals with details of works alongwith their estimates including land cost and incorporating the plant cost, fertilizer cost, irrigation cost and maintenance cost for atleast 5 years & incorporate in the EIA report." पदा जाए।

परियोजना प्रस्तावक को संशोध टम्सी औफ रेफरेन्स (टीओआर) (लोक लूगों के सहित) जारी किया जाए।

16. मेसर्स बालेंगा लाइंग हटोन कामी (डॉ.— श्री गोहन लिंग कक्षयप), याम—बालेंगा, लहसील व जिला—बलाहर (अधिकारीकार्य का नम्रती क्रमांक 2047) औनलाईन आवेदन — प्रोजेक्ट नम्र — एसआईए/ लीजी/ एसआईए/ 17443 /2022, दिनांक 28/05/2022 द्वारा दी.ओ.आर. हेतु औनलाईन आवेदन किया गया है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत आवेदन में कमिटी होने से ज्ञापन दिनांक 07/06/2022 द्वारा जानकारी प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया। परियोजना प्रस्तावक द्वारा जारीकीत जानकारी दिनांक 14/06/2022 की औनलाईन प्रस्तुत की गई।

प्रस्ताव का विवरण — यह प्रस्तावित यूनिकलेक्चर (यूनिकलेक्चर) खदान है। खदान याम—बालेंगा, लहसील व जिला—बलाहर लिंग खदान क्रमांक 1142, 1139, 1141, 1140, 1128/1, 1138/1, 1129 एवं 1138/2, युनिकलेक्चर—126 हेतुटीपर में प्रस्तावित है। खदान की आवेदित उत्तरानन क्रमांक—50,000 टन प्रतिवर्ष है।

सामान्यान्वयन परियोजना प्रस्तावक को एसआईएसी, उल्लीकृतपद के द्वारा दिनांक 12/10/2022 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैलक का विवरण —

(अ) समिति की 429वीं बैलक दिनांक 18/10/2022:

प्रस्तुतीकारण हेतु श्री गोहन लिंग कक्षयप, प्रोप्रोटाईटर उपरिषद हुए। समिति द्वारा नवीनी प्रस्तुतीकरण एवं परियोजना पर गिन लिखित जारी गई—

- पूर्व में जारी पर्यावरणीय कीवीकूटि गांवंगी विवरण— इस खदान को पूर्व में पर्यावरणीय कीवीकूटि जारी नहीं की गई है।
- साम वांचामत का अनापत्ति प्रमाण पत्र — उत्तरानन की संकेत में साम वांचामत बालेंगा वा दिनांक 29/11/2020 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
- उत्तरानन कोजना — जारी खदान विष कवीम औफ माईमिंग पीन फस्ट काइव ईवर एन्ड बदामी कलोजर प्राच फस्तुल किया गया है, जो एनी अधिकारी, जिला—हालिङ बलाहर दलेंगां के द्वारा क्रमांक 486/खनिज/उत्तरा.पी./2021—22 दलेंगां, दिनांक 31/08/2021 द्वारा अनुमोदित है।
- 500 मीटर की घरिषि में विधात खदान — कार्यालय कलोजर (खनिज वाया) जगदलपुर, जिला—बलाहर के पु. ज्ञापन क्रमांक 1013/खनिज/ख.लि. 4/16/2020—21/ख.प./2022 जगदलपुर, दिनांक 23/05/2022 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अलीकित 2 खदान, लोजाल 3.07 हेक्टेयर है।
- 200 मीटर की घरिषि में विधात शार्वजनिक लोड/शार्वनाए — कार्यालय कलोजर (खनिज वाया) जगदलपुर, जिला—बलाहर के पु. ज्ञापन क्रमांक 1014/खनिज/ख.लि.4/16/2020—21/ख.प./2022 जगदलपुर, दिनांक 23/05/2022 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उका खदान से 200 मीटर की घरिषि में कोई गी शार्वजनिक लोड नहीं नहिं, नहिं, मरपट्टा छलपाल, स्कूल,

पुरा, एनीकट, बांध, राष्ट्रीय राजमार्ग, राजस्थान के जल आपूर्ति अवधि प्रतिवेदित कीज लिखत नहीं है।

6. इल.ओ.आई. का विवरण — इल.ओ.आई. श्री गोहन सिंह कश्यप के नाम पर है जो कार्यालय कलेक्टर (खानिय शास्त्र) जगदलपुर जिला-बलर के इकान अन्तर्क 1369/खानिय/ख.अ.4/ 16/ 2020-21/ द.प./ 2021 जगदलपुर, दिनांक 14/08/2021 द्वारा जारी की गई जिसकी विवर यारी दिनांक है। यारी की अवधि तक थी। अब समिलि का नहा है कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा इल.ओ.आई. की विवरा यूनिट संकेती दस्तावेज प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
7. श्री-स्थानिता — भूमि स्थान अन्तर्क 1142 श्री लक्ष्मिंग, सास्ता कमांक 1139, 1141, श्री वीभाय, स्थान अन्तर्क 1140 श्री संखेश्वर, यासरा कमांक 1128/1, 1138/1 श्री चंद्र, श्रीमती पावती, सुशी गीता, सुशी मुमिका सुशी लैकिता, यासरा कमांक 1138/2 श्री नवरू एवं श्रीमती पदमा द्वं यासरा कमांक 1129 श्री सेष्यन के नाम पर है। उत्थानन हेतु भूमि स्थानिता का साहमति पत्र प्रस्तुत किया गया है। भूमि स्थान अन्तर्क 1129 श्री सेष्यन का उत्थानन हेतु सहमति पत्र प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
8. डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट — वर्ष 2019 की डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत छोड़ है।
9. बन कियाय का कानापरिल प्रमाण पत्र — कार्यालय बन मण्डलायिकारी, यन नम्बर बलर, जगदलपुर के इकान छ./क.स.प./1860 जगदलपुर, दिनांक 13/04/2022 से यारी प्रतिवेदन अनुसार आवेदित क्षेत्र निकटतम बन धोत्र की लीजा है। फिरी श्री दूरी पर है।
10. महलपूर्ण संरक्षणाओं की दूरी — निकटतम आवाही घास-कालेगा 1.4 किमी, रक्षत बलर 8 किमी, एवं अस्तवाल बलर 8.5 किमी की दूरी पर लिखा है। राष्ट्रीय राजमार्ग 705 मीटर दूर है। यात्रकर्त्ता नदी 1.25 किमी. दूर है।
11. परिस्थितिकीय / जीवविविधता संवेदनकालीन होत्र — परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 किमी. की परिधि में अतर्क्षेत्रीय लौग, राष्ट्रीय उद्यान, अभयासन, कोन्हीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित डिट्रिक्टी बीच्युटेल एरिया, परिस्थितिकीय संवेदनकालीन होत्र या घोषित जीवविविधता होत्र लिखा नहीं होना प्रतिवेदित किया है।
12. छानन संपदा एवं खानन का विवरण — जियोलोजिकल रिपोर्ट 6,67,883 टन एवं गाहनेवल रिपोर्ट 3,70,153 टन है। लीज की 7.5 मीटर ऊँची सीमा पर्दी (जियानन के लिए प्रतिवेदित क्षेत्र) का क्षेत्रफल 6,013.2 वर्गमीटर है। औरन कास्ट सेमी नैकेन्ट्राइल लिपि से उत्थानन किया जाएगा। उत्थानन की प्रस्तावित अधिकतम वाहाई 14.5 मीटर है। लीज होत्र में ऊपरी मिट्टी की मोटाई 0.5 मीटर है तथा कुल मात्रा 6,800 घनमीटर है। बैग की ऊंचाई 3 मीटर एवं लीडाई 3 मीटर है। खानन यही समाप्ति लाय 17 वर्ष है। लीज होत्र में बलर स्थापित किया जाना प्रस्तावित नहीं है। जोक हैमर से ड्रिलिंग एवं कंट्रोल स्टीरिंग किया जाएगा। खानन में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल का डिफ्रेक्ट किया जाएगा। वर्षावार प्रस्तावित उत्थानन का विवरण निम्नानुसार है।—

वर्ष	प्रस्तावित उत्थानन (टन)
प्रथम	7,500

प्रिलैम	12,500
कुलीय	17,500
कर्तुव	26,000
पंथम	50,000

13. जल आपूर्ति – परियोजना हेतु आवश्यक जल की जाता 4 परमीटर प्रतिदिन होगी। जल की आपूर्ति इस पर्याप्त हाता टैक्ट के माध्यम से की जाएगी। इस बाबल इस पर्याप्त का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाना प्रत्याहित है।

14. कुशारोपण कार्य – लौज सेंच की सीमा में जारी और 7.5 मीटर की पट्टी में 92% नए कुशारोपण किया जाएगा।

15. खदान की 7.5 मीटर की चौड़ी सीमा पट्टी में उत्कर्षन – प्रस्तुतीपत्रम् के लौज परियोजना प्रस्तावक हाता बताया गया कि एसओआई जारी होने से पूर्व ही लौज सेंच के छारों और 7.5 मीटर की सीमा पट्टी का कुल क्षेत्रफल 6,013.2 कर्मसीटर सेंच में से कुछ मात्र पूर्व से उत्कर्षित है, जिसका उत्तरेष्ठ अनुसन्दित्त गाईबिंग प्लान में विद्या गया है। उस प्रतिबिंधि 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी में उत्कर्षन किया जाना पर्यावरणीय सीखूति की रूपी का उत्तराधिन है।

16. उत्कर्षनीय है कि भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली हाता नीन कोल गाईबिंग प्रोजेक्टम् हेतु मानक पर्यावरणीय राती जारी की गई है। उस क्रमांक SEAC की अनुसार—

"The Project Proponent shall develop greenbelt in 7.5m wide safety zone all along the mine lease boundary as per the guidelines of CPCB in order to arrest pollution emanating from mining operations within the lease. The whole green belt shall be developed within first 5 years starting from windward side of the active mining area. The development of greenbelt shall be governed as per the EC granted by the Ministry irrespective of the stipulation made in approved mine plan."

उक्त मानक राती के अनुसार माईन लौज सेंच के अंदर 7.5 मीटर चौड़ी सीमा लौज में कुशारोपण किया जाना आवश्यक है।

17. माननीय एन.जी.टी., विशिष्ट वैद, नई दिल्ली हाता सल्वेट पार्टीय डिव्हिड भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली एवं अन्व (ऑरिजिनल एप्लिकेशन नं. 180 ऑफ 2016 एवं अप) में दिनांक 13/09/2018 को पारित आदेश में सुधार कर्य से निम्नानुसार निर्दिष्ट किया गया है:-

- a) Providing for EIA, EMP and therefore, Public consultation for all areas from 5 to 25 ha. falling under category B-2 as per with category B-1 by SEAC / SEAA as well as for cluster situation where ever it is not provided.
- b) If a cluster or an individual lease size exceed 5 ha. EIA / EMP be made applicable in the process of grant of prior environment clearance.

समिति हाता विधार विभार उपरात सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया—

- कार्बनिक कलेक्टर (खनिज जाता) जगदलपुर, जिला—बगलूर के पू. इलापन क्रमांक 1016 / खनिज / ख.सि.4 / 16 / 2020–21 / रु.प. / 2022 जगदलपुर, दिनांक 23/05/2022 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर की भीतर अवस्थित 2 खदानी, लौजकल 3.07 हेक्टेयर है। आवेदित खदान (यान—खलेगा) का रक्ता 1.96

हेल्पर है। इस प्रकार आधिकारीक खदान (शाम-बातेगा) को मिलाकर कुल खदान 600 हेल्पर है। खदान की सीमा से 500 मीटर की दूरी पर स्थीरता/राधातित खदानों का कुल हेल्पर 5 हेल्पर्स के अधिक वा बलस्टर निश्चित होने के बाबत यह खदान 'भी1' बोली की जानी गयी।

2. मार्ड्सन लीज सोन के बारी और 7.5 मीटर ऊपर सेपटी जोन के कुछ भाग में किसी गंदे उत्तरानन के कारण इस सोन के उत्तरार्दि उत्तरी (Remedial Measures) के संबंध में लख लीज सोन के अंदर मार्ड्सनिय विद्याकालानी के कारण उत्पन्न प्रदूषण नियन्त्रण हेतु आवश्यक उपायों वा उपायों का अधि के लिये समुचित उपायों को लियाधित कराने का बल संवालक, संघालनालय, भौगोली लख खानिकर्म, इटार्सी भवन, नवा राष्ट्रपुर अटल नगर, जिला - राष्ट्रपुर (असामीसाङड) दो लेख किया जाए।
3. प्रतिबंधित 7.5 मीटर ऊँची सीमा पट्टी में अधिक उत्तरानन किया जाना पाये जाने पर जीव उपकार विभागनुसार आवश्यक जारीबाही किये जाने हेतु संवालक, संघालनालय, भौगोली लख खानिकर्म को एत पर्यावरण की छति घटुंखाने हेतु छतीसगढ़ पर्यावरण संस्करण बंदल, नवा राष्ट्रपुर अटल नगर को विभागनुसार आवश्यक करारीबाही किये जाने हेतु लेख किया जाए।
4. नागिनी द्वारा विद्यार विनाई उपरांत शारीरान्ध्री से प्रकारण 'भी1' कोटेजरी का होने के कारण भारत सरकार, पर्यावरण, दम और जलयात् परिवर्तन मंत्रालय द्वारा अप्रैल, 2015 में द्रव्यवितरण हेल्पर्स टम्बी औफ रिफरेंस (टीओआईए/हृएसपी, नियोर्ट फौर प्रोजेक्टस/एक्टीविटीज विभागनिंग इन्वायरमेंट वलीवरेस अपराह्न हृआईए, नोटिफिकेशन, 2006 में वर्गित बोनी १(ए) का हेल्पर्स टीओआईएल (लोक सुनवाई भाइट) नीन बोल मार्ड्सन ओवरटास हेतु निम्न अतिपिक्त टीओआइए के जाप जारी किये जाने की अनुसन्धान की गई—
 - i. Project proponent shall inform SEIAA & S.E.A.C Chhattisgarh before commencement of Baseline Data Generation and start of monitoring work for preparation of EIA Study Report.
 - ii. Project proponent shall submit the Individual Environment Management Plan and Common Environment Management Plan.
 - iii. Project proponent shall submit the top soil management plan & incorporate the details in the EIA report.
 - iv. Project proponent shall submit the copy of LOI Extension.
 - v. Project proponent shall submit the land agreement copy for mining.
 - vi. Project proponent shall submit the NOC of Gram Panchayat for usage of water.
 - vii. Project proponent shall submit an affidavit for commitment to the public (Objections/suggestions raised by public) during Public Hearing.
 - viii. Project proponent shall ensure that mining lease area to be demarcated by erection of boundary pillars at all corner and area to be fenced.
 - ix. EIA study shall be at minimum 8 no. of stations for data collection considering the pre-dominant wind direction.
 - x. Project proponent shall submit the copy of panchnams and photographs of every monitoring station.

- xii. Project proponent shall submit a Cumulative Environment Impact Assessment Study (Air, Water, Noise, Soil, Traffic etc) of the mines located in the nearby area and Ecology of the buffer zone of study area and shall incorporate the same in the EIA report.
- xiii. The project proponent shall submit an undertaking that there is no court case pending relating to this project before any Court of Law in India.
- xiv. The project proponent shall submit an undertaking in the form of an affidavit stating that there is no violation of Notification S.O. 804(E) dated 14/03/2017 issued by Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Government of India and the direction given by Hon'ble Supreme Court of India in the matter of Common Cause vs Union of India order dated 02.08.2017.
- xv. Project proponent shall submit layout map earmarking 7.5 meter of mine lease periphery & previously mined out area in safety zone, calculation of mined out area and remedial measures for development of greenbelt in 7.5 meter wide all along the mine lease boundary as per the guidelines of CPCB in order to arrest pollution emanating from mining operations within the lease. Project proponent shall submit the remedial measures for mining activity carried out in the past in safety zone.
- xvi. Project proponent shall complete the restoration of 7.5 meter width of mine lease periphery & do plantation during the current year incorporating the plant cost, fertilizer cost, irrigation cost, maintenance cost for atleast 5 years and the details alongwith photographs in the EIA report.
- xvii. Project proponent shall undertake plantation (as far as possible fruit bearing species) within the mining lease area as per guidelines issued from time to time and particularly in the 7.5 meter safety zone area of minimum 05 feet height and shall maintain 90% survival rate. The plantation shall be maintained by project proponent for atleast 5 years. Project proponent shall report to Authority regarding yearwise plantation. The details to be submitted alongwith geotag photographs in the EIA report.
- xviii. Project proponent shall submit CER proposals with details of works alongwith their estimates including land cost and incorporating the plant cost, fertilizer cost, irrigation cost and maintenance cost for atleast 5 years.

प्राधिकरण द्वारा ऐक्य में विचार – पुपर्येत प्रकरण पर प्राधिकरण की विनंति 05/12/2022 की संख्या 134वीं ऐक्य में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा नस्ती का अवलोकन किया गया। प्राधिकरण द्वारा विवरों उपरांत सर्व सम्भवि से निर्णय किया गया कि समिति द्वारा अनुशासित आरोग्यिक टीआरआर के तर्फ से निम्न सहीपन किया गया कि:-

- * 4 (xvii) "Project proponent shall submit CER proposals with details of works alongwith their estimates including land cost and incorporating the plant cost, fertilizer cost, irrigation cost and maintenance cost for atleast 5 years." के स्थान पर 4 (xvii) "Project proponent shall submit CER proposals with details of works alongwith their estimates including land cost and incorporating the plant cost, fertilizer cost, irrigation cost and

“maintenance cost for atleast 5 years & Incorporate in the EIA report.” पढ़ा जाए।

साथ ही यह भी लिखा गया कि:-

(i) (i) नव्वीन लौज क्षेत्र के बारी और 7.5 मीटर ऊंचे सेपटी जौन के बुरा भाग में किये गये उत्तराधान के कारण इस लौज के उपर्याही उपायी (Remedial Measures) के संकेत में इस लौज क्षेत्र के अंदर नाईंग फिल्टरलॉटी के कारण उत्पन्न प्रदूषण नियंत्रण हेतु आवश्यक उपायों को कुआरोपण आदि के लिये समर्पित उपायी बाजा संचालक, संचालनालय, गौमिकी तथा खानिकर्म, इंद्राकारी भवन, नवा रायपुर अटल नगर, जिला - रायपुर (छत्तीसगढ़) को पत्र लिख किया जाए।

(ii) प्रतिशतित 7.5 मीटर ऊंची सीधा पट्टी में अवैध उत्तराधान किया जाना पाये जाने पर परियोजना प्रस्तावक के विस्तृत नियमानुसार आवश्यक वैधानिक कार्यवाही किये जाने हेतु संचालक, संचालनालय, गौमिकी तथा खानिकर्म को पत्र लेखा किया जाए।

(iii) नाईंग लौज क्षेत्र के बारी और 7.5 मीटर ऊंचे सेपटी जौन के बुरा भाग में किये गये उत्तराधान से पर्यावरण को सहि होने के कारण सुरक्षीयगढ़ पर्यावरण संबंधी बंडल, नवा रायपुर अटल नगर को आवश्यक कार्यवाही किये जाने हेतु पत्र लेखा किया जाए।

परियोजना प्रस्तावक को राजसी टक्सी-ऑफ ऐक्सेंस (टी.ओ.आर.) (लोक सुनवाई भाइन) जारी किया जाए। साथ ही संचालक, संचालनालय, गौमिकी तथा खानिकर्म, इंद्राकारी भवन, नवा रायपुर अटल नगर को आवश्यक कार्यवाही किये जाने हेतु पत्र लेखा किया जाए।

16. बेससी छत्तीसगढ़ निवाल देवखलपनीट कार्पोरेशन लिमिटेड (पर्यावर्ती एवं लुरेना बांकालाईट नाईंग), याम-पर्यावर्ती एवं लुरेना, राहसील-मैनपाट, जिला-सारगुजा (संचिवालय का नम्बरी छमांक 2124)

ऑनलाईन आवेदन — प्रपोजल नम्बर — एमआईए/ बीजी/ एमआईए/ 82084 /2022, दिनांक 09 /08 /2022 द्वारा टी.ओ.आर. हेतु आवेदन किया गया है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत ऑनलाईन आवेदन में कमियी होने से ज्ञान दिनांक 25 /08 /2022 द्वारा जनकारी प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया। परियोजना प्रस्तावक द्वारा पाइल जानकारी दिनांक 17 /09 /2022 को ऑनलाईन प्रस्तुत की गई।

प्रस्ताव का विवरण — यह प्रस्तावित बॉक्साईट (कुआ खनिज) खदान है। खदान प्राच—पर्यावर्ती एवं लुरेना, राहसील—मैनपाट, जिला—सारगुजा विधि व्याप—पर्यावर्ती का खदान छमांक — 2, 4 एवं 34 अन्य तथा प्राच—लुरेना का खदान छमांक — 937, 944 एवं 95 अन्य, कुल क्षेत्रफल — 79.19 हेक्टेयर त्रिमी भूमि — 47.82 हेक्टेयर एवं शासकीय भूमि — 31.57 हेक्टेयर) में प्रस्तावित है। खदान की आवेदित उत्तराधान कमता — 3,07,682.3 टन (सेसेबल बीकालाईट 2,00,000 टन एवं अपशिष्ट 1,07,682.3 टन) प्रतिवर्ष, औरुर बहौद्दीन कमता — 2,92,396.38 टन प्रतिवर्ष है। परियोजना की कुल प्रस्तावित लागत 6 करोड़ होगी।

छत्तीसगढ़ मिनरल फैक्ट्रियपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड के द्वारा प्राप्त दिनांक 26/09/2022 द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करने हेतु टी.डी.आर के लिए आवंटित जलजल को बैठक में समिलित करने वाले पञ्च एस.ई.आई.ए.ए. छत्तीसगढ़ को प्रेषित किया गया है। पञ्च में उल्लेखित तथा भिन्नाभिन्न हैं:-

छत्तीसगढ़ मिनरल फैक्ट्रियपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड (सी.एम.डी.सी.) राज्य शासन का एक उद्यम है। सी.एम.डी.सी. द्वारा निम्न बीकाईडूल शेत्रों के पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करने हेतु टी.डी.आर के लिए निम्न जलजल किया गया है:-

क्र.	बीकाईडूल नाम का नाम	लहसील / जिला	रक्कवा (उड्डीय)	प्रधानमंत्री नम्बर
1.	पथरई	मैनपाट / सरायुज्या	79.19	82064
2.	मर्मापुर	मैनपाट / सरायुज्या	139.50	82088
3.	कल्लेश्वरपुर	मैनपाट / सरायुज्या	147.425	82957

सी.एम.डी.सी. को उक्त शेत्र जलजल के आवार पर निल्त है तथा मार्च 2023 के दूर्वा खनिपट्टा स्वीकृत करने अंगेतर है अवधा क्षेत्र व्यवस्था की ओरी में आ जाएगा।

मैलसं मा बुद्धगढ़ी इल्लुगिना रिफल्यनी प्राइवेट लिमिटेड द्वारा राम-हिंसा, जिला-सरायुज्या में इल्लुगिना नामक वी स्थापना हेतु राज्य शासन के राय दिनांक 26/02/2020 को एच.डी.यू. हस्ताक्षरित किया गया है। उक्त संघर्ष हेतु प्रतिवर्ष 2.5 निलियन टन बीकाईडूल की गाँव की गई है। उपरोक्त को अनुक्रम में सी.एम.डी.सी. के नाम्यन से उपरोक्त संघर्ष को सी.एम.डी.सी. द्वारा उत्पादित बीकाईडूल खनिज का 70 प्रतिशत खनिज वावसाईट प्रदाय करने हेतु लांग टर्म शिंकेज बीसिसी वा मंडी परिवर्त द्वारा दिनांक 20/07/2021 को अनुमोदन किया गया है। उक्त संघर्ष के गुचाल का संभाल होने पर राज्य शासन को राजस्व की द्वारा की ओर के लोगों को दीर्घावर का अवश्य होने वाले द्वारा दिक्कत होगा।

उपरोक्त तथ्यों को ध्यान में रखते हुए उक्त प्रबन्धनों को एस.ई.आई.ए.ए. छत्तीसगढ़ द्वारा माह दिसंबर 2022 में आवोजित होने वाले बैठक में उपरोक्त शपी क्षेत्रों को समिलित करने एवं टी.डी.आर दिये जाने हेतु अनुरोध किया गया है। जिलों राष्ट्रपति में जारी को निष्पादित किया जा सके।

प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार - उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 28/09/2022 को संयोग 129वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा पञ्च का अवलोकन किया गया। उत्त प्राधिकरण द्वारा विचार विषयी उचित सर्वेत्तमति से उक्त जलजल को एस.ई.ए.सी. छत्तीसगढ़ की नियन्त्रणनुसार आवोजित बैठक में नियन्त्रणनुसार रखे जाने हेतु एस.ई.ए.सी. छत्तीसगढ़ को सेवा किये जाने का निर्णय लिया गया।

तथानुसार अवधा गहोदय के नियन्त्रणनुसार परिवोज्ञा प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी. छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 14/10/2022 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सुनित किया गया।

बैठक का विवरण -

(अ) शामिति की 42वीं बैठक दिनांक 18/10/2022:

प्रस्तुतीकरण हेतु वी उपेन्द्र कुमार, किष्टी जनरल ऐमेजर एवं वी मुखील कुमार बन्धाकर, एसीसीएट जनरल मैनेजर तथा पर्यावरण सलाहकार को साथ में मैलसं

ओकरलीस नाईन-टैक कंपनीले द्वारा जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर मिल समिति द्वारा नहीं, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर मिल समिति याई गई।

1. पूर्व में जारी परिवर्तनीय स्थीरता संबंधी विवरणः— इस खदान को पूर्व में परिवर्तनीय स्थीरता जारी नहीं की गई है।
2. याम पंचाक्षर का अनापत्ति प्रमाण पत्र — उत्थनन के संबंध में याम पंचाक्षर का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत विषय जाना आवश्यक है।
3. उत्थनन योजना — माईगेन पत्रम् एवं डोरेलिन गईन कलोजर पत्रम् प्रस्तुत किया गया है, जो कोर्टीय खान निवासक, भारतीय खान बूरी, कोर्टीय खान निवासक कार्यालय रायपुर के छायन ज़माने संबंधी नं. सरगुजा/चौक्स/खानी-1336/2022 रायपुर, दिनांक 07/09/2022 द्वारा अनुरोदित है।
4. 500 मीटर की परिधि में रिक्त खदान — कार्यालय कलोजर लालगुजा (खानिज जाला), अभिकल्पना पत्रम् 1036/खालि-1/एम.एल./2022 अभिकल्पना पत्रम् 14/09/2022 के अनुसार आयोदित खदान से 500 मीटर की ओर अवस्थित चबैर्ही बीकसाईट खदान, कोर्टीय नं. 35 हेल्पर है।
5. 200 मीटर की परिधि में लिपत सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाएँ — कार्यालय कलोजर लालगुजा (खानिज जाला), अभिकल्पना पत्रम् 1036/खालि-1/एम.एल./2022 अभिकल्पना पत्रम् 14/09/2022 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान से 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे नदीर, मराघट, स्फूर्त, अस्पताल, मूल, बांध एवं एनीवाट आदि प्रतिबंधित क्षेत्र निर्धारित नहीं हैं। खदान से 200 मीटर की परिधि में चबैर्ही नाला तथा सड़क मिलता है।
6. एलओआई संबंधी विवरण — एलओआई उत्तीर्णक यातान् खनिज साधन निकाश, महानदी खदान, नवा रायपुर अटल नगर के छापन ज़माने एवं 3-3/2022/12 नवा रायपुर, दिनांक 13/04/2022 द्वारा एलओआई जारी की गई है, जो 1 वर्ष (दिनांक 27/03/2023 तक) की अवधि हेतु दिया गया है।
7. भू-स्थानिक्य — भूमि स्थानिक्य संबंधी जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस संबंध में परियोजना प्रस्तावक द्वारा समिति के समक्ष अनुरोध किया गया कि उक्त क्षेत्र का अवलोकन, वी-1, वी-2 आदि फाईनल ई.आई.ए. रिपोर्ट के नाम प्रस्तुत किया जाएगा। उसका नक्शा पर सम्मुख गिरी भूमि को कापट कम से अधिक कर दापड़ा कराया जाएगा। प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा याना कि उक्त उत्क्षेपदाता क्षेत्र पर फसल लेति कुआक्का प्रदान किये जाने की कार्रवाई जिला स्तर पर प्रबलन में है। फसल शहि नुआक्का का भुगतान नियमी भू-स्थानिक्य को उत्क्षेपदाता अनुबंध होने के उपरोक्त यातान की निकाश/निर्देशानुसार किया जाएगा। उक्त शहि भुगतान भुगतान होने की परामर्श ही खदान कार्य प्रारंभ किया जाएगा।
8. डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट — वर्ष 2019 की डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की परिधि प्रस्तुत की गई है।
9. बन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र — कार्यालय बन परियोजनालिकारी, बन परियोजना, मैनपाट (यामलेललपुर) के छापन ज़माने/वी./2021/1086 मैनपाट, दिनांक 08/09/2021 से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र के कानूनार आयोदित क्षेत्र

- वन शेत की सीमा से दक्षिण वाली ओर 1.5 किमी, अरबलसगढ़ कनामप्पल, उत्तर वाली ओर वन शेत 1 किमी, एवं पश्चिम वाली ओर वन शेत 5 किमी दूर है। प्रसलानीका पश्चात् लोज शेत में 5 नग चाल, 6 नग गीलगीरी तथा सुरेना लोज शेत में 3 नग चाल, 3 नग गीलगीरी के बूँदा लिखा है। अन्येकित लोज के अंतर्गत 10 किमी की परिधि में कोई भी राष्ट्रीय उद्यान/अभयासाध जामिल नहीं है।
10. गहत्यापूर्ण वारियानाओं की दूरी – निकटतम आवादी ग्राम-पठारई 560 मीटर, याम-सुरेना 1.3 किमी, एवं ऐल्वे स्टेशन अधिकारपुर 65 किमी, जी दूरी पर लिखा है। राष्ट्रीय राजमार्ग 55 किमी दूर है। संग्रह नहीं 8.6 किमी, एवं जलजला नाला 3.3 किमी दूर है।
 11. बुमारी आरक्षित वन 4 किमी, बरिंगा आरक्षित वन 6.2 किमी, एवं पठकुरा आरक्षित वन 10 किमी दूर है।
 12. पारिसिरिथलिकीय/जीवविविधता संवेदनशील लोज – परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 किमी की परिधि में राष्ट्रीय उद्यान, अभयासाध्य, कौन्दीय प्रदूषण नियंत्रण लोड द्वारा प्रोतिष्ठित विकटिकर्ता पील्युटेड लूरिंग, पारिसिरिथलिकीय संवेदनशील लंग्र वा प्रोतिष्ठित जीवविविधता लोज लिखत नहीं होना प्रतियोगित किया है।
 13. खानन संपदा एवं खानन का प्रिवरण – अनुरोधित क्षारी खानन अनुसार लियोलोपिकल रिजर्व 20,06,870 टन एवं नाइनेवल रिजर्व 14,31,301 टन है। औपन बास्ट सेनी मेहेनाईच्छ विधि से उत्खनन किया जाएगा। उत्खनन की प्रस्तावित अधिकारनाम गहराई 15 मीटर है। ऊपरी लिफ्टी की ऊंचाई 3 मीटर है। लेच की ऊंचाई 3 मीटर एवं लौङाई 3 मीटर है। खानन की समाप्ति आपु 5 वर्ष है। लोज लोज में काशर स्थापित किया जाना इच्छायित नहीं है। लैक हैमर की लिंगिंग एवं बंद्रील बारिंग किया जाएगा। खानन में आपु प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल का छिक्कड़व लिया जाएगा। वर्षावार प्रस्तावित उत्खनन का प्रिवरण निम्नानुसार है:-

वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (R.O.M टन)	सेलेक्स मिनरल्स (टन)	रिवर्ट्स मिनरल्स (टन)
प्रथम	89,900,318	58,175.2	31,325.11
द्वितीय	1,50,732.56	97,976.15	62,756.39
तृतीय	1,94,224.04	1,26,245.6	67,978.41
चौथा	2,54,942.06	1,65,712.3	89,329.72
पंचम	3,07,492.3	2,00,060	1,07,692.3

14. जल आपूर्ति – परियोजना हेतु आवश्यक जल की मात्रा 8.5 मानमीटर प्रतिदिन होनी। जल की आपूर्ति स्थीत एवं अनुसन्धि संबंधी जलकर्ता/दातावेज प्रदत्ता किया जाना आवश्यक है।
15. युक्तारोपण कार्य – लोज लोज की सीमा में जारी और 7.5 मीटर की घट्टी में युक्तारोपण किये जाने की संकेत में प्रस्तुतीकरण के दोहरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि:-

- सौ.एन.झी.सी. छाता नियो जूनि के भू-स्तरी को लॉकलाईट लगिंज का उत्खनन एवं परिवहन कार्य के अवधार समालीकरण कर समवायित में युक्ता किया जाना है। उपरोक्त क्षेत्रों के स्तोक्कुल लोज के जारी और 7.5 मीटर की परिधि पर युक्तारोपण किया जाना नियोजित होता है। परंतु नियो

भू-प्रतिवितों द्वारा नियंत्री भूमि पर मूलाधारण का विशेष किया जाता है, क्योंकि उनको सुनने सुपरिण खोली किया जाना होता है।

- लौगंड़ी-सी. को नवीकृत खेतों में नियंत्री भूमि के बदावर (7.5 मीटर की परिमिति में) जब दीचों में जनप्रतिभितियों/सरदार/अन्य अधिकृत प्रतिभितियों से सलाह कर उन खेतों मूलाधारण किये जाने हेतु लौगंड़ी-सी. बहनबद है।

सन्दिग्धि का बता है कि उक्त हेतु शपथ पत्र (Notarized Affidavit) प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है। उस ही नियंत्री भूमि के अंतरिक्ष लौज क्षेत्र की सीमा में पारी और 7.5 मीटर की पट्टी जो कि नासकीय भूमि के अंतर्गत आता है, में मूलाधारण किया जाना आवश्यक है।

16. खदान की 7.5 मीटर की घोड़ी सीमा पट्टी में सख्तनाम – लौज क्षेत्र की पारी और 7.5 मीटर की सीमा पट्टी में सख्तनाम कार्य नहीं किया जाया है।
17. प्रस्तुतीकरण के दीर्घन परियोजना प्रस्तुतावक द्वारा बताया गया कि बत्सर भू-आवायकों के लिए वेसलाईन खदान कार्यकारी तारीख मार्च, 2022 से अर्थे, 2022 तक किया गया है।
18. परियोजना प्रस्तुतावक द्वारा बताया गया कि यदि लौज क्षेत्र के भीतर युक्त रहवास आदि अवधियाँ हो तो वृक्ष की कटाई सक्षम प्राक्षिकारी के अनुमति उपरान्त आवश्यकता पड़ने पर ही उक्त वृक्षों की कटाई की जाएगी। साथ ही रहवास से 50 मीटर छोड़कर सख्तनाम का कार्य किया जाएगा। सन्दिग्धि का बता है कि उक्त सख्तनाम में शपथ पत्र (Affidavit) प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
19. वन्य प्राणी संरक्षण योजना लैयार कर, विविध राज्य प्राक्षिकारी (राज्य मुख्य वन संरक्षक/व.प्रा.) सह युक्त वन्यप्राणी) के अनुमोदन उपरान्त प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है। परियोजना प्रस्तुतावक द्वारा प्राक्षिक भरण में 5 वर्षों की वन्यप्राणी संरक्षण योजना लैयार कर प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है, उसके पश्चात् खदान की आदु तक प्रत्येक 5 वर्षों में "युनैटेड वन्यप्राणी संरक्षण योजना" लैयार रहने प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है। जाफि वन्य प्राणीयों को रहवास बनी को, उद्योग के मिट्टी, जल, वायु आदि एवं प्रकार के प्रदूषण जनित इलियबुल झमायी से एवं उद्योग जनित अत्यधिक ऊर्ध्व दबाव से संरक्षित किया जा सके।

सन्दिग्धि द्वारा विचार विभाग उपरान्त सर्वसम्मति से विमाननुवार निर्णय किया जाया—

1. कार्यालय कलेक्टर राजगुजा (विभाग राज्य) अधिकारीय के जापन फॅल्स 1026 / ल.पि.-1 /एम.एल./2022 अधिकारीय दिनांक 14/09/2022 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर की भीतर अविवित पथरई बीकसाईट खदान, शेतकरण 99.35 हेक्टेयर है। आवेदित खदान (राज्य-पर्यावरण एवं सुरक्षा) का रक्का 79.19 हेक्टेयर है। इस प्रकार आवेदित खदान (राज्य-पर्यावरण एवं सुरक्षा) की विलाकर युक्त रक्का 170.54 हेक्टेयर है। खदान की सीमा से 500 मीटर की परिमि में नवीकृत/संवाधित खदानों का युक्त दीपकल 5 हेक्टेयर से अधिक का बत्सर भित्ति होने के कारण यह खदान 'बी1' श्रेणी की जानी जायी।
2. सन्दिग्धि द्वारा विचार विभाग उपरान्त सर्वसम्मति से प्रकारण 'बी1' के टैगसी का होने के कारण भासा सरकार, वर्धावर्ष, रन और जलवायु परिवर्तन संशोधन द्वारा अप्रैल, 2015 में प्रकाशित रट्टिष्टर्ड टम्स ऑफ रिकॉर्ड्स (टीमोसार) पौर है आई.ए.

/ द्वारा प्री. रेपोर्ट और अधिकारी/एकटीविटीज लिमिटेड इन्वाक्सरमेंट कंपनीजैसे अधिक त्रुटी है, नोटिफिकेशन, 2006 में याचिनि नंबर 1(ए) का रद्दनक दीक्षिण (जीव बुनियादी नहिं) जीव कोल मानुषिक अधिकारों के लिए विभिन्न विभागों की साथ जारी किये जाने की अनुशंसा की गई।-

- i. Project proponent shall submit the individual Environment Management Plan and Common Environment Management Plan.
- ii. Project proponent shall submit NOC from Gram Panchayat for Mining.
- iii. Project proponent shall obtain the permission from DGMS (Explosive License Holder) for controlled blasting & incorporate the permission in the EIA report.
- iv. Project proponent shall submit the top soil management plan & over burden plan & incorporate the details in the EIA report.
- v. As per submission made the Project proponent intent to mine laterite mineral along with bauxite "Project proponent shall submit the valid lease/LOI and mining plan approved accordingly for the laterite mineral along with quantity and period of mining." the same shall be incorporated in the Final EIA/EMP report.
- vi. The final approval of the state government for the mining of laterite mineral to be incorporated in to the mine lease / LOI and same need to be submitted along with the Final EIA/EMP report.
- vii. Project proponent shall submit the wildlife conservation plan and submit it duly after the approval of the competent authority (Principal Chief Conservator of forest).
- viii. Project proponent shall submit an affidavit for conservation of top soil within the premises and no top soil shall be dumped outside the mining premises. The Project proponent shall submit detail plan for waste Management.
- ix. Project proponent shall submit an affidavit for commitment to the public (Objections/suggestions raised by public) during Public Hearing.
- x. Project proponent shall submit an affidavit for cutting of trees with prior permission from competent authority and leaving minimum 50 meter from all around the human habitation.
- xi. Project proponent shall undertake noise study and submit noise level report based on modelling (in worst and best case scenario)
- xii. Project proponent shall ensure that mining lease area to be demarcated by erection of boundary pillars at all corner and area to be fenced.
- xiii. The project proponent shall submit an undertaking that there is no court case pending relating to this project before any Court of Law in India.
- xiv. The project proponent shall submit an undertaking in the form of an affidavit stating that there is no violation of Notification S.O. 804(E) dated 14/03/2017 issued by Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Government of India and the direction given by Hon'ble Supreme Court of India in the matter of Common Cause vs Union of India order dated 02.08.2017.

- xv. EIA study shall be done at minimum 8 no. of stations for data collection considering the pre-dominant wind direction.
- xvi. Project proponent shall submit the land documents (B-1) with consent letter from land owners for uses of land.
- xvii. Project proponent shall submit the details of 7.5 meter safety barrier zone area and also submit the detail proposal of plantation in 7.5 meter boundary area for 6 years, incorporating the plant cost, fencing cost, fertilizer cost, maintenance cost and irrigation cost etc.
- xviii. Project proponent shall submit notarized affidavit regarding plantation in 7.5 meter safety barrier zone area as per the above mentioned.
- xix. Project proponent shall submit source of water requirement and its NOC for usage of water from competent authority.
- xx. Project proponent shall submit the detail proposals of gulland drain, check dams, drainage and also submit Ground Vibration Study alongwith required mitigation measures.
- xxi. Project proponent shall undertake plantation (as far as possible fruit bearing species) within the mining lease area as per guidelines issued from time to time and particularly in the 7.5 meter safety zone area of minimum 06 feet height and shall maintain 90% survival rate. The plantation shall be maintained by project proponent for atleast 6 years. Project proponent shall report to Authority regarding yearwise plantation. The details to be submitted alongwith geotag photographs in the EIA report.
- xxii. Project proponent shall submit CER proposals (Eco-park Development with minimum 5 Ha. area) with details of works alongwith their estimates including land cost.

प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार – उपरीका प्रकारण पर प्राधिकरण की दिनांक 05 / 12 / 2022 को संख्या 134वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा नस्ती का अकलीकान किया गया। प्राधिकरण द्वारा विचार किमार्ह उपरांत सर्वसम्मति से निर्णय किया गया कि समिति द्वारा अनुशासित अंतिरिक्ष टीओआर को जारी में निम्न राशीदंग मिला गया है।

- * 2 (xxii) "Project proponent shall submit CER proposals (Eco-park Development with minimum 5 Ha. area) with details of works alongwith their estimates including land cost." के इसान पर 2 (xxii) "Project proponent shall submit CER proposals (Eco-park Development with minimum 5 Ha. area) with details of works alongwith their estimates including land cost & incorporate in the EIA report." पक्का जाए।

परियोजना प्रस्तावको सही टमर्स ऑफ रेकर्ड्स (टी.ओ.आर.) (सेक्टर सुनवाई सहित) जारी किया जाए।

17. नेहरू छत्तीसगढ़ विनायक डेवलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड (नर्सेनापुर एवं कुमिया बालबाईट बाईन), याम-गर्विदापुर एवं कुमिया, तहसील-गैंगपाट, विजय-सारन्तुजा (साधिकालय का नमस्ती छामाक 2125)

अनलाईन आवेदन – प्रधीन नम्बर – एकाऊटर/ शीषी/ एम्प्लाई/ 620388 / 2022, दिनांक 09 / 08 / 2022 द्वारा टी.ओ.आर हेतु आवेदन किया गया है।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत औन्तराइन आवेदन में कलिनी होने की ज्ञापन दिनांक 25 / 09 / 2021। द्वारा जानकारी प्रस्तुत करने हेतु लिटिएटर दिया गया। परियोजना प्रस्तावक द्वारा वाहित जानकारी दिनांक 17 / 09 / 2022 को औन्तराइन प्रस्तुत की गई।

प्रस्ताव का विवरण — यह प्रस्तावित बीक्साईट (मुख्य खनिज) स्थान है। स्थान शाम—नर्मदापुर एवं कुमिना, तहसील—मैनपाट, ज़िला—सारगुजा रियासत शाम—नर्मदापुर का लक्षण ग्रामांक — १, १० एवं ३९ अन्य तथा शाम—कुमिना का लक्षण ग्रामांक — ५९५, ५९६ एवं ९३ अन्य, कुल क्षेत्रफल — १३४.६ हेक्टेयर (निची भूमि — ६७.५६३ हेक्टेयर एवं ऊपरीकी भूमि — ८१.९३७ हेक्टेयर) में प्रस्तुतित है। स्थान की उत्तरिता उत्तरांग शम्ला — ४,६१,५३८.४६ टन (सेलेक्ट बीक्साईट ३,००,००० टन एवं अपरिष्ट १,६१,५३८.४६ टन) प्रतिवर्ष, ओरहर बड़ी शम्ला — ४,७५,०४८ टन प्रतिवर्ष है। परियोजना की कुल प्रस्तावित तात्पत्र ७.६ करोड़ होगी।

उत्तरीसमग्र निनरल डेवलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड को ज्ञापन दिनांक 26 / 09 / 2022 द्वारा पर्यावरणीय लीक्यूलि प्राप्त करने हेतु टी.ओ.आर के सिए आवेदित प्रबन्ध को देखके में सम्मिलित करने वाला पत्र एस.ई.आई.ए.ए. उत्तरीसमग्र को प्रेषित किया गया है। पत्र में उल्लेखित तथा निम्नानुसार है—

उत्तरीसमग्र निनरल डेवलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड (सी.एन.की.सी.) द्वारा जास्त का एक उपलब्ध है। सी.एन.की.सी. द्वारा जिम्मा बीक्साईट की विधि के पर्यावरणीय लीक्यूलि प्राप्त करने हेतु टी.ओ.आर के सिए जिम्मा आवेदन किया गया है।

क्र.	बीक्साईट स्थान का नाम	तहसील/ज़िला	रक्कम (हेक्टेयर)	प्रयोजन नम्बर
१.	पर्यावरण	मैनपाट/सारगुजा	७९.१९	८२०६४
२.	नर्मदापुर	मैनपाट/सारगुजा	१३९.६०	८२०६६
३.	कमलेश्वरपुर	मैनपाट/सारगुजा	१४७.६२६	८२९५७

सी.एन.की.सी. को उक्त क्षेत्र आवास के आधार पर जिम्मा है तथा वर्ष 2023 की पूर्व खनियाद्वारा संवीकृत करने की अनियार्थी है अन्यथा क्षेत्र व्यापारित की जाएगी में आ जाएगा।

मैसरी वा कुदरत की एल्युमिना रिफ्लेक्टरी प्राइवेट लिमिटेड द्वारा शाम—ज़िला, ज़िला—सारगुजा में एल्युमिना संयंत्र की उत्पादन के लक्ष्य जास्त की उत्पादन दिनांक 28 / 02 / 2020 को एस.ओ.यू. हस्ताक्षरित किया गया है। उक्त संयंत्र हेतु प्रतिवर्ष २.५ मिलियन टन बीक्साईट की आवश्यकता होती है। उपरोक्त के अनुमति में सी.एन.की.सी. के उत्पादन से उपरोक्त संयंत्र को सी.एन.की.सी. द्वारा उत्पादित बीक्साईट खनिज का २० प्रतिशत खनिज बाक्साईट प्रदाय करने हेतु तात्पर टर्म लिंक्ज लीसिसी का भवी परिवद द्वारा दिनांक 20 / 07 / 2021 को अनुमोदन किया गया है। उक्त संयंत्र के सुचारू स्थान से संचालन होने पर जास्त जास्त की प्राप्ति होगी साथ ही कोष के लोगों तो उत्तमार के अवसर उपलब्ध होंगे एवं क्षेत्र का विकास होगा।

उत्तरीका तथ्यों को ध्यान में रखते हुए उक्त प्रकरणों को एस.ई.आई.ए.ए. उत्तरीसमग्र द्वारा वाह सितम्बर 2022 में आवेदित होने वाले बैठक में उत्तरीका सभी हेतु एवं सम्मिलित करने एवं टी.ओ.आर दिये जाने हेतु अनुसूचि किया गया है। जिससे सम्बन्धित में कार्य को नियमित किया जा सके।

प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार — उपरोक्त प्रकरण पर ज्ञापिकरण की दिनांक 28 / 09 / 2022 को संवन्ध 129वीं बैठक में विचार किया गया। ज्ञापिकरण द्वारा पत्र

का लक्षणोंका किया गया। अतः प्राधिकरण द्वारा विवार किए हो संपर्क समिति से उक्त प्रकरण को एसईएसी, छातीसगढ़ की नियमनुसार आधिकारिक बैठक में नियमनुसार रखे जाने हेतु एसईएसी, छातीसगढ़ को लेख किये जाने का निर्णय लिया गया।

नियमनुसार अधिक वहाँदय के नियमनुसार, परियोजना प्रवाहक को एसईएसी, छातीसगढ़ के आपन दिनांक 14/10/2022 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठक का विवरण –

(अ) निमिति की 429वीं बैठक दिनांक 18/10/2022:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री उपेन्द्र कुमार, डिल्टी जनरल मैनेजर एवं श्री सुशील कुमार घण्टकर, एसीसटेट जनरल मैनेजर तथा पर्याप्त रासाहकर के लम्बे मैत्रीसंबंधी साझें-टेक कॉम्प्लेटर्स की ओर से श्री नवीन अहमद उपस्थित हुए। निमिति द्वारा जारी प्रस्तुत जानकारी का अध्यालोकन करने पर निम्न निष्ठियाँ पाई गईं—

- पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण— इस खदान की पूर्व में पर्यावरणीय स्वीकृति जारी नहीं की गई है।
- न्याम बंधावन का अनापनित प्रभाव यज्ञ— उत्तरानन के संबंध में यान पर्याप्त का अनापनित प्रभाव यज्ञ प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
- उत्तरानन बोलना— न्यौनिंग प्लॉन एवं फ्लॉयडिंग माईन बोलनेर प्लॉन प्रस्तुत किया गया है, जो संकीय खदान नियंत्रक, भारतीय यान और संकीय यान नियंत्रक कार्यालय रायगढ़ के द्वायन क्रमांक नं. ३८८४४/२०१८/१३३८/२०२२ रायगढ़ दिनांक ०७/०९/२०२२ द्वारा जनुरोदित है।
- ५०० मीटर की परिसी में स्थित खदान— कार्यालय कालेक्टर मरणुजा (सूनिज शास्त्री), अधिकारीपुर के द्वायन दिनांक १०२२/ख.लि.-१/एम.एल./२०२२ अधिकारीपुर, दिनांक १४/०९/२०२२ द्वारा जारी प्रभाव यज्ञ अनुसार उक्त खदान से ५०० मीटर की परिसी में कोई भी सार्वजनिक लोड वीरों नहिं, मरम्पट, रक्कह, अस्पात, मुल, बांध एवं एन्फ्रिक्ट आदि प्रतिबंधित लोड निष्ठियाँ नहीं हैं। खदान से ५०० मीटर की परिसी में नहर तथा राहक स्थित है।
- २०० मीटर की परिसी में स्थित सार्वजनिक लोड/संनचनाएँ— कार्यालय कालेक्टर मरणुजा (सूनिज शास्त्री), अधिकारीपुर के द्वायन दिनांक १०२६/ख.लि.-१/एम.एल./२०२२ अधिकारीपुर, दिनांक १४/०९/२०२२ द्वारा जारी प्रभाव यज्ञ अनुसार उक्त खदान से २०० मीटर की परिसी में कोई भी सार्वजनिक लोड वीरों नहिं, मरम्पट, रक्कह, अस्पात, मुल, बांध एवं एन्फ्रिक्ट आदि प्रतिबंधित लोड निष्ठियाँ नहीं हैं। खदान से २०० मीटर की परिसी में नहर तथा राहक स्थित है।
- एल.ओ.आई. रांबंधी विवरण— एल.ओ.आई. छातीसगढ़ यानान, सूनिज शास्त्री नियमानुसार बहावी भवन, नवा रायगढ़ अंडा भवन के द्वायन क्रमांक एल ३-६/२०२२/१२ नवा रायगढ़ दिनांक ०६/०७/२०२२ द्वारा एल.ओ.आई. जारी की गई है, जो १ वर्ष (दिनांक २७/०३/२०२३ तक) की अवधि हेतु दी गई है।
- भू-स्पानिल— भूमि यानित संबंधी जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस संबंध में परियोजना प्रस्तावक द्वारा निमिति की यान अनुरोध किया गया कि उक्त संज्ञ का असार, बी-१, बी-२ आदि फाईनल ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत किया जाएगा। यान असार पर सम्पूर्ण नियती भूमि की स्पष्ट लम्ब

से लिंगित कर उपलब्ध कराया जाएगा। प्रत्युतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि उसका उत्तमनियटटा क्षेत्र पर करत भूमि मुद्रणका प्रदान किया जाने की साईंकारी जिला सरकार पर प्रश्नालय में है। करत भूमि मुद्रणका का भुगतान नियती भू-संविधान की खनियटटा अनुकूल होने के उपलब्ध ताप्तन की विषय/नियतीभू-संविधान किया जाएगा। करत भूमि मुद्रणका भुगतान होने के पश्चात ही खनन कार्य प्रारंभ किया जाएगा।

8. डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट – वर्ष 2019 की डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रश्नालय की वाई है।
9. वन विभाग का अनापत्ति प्रबाल यज्ञ – कार्यालय वनवान्हनलायिकली, सरगुजा राज्यपाल, अधिकारीपुर के छापन कामांक/सक.अधि./2188 अधिकारीपुर, दिनांक 16/09/2021 से जारी अनापत्ति प्रबाल यज्ञ के अनुसार आवेदित क्षेत्र वन संगठन की जीवा से 500 मीटर की दूरी पर है। प्रस्तावित क्षेत्र नर्मदापुर में 72 नग वाला तथा कुमिया में 482 नग वाल, 35 नग जीलगोरी के बूल है। आवेदित क्षेत्र के अंतर्गत 10 किमी की परिमि में कोई भी राष्ट्रीय उद्यान अथवा अभयास्थान नहीं है।
10. महत्वपूर्ण संवेदनशील की दूरी – नियटटाम आवादी जाम-नर्मदापुर 1.7 किमी, याम-कुमिया 2.4 किमी, एवं ऐले राष्ट्रीय अधिकारीपुर 65 किमी की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय उद्यानमार्ग 14 किमी दूर है। शायी जाला 700 मीटर तक पुनर्घट्टटा जाला 4 किमी दूर है।
11. बुजारी आवेदित वन 4 किमी, अलोला आवेदित वन 12.8 किमी एवं बरिला आवेदित वन 300 मीटर दूर है।
12. पारिविकलिकीय/जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र – परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 किमी की परिमि में राष्ट्रीय उद्यान, अभयास्थान, बैन्दीय प्रदूषण नियांवण योहू जारा जीवित डिटिकली वील्युटेक एरिया, पारिविकलिकीय संवेदनशील क्षेत्र तथा पांचिल जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना आविष्यित किया है।
13. खनन संघर्षा एवं खनन का विवरण – अनुसोदित जारी जान अनुसार जियोलॉजिकल रिपोर्ट 1,03,27,162 टन एवं नाईगेश्वर रिपोर्ट 71,06,000 टन है। जोखन जाला की सेहेन्हार्जल जिले से उत्तरानन किया जाएगा। उत्तरानन की प्रस्तावित अधिकारीम गहराई 9.8 मीटर है। उपरी खिट्टी की गहराई 1.35 मीटर है। देख की गहराई 3 मीटर एवं गोडाई 3 मीटर है। खदान की समाप्ति आयु 16 वर्ष है। लैंडर क्षेत्र में काफ़र स्थापित किया जाना प्रस्तावित नहीं है। जोक हिन्द री ड्रिलिंग एवं कंट्रोल ड्राइंग जिले का जाएगा। खदान में यात् प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल का डिफ़ेक्टर किया जाएगा। वर्षावार प्रसापित उत्तरानन का विवरण नियानुसार है:-

क्रम	प्रस्तावित उत्तरानन (ROM टन)	क्षेत्रेवत् मिनरल्स (टन)	रिपोर्ट से मिनरल्स (टन)
प्रथम	3,95,943.69	2,57,363.3	1,38,580.3
द्वितीय	4,14,680.64	2,69,542.4	1,46,138.2
तृतीय	4,32,601.30	2,81,190.8	1,51,410.5
चतुर्थ	4,52,570.07	2,94,170.5	1,58,399.5
पाँचम	4,61,538.46	3,00,000.0	1,61,538.5

14. जल आपूर्ति – परियोजना हेतु जलाशयक जल की मात्रा 7.5 मीटर प्रतिदिन होगी। जल की आपूर्ति स्रोत एवं अनुमति संस्थी जानकारी/दस्तावेज़ प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

15. वृक्षारोपण खार्ड – लौज शेज की सीमा में यातो और 7.5 मीटर की पट्टी में वृक्षारोपण किये जाने के संबंध में प्रस्तुतीकरण के द्वारा परियोजना इस्तावक हुआ बताया गया कि—

- सीएनडी सी द्वारा निजी भूमि के भू-स्थानी को बीमार्ह जानिये का उल्लंघन एवं परिवहन करने के वरक्षण व्यापारीकरण कर जापावधि ने दायर किया जाना है। उपरोक्त होमी के सीकृत शेज के यातो और 7.5 मीटर की परिमि पर वृक्षारोपण किया जाना अनिवार्य होता है। परंतु निजी भू-स्थानियों द्वारा निजी भूमि पर वृक्षारोपण का विशेष किया जाता है, वर्णकि उनको खुगन उपरांत होती किया जाना होता है।
- सीएनडी सी, को नवीकृत होमी में निजी भूमि के बाहर (7.5 मीटर की परिमि वे) अन्य होमी में जग्यप्रतिनिधियों/सरपंच/अन्य अधिकृत प्रतिनिधियों से जलाह कर उन होमी वृक्षारोपण किये जाने हेतु सीएनडी सी, वजनकद है।

समिति का मत है कि उक्त हेतु जापथ पत्र (Notarized Affidavit) प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है। साथ ही निजी भूमि के अधिकारित लौज शेज की सीमा में यातो और 7.5 मीटर की पट्टी जो कि बासकीय भूमि के उपरांत आता है, में वृक्षारोपण किया जाना आवश्यक है।

16. खदान की 7.5 मीटर की चौड़ी बिंगा पट्टी में उल्लंघन – लौज शेज के यातो और 7.5 मीटर की सीमा पट्टी में उल्लंघन कार्य नहीं किया गया है।

17. प्रस्तुतीकरण के द्वारा परियोजना इस्तावक हुआ बताया गया कि जलस्तर में आने वाली अन्य खदानों के लिए बेसलाईन डाटा कलेक्शन का कार्य नार्वे, 2022 से मई, 2022 तक किया गया है।

18. परियोजना इस्तावक हुआ बताया गया कि कटि लौज दोब के भीतर यह उल्लंघन अदि अवशिष्ट हो ली युक्त की कटाई सभग प्राप्तिकारी के अनुमति उपरांत आवश्यकता बढ़ने पर ही उक्त युक्त की कटाई की जाएगी। साथ ही रहवास से 50 मीटर छोड़कर उल्लंघन का कार्य किया जाएगा। समिति का मत है कि उक्त की संख्या में शापथ पत्र (Affidavit) प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

19. वन्य प्राणी संरक्षण योजना तैयार कर, विशिष्ट उल्लंघन प्राप्तिकारी (उथान गुलब घन संस्थान/विज्ञा) सह मुक्त उन्नदानी के अनुसूचित उपरांत प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है। परियोजना प्रवलादक द्वारा प्राप्तिक घरण में 5 वर्षी नीं सन्तुष्टापी संरक्षण योजना तैयार कर प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है, उक्त परिवार उल्लंघन की आयु तक प्रत्येक 5 वर्ष में ‘पुनर्नीकृत उन्नदानी संरक्षण योजना’ तैयार कर प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है। ताकि वन्य प्राणीयों के रहवास वनी के उद्दीग के मिट्टी, जल, वायु, जलि एवं प्रज्वलन अनियंत्रित इंसान द्वारा जानवरों से एवं उद्योग अनियंत्रित उद्योग उद्योग द्वारा विरुद्ध किया जा सके।

समिति द्वारा विवार विषयी उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार विशेष किया गया—

- कार्यालय कलेक्टर राजगुजा (खंडिल राजा), अधिकारीपुर के ज़िला वर्षाक 1022 /खंडि-१/एम.एल./2022 अधिकारीपुर दिनांक 14/09/2022 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित अथवा लैंगाड़ खदानों की संख्या निम्न है। आवेदित खदान (यास-नर्मदापुर एवं कुनिया) का रकमा 139.5 हेक्टेयर है। खदान की बीच से 500 मीटर की परिसीमे नवीकृत/संशोधित खदानों का कुल संख्याल 5 हेक्टेयर से अधिक का कलहन निर्वित होने के कारण यह खदान 'बी' संघी की नामी रही।
- सभिनी हावा विभाग निम्न समवत्त सर्वसम्मति से प्रकरण 'बी' के देशी या हावे के बास्तव भावन संस्कार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय हावा अप्रैल 2015 में प्रकाशित स्टैच्यूल टन्स ऑफ रिफरेंस (टीओआर) और इ.आई.ए. /इ.एम.पी. रिफरेंस लोर प्रोटोकॉल/एकटीपिटीज रिफलामरिक बुन्देलखण्ड खनीयोंसे अपहर इ.आई.ए. नीटिपिक्कंसन, 2006 में यांत्रित देशी 1/ए) का स्टैच्यूल टीओआर (लोकल सुनवाई सहित) नीन घोल मार्फतिग प्रोटोकॉल हेतु निम्न अधिकारी द्वारा दिए गए विवेद यांत्रित अनुठान यही नहीं है—
 - Project proponent shall submit the Environment Management Plan.
 - Project proponent shall submit NOC from Gram Panchayat for Mining.
 - Project proponent shall obtain the permission from DGMS (Explosive License Holder) for controlled blasting & incorporate the permission in the EIA report.
 - Project proponent shall submit the top soil management plan & over burden plan & incorporate the details in the EIA report.
 - As per submission made the Project proponent intent to mine latente mineral along with bauxite "Project proponent shall submit the valid lease/LOI and mining plan approved accordingly for the latente mineral along with quantity and period of mining." the same shall be incorporated in the Final EIA/EMP report.
 - The final approval of the state government for the mining of latente mineral to be incorporated in to the mine lease / LOI and same need to be submitted along with the Final EIA/EMP report.
 - Project proponent shall submit the wildlife conservation plan and submit it duly after the approval of the competent authority (Principal Chief Conservator of forest).
 - Project proponent shall submit an affidavit for conservation of top soil within the premises and no top soil shall be dumped outside the mining premises. The Project proponent shall submit detail plan for waste Management.
 - Project proponent shall submit an affidavit for commitment to the public (Objections/suggestions raised by public) during Public Hearing.
 - Project proponent shall submit an affidavit for cutting of trees with prior permission from competent authority and leaving minimum 50 meter from all around the human habitation.
 - Project proponent shall undertake noise study and submit noise level report based on modelling (in worst and best case scenario).
 - Project proponent shall ensure that mining lease area to be demarcated by erection of boundary pillars at all corner and area to be fenced.

- xiii. The project proponent shall submit an undertaking that there is no court case pending relating to this project before any Court of Law in India.
- xiv. The project proponent shall submit an undertaking in the form of an affidavit stating that there is no violation of Notification S.O. 804(E) dated 14/03/2017 issued by Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Government of India and the direction given by Hon'ble Supreme Court of India in the matter of Common Cause vs Union of India order dated 02.08.2017.
- xv. EIA study shall be done at minimum 8 no. of stations for data collection considering the pre-dominant wind direction.
- xvi. Project proponent shall submit the land documents (B-1) with consent letter from land owners for uses of land.
- xvii. Project proponent shall submit the details of 7.5 meter safety barrier zone area and also submit the detail proposal of plantation in 7.5 meter boundary area for 5 years, incorporating the plant cost, fencing cost, fertilizer cost, maintenance cost and irrigation cost etc.
- xviii. Project proponent shall submit notarized affidavit regarding plantation in 7.5 meter safety barrier zone area as per the above mentioned.
- xix. Project proponent shall submit source of water requirement and its NOC for usage of water from competent authority.
- xx. Project proponent shall submit the detail proposals of gully drain, check dams, drainage and also submit Ground Vibration Study alongwith required mitigation measures.
- xxi. Project proponent shall undertake plantation (as far as possible fruit bearing species) within the mining lease area as per guidelines issued from time to time and particularly in the 7.5 meter safety zone area of minimum 06 feet height and shall maintain 90% survival rate. The plantation shall be maintained by project proponent for atleast 5 years. Project proponent shall report to Authority regarding yearwise plantation. The details to be submitted alongwith geotag photographs in the EIA report.
- xxii. Project proponent shall submit CER proposals (Eco-park Development with minimum 5 Ha. area) with details of works alongwith their estimates including land cost.

प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार – उपरीका प्राप्तान्य पर प्राधिकरण द्वी दिनांक 05 / 12 / 2022 को संवाद 134वीं बैठक में विचार दिया गया। प्राधिकरण द्वारा नस्ती का अनुस्तोत्र दिया गया। प्राधिकरण द्वारा विचार दिया गया उपरांत एवं सम्मति दी गयी विचार दिया गया तिं परिस्थि द्वारा अनुस्तोत्र अतिरिक्त दीड़ोआर को शहर में मिल सकेगा दिया गया है।

- 2 (xxii) "Project proponent shall submit CER proposals (Eco-park Development with minimum 5 Ha. area) with details of works alongwith their estimates including land cost." के स्थान पर 2 (xxii) "Project proponent shall submit CER proposals (Eco-park Development with minimum 5 Ha. area) with details of works alongwith their estimates including land cost & incorporate in the EIA report." दी जाए।

परियोजना प्रत्यापक को जास्ती दम्भी और लिमिटेड (टी.ओ.आर.) (लॉन्च रुग्यार्ड नाइट) द्वारा किया गया है।

18. मेसर्स छत्तीसगढ़ बिनरल डेवलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड, शाम-कमलेश्वरपुर, तहसील-मैनपाट, जिला-सरगुजा (शाखियालव का नस्ती छाती 2138)

बीनलाईन आवेदन - जीवाल नम्बर - एसडीए/ सीजी/ एमडीए/ 82067 /2022 दिनांक 26 /09 /2022 द्वारा टी.ओ.आर. हेतु आवेदन किया गया है।

प्रस्ताव का विवरण - यह ब्रह्माधित लैंसलाईट (भूमि छानिज) बदान है। बदान शाम-कमलेश्वरपुर, तहसील-मैनपाट, जिला-सरगुजा नियत शाम-कमलेश्वरपुर का नस्ती छाती 2, 3 एवं 143 अन्य, कुल क्षेत्रफल - 147.625 एक्टेस (नियत भूमि - 1.779 हेक्टेयर एवं जालकीय भूमि - 145.844 हेक्टेयर) में प्रस्तावित है। बदान की आवेदित लागतगत कमता - 4,61,538.46 टन (सेलेक्ट बीक्साईट 3,00,000 टन एवं अपशिष्ट 1,61,538.46 टन) प्रतिवर्ष, ओबर बाह्य कमता - 9,58,476.16 टन प्रतिवर्ष है। परियोजना की कुल ब्रह्माधित लागत 18 करोड़ होगी।

छत्तीसगढ़ बिनरल डेवलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड के द्वायन दिनांक 26 /09 /2022 द्वारा पर्यावरणीय वीकृति प्राप्त करने हेतु टी.ओ.आर. को लिए आवेदित प्रकाश की देठक में समिलित करने सकता था एसडीएईए छत्तीसगढ़ को प्रतिवित किया गया है। यहां में दल्लीखिल तथा लिम्बानुसार है।

छत्तीसगढ़ बिनरल डेवलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड (सी.एम.डी.सी.) तात्पर जासन का एक उपकरण है। सी.एम.डी.सी. द्वारा नियन्त्रित लैंसलाईट क्षेत्रों के पर्यावरणीय वीकृति प्राप्त करने हेतु टी.ओ.आर. को लिए नियन्त्रित किया गया है।

क्र.	बीक्साईट बदान का नाम	तहसील/जिला	क्षेत्रफल (हेक्टेसर)	प्रबोजल नम्बर
1.	पधर्दू	मैनपाट/सरगुजा	79.19	82064
2.	बंदापुर	मैनपाट/सरगुजा	139.60	82066
3.	कमलेश्वरपुर	मैनपाट/सरगुजा	147.625	82067

सी.एम.डी.सी. को उक्त क्षेत्र जालना की आवाह पर नियन्त्रित द्वारा नार्ट 2023 के पूर्व लानियटटा लैंसलाईट करने अनिवार्य है अन्यथा क्षेत्र व्यपन की स्थिती में आ जाएगा।

येराही या कुलशगड़ी एल्युमिना नियान्त्रित प्राईवेट लिमिटेड द्वारा शाम-विरेना जिला-सरगुजा ने एल्युमिना संयंत्र की जलालन हेतु राज्य जासन के तात्पर दिनांक 26 /02 /2020 को एसडीए/ हस्ताक्षरित किया गया है। उक्त संबंध हेतु प्रतिवर्ष 2.5 भित्तियम टन बीक्साईट की जांग दी गई है। उपरोक्त की अनुलम्ब ने सी.एम.डी.सी. के माध्यम से उपरोक्त संयंत्र की सी.एम.डी.सी. द्वारा उत्पादित बीक्साईट लैंसिज का 70 प्रतिशत रानिज बाक्साईट ब्रदार करने हेतु लागू हरे लिंकेज लैंसिसी का मंदी परिवर्द्ध द्वारा दिनांक 26 /07 /2021 को अनुबोधन किया गया है। उक्त संयंत्र के सुचाल काम या शाखालय होने पर राज्य जासन की जलालन की प्राप्ति होगी साथ ही क्षेत्र के लोगों द्वारा बोजगाल की उत्पादन उपलब्ध होगी एवं क्षेत्र का विकास होगा।

उपरोक्त तथ्यों की प्राप्ति में उक्ती हुए उक्त प्रकाशों को एसडीएईए छत्तीसगढ़ द्वारा नार्ट 2022 में आवेदित होने वाले देठक में उपरोक्त जानी

क्षेत्रों की समिलित करने एवं टीओआर दिये जाने हेतु अनुसूचि किया गया है। जिससे समव्यवहारि में वार्षीय वर्ते निष्पादित किया जा सके।

प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार – उपलेख द्वारा एवं प्राधिकरण की दिनांक 28/09/2022 को सप्तम 129वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा एवं का अवलोकन किया गया। अतः प्राधिकरण द्वारा विचार विवरों उपरात सार्वजनिकि से एकत्र प्रकरण को एसडीएसी, छलीसानगढ़ की नियमानुसार आवेदित दिनांक से नियमानुसार रखे जाने हेतु एसडीएसी, छलीसानगढ़ वरे लेख किये जाने का निर्णय लिया गया।

नामानुसार अवधि महीदय के नियमानुसार परिवेशना प्रस्तावक लो एसडीएसी, छलीसानगढ़ के आधार दिनांक 14/10/2022 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु रूपित किया गया।

बैठक का विवरण –

(अ) रामिति की 429वीं बैठक दिनांक 18/10/2022:

प्रस्तुतीकरण हेतु भी उपेन्द्र बुमर, डिप्टी जनरल मैनेजर एवं भी सुरोल बुमर बन्दापुर, एसीएटी जनरल मैनेजर एवं पर्यावरण सलाहकार की तरफ से वित्ती और वित्ती समिति नाईन-टॉक कानूनीटेक्स की ओर से भी नहीं संहगद उपस्थित हुए। रामिति द्वारा नहीं, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने वरे निम्न नियमित पाई गई—

- पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण— इस विवरण को पूर्व में पर्यावरणीय स्वीकृति जारी नहीं की गई है।
- ग्राम पंचायत का अनापरित समाज यत्र — उल्लेखन के सब्द में ग्राम पंचायत का अनापरित समाज यत्र प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
- उत्तरानन योजना — माईनिक प्रकार प्रस्तुत किया गया है, जो क्षेत्रीय स्तर नियंत्रक, जारीता स्तर बूझी, क्षेत्रीय स्तर विधिक कार्यालय संघरुपर के आधार द्वारा यो रायगुज़ा/दीक्षा/छायो-1337/2022 रायपुर, दिनांक 07/09/2022 द्वारा अनुमोदित है।
- 500 मीटर की परिधि में स्थित सादान — कार्यालय कलेक्टर रायगुज़ा (खानिज शाखा), अधिकारीपुर के आधार द्वारा 1020/ख.लि.-1/एस.एल./2022 अधिकारीपुर, दिनांक 14/09/2022 को अनुसार आवेदित सादान से 500 मीटर की भीतर अवस्थित अन्य बीमाइट खदानों की संख्या निरूपित है।
- 200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक लौंग/सारदानाए — कार्यालय कलेक्टर रायगुज़ा (खानिज शाखा), अधिकारीपुर के आधार द्वारा 1020/ख.लि.-1/एस.एल./2022 अधिकारीपुर, दिनांक 14/09/2022 द्वारा जारी प्रमाण यत्र अनुसार उक्त सादान से 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक लौंग तीरो बाईर, गल्फट, स्कूल, अस्पताल, गुल, बाप एवं एनीकट आदि अतिविधित लौंग निर्मित नहीं हैं। सादान से 200 मीटर की परिधि में नहल, सड़क एवं तिक्कियों का बैद्ध नह विभित है।
- एलओआई, संबंधी विवरण — एलओआई छलीसानगढ़ शाकन, खानिज साधान विभाग, महानदी अवन, नवा रायगुज़र अटल नार के आधार द्वारा एक 3-12/2021/12 नवा रायगुज़र, दिनांक 13/04/2022 द्वारा एलओआई, जारी की गई है, जो 1 कर्त दिनांक 27/03/2023 तक भी अधित हेतु वैध है।

7. भू-स्थानिक - भूमि परियोजना संबंधी जानकारी/दस्तावेज़ प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस सबवाल में परियोजना प्रस्तावक द्वारा समिति की सभा अनुसूचि किया गया कि उक्त सेत्र पर खसरा बी-१, बी-२ आदि फाईनल ईआईए रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत किया जाएगा। खसरा नवका पर सम्मुखी जिली भूमि पर स्वप्न सभी अधिक और प्रस्तावक कराया जाएगा। प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा कहाया गया कि उक्त तत्त्वावधारिता सेत्र पर काल तकी मुआवजा प्रदान किये जाने की कार्यवाही जिसे सार पर प्रघटन में है। काल तकी मुआवजा का गुणात्मक नियमी भू-स्थानिकों की खनिपट्टा अनुकूल होने के उपरान्त शासन के नियम/नियोजनानुसार किया जाएगा। काल तकी मुआवजा भुगतान होने के पश्चात ही जानन कार्य प्रारंभ किया जाएगा।

साथ ही परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत शाम-पत्र में शाम-कालीनत्वपूर का लैंडपल १२.४०६ हेक्टेयर एवं शाम-रोपाल्कार का बीबल ५५.१२७ हेक्टेयर का उल्लेख किया गया है। जबकि परियोजना प्रस्तावक द्वारा आवेदन के साथ प्रस्तुत शामकल इन्वेजेजी में शाम-कालीनत्वपूर का ही उल्लेख होना पाया गया है। अतः समिति का मत है कि उक्त के संबंध में फाईनल ईआईए रिपोर्ट के साथ शामकल जानकारी/दस्तावेजी में शाम-रोपाल्कार का उल्लेख किया जाना आवश्यक है। साथ ही शाम रोपाल्कार का विवाहित अनापलि प्रमाणपत्र भी प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

8. डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट - वर्ष 2019 की डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की दृष्टि प्रस्तुत की गई है।
9. बन विभाग का अनापलि प्रमाण पत्र - कामालिय बनवापड़लालियाली, नरसुजा बनवापड़ल अधिकारिय की द्वायन क्रमांक/तक अंति/ १४२२ अधिकारिय दिनांक ०२/०७/२०२१ से जारी अनापलि प्रमाण पत्र की अनुसार आवेदित बीज बन होती ही सीमा से ३ किमी की दूरी पर है। आवेदित बीज की अलगता १० किमी की परिमि में कोई भी राष्ट्रीय राज्यान्तर अवधि बन अन्वयनक दोष नहीं है।
10. गहन्त्वपूर्ण सांख्यनालों की दूरी - निकटतम आवादी शाम-कालीनत्वपूर ६५० मीटर एवं शाम-रोपाल्कार ३.२१ किमी की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग ५६ किमी दूर है। जलजला नाला १.५ किमी एवं मनमारी नाला ५ किमी दूर है।
11. चुम्हा आवक्षित बन ५ किमी, पटवुता संरक्षित बन ११ किमी एवं बरिमा आवक्षित बन ८.५ किमी दूर है।
12. पारिशिवलिकीय/दीविलिकाता संवेदनशील बीज - परियोजना प्रस्तावक द्वारा १० किमी की परिमि में राष्ट्रीय राज्यान्तर अन्वयनप्प वैन्डीय प्रदूषण नियंत्रण बीहू द्वारा घोषित छिट्ठिकली पील्युटेड लैरिया, पारिशिवलिकीय संवेदनशील लैर या घोषित दीविलिकाता दोष स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।
13. जानन शांपदा एवं जानन का विवरण - अनुमोदित जली भत्ता अनुसार जियोलियिकाल रियर्ड ८७.९२.१५५ टन एवं नाईगेवल रियर्ड ७१.१९.४१७ टन है। ओपन काल सेत्री मेंकोनाईज्ड विहि की उत्तरानन किया जाएगा। उत्तरानन की प्रस्तावित अधिकाराय गहन्त्व ७.८ मीटर है। ऊपरी छिट्ठी की घोटाई १.५ मीटर एवं लेटेनाईट की घोटाई ३ मीटर है। बेंग की ऊपरी ३ मीटर एवं घोटाई ३ मीटर है। खदान की शामापिल आयु २४ वर्ष है। लीज दोष में जलान रक्षावित किया जाना प्रस्तावित नहीं है। यीक हैमर से छिलिंग एवं कट्टोल ब्लाकिंग किया

जाएगा। खदान में वायु प्रदूषण निपटन हेतु जल का चिन्हकार किया जाएगा। वर्षीय इस्तेवान का विषय निम्नानुसार है—

वर्ष	प्रस्तावित उत्कर्षन	सीलेबल मिनरल्स (टन)	प्रिलेक्ट्स मिनरल्स (टन)
प्रथम	1,50,162.08	97,605.35	52,556.73
द्वितीय	2,14,723.18	1,39,570.08	76,153.11
तृतीय	3,09,443.17	2,01,138.06	1,08,305.11
चतुर्थ	3,89,984.79	2,53,490.11	1,36,494.68
पंचम	4,61,538.46	3,00,000.0	1,61,538.46

14. जल आपूर्ति — परियोजना हेतु आवश्यक जल की जाता ५.५ लार्डोंटर प्रतिदिन होगी। जल की आपूर्ति सील एवं अनुमति संबंधी जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
15. गृहारोपण कार्य — सील सील की सीमा में छारी और ७.५ मीटर की पट्टी में गृहारोपण किये जाने के साथ में प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक हात जाना गया कि—
 - सी.एम.डी.सी. हात जिती भूमि के भू-स्थानी को लॉलाईट अनियंत्रित उत्कर्षन द्वारा परिवहन करने के पश्चात् सामाजिकसंघ कर रहमानवति में वापस किया जाता है। उपरोक्त सीलों के स्टीक्ट सील के छारी और ७.५ मीटर की परिधि पर गृहारोपण किया जाना अनियार्थ होता है। परंतु जिती भू-स्थानीयों हात जिती भूमि पर गृहारोपण का विशेष किया जाता है, तबोकि उनको सुनन उपरान्त सीलों किया जाना होता है।
 - सी.एम.डी.सी. को रवीशुल्ल सीलों में जिती भूमि के करावर (७.५ मीटर की परिधि में) अन्य सीलों में जनवृत्तिमितियों/सरपंच/छन्दा अधिकार द्विमितियों से सलाह लेत उन सीलों गृहारोपण किये जाने हेतु सी.एम.डी.सी. विवरण है।
 समिति का नियम है कि उक्ता हेतु लापत्त एवं (Notarized Affidavit) प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है। साथ ही जिती भूमि के अधिकारित लौज सील की सीमा में छारी और ७.५ मीटर की पट्टी जो कि जानकारी भूमि के उत्कर्षन आता है, में गृहारोपण किया जाना आवश्यक है।
16. खदान की ७.५ मीटर की छोड़ी सीमा पट्टी में उत्कर्षन — सील सील के छारी और ७.५ मीटर की सीमा पट्टी में उत्कर्षन कार्य नहीं किया जाया है।
17. उत्कर्षिकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक हात बताया गया कि कलस्टर में आने वाली अन्य खदानों के लिए बैरलाईन झाटा कलेक्शन का कार्य गार्ड, 2022 से गार्ड, 2022 तक किया गया है।
18. परियोजना प्रस्तावक हात बताया गया कि यदि लौज सील की भीतर तेज़ उत्कर्ष आदि अवस्थित हो तो युक्त की कटाई संख्या उत्पिकारी के अनुमति उपरान्त आवश्यकता पड़ने पर ही उक्त कुली की कटाई की जाएगी। साथ ही रहवास से ५० मीटर छोड़कर उत्कर्षन का कार्य किया जाएगा। दायित्वे का नियम है कि उक्त सीलों की लापत्त एवं (Affidavit) प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
19. कन्द प्राणी संरक्षण योजना तैयार कर, विधिवत् संक्षम जायिकारी (ज्ञान मुद्रा वन संरक्षकरण) सह मुख्य वन्यप्राणी) को अनुमोदन उपरान्त प्रस्तुत किया जाना

आवश्यक है। परियोजना प्रयोगकारी द्वारा जारीकीय तरफ में 5 लाख की बन्धप्राणी संख्या योजना तैयार कर प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है, उसके परिवार जादान ली आयु तक प्रत्येक 5 वर्ष में 'पुनरीक्षित बन्धप्राणी संख्या योजना' तैयार कर प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है। ताकि वन्य प्राणीओं के रहयास बनी को तदोन ली गिट्टी जाए, वायु और ऐसी एवं प्रकाश की प्रदूषण जरिया गिरिकृत जगाओं से एवं उद्योग अधिक उल्लंघित जैविक दबाव से संरक्षित किया जा सके।

समिति द्वारा विभार विभारी चरकरात सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:-

1. कार्यालय कलेक्टर सरगुजा (खनिज शास्त्र), अधिकारीपुर के द्वापन इनकार 1020/सं.लि.-1/एम.एल./2022 अधिकारीपुर, दिनांक 14/09/2022 की अनुसार आवेदित खदान से 600 मीटर की भीतर अवस्थित अन्य बीजसंकट स्थानों परी संख्या निरेक है। आवेदित खदान (यान्-कम्लेश्वरपुर) का रक्षा 147.852 हेक्टेयर है। खदान की लीगा से 600 मीटर की परिमि ग्रीष्मकृत/संवादित खदानों का कुल क्षेत्रफल 5 हेक्टेयर से अधिक का बलस्तर निर्मित होने के कारण वह खदान 'बी' श्रेणी की मानी गई।
 2. समिति द्वारा विभार विभारी चरकरात सर्वसम्मति से प्रकरण 'बी1' विटेकरी वर्ग होने की कारण भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा 2016 में प्रकाशित रटीफ़र्ड टमरी लौक रिफरेन्स (टीआईआर) और ई.आई.ए./ई.एम.पी. रिपोर्ट और प्रौजेक्ट्स/एवटीविटीज रिस्लायरिन इन्वायरनेट लौकरियरेस अपडेट ई.आई.ए. नोटिफिकेशन, 2006 में नीति घोषी 1(ए) का रटीफ़र्ड टीआईआर (लौक युनियन नहिल) नीन कोल गाइडलाइन प्रौजेक्ट्स हेतु निम्न अतिरिक्त रीक्वीजन की जाए जानी की अनुमति दी गई।
- i. Project proponent shall submit the Environment Management Plan.
 - ii. Project proponent shall submit NOC from Gram Panchayat for Mining.
 - iii. Project proponent shall obtain the permission from DGMS (Explosive License Holder) for controlled blasting & incorporate the permission in the EIA report.
 - iv. Project proponent shall submit the top soil management plan & over burden plan & incorporate the details in the EIA report.
 - v. As per submission made the Project proponent intent to mine laterite mineral along with bauxite "Project proponent shall submit the valid lease/LOI and mining plan approved accordingly for the laterite mineral along with quantity and period of mining." the same shall be incorporated in the Final EIA/EMP report.
 - vi. The final approval of the state government for the mining of laterite mineral to be incorporated in to the mine lease / LOI and same need to be submitted along with the Final EIA/EMP report.
 - vii. Project proponent shall submit the wildlife conservation plan and submit it duly after the approval of the competent authority (Principal Chief Conservator of forest).
 - viii. Project proponent shall submit an affidavit for conservation of top soil within the premises and no top soil shall be dumped outside the mining premises. The Project proponent shall submit detail plan for waste Management.

- ix. Project proponent shall submit an affidavit for commitment to the public (Objections/suggestions raised by public) during Public Hearing.
- x. Project proponent shall submit an affidavit for cutting of trees with prior permission from competent authority and leaving minimum 50 meter from all around the human habitation.
- xi. Project proponent shall undertake noise study and submit noise level report based on modelling (in worst and best case scenario).
- xii. Project proponent shall ensure that mining lease area to be demarcated by erection of boundary pillars at all corner and area to be fenced.
- xiii. The project proponent shall submit an undertaking that there is no court case pending relating to this project before any Court of Law in India.
- xiv. The project proponent shall submit an undertaking in the form of an affidavit stating that there is no violation of Notification S.O. 804(E) dated 14/03/2017 issued by Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Government of India and the direction given by Hon'ble Supreme Court of India in the matter of Common Cause vs Union of India order dated 02/08/2017.
- xv. EIA study shall be done at minimum 8 no. of stations for data collection considering the pre-dominant wind direction.
- xvi. Project proponent shall submit the land documents (B-1) with consent letter from land owners for uses of land.
- xvii. Project proponent shall submit all the relevant document regarding land comes under Village – Ropakhar & also submit the Gram Panchayat NOC of Village – Ropakhar.
- xviii. Project proponent shall submit the details of 7.5 meter safety barrier zone area and also submit the detail proposal of plantation in 7.5 meter boundary area for 5 years, incorporating the plant cost, fencing cost, fertilizer cost, maintenance cost and irrigation cost etc.
- xix. Project proponent shall submit notarized affidavit regarding plantation in 7.5 meter safety barrier zone area as per the above mentioned.
- xx. Project proponent shall submit source of water requirement and its NOC for usage of water from competent authority.
- xxi. Project proponent shall submit the detail proposals of gully drain, check dams, drainage and also submit Ground Vibration Study alongwith required mitigation measures.
- xxii. Project proponent shall undertake plantation (as far as possible fruit bearing species) within the mining lease area as per guidelines issued from time to time and particularly in the 7.5 meter safety zone area of minimum 06 feet height and shall maintain 90% survival rate. The plantation shall be maintained by project proponent for atleast 5 years. Project proponent shall report to Authority regarding yearwise plantation. The details to be submitted alongwith geotag photographs in the EIA report.
- xxiii. Project proponent shall submit CER proposals (Eco-park Development with minimum 5 Ha. area) with details of works alongwith their estimates including land cost.

प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार – समीक्षा प्रक्रम पर प्राधिकरण की दिनांक 05 / 12 / 2022 की संख्या 134वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा नवीनी का अधिकारिक रूप से विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा विचार किमार्हा उपरात सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि समिति द्वारा अनुशासित अधिकारिक टीओआर के भर्ती में निम्न संशोधन लिया गया था:-

- 2 (xxii) "Project proponent shall submit CER proposals (Eco-park Development with minimum 5 Ha. area) with details of works alongwith their estimates including land cost." के स्वामय पर 2 (xxii) "Project proponent shall submit CER proposals (Eco-park Development with minimum 5 Ha. area) with details of works alongwith their estimates including land cost & incorporate in the EIA report." यहाँ जाए।

परियोजना प्रस्तावक जो सभी टमर्स ऑफ रेकर्ड्स (टीओआर) (लैक सुनवाई ट्राइब्स) जारी किया जाए।

19. मेहराल महारीर कोल बीशरीज पाईंवेट लिमिटेड, याम-खरगाहनी, लहसील-कोटा, जिला-विलासपुर (समिक्षालय का नम्बरी क्रमांक 1222)

अधिकारिक आवेदन – पूर्व में प्रक्षेपण नम्बर – एसआईए/ सीजी/ /सीएसआईएन/ ८७०३६/ २०२१, दिनांक २८/०८/२०२१ द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन किया गया था। वर्तमान में प्रक्षेपण नम्बर – एसआईए/ सीजी/ /आईएनडी/ २९०२८३/ २०२२, दिनांक २८/०८/२०२२ को पर्यावरणीय स्वीकृति में पुनः संशोधन हेतु आवेदन किया गया है।

एसआईएए. उपर्योगाद के ज्ञान ज्ञानांक ५४२०, दिनांक २८/०९/२०२१ द्वारा मेहराल महारीर कोल बीशरीज पाईंवेट लिमिटेड, याम-खरगाहनी, लहसील-कोटा, जिला-विलासपुर लिक्ता खसरा ज्ञानांक पार्ट ऑफ ७९/१, ७८, ९६, ८०, ८१, पार्ट ऑफ ८२, ८४, ८६, ८७, पार्ट ऑफ ८८, ९८, ९९/१, ९९/१, ९९/२ तकलीफकाल – १६.३७ एकड़ में प्रशंसित कोल बीशरी शमला-०१० मिलियन टन प्रतीक्षण हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किया गया है।

लहसील एसआईएए. उपर्योगाद को ज्ञान ज्ञानांक ६५, दिनांक २१/०४/२०२२ द्वारा जारी पर्यावरणीय स्वीकृति में 'खसरा ज्ञानांक पार्ट ऑफ ७९/१, ७८, ९६, ८०, ८१, पार्ट ऑफ ८२, ८४, ८६, ८७, पार्ट ऑफ ८८, ९८, ९९/१, ९९/१, ९९/२' के स्वामय पर 'खसरा ज्ञानांक पार्ट ऑफ ७९/१, ७९/२, ९३/१, ९०/३, ७८, ९६, ८०, ८१, पार्ट ऑफ ८२, ८४, ८६, ८७, पार्ट ऑफ ८८, ९८, ९९/१, ९९/२' हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति में संशोधन जारी किया गया है।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत आवेदन में उल्लंघित उत्त्व निम्ननुसार है:-

1. जारी पर्यावरणीय स्वीकृति दिनांक २८/०९/२०२१ में त्रुटिया खसरा ज्ञानांक ६८/२ के स्वामय पर खसरा ज्ञानांक ६६ का उल्लंघन हो गया है तथा प्रशंसित तदोंग हेतु भूमि विवरण तालिका में खसरा क्र. की सूची में S.No. १ एवं S.No. ८ में खसरा ज्ञानांक त्रुटिया गलता सिखा गया है जिसमें सूखर बहती हूये S.No. १ का पार्ट ऑफ खसरा ज्ञानांक ७९/१ के रखना १.१३ एकड़ के स्थान पर रखना १.१७ एकड़ तथा S.No. ८ के खसरा ज्ञानांक ६६ के स्थान पर खसरा ज्ञानांक ६८/२ सुधार किया जाये तथा एकड़ ०.६४ एकड़ के स्थान पर ०.६ एकड़ सुधार

वियो जाने हेतु अनुरोध किया गया है। आगे भूमि विवरण तालिका निम्नानुसार है—

S.No.	Khasra No.	Area (In Acres)
1	Part of 79/1	1.17
2	78 & 96	5.70
3	80	0.52
4	81	0.39
5	Part of 82	0.74
6	84	0.39
7	87	0.70
8	68/2	0.60
9	Part of 85	0.87
10	86	1.64
11	59/1	1.97
12	58/1	0.42
13	58/2	0.42
14	Part of 79/2	0.37
15	Part of 93/1	0.21
16	Part of 90/3	0.26
Total		16.37

- प्रस्तावित घासारी हेतु प्रस्तुत प्रकल्प भूमि विवरण में कुल खासारी की संख्या 16 एवं कुल रकमा 16.37 एकड़ रु. और त्रुटि गुप्तार उपरोक्त गी यथावत् नहीं। यह त्रुटि typographical mistake के कारण हुआ है। उक्त घासारी खासारे मेसारी महाबीर छोल घासारीज प्राइवेट लिमिटेड के अधिकार गी है जिसके बी-1 खासार गी जानबाही प्रस्तुत की गई है।
- घासारा छापांक एवं रकमा में जासी पर्यावरणीय स्वीकृति द्वायन उम्मांक 1420, दिनांक 28/09/2021, संशोधित पर्यावरणीय स्वीकृति छापांक 65, दिनांक 21/04/2022 एवं दापान विश्वार हेतु आवेदित प्रस्ताव का एसडीए/ सीजी/ सीएसआईएन / 77245/2022, दिनांक 25/06/2022 में विधित घासारा छापांक एवं रकमा में त्रुटि गुप्तार हेतु अनुरोध किया गया है।

प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार — उपरोक्त प्रकल्प पर प्राधिकरण की दिनांक 15/09/2022 की दापान 128वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा नस्ती/दस्तावेज का अकलोकन किया गया। प्राधिकरण द्वारा विचार विभीष्णु उपरांत गहरीशास्त्रीति ही उपरोक्त तात्त्वीकी विशेषज्ञ में परीक्षण उपरांत उपर्युक्त अनुसारा वियो जाने हेतु प्रस्ताव को एसडीएसी, उत्तीर्णगढ़ के समस्त प्रस्तुत किये जाने का विरोध किया गया लेकिं प्राप्त आवेदन के संबंध में सभी प्रतिवेदन परिवर्तनाएँ प्रस्तावका से प्राप्त किया जाए।

बैठक का विवरण —

(अ) समिति की 429वीं बैठक दिनांक 18/10/2022:

समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानबाही का अकलोकन एवं परीक्षण करने पर विषय विद्युति पाई गई—

- परिवोजना प्रस्तावक द्वारा दिनांक 13/10/2022 की प्रस्तुत जानबाही एवं भूमि लाली दस्तावेजी में उल्लेखित तथ्य निम्न है—

S.No.	KHASARA No.	Ha.	Acre
1	Part of 79/1	0.473	1.17

2.	78 & 96	2.307	5.70
3.	60	0.210	0.52
4.	61	0.158	0.39
5.	62	0.289	0.74
6.	64	0.129	0.32
7.	87	0.283	0.70
8.	68/2	0.243	0.60
9.	Part of 56	0.352	0.87
10.	56	0.664	1.64
11.	58/1	0.789	1.97
12.	58/1	0.170	0.42
13.	58/2	0.170	0.42
14.	Part of 79/2	0.150	0.37
15.	Part of 80/1	0.113	0.28
16.	60/3	0.165	0.40
Total		6,626	16.37

परियोजना प्रस्तावक द्वारा भूमि संलग्नी उत्तराधिकार प्रस्तुत किये गये हैं। इस ही उपरोक्त संशोधन हेतु जपान पत्र (Notarized Affidavit) भी प्रस्तुत किया गया है।

2. परियोजना के कार्यकालापी एवं प्रस्तावी में कोई परिवर्तन प्रस्तावित नहीं है।

समिति द्वारा विचार विभासी उपरांत सर्वसम्मति से उपरोक्तानुसार नूर में जारी पर्यावरणीय स्थीरता द्वारा इनांक 1420, दिनांक 28/09/2021 एवं संभागित पर्यावरणीय स्थीरता इनांक 65, दिनांक 21/04/2022 हेतु पर्यावरणीय स्थीरता वे संशोधन जारी किये जाने की अनुमति की गई विसमें खसता इनांक पार्ट ऑफ 79/1, 79/2, 93/1, 90/3, 78, 95, 80, 81, पार्ट ऑफ 82, 84, 86, 87, पार्ट 88/1, 56, 58, 59/1, 58/1, 58/2 के व्यापार एवं खसता इनांक पार्ट ऑफ 79/1, 78, 95, 80, 81, 82, 84, 87, 88/2, पार्ट ऑफ 56, 58, 59/1, 58/1, 58/2, पार्ट ऑफ 79/2, पार्ट ऑफ 93/1, 90/3 पदा जाये।

नूर में जारी पर्यावरणीय स्थीरता की तरीक्यावलू रहेगी।

प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार — उपरोक्त प्रबन्ध पर इतिहासक की दिनांक 05/12/2022 को संघन 134वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा नक्ती का अवलोकन किया गया। प्राधिकरण द्वारा समिति की अनुमति को स्थीरकर करते हुये विचार विभासी उपरांत सर्वसम्मति से उपरोक्तानुसार पर्यावरणीय स्थीरता में संशोधन जारी किये जाने का निर्णय किया गया।

नूर में जारी पर्यावरणीय स्थीरता की तरीक्यावलू रहेगी।

परियोजना प्रस्तावक को पर्यावरणीय स्थीरता में मुन् संशोधन जारी किया जाए।

एजेंट्स आवास इनांक-3

परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रेषित अनुरोध पत्र के जावार पर द्वारा प्रकरणी में जबलीकन वशवार विचार कर अवश्यक निर्णय किया जाना।

- नेहरू मंदिर हस्तीपुर लाईम स्टोन कंपनी (प्रो.— श्री मोहम्मद आमदानी), शाम—मंदिर हस्तीपुर, तहसील—आरंग, ज़िला—सायपुर (पर्यावरणीय का इनांक 1965)

जौनलाईन आवेदन — परियोजना नम्बर — एसएडाईए / सीजी / एसएडाईए / 261097 / 2022, दिनांक 10/03/2022 द्वारा पर्यावरणीय स्थीरता हेतु आवेदन किया

गया है। परियोजना प्रस्तावक की जल्दी औनलाइन आवेदन में लमियी होने से जापन दिनांक 29/03/2022 द्वारा जारीकरी प्रस्तुत करने हेतु निर्दिष्ट दिया गया। परियोजना प्रस्तावक द्वारा निर्दिष्ट जानकारी प्रस्तुत नहीं किया गया। अंगठी में परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिनांक 17/10/2022 को आवेदित प्रकरण को निरसा करने के लिए अनुरोध किया गया है।

प्रस्ताव का विवरण – यह खदान यांच-भट्टि रुदीय, तहसील- अरंग, ज़िला-मानपुर के खदान नम्बर 723/2(गटी), 745, 747 एवं 748, कुल लंबाई केवफल-1.035 हेक्टेयर, घूम क्षेत्र (गोप अभियान) उत्तरामन खदान कामता-35,360 टन प्रतिवर्ष की है।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिनांक 17/10/2022 के जापान से प्रकरण को निरसा किये जाने हेतु अनुरोध पत्र प्रस्तुत किया गया है, जिसके लगुआर आवेदित खदान से 500 मीटर की ओर अवस्थित खदानी का डीवफल 5 हेक्टेयर से अधिक है। अतः परियोजना प्रस्तावक को टी.ओ.आर. हेतु औनलाइन आवेदन किया जाना या जर्नु चाहके द्वारा पर्यावरणीय नीतियां हेतु औनलाइन आवेदन किया गया है।

प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार – उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 05/12/2022 को संयन्त्र 134वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा नवीनी/दफलांग का अवलोकन किया गया। प्राधिकरण द्वारा विचार विभाग उपरांत सर्वसम्मिलित से आवेदन को फि-लिस्ट / निरसा करने का निर्णय दिया गया। इसाव को इंसान में प्राप्त प्रातिपद्धति में व्यापक व्यापक लिया जाता है तथा परियोजना प्रस्तावक को यह इसाव दिया जाता है कि यह खदान बरकार यांच-भट्टि, तन और जलवायु परिवर्तन नियन्त्रण द्वारा जारी ई-आईए अधिसूचना, 2006 (यथा नियमित) एवं नवय-समय पर जारी नाईडलाइन्स के लगुआर आवेदन प्रस्तुत किया जाए।

परियोजना प्रस्तावक को लगुआर सुनित किया जाए।

2. वेसर्सी अयवाल ग्लोबल इन्फार्ट का पाईवेट लिमिटेड (खाकरेवटर-सी राकेश जानकार, जावकना और्डिनरी स्टोन क्वारी), याम-जावकना, तहसील-मानपुर, ज़िला-मानपुर-मोहला-अ. घीरी (खाकरेवटर का नम्बर 2174)

औनलाइन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/ एमआईए/ 404902/ 2022, दिनांक 03/11/2022 द्वारा पर्यावरणीय नीतियां हेतु आवेदन किया गया है।

प्रस्ताव का विवरण – यह प्रस्तावित समारण यांच-भट्टि (गोप अभियान) खदान है। खदान याम-जावकना, तहसील-मानपुर, ज़िला-मानपुर-मोहला-अ. घीरी नियम पार्ट ऑफ खदान नम्बर 143/2, कुल हेक्टेयर-1 हेक्टेयर में प्रस्तावित है। खदान की आवेदित उत्तरामन कामता-90,000 टन प्रतिवर्ष है।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिनांक 10/11/2022 के जापान से अपरिहार्य वारपत्री से प्रकरण को निरसा किये जाने हेतु अनुरोध पत्र प्रस्तुत किया गया है।

प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार – उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 05/12/2022 को संयन्त्र 134वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा नवीनी/दफलांग का अवलोकन किया गया। प्राधिकरण द्वारा विचार विभाग उपरांत सर्वसम्मिलित से आवेदन को फि-लिस्ट / निरसा करने का निर्णय दिया

जाया। प्रस्तुत की वार्तामान में प्राप्त प्राचल में बाबत प्राप्त किया जाता है तथा परिवर्तन के प्रत्यावरक की यह सुझाव किया जाता है कि यह भावत सारकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी है अर्थात् अधिकारका, 2006 (प्रथा संशोधित) एवं रामव-रामव पर जारी नाईकलाइना के अनुसार आवेदन प्रक्रृत किया जाए।

परिवर्तन प्रत्यावरक की तदानुसार सूचित किया जाए।

एवंगत आवाद क्रमांक-५

भावत सारकार, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली से बौद्धों मेंडिकल वैरस के संबंध में प्राप्त पत्र पर विचार कर निर्णय लिये जाने बाबत।

भावत सारकार, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली से बौद्धों मेंडिकल वैरस के संबंध में प्राप्त पत्र पर विचार कर निर्णय लिये जाने बाबत।

अपर गठित, भावत सारकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के इवान दिनांक 18 / 10 / 2022 द्वारा एसडूआईए, उत्तीर्णगढ़ को प्रेषित पत्र में उल्लेखित तथ्य निम्न है:-

- डी-सिलिस्टा अपरिषट के विधायिक लिपि के विवादान हेतु डी-सिलिस्टा अपरिषट नियम, 2016 एवं कोन्हीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी अधिकारका के संबंध में उत्तरांक कराते हुए सतर्कता चूंकि कार्यवाही हेतु लेख किया गया है।
- डी-सिलिस्टा अपरिषट का अधिकारिक/पैम एनालिसिस स्टडीस एवं स्टेट जलनुसान कंट्रोल बोर्ड के लोगिटिक में कगी/ बौद्धों मेंडिकल वैरस की अपैद विविध छन्ने आदि के संबंध में जिक्रमाते प्राप्त हुए हैं।
- इस विवरण पर वार्षिकलीय स्लीक्सी हेतु प्राप्त प्रत्यावरों पर विचार करते हाँग उत्तीर्णगढ़ पर्यावरण संबंध मंडल द्वारा अनिवार्य रूप से पैम एनालिसिस स्टडीस किया जाना आवश्यक है।

प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार – उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 11 / 11 / 2022 वो संपन्न 135वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा नसी का अवलोकन किया गया। प्राधिकरण द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निर्णय किया गया था कि उपरोक्त तथ्यों के विवेक में उत्तीर्णगढ़ पर्यावरण संबंध मंडल से विश्वात प्रतिवेदन भेजाये जाने हेतु लेख किया जाए।

एसडूआईए, उत्तीर्णगढ़ के इवान दिनांक 29 / 11 / 2022 के परिवेष्य में उत्तीर्णगढ़ पर्यावरण संबंध मंडल द्वारा दिनांक 05 / 12 / 2022 को विश्वात प्रतिवेदन प्रेषित किया गया है।

प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार – उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 05 / 12 / 2022 को संपन्न 136वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा नसी

का अन्तीम दृष्टि किया गया। अंतीमगढ़ चर्यावरण संस्थान मनहाल से प्राप्त जानकारी निम्नानुसार है—

1. अंतीमगढ़ पर्यावरण संस्थान बंडल द्वारा गठित कम से जितना कर सक्य में विधा लानी विधिवत्ता सुविधा संस्थानी (Health Care Facilities) को जीव विधिवत्ता अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के अंतर्गत प्राधिकार के द्वारा ने आने का द्रव्याना दिया जा रहा है। प्राधिकार के द्वारा ने लाई आने के द्रव्याना विधिवत्ता संस्थान से उत्पन्न जीव विधिवत्ता अपशिष्ट का विस विधि से अवश्यक वित्त जा रहा है। यह सुनिश्चित हो याता है। लाभ ही एक पर निष्ठतम करने में शुक्रिया उपलब्ध होती है।
2. अंतीमगढ़ पर्यावरण संस्थान बंडल द्वारा जारीकीय विधिवत्ता सुविधा संस्थान – 1018, जिवी विधिवत्ता सुविधा संस्थान – 4635, वेटनरी विधिवत्ता संस्थान – 362 एवं शासकीय अधिकारिक डिस्ट्रीब्यूटरी – 460 को जीव विधिवत्ता अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के अन्तर्गत जारी किया गया है।
3. विधिवत्ता संस्थानी पर विधानी के उत्पादन के अवस्था जीव विधिवत्ता अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के अंतर्गत 345 विधिवत्ता सुविधा संस्थानी के विलम्ब समय 76,42,720/- लाभ अधिशेषित हो गई है। विधानी से समय 64,06,445/- लाभ ही राखि प्राप्त हो चुकी है।
4. बर्लीमान में 04 स्थानी इच्छा राबपुर, विलासपुर, कोरवा एवं नायगढ़ में संयुक्त जीव विधिवत्ता अपशिष्ट उपचार एवं अपवहन व्यवस्था (Common Bio-Medical Waste Treatment and Disposal Facility) संस्थालित है। राबपुर एवं विलासपुर में संस्थालित संयुक्त उपचार व्यवस्था इन्सीनेरेटर आवारित है तथा कोरवा एवं नायगढ़ में संयुक्त संयुक्त उपचार व्यवस्था जीव वर्किंग पट्टसि पर आवारित है।

राज्य में संयुक्त जीव विधिवत्ता अपशिष्ट उपचार एवं अपवहन व्यवस्था का विवराद हिंदू जाने हेतु कार्यकारी आरंभ कर सी गई है। इस अनुक्रम में हाल ही में अधिकारित एवं मैसासे की एक टेक्नोलॉजीट प्राईवेट लिमिटेड द्वारा निर्माण कार्य दूरी कर संयुक्त जीव विधिवत्ता अपशिष्ट उपचार एवं अपवहन व्यवस्था की विद्युतीकृत चर्यावरण संस्थान भवहाल से विकाल सम्मति एवं प्राधिकार द्वारा किया गया है। संस्था द्वारा की एत आसपास विधान विधिवत्ता सुविधा संस्थानी से अनुबंध करने की कार्यकारी हेतु आयुक्त वार्गुजा जमान से अनुसूचि किया गया है।

उक्त संस्थान द्वारा द्वारा द्वारा चाम-कैरियरी (वस्तु) में संयुक्त जीव विधिवत्ता अपशिष्ट उपचार एवं अपवहन व्यवस्था हेतु पर्यावरणीय नवीकृति जाल ही गई। तात्पर्यता स्थापना सम्मति दिनांक 22/10/2019 की प्राप्त बन निर्माण कार्य आरंभ किया गया था, जिसे वार्गुजा की किंवदं के कारण बंद करना पड़ा। उल्लेखनीय है कि प्राप्त प्रावाहन कार्योदी द्वारा दिनांक 03/09/2020 की उक्त व्यवस्था का निर्माण कार्य संकलने वाला अंतीमगढ़ शासन के विलम्ब माननीय उक्त न्यायालय में वार्गुजा दात्र भी गई ही परंतु भावनीय उक्त न्यायालय द्वारा निर्माण कार्य बन रहे यहीं दिया गया। अंगमग 90 प्रतिशत निर्माण तूर्ण ही कुक्का है।

रायगढ़ एवं जीला द्वारा इन्सीनेरेटर आवारित संयुक्त जीव विधिवत्ता अपशिष्ट उपचार एवं अपवहन व्यवस्था की स्थापना की विद्युत संस्थान द्वारा पर्यावरणीय नवीकृति प्राप्त करने की कार्यकारी ही जा रही है। उक्त व्यवस्था की विद्युत सायगढ़

में भूमि आवंटन हो चुका है। कोरका में भूमि आवंटन में कठिनाई आ रही है। जिसका निदान शीघ्र किया जाना आवश्यक है।

६. शहर में सांचालिक संयुक्त और विकित्त अपशिष्ट उपचार एवं अपशिष्ट प्रबल्का (Common Bio-Medical Waste Treatment and Disposal Facility) का विवरण:-

क्र.	संस्थान का नाम	अपशिष्ट पद्धति	अनुमति किये गये विकित्त संस्थानों की संख्या
१.	मेहराली एकाउन्टेंस इन्वायरोप्रोटेक्ट प्रा.लि. शाम-किलाना, जिला-साकाशुर (छ.ग.)	इन्सीनिटर पद्धति	2.001
२.	मेहराली इन्वायरोकेप्ट इंटरनेशनल (एलीसपाड़) छ.सरा नं. 1359, शाम-कलाना, सोटी के पास, जिला-साकाशुर (छ.ग.)	इन्सीनिटर पद्धति	667
३.	मेहराली इन्वायरोकेप्ट इंटरनेशनल (एलीसपाड़), बर्खस्तुर उत्ता के पास, जिला-कोरका (छ.ग.)	ओप वरियल पद्धति	104
४.	मेहराली ओरेल सर्विस, बड़े रामपुर, जिला-साकाशुर (छ.ग.)	ओप वरियल पद्धति	85
कुल			2.857

प्रार्थिकरण द्वारा विकार विभार्ता उपराजि सर्वसम्भवि से निर्णय लिया जाना है। उपरोक्त सभ्यों ने भागत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली को अवकाश किया जाए।

भागत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली को यह लेख किया जाए।

एजेंट्स आवंटन अन्तर्गत-५ आव्याह महोदय की अनुमति से अन्य विषय।

१. वैष्णवी भाही विल्हेम एम्प्ल फैक्ट्रियस (पार्टनर - श्री हीलेन लियारी, मंटिर हसीद, लाइम रस्टोर कानी), शाम-मंटिर हसीद, तहसील-आरग, जिला-साकाशुर (संविवालय का नम्रता क्रमांक 2061)

आनंदार्थ आवेदन - यूरो ने प्रपोजल नम्बर - एसआईए/ शीजी/ एमआईए/ २७६२३/ २०२२ दिनांक ०१/ ०६/ २०२२ द्वारा टी.ओ.आर हेतु आवेदन किया गया। वहाँमान में परिवोजना प्रस्तावक द्वारा मंटिर हसीद के कलस्टर के मीनिटरिंग डाटा का उपयोग किये जाने हेतु अनुरोध पत्र प्रस्तुत किया गया है।

प्रस्ताव का विवरण - यह प्रस्ताविल कूना पाथर (ग्रीष्म ऋतियाँ) लादान है। यहाँन शाम-मंटिर हसीद, तहसील-आरग, जिला-साकाशुर स्थित पाई और छ.सरा अन्तर्गत ७०८/२, कुल क्षेत्रफल-५.०३ हेक्टेयर में प्रस्तावित है। लादान की आविष्टि उत्तरानन जाना- ६,००,०००.७६९ टन प्रतिवर्ष है।

एसईए श्री भलीसपाड़ की ४२८वीं बैठक दिनांक ३०/ ०९/ २०२२ की अनुसारा की आवार वर प्राधिकरण की १३३वीं बैठक दिनांक २१/ ११/ २०२२ में तिए गई निर्णय अनुसार द्वारा श्री 'कौटेगी' का होने के कारण भागत सरकार, पर्यावरण, वन और

जलवायु परिवर्तन संबंधी द्वारा अहेल 2015 में प्रकाशित कर्टेजडे टम्स औफ रिकॉर्ड्स (टीओआर) पाई इंआईए/ईएमडी रिपोर्ट और प्रोजेक्ट्स/एकटीविटीज रिकार्डिंग इन्डस्ट्रीस एवं एकटीविटीज रिकार्डिंग 2000 में जनरेट कॉमी 1(ए) का स्टेटमेंट टीओआर (लोक सुनवाई चाहिए) की ओर गाईनिंग प्रोजेक्ट्स हेतु टीओआर पर आठ लिया जाना है।

प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार – प्रकाशित प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 05/12/2022 को संघन 134वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा नस्ती का अवलोकन किया गया। प्राधिकरण द्वारा नोट लिया गया है –

1. परियोजना प्रस्तावक का कथन है कि भवित्वस्थीद कलसटर हेतु पूर्व में गेसर्स भा लावदा मिनरल्स (प्रौ.- श्री आशीष ठिकारी, भवित्वस्थीद लाईम बटोन कवारी), याम-मंटिर हस्तीद, ताहसील-आरंग, जिला-रायपुर को पर्यावरणीय स्वीकृति दिनांक 28/12/2020 से जारी किया गया है। उक्त उल्लंघन हेतु कलसटर में आगे बढ़ी अन्य खादानी के लिए बेसलाईन डाटा कलेक्शन का कार्य हिनांक 01/10/2019 से 31/12/2019 के मध्य किया गया था। अब परियोजना प्रस्तावक द्वारा यह खादान उस कलसटर का भाग होने के कारण भौमिकरित डाटा का उपयोग किये जाने हेतु अनुरोध किया गया है।
2. प्राधिकरण की संख्यान में यह तथ्य द्वारा कि भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन संबंधी, नई दिल्ली द्वारा जारी औपिस मेमोरांडम दिनांक 08/06/2022 अनुसार “The baseline data and Public Hearing shall not be more than three years old at the time of submission of application for consideration of EC” है।
3. पूर्व में बेसलाईन डाटा एकलित ढाई का कार्य दिनांक 01/10/2019 से 31/12/2019 के मध्य किया गया था। उक्त औपिस मेमोरांडम के अनुसार वर्तमान में, पूर्व एकलित बेसलाईन डाटा की फिरता 31/12/2022 तक ही है। यदि उपर्याप्त उपरात परियोजना प्रस्तावक द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु अलोइन किया जाता है तो पूर्व एकलित बेसलाईन डाटा को मध्य लही किया जाएगा। एवं उक्त परियोजना प्रस्तावक को नहीं बेसलाईन डाटा एकलित कर इंआईए रिपोर्ट लेवार किया जाना अवश्यक होगा।

प्राधिकरण द्वारा विचार विभास उच्चतम सर्वोच्चति से निर्णय किया जाता है कि परियोजना प्रस्तावक को उपरोक्त बल्लभिति से अवगत कराया जाए।

परियोजना प्रस्तावक को उदागुप्तर सुनित किया जाए।

2. मैसर्स मा शावदा मिनरल्स (प्रौ.- श्री आशीष ठिकारी, भवित्वस्थीद लाईम बटोन कवारी), याम-मंटिर हस्तीद, ताहसील-आरंग, जिला-रायपुर (अधिकारिता का नस्ती क्रमांक 2046)

अनिलाईन आवेदन – पूर्व में प्रपीजल नम्बर – एमआईए/ शीली/ एमआईए/ 77308/ 2022 दिनांक 27/05/2022 द्वारा टीओआर हेतु आवेदन किया गया था। यांत्रिक में परियोजना प्रस्तावक द्वारा मंटिर हस्तीद के कलसटर के भौमिकरित डाटा का उपयोग किये जाने हेतु अनुरोध पत्र प्रस्तुत किया गया है।

प्रतिकार का विवरण – यह दामता वित्तार का प्रकरण है। यह दूर्घे से संगठित दूना एवं बर (गीम लग्निज) खदान है। खदान पाम-मंदिरहसीद, ताहसील-आरम, जिला-रायपुर स्थित छासरा इमारत ६५७, बुल लोकपाल-४०५१ हेल्टेपर में प्रसारित है। खदान की आवेदित प्राक्षणन दाना-२,९६,६७० टन इतिवर्ते से ७,२२,३२५ टन वृद्धिवर्त है।

एसईएसी, उत्तीसगढ के झाबन इमारत १३०४, दिनांक ३१/१०/२०२२ द्वारा प्रकरण शी १ के दोषी का होने के बाबत भारत सरकार, पर्यावरण, बन और जलवायु परिवर्तन अंतरालप द्वारा अंडील, २०१५ में प्रकाशित स्टैम्पवाँ टम्स ऑफ रिपोर्ट (टीओआर) कोर है आईए/ईएपी, रिपोर्ट कोर प्रोजेक्ट्स/एवलीशिलीज रिकार्डिंग इन्वार्लेट कलीपरेस अंडर है आईए मोटिफिलेजन, २००६ में जारी थी १(ए) का स्टैम्पवाँ टीओआर (लोक सुनवाई सहित) नोन कोल माईनिंग प्रोजेक्ट्स हेतु टीओआर जारी किया गया है।

प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार – उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक ०५/१२/२०२२ को सपन्न १३४वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा नवीनी का अवलोकन किया गया। प्राधिकरण द्वारा नोट किया गया कि—

- परिवोजना प्रस्तावक का कल्पन है कि उत्तीसगढ में दूर्घे संगठित स्वीकृति से अधिक उत्पादन किये जाने हेतु अवैदन किया गया है। चूंकि कोरोना-१९ हेतु नोटिफिकेशन जारी किया गया है, जिसमें १ वर्ष की अवधि (Period) की व्यापी अवधि (Lapse period) माना गया तथा मोनिटरिंग के ३ वर्ष के झाटा को दून उपरोक्त करने हेतु नोटिफिकेशन जारी किया गया है। आते परिवोजना प्रस्तावक द्वारा दूर्घे में एकत्रित बैस लाईन छाटा का उत्पादन किये जाने हेतु अनुरोध किया गया है, जिससे आवेदित प्रकरण एवं बैलर्स मही डिल्टसे दृष्ट ढेकलपर्स (पार्टनर – श्री श्रीलेख तिवारी, विदेश हसीद लाईम लोन लकारी), पाम-मंदिर हसीद, ताहसील-जारग, जिला-रायपुर की संयुक्त लोक सुनवाई कराई जा सके। चूंकि उक्त दोनों खदाने एक ही क्लस्टर का भाग हैं को कारण संयुक्त जन सुनवाई कमीबद्द द्वारा कराई जा सकती है।
- माननीय एनजीटी, प्रिसियल देव, नई दिल्ली द्वारा सत्येन पार्क्सर रिक्विरी भारत सरकार, पर्यावरण, बन और जलवायु परिवर्तन अंतरालप, नई दिल्ली एवं अन्य (ऑरिजिनल एप्लिकेशन नं. १८६ ऑफ २०१८ एवं अन्य) में दिनांक १३/०९/२०१८ को जारी आदेश में ‘There shall be one public consultation for entire cluster after which the final Environment Impact Assessment or Environment Management Plan report for the cluster shall be prepared’ का उल्लेख है। आते परिवोजना प्रस्तावक द्वारा दोनों खदानों एक ही क्लस्टर का भाग होने के कारण संयुक्त जन सुनवाई कमीबद्द द्वारा कराई जा सकती है।

प्राधिकरण द्वारा विवाह मित्रों द्वारा सम्मानित से विचाय लिया गया कि
परिवैज्ञानिक प्रस्तावक को उपलेख वरतुरिति से अवक्ता करना चाहे।

परिवैज्ञानिक प्रस्तावक को सदानुसार सूचित किया जाए।

वैज्ञानिक प्रस्तावक के साथ संधर्म रहे।

(आर. डी. शिवार्थी)

सदस्य सचिव,

राज्य सतरीय पर्यावरण प्रभाव आकलन
प्राधिकरण, छत्तीसगढ़

(देवाशीष दास)

अधिकारी,

राज्य सतरीय पर्यावरण प्रभाव आकलन
प्राधिकरण, छत्तीसगढ़

(जी. दीपक शिंहा)

सदस्य

राज्य सतरीय पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण, छत्तीसगढ़